खण्ड-513, अंक-06
गुरुवार, 06 फाल्गुन, शक संवत् 1942
(25 फरवरी, 2021 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, वर्ष 2021)

(खण्ड 513 में 10 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
विधान सभा मण्डप में डा0 भीमराव अम्बेडकर का चित्र लगाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	7-8
अपराह्न भोजन की व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना	8
प्रश्नोत्तर	8
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार ...	118-119
औचित्य के प्रश्न की सूचना	119
सन्त रविदास जी की जयंती दिवस को पूर्व की भाँति मनाए जाने एवं राजकीय अवकाश घोषित करने की माँग	119-120
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ	120-122
जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मनिकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सकरौहा धवइयां नाला में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	112
बुन्देलखण्ड के किसानों को बिजली विभाग द्वारा ट्यूबवेल कनेक्शन के अन्तर्गत मिलने वाली छूट व ट्यूबवेल कनेक्शन का सामान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	112
जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत रामनगर से परानीपुर जाने वाले प्रस्तावित मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	112-123
जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत ब्लाक चकरनगर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध मे नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम जाजामऊ गैर एहतमाली में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत कतिपय बस्तियों एवं गावों में सामुदायिक केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद देवरिया के नगर पंचायत सलेमपुर को नगर पालिका परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद बुलन्दशहर के ग्राम करीमनगर बनवोई में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द में चिकित्सक की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124-125
जनपद बहराइच के विकास खण्ड मिहींपुरवा के ग्राम कुड़वा में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	125
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत ग्राम उमरी कला में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	125
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में तैयार ओवरहेड टैंक की कमियों को दूर करते हुए उसे संचालित करने एवं निर्माणाधीन ओवरहेड टैंकों का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125-126
प्रदेश में कार्यरत आशा बहुओं का मानदेय व अन्य सुविधाएं बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126
प्रदेश में शिक्षक कर्मचारी की अंशदायिक पेंशन योजना में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	126-127
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत कन्जेश्वर धाम मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	127
जनपद मुरादाबाद के कतिपय ग्रामों को ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाये जाने सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127-128
जनपद प्रयागराज के ग्राम सभा गोहरी के अन्तर्गत थाना सोरांव में इश्तियाक अहमद के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	128
जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी के अन्तर्गत अमवार कनहर सिंचाई परियोजना में प्रभावित विस्थापित लोगों को प्लाट एवं विस्थापन पैकेज दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	129

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत नौमील चौराहे से पिनानी गाँव तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	129
जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत गंगा नदी पर सिरसा से हण्डिया जाने वाले पीपा पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	130
जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी के अन्तर्गत इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	130
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत आर0 सी0 सी0 कल्वर्ट के स्थान पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	130-131
प्रदेश में 69000 शिक्षक एवं खण्ड शिक्षाधिकारी की भर्ती में 27 प्रतिशत अन्य पिछ़डा वर्ग, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का पालन न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	131
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ...	131-170
बजट भाषण पर चर्चा में बोलने हेतु समय निर्धारण	170-187
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष (2019-2020) का पंचायती राज विभाग का पैंतालिसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	187
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2019-2020) का परिवहन विभाग का छियालिसवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	187
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का अष्टम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	188
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का नवम् प्रतिवेदन (खण्ड-4) (सदन के पटल पर रखा गया)	188
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2019-2020) का अष्टम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	188-189

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2019-2020) का नवम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	189
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2019-2020) का दशम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	189
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2019-2020) का ग्यारहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)...	189
उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति (2019-2020) की एक सौ उन्चासवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	189-190
उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019 2020) का दशम् प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	190
श्री बृजेश कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा की उन्नाव से सम्बन्धित छः याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	190-191
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित पन्द्रह याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	191-192
श्री बजरंग बहादुर, सदस्य, विधान सभा की जनपद महाराजगंज से सम्बन्धित तेरह याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	192-193
श्री बृजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	194
श्री कैलाश नाथ सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	194
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित छः याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	194-195
श्री मूलचन्द्र निरंजन, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	195
श्री विजय कुमार राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	195-196
श्री बिजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	196-197
श्री विनय कुमार द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	197

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित नौ याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	197-198
श्री प्रमोद उटवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	198
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित दस याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	199-200
श्री प्रेम सागर पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से एक एवं जनपद महाराजगंज से सम्बन्धित दस याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	200-201
श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	201
श्री रवि कुमार सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव एवं लखनऊ से सम्बन्धित एक-एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	201
श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	202
श्री श्रीराम सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	202
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	202-203
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	203-204
श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	204
श्री सहेन्द्र सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद बागपत से सम्बन्धित तीन याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	204
श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	204-205
श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित एक एवं जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	205-206

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित दो एवं जनपद झांसी से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	206
श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	206
श्री अभिजीत सिंह सांगा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	206
श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	207
श्री आनन्द शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित दस याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	207-208
श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	208
श्रीमती अर्चना पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कन्नौज से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	208-209
डॉ0 संगीता बलवन्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित चार याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	209
डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित उनतीस याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	210-211
डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित दस याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	212-213
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित दो याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	213
डॉ0 अनीता लोधी राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं) ...	213-214
श्रीमती लीना तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित पांच याचिकाएँ (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	214
श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	214-215

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (सर्वसम्मति से स्वीकृत)	215
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	216-218
जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज में जिला पंचायत की सड़कों को गड्ढामुक्त कराने के सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2021 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य	218-219
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द शुक्ला द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2021 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	219-220
जनपद लखनऊ के ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों की जांच पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 नीरज बोरा द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2021 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ...	220-222
जनपद अमेठी में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की जांच करते हुये पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2021 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	222-228
जनपद गाजियाबाद के न्याय खण्ड प्रथम इन्दिरापुरम में हुए अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सरोज द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2021 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य	228-231
जनपद लखनऊ में नया विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2021 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	231-232
बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में की गयी भर्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामधनी द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2021 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	232-233

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद श्रावस्ती में लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद असलम राइनी द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2021 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	233

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 2021

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-352

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
3. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
4. अजय कुमार सिंह''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
5. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
6. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
7. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
8. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
9. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
10. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
11. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
12. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
13. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
14. अनीता लोधी राजपूत, डा0 — बुलन्दशहर
15. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
16. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
17. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
18. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
19. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
20. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
21. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
22. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
23. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
24. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
25. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
26. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
27. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
28. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
29. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
30. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
31. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
32. असलम अली, श्री — हापुड़
33. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
34. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
35. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
36. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
37. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
38. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
39. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
40. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
41. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
42. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
43. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
44. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
45. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
46. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
47. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
48. उपेन्द्र नाथ पासवान, श्री — कानपुर नगर
49. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
50. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
51. उषा सिरोही, श्रीमती — बुलन्दशहर

52. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
53. ओमकुमार, श्री बिजनौर
54. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
55. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
56. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
57. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
58. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
59. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
60. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
61. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
62. काली प्रसाद, श्री देवरिया
63. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
64. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
65. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
66. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
67. केसर सिंह, श्री बरेली
68. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
69. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
70. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
71. गंगा, श्री कुशीनगर
72. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
73. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
74. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
75. गौरी शंकर, श्री जालौन
76. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
77. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
78. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
79. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
80. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
81. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
82. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
83. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
84. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
85. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
86. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
87. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
88. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
89. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
90. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
91. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
92. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
93. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
94. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
95. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
96. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
97. दल बहादुर, श्री रायबरेली
98. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
99. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
100. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
101. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
102. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
103. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
104. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
105. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
106. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
107. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
108. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
109. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
110. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
111. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
112. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
113. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
114. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
115. नईम उल हसन, श्री बिजनौर

116. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
117. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
118. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
119. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
120. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
121. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
122. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
123. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
124. नाहिद हसन, श्री शामली
125. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
126. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
127. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
128. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
129. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
130. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
131. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
132. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
133. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
134. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
135. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
136. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
137. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
138. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
139. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
140. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
141. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
142. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
143. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
144. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
145. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
146. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
147. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
148. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
149. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
150. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
151. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
152. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
153. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
154. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
155. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
156. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
157. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
158. बावन सिंह, श्री गोण्डा
159. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
160. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
161. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
162. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
163. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
164. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
165. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
166. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
167. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
168. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
169. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
170. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
171. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
172. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
173. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
174. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
175. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
176. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
177. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
178. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
179. महबूब अली, श्री अमरोहा
180. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
181. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
182. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा

183. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
184. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
185. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
186. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
187. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहाँपुर
188. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
189. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
190. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
191. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
192. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
193. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
194. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
195. युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
196. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
197. योगेश धामा, श्री बागपत
198. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
199. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
200. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
201. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
202. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
203. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
204. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
205. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
206. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
207. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
208. रवि शर्मा, श्री झांसी
209. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
210. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
211. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
212. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
213. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
214. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
215. राज करन कबीर, श्री बांदा
216. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
217. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
218. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
219. राजबाला, श्रीमती रामपुर
220. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
221. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
222. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
223. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
224. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
225. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
226. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
227. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
228. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
229. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
230. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
231. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
232. राम गोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
233. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
234. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
235. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
236. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
237. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
238. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
239. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
240. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
241. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
242. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
243. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
244. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
245. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर

246. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
247. लाखन सिंह, श्री औरैया
248. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
249. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
250. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
251. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
252. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
253. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
254. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
255. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
256. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
257. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
258. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
259. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
260. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
261. विनय शाक्य, श्री औरैया
262. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
263. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
264. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
265. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
266. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
267. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
268. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
269. वीरेन्द्र, श्री एटा
270. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
271. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
272. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
273. शशांक वर्मा, श्री खीरी
274. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
275. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
276. शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
277. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
278. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
279. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
280. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
281. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
282. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
283. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
284. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
285. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
286. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
287. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
288. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
289. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
290. संगीता चौहान, श्रीमती अमरोहा
291. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
292. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
293. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
294. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
295. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
296. संजय यादव, श्री बलिया
297. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
298. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
299. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
300. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
301. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
302. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
303. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
304. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
305. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
306. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
307. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
308. सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, डा0 देवरिया
309. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
310. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
311. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच

312. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
313. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
314. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
315. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
316. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
317. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
318. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
319. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
320. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
321. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
322. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
323. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
324. सुभाष राय, श्री अम्बेडकरनगर
325. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
326. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
327. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
328. सुरेश कुमार, श्री शामली
329. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
330. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
331. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
332. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
333. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
334. सुरेश राही, श्री सीतापुर
335. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
336. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
337. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
338. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
339. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
340. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
341. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
342. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
343. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
344. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
345. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
346. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
347. हरीराम, श्री सोनभद्र
348. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
349. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
350. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
351. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
352. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

विधान सभा मण्डप में डा0 भीमराव अम्बेडकर का चित्र लगाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल के बाद विषय उठा लेना।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, अभी सुन लें। हम जहाँ सदन में खड़े हैं, वहां बाबा साहब डा0 अम्बेडकर की फोटो नहीं लगी है। दिल्ली में मूर्ति लग गयी है। संविधान के दायरे में हम लोग यहां बैठे हैं परन्तु इस पूरे हॉल में एक फोटो नहीं लग पायी है, यह बड़ा दुःखद है। हम आपसे चाहेंगे कि एक फोटो यहां बाबा साहब डा0 अम्बेडकर की लगे। माननीय अध्यक्ष जी, कितने लोग चाहते हैं कि फोटो लगे तो हाथ उठाइये।

(सदन में कुछ सदस्यों द्वारा हाथ उठाया गया)

श्री अध्यक्ष

अभी कोई वोट नहीं हो रहा, आप सब लोग बैठिए।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जो बाबा साहब को मानते हैं, वह नेता लोग दोनों हाथ उठाइये, हम तो दोनों हाथ उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग प्रश्नकाल का समय न खराब करिए, आप बैठिए। इसमें हाथ उठाने की बात कहां से आ गयी ?

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 उमाशंकर सिंह जी ने कई बार इस विषय को उठाया था और आपके द्वारा आश्वासन दिया गया था, परन्तु अभी तक निर्णय नहीं हुआ है।

कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

अध्यक्ष जी, किन नियमों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव आया हुआ है। मा0 सदस्य एक मंत्री रह चुके हैं। किन नियमों के अन्तर्गत प्रश्नोत्तरकाल में यह प्रस्ताव ला रहे हैं ?

(सदस्यों के अपने-अपने स्थान से अपनी बात कहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पहले यह विषय आया था और इस विषय पर विचार हुआ था, तद्नुसार व्यवस्था की जाएगी।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, किसी सदस्य को सदन का हाथ उठवाने का अधिकार नहीं है, यदि यह कार्यवाही में आया है, तो इसको निकलवा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

वही हम मना कर रहे थे।

(श्री ओम प्रकाश राजभर के अपने स्थान से खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप ओम प्रकाश जी कृपया बैठ जाइये। इस विषय पर उमाशंकर जी की एक सूचना पहले प्राप्त हुई थी। उसे सरकार के पास भेजा गया था।

सरकार ने इस विषय पर सम्यक् विचार कर लिया है और उस पर अग्रिम कार्यवाही होने जा रही है।

[12:30] अपराह्न भोजन की व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

इस बीच मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ, वैसे मैं प्रश्नोत्तरकाल का पूरा उपयोग करता हूँ। आज मा0 संसदीय कार्य मंत्री की ओर से आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। भोजन अपराह्न 12:30 बजे से शुरू हो जाएगा। तो जो मा0 सदस्य इसके पक्ष में हों, क्या हम प्रश्नोत्तर करा दें ? जो सदस्य भोजन के पक्ष में हों, हाँ करा लें।

(सदन में हँसी)

प्रश्नोत्तर

नत्थी-क

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस व अन्य आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स को कम करने के सम्बन्ध में

****1-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा श्रीमती पिंकी सिंह यादव-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई के दृष्टिगत डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस व अन्य आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स को कम करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

राज्य में कोविड-19 के दृष्टिगत स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने एवं अन्य विकास कार्यों हेतु संसाधनों एवं वित्तीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत पेट्रोल एवं डीजल पर टैक्स में कमी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को डीजल आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, पंजाब एवं उत्तराखण्ड राज्यों की तुलना में कम मूल्य पर प्राप्त हो रहा है, जबकि पेट्रोल मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, दिल्ली, उत्तराखण्ड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों की तुलना में कम मूल्य पर प्राप्त हो रहा है।

दिनांक 01-07-2017 से माल एवं सेवा कर अधिनियम लागू है। रसोई गैस (एल0पी0जी0) तथा अन्य आवयश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कर की दरों में कमी का अधिकार राज्य को नहीं वरन् जी0एस0टी0 कॉउन्सिल को है।

(श्री सतीश महाना, मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 मंत्री जी ने कोविड-19 का जिक्र करते हुए अपनी बात शुरू की। मैं अपने विद्वान मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप हर चीज को आपदा के अवसर में बदल रहे हैं। गरीब प्रदेशवासियों का तेल निकाल रहे हैं। जहां पूरे देश-प्रदेश की जी0डी0पी घटने की बात आ रही है, जी0 माने गैस, डी0 माने डीजल और पी0 माने पेट्रोल, तीनों पर आप जी0डी0पी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रदेश की जनता कराह रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से 2-3 सप्लीमेंटरी सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस पर भारत सरकार और राज्य सरकार अलग-अलग कितने रुपये प्रति लीटर टैक्स लेती है ? दूसरा, सरकार क्या राज्य में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस पर टैक्स कम करेगी ? तीसरा, टैक्स कम करने के लिए क्या राज्य की जी0एस0टी0 काउन्सिल सिफारिश करेगी ? और चौथा, 01 मार्च, 2020 को डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस का रेट क्या था, आज डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस का रेट क्या है और 01 मार्च को गैस पर सब्सिडी कितनी मिलती थी और आज गैस पर सब्सिडी कितनी मिल रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूछा कि डीजल और पेट्रोल के ऊपर टैक्स कितना है ? मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 में माननीय नरेन्द्र वर्मा जी की पार्टी की सरकार थी तब टैक्स का जो निर्धारण हुआ था आज की तारीख में उतना ही टैक्स लिया जा रहा है, किसी भी प्रकार के टैक्स की बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है। मान्यवर, डीजल के ऊपर 17.48 और पेट्रोल के ऊपर 26.8 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स लिया जाता है। वर्ष 2014 से लगातार उतना ही टैक्स है, उसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है। यह कहना कि टैक्स के ऊपर बढ़ोत्तरी की गयी है, अनुचित है। दूसरा प्रश्न इनका यह है कि एल0पी0जी0 के ऊपर हम कोई टैक्स कम करेंगे, एल0पी0जी के ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लेते हैं। इसलिए उसको कम करने का

प्रश्न ही नहीं उठता है। एल0पी0जी0 के ऊपर गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया जो टैक्स लेती है वही लगता है और गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया उसके ऊपर जितना टैक्स लेती है वह एक्साइज के निर्धारण के अनुरूप लेती है, उसके ऊपर जी0एस0टी0 या आई0जी0एस0टी0 लगता है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, एक अनुरोध है आपने बताया कि हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, जब डीजल और पेट्रोल का मूल्य बढ़ गया तो टैक्स तो स्वतः बढ़ गया, इसलिए आपकी यह जानकारी सही नहीं है, नम्बर-1 दूसरी बात, 20/21 मार्च, 2020 से कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा उस समय डीजल का रेट था 65 रुपये 33 पैसा प्रति लीटर, वह आपने नहीं बताया और आज डीजल का रेट है 82 रुपया 33 पैसा यानि डीजल पर आपने बढ़ाया मार्च के बाद से 17 रुपया प्रति लीटर। इसी तरह पेट्रोल का रेट उस समय था 74 रुपया 33 पैसा प्रति लीटर और आज पेट्रोल का रेट है 89 रुपया 88 पैसा इस प्रकार इसमें भी काफी डिफरेंस आया है। रसोई गैस का दाम मार्च में था 849 रुपया और सब्सिडी थी 350 रुपया। आज रसोई गैस का मूल्य है 841 रुपया और सब्सिडी है 35 रुपया। तो सब तरफ आपदा को अवसर में भुनाया जा रहा है। हमारा आपसे अनुरोध है कि प्रदेश की जनता को कोविड में और ज्यादा दुख न दें, कुछ टैक्स कम कर लें, तो हम आपका आभार व्यक्त करेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय नरेन्द्र जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं वह पूछ रहे हैं कि कितना टैक्स बढ़ाया गया है और सरकार इसके ऊपर लगने वाल टैक्स को कम करने पर विचार करेगी। रेट को कम करने पर विचार करेगी यह प्रश्न नहीं है और रेट का निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल और पेट्रोल के मूल्यों का होता है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल और पेट्रोल के रेट का निर्धारण नहीं करती। उत्तर प्रदेश की विधान सभा जिस टैक्स का निर्धारण करती है वह 2014 से आज दिनाँक 25 फरवरी, 2021 तक नहीं बढ़ाया गया है वह उतना ही है, जो इनके समय में था। दूसरी बात मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने डीजल और पेट्रोल की सब्सिडी की बात कही है, तो जहाँ तक गैस पर सब्सिडी की बात है, तो इस देश में गैस के ऊपर सब्सिडी की पहले कोई बात ही नहीं करता था। इस देश में पहली बार सब्सिडी छोड़ने के लिये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि बड़े आदमी अपनी सब्सिडी छोड़ दें ताकि उस गरीब महिला को मुफ्त में गैस मिल सके और देश में 08 करोड़ गैस कनेक्शन उन गरीब महिलाओं को मुफ्त में दिया गया। पहले उस गरीब महिला के लिये यह सपना होता था कि गैस का सिलेण्डर वह ले भी सकती है कि नहीं। मान्यवर, वह धुंये के कारण बीमार हो जाती थी, उसकी किसी ने चिन्ता नहीं की। वह काम जो इस देश के समृद्धशाली लोगों से वसूल करके गरीब आदमी को देने का काम इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी ने शुरू किया उसके ऊपर पहले कोई सोचता भी नहीं था और आज भी इनकी यह सोच नहीं है। इनकी यह सोच है कि बड़े

आदमी के ऊपर कैसे टैक्स कम कर दें। गरीब आदमी के पास यह कैसे पहुँचे इस पर प्रश्न उठाते तो मुझे लगता कि वह उचित है।

श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

माननीय मंत्री जी ने अभी जैसा कहा कि प्रदेश की सरकार दाम तय नहीं करती। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में जहाँ बढ़ते हुये डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों की वजह से एक तरफ महिलाओं पर रसोई गैस की मार पड़ रही है दूसरी तरफ बढ़ते हुये डीजल के दामों से किसान अपने आप में खेती करने में बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार सेंट्रल गवर्नमेन्ट के यहाँ से कोई प्रस्ताव बनाकर भेजेगी जिससे कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के जो दाम हैं उसको कम किया जा सके। जिस तरह से आज कोरोना का हवाला दिया जा रहा है ऐसी विषम परिस्थिति में उत्तर प्रदेश की जनता पर इस तरह से भार डाला जायेगा और सरकार जनता की कठिनाइयों की इस तरह से अनदेखी करेगी तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जनता जो आज महसूस कर रही है कि बढ़ते हुये दामों की वजह से वह अपने घरों को नहीं चला पा रहे हैं, किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहा और पढ़ने वाले नौजवान जो टू-व्हीलर लेकर चलते हैं वह स्कूलों और कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रहे, ऑफिस में काम करने वाले ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या सरकार इनके दामों में कमी करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव बनाकर यहाँ से केन्द्र सरकार को भेजेगी ?

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आपसे आग्रह भी करता हूँ कि माननीय मंत्री जी का यह जो जवाब आया है मैं उनसे कहता हूँ कि मैं इसे चैलेन्ज करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि आप प्रश्न देखें कि प्रश्न क्या है, प्रश्न बढ़ती हुयी महंगाई के दृष्टिगत डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस व अन्य आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स के सम्बन्ध में है और माननीय मंत्री जी के उत्तर का सेकेंड पैरा देखिये। सेकेंड पैरा में इन्होंने लिखा है कि दिनांक 01-07-2017 से माल एवं सेवा कर अधिनियम लागू है।

गैस (एल0पी0जी0) तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कर की दरों में कमी का अधिकार राज्य को नहीं, वरन् जी0एस0टी0 काउन्सिल को है। तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि डीजल और पेट्रोल पर भी जी0एस0टी0 है कि वैट है ? क्योंकि डीजल, पेट्रोल पर तो हम इसी की माँग करते हैं कि जिस तरह से सारी चीजों को जी0एस0टी0 में जोड़ा गया है, तो डीजल और पेट्रोल को भी जी0एस0टी0 में क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है ? यह देखिये कि अधिकारियों ने कितना घुमाकर उत्तर दिया है और आपने उत्तर में एल0पी0जी0 तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के बारे में लिख दिया है। इसमें डीजल, पेट्रोल है, जिसमें आप कह रहे हैं कि जी0एस0टी0 काउन्सिल तय करेगी। यह तो जी0एस0टी0 में आता

ही नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी डीजल, पेट्रोल को भी जी0एस0टी0 के दायरे में लाने की व्यवस्था करेंगे या प्रस्ताव भेजेंगे ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं एक-एक करके जवाब दे दूँ। हमारी माननीया सदस्य ने जो प्रश्न किया है। यह पुराने जमाने की बात है कि जब बत्ती एक मिनट भी नहीं आती थी तो किसान पूरा डीजल के ऊपर निर्भर करता था। आज उसको खेतों में पानी देने के लिए ट्यूबवेल चलाने की जरूरत बिजली से पड़ती है, डीजल से नहीं पड़ती है। उसकी कितनी बचत हुई है, यह इनको पता नहीं है क्योंकि आज 20 से 22 घंटे तक बिजली आती है।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

मेरा उत्तर सुन लें, मेरा निवेदन सुन लें। पूरा उत्तर आ जाये, जब प्रश्न आता है तो मैं बीच में नहीं खड़ा होता हूँ। जब उत्तर आ रहा है तो उसका पूरा उत्तर आ जाये। उसके बाद आपको अपनी बात करने का अधिकार है। मान्यवर, पहली बात यह है कि बत्ती पूरी आ रही है, इसीलिए आज उत्तर प्रदेश का किसान बहुत खुशहाल है और वह बहुत प्रसन्न है कि जिस प्रकार से बिजली पूरी आ रही है, उसको आज डीजल की जरूरत अपने खेतों में पानी देने के लिए नहीं है। दूसरी बात मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो एक बात माननीय सदस्य ने पूछी थी। मान्यवर, 2014 में जब इन सब लोगों की संयुक्त सरकार थी, उस समय जो रेट थे, उस समय के रेट और आज के रेट में तुलना करें, तो उससे आज कम है। मान्यवर, क्योंकि डॉलर का रेट थोड़ा-बहुत बढ़ा होगा। क्योंकि डॉलर के हिसाब से उसका रेट तय होता है। मान्यवर, उसके हिसाब से 2014 से 2021 तक, कोविडकाल से पहले तक, 2014 में जो दाम थे, हमेशा उससे कम दाम के ऊपर डीजल और पेट्रोल उत्तर प्रदेश में बिका है। मान्यवर, दूसरी बात, बहुत विद्वान सदस्य माननीय उमाशंकर जी ने कहा कि उत्तर गलत है। प्रश्न भी पढ़ लेते और उत्तर भी पढ़ लेते, क्योंकि प्रश्न में इन्होंने आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स को कम करने के बारे में कहा है। जिसके ऊपर टैक्स है, उसी के ऊपर कम करने की बात है। जहाँ तक जी0एस0टी0 की बात है, ये गला फाड़-फाड़ कर पूरे देश और प्रदेश में चिल्लाते रहे कि जी0एस0टी0 क्यों लगा दिया, जी0एस0टी0 क्यों लगा दिया और वैट लगा तो उसमें भी इनको परेशानी है। तो उसमें आपको मालूम है कि वैट है, जी0एस0टी0 नहीं है। आप मुझसे पूछ रहे थे कि आप बताइये कि उसमें वैट लगता है कि जी0एस0टी0 लगता है यह तो आपको पता ही है कि वैट लगता है, जी0एस0टी0 नहीं लगता है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर में यह है कि गैस (एल0पी0जी0) तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कर की दरों में कमी का अधिकार राज्य को नहीं, वरन् जी0एस0टी0 कॉउन्सिल को है। जब यह जी0एस0टी के दायरे में आता ही नहीं है,

डीजल, पेट्रोल तो जी0एस0टी0 कॉउन्सिल को अधिकार कैसे है ? मैं भी कह रहा हूँ कि अगर है, तो माननीय मंत्री जी इसको जी0एस0टी0 में ही लाने की कृपा करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जरा पढ़ लें। जो बात माननीय सदस्य ने जी0एस0टी0 कॉउन्सिल की कही है। मैं उसको फिर पढ़ रहा हूँ और एक-एक लाइन धीरे-धीरे पढ़ रहा हूँ कि यह न हो कि कोई शब्द इनके ध्यान से छूट जाये कि दिनांक 01-07-2017 से माल एवं सेवा कर अधिनियम लागू है। रसोई गैस (एल0पी0जी0) तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं, जिसके ऊपर जी0एस0टी0 नहीं है, उनको जी0एस0टी0 कॉउन्सिल में भेजा जायेगा। उसमें डीजल और पेट्रोल का नाम नहीं लिखा हुआ है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, प्रश्न में डीजल और पेट्रोल है।

श्री सतीश महाना-

ऊपर डीजल और पेट्रोल का अलग जवाब आ गया है।

(श्री लाल जी वर्मा और श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' के खड़े होकर अनुपूरक पूछने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, हो गया, इसमें 8-10 अनुपूरक सवाल हो गये। ठीक है, वर्मा जी आप पूछ लीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसान को डीजल की अब आवश्यकता नहीं पड़ रही है। माननीय मंत्री जी ने ट्रैक्टर इजाद किया है, जो बिजली से चलने लगे हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि इनको भी नहीं मालूम है कि किसान के खेत में क्या जरूरत पड़ती है ? जैसे कल माननीय नेता सदन कह रहे थे कि कुछ लोगों को नहीं मालूम कि आम और गन्ना कहाँ होता है। उसी तरह से इनको भी नहीं मालूम कि खेत की जुताई बिजली से नहीं होती है, वह ट्रैक्टर से होती है और ट्रैक्टर डीजल से चलता है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह दो प्रश्न करना चाहता हूँ। एक प्रश्न यह है कि आज डीजल का दाम बढ़ा है। आपने टैक्स का परसेंटेज नहीं बढ़ाया है। लेकिन चूँकि डीजल का दाम बढ़ा है और कुछ राज्यों ने चाहे वहाँ चुनाव के कारण ही किया हो, कुछ राज्यों ने अपना कर घटाया है, डीजल की बढ़ती हुई महंगाई के कारण तो क्या माननीय मंत्री जी डीजल की बढ़ती हुई महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए अपने टैक्स में उस महंगाई के परिप्रेक्ष्य में कुछ कमी करने की कृपा करेंगे ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एल0पी0जी0 गैस और चूल्हा जिन लोगों को मुफ्त में दिया गया, क्या उनको प्रत्येक माह में एक सिलेण्डर देने की कृपा करेंगे ?

मान्यवर, आप बार-बार मुफ्त चिल्लाते हैं, उन्हें मुफ्त तो दिया नहीं गया है बल्कि सब्सिडी से उस धनराशि को वसूला गया है, सब्सिडी उनको तब तक नहीं मिली जब सिलेण्डर का दाम पूरा वसूल नहीं हो गया तो क्या जैसे उनको मुफ्त में गैस और चूल्हा दिया वैसे ही उनको हर महीने अनवरत् रूप से एक गैस सिलेण्डर मुफ्त में देने की व्यवस्था करेंगे, क्या ऐसा प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह तो सुझावात्मक है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' -

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल और पेट्रोल के दाम घटे तो क्या वजह है कि देश में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते चले गये। उत्तर प्रदेश भी देश का हिस्सा है क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि सरकार किसान, नौजवान और महिलाओं की रसोई गैस को लेकर चिन्तित है तो क्या सरकार अपने टैक्स को कम करने का प्रयास करेगी और क्या ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी ? मान्यवर, पहले महिलाएं रो रही थीं धुंए से, आज जब सब्सिडी हट गई है उसकी वजह से गैस न मिलने के कारण अब महिलाएं और रो रही हैं। तो जैसा अभी माननीय लाल जी वर्मा जी ने कहा कि जैसे पहले एक सिलेण्डर मुफ्त मिलता था क्या उसे सरकार देने का प्रयास करेगी और अगर नहीं देती है तो मैं मानती हूं कि पूरी तरह से सरकार महंगाई को रोकने में सक्षम नहीं है, पूरी तरह से सरकार विफल हो चुकी है। किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर और महिलाओं के साथ जो उन्होंने धोखा किया है, सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है महंगाई को नियन्त्रित करने के मामले में, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, अगर सरकार इस पर नियन्त्रण नहीं करेगी, इसका जवाब नहीं देती है, तो कांग्रेस पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गई)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, कांग्रेस की समस्या यह रही है, जो अभी नेता, कांग्रेस ने यहां पर कहा वह कार्यवाही में है, कम से कम एक मिनट इन्तजार कर लेते, उन्होंने कहा कि अगर यह जवाब नहीं देंगे तो हम उसके पहले ही बहिष्कार कर जायेंगे। मान्यवर, मेरे जवाब का इन्तजार कर लेते उसके बाद बहिष्कार करते तो लगता कि उत्तर से अप्रसन्न हैं, इसलिए बहिष्कार किया, लेकिन इससे तो यह लगता है कि वह घर से सोच कर ही आये थे कि सदन से बहिर्गमन करना है। उनका यह मानना है कि ये प्रश्न आया हमने पूछा नहीं और जब तक हमारी सरकारें आयीं तब तक सब्सिडी की चर्चा नहीं होती थी और अगर किसी को गैस सिलेण्डर रि-फिल कराना होता था, दोबारा भरवाना होता था तो नौकरी वाला दो दिन की छुट्टी लेता

था, दुकान वाला दुकान बन्द करता था, लाइन में लगता था और दो दिन बाद भी सिलेण्डर रि-फिल नहीं होता था, उसके बाद भी वाकआउट कर गये। अभी माननीय लाल जी वर्मा जी ने जो बात कही, ये बहुत विद्वान सदस्य हैं, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं इन्होंने कहा कि क्या अब ट्रैक्टर भी बिजली से चलेगा तो मेरा उत्तर है कि हाँ, आने वाले समय में ट्रैक्टर भी बिजली से चार्ज हो करके चलेगा, इसलिए इसका उत्तर है हाँ। दूसरी बात मान्यवर, आपने ई-व्हीकल्स के नाम से सुना था कि ई-व्हीकल्स आ रहा है शायद जानकारी नहीं होगी तो मैं अपडेट कर दूँ।

श्री लाल जी वर्मा-

बिजली से कब तक ट्रैक्टर चलने लगेंगे, कृपया यह भी बता दीजिये।

श्री सतीश महाना -

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में बोला था, जो कार्रवाई का अंग है, मैंने कहा कि ट्यूबवेल, मैंने ट्रैक्टर का नाम नहीं लिया था कि ट्रैक्टर डीजल से नहीं चलता। मैंने कहा कि ट्यूबवेल में अब उन्हें डीजल की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बिजली आती है। तीसरी बात मान्यवर, आपने कुछ और भी पूछा था, माननीय सदस्य ने पूछा था कि गैस सिलेण्डर महिलाओं को मुफ्त में देने के बाद मुफ्त-मुफ्त की बात करते हैं। मान्यवर, इस देश में क्या किसी ने सोचा भी था कि जिस गैस सिलेण्डर को रि-फिल कराने के लिए दो दिन लगते हैं वह गांव में गरीब महिला के पास अपने आप पहुंच जायेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की गई थी, उसे मोदी जी ने और माननीय योगी जी की सरकार ने करके दिखाया। अभी माननीय सदस्य ने एक बात और कही कि कुछ राज्य दर कम कर रहे हैं।

मान्यवर, मैने राज्यों के बारे में भी बताया। फिर उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है चुनाव के कारण कम कर रहे हों। मान्यवर, जिनको उत्तर प्रदेश में अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, वह देश की बात कर रहे हैं कि कौन से राज्य में कहाँ पर चुनाव है और कहाँ पर रेट कम हो रहा है ?

मान्यवर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब वह आंध्र प्रदेश जीते थे, तो उन्होंने मिठाई बांटी थी। वहाँ पर आज की तारीख में डीजल के दाम रु0 88.86 है, जो हमारे से कई गुना ज्यादा है। राजस्थान, जहाँ पर इनकी सरकार है, वहाँ पर डीजल के दाम रु0 88.70 है और ये कह रहे हैं कि उन राज्यों में डीजल के दाम कम हैं। तेलंगाना में डीजल का दाम रु0 87.53 है, महाराष्ट्र और मुम्बई में डीजल का दाम रु0 87.03 है, तमिलनाडु और चेन्नई में, जहाँ पर ये सब लोग एक मंच के ऊपर एकत्रित हुए दिखायी पड़े थे वहाँ पर डीजल का दाम रु0 85.30 है और पश्चिम बंगाल में डीजल का दाम रु0 83.84 है। पंजाब के जालंधर में, जहाँ पर इनकी मिली-जुली सरकार है, वहाँ पर डीजल का दाम रु0 81.98 है और हमारे उत्तर प्रदेश में डीजल का दाम रु0 80.63 हैं, जो सबसे कम है, तो ये बताएं कि कहाँ पर डीजल के दाम ज्यादा हैं ?

मान्यवर, अच्छा होता कि आप ये अनूपूरक सम्बन्धित सवाल मेरे से अलग से आकर पूछ लेते, मैं आपको बता देता तो शायद आप आज यहाँ सकारात्मक सुझाव देते। नकारात्मक सुझाव और नकारात्मक प्रश्न करने की आदत छोड़ दीजिये। आज उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर है। हमने बिजली 24 घण्टे देने का संकल्प किया है, हम देंगे और हम उत्तर प्रदेश में विकास की डोर बढ़ाने का काम करेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार डीजल-पेट्रोल के दाम कम नहीं कर रही है, प्रदेश की जनता को लूट रही है, इसलिए हम और हमारा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, समाजवादी पार्टी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

नत्थी (ख)

<u>तारांकित प्रश्न</u>

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

1-श्रीमती सुषमा पटेल-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

नत्थी (ग)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश दिये जाने विषयक

'1-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश देने की व्यवस्था वर्तमान में बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को जीरो बैलेंस पर प्रवेश दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

जी नहीं।

शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त, अशासकीय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को दशमोत्तर कक्षाओं में शत्-प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य है। सभी पात्र-छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री आजाद अरिमर्दन-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न लाखों गरीब छात्रों के भविष्य के सम्बन्ध में था। मा0 मंत्री जी ने जिस तरह से जवाब दिया, वह जमीनी स्तर पर कुछ और बयां कर रही है। मेरा प्रश्न था कि क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि एस0सी0/एस0टी0 छात्रों को जो दशमोत्तर छात्रवृत्ति मिलती थी, क्या उसको जीरो बैलेन्स पर खाता खोलकर पुनः बहाल करेंगे ?

महोदय, दूसरा प्रश्न यह है कि विमुक्त जाति, जो समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत था, दशमोत्तर छात्रवृत्ति में पूर्व की भांति क्या उनको भी जीरो बैलेन्स पर खाता खोलकर छात्रवृत्ति दी जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री-

सरकारी संस्थान और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में निःशुल्क प्रवेश बन्द नहीं हैं। मान्यता प्राप्त संस्थानों को निःशुल्क सुविधा अनुमन्य नहीं है। सभी छात्र-छात्रों को उनके बैंक खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि दी जाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति के जो भी हैं, निजी संस्थान छोड़ करके सरकारी और एडेड स्कूलों को छात्रवृत्ति दे दी जाती है। उन छात्रों के छात्रवृत्ति में कहीं कोई कटौती नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष के पहले जिस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों का जीरो बैलेन्स पर स्व-वित्त पोषित विद्यालयों में भी सरकार के निर्देश पर प्रवेश दिया जाता था, उसको आपने खत्म कर दिया है। अब वह पहले फीस जमा करे। हम पूछना चाहते हैं कि अगर उसके पास पहले फीस जमा करने का साधन है, तो छात्रवृत्ति का मतलब क्या रह गया ? हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया था कि चाहे वह बी0एड0 या अन्य किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहा है, तो उसका जीरो बैलेन्स पर एडमिशन किया जायेगा और जब उसको छात्रवृति मिल जाएगी तो उसके द्वारा शिक्षण संस्थान में जमा कर दिया जायेगा। आज आपने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि अगर पात्र लोगों को, जिनको आप पात्रता को श्रेणी में समझते हो ऐसे समस्त छात्रों को पुनः जो व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष के पहले लागू थी उसी के अनुसार जीरो बैलेन्स पर प्रवेश दिलाने की कृपा करेंगे। यह मेरा स्पैसिफिक प्रश्न है।

श्री रमापति शास्त्री-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में कुल बजट का 20 प्रतिशत तथा निजी संस्थानों में कुल बजट का 80 प्रतिशत व्यय होता है। मान्यवर, निजी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के खाते में सीधे पैसा डाल दिया जाता है। पहले यह होता था कि निजी संस्थान वाले छात्रवृत्ति का पैसा अपने खाते में डलवाकर छात्रों को उससे वंचित रखते थे। अब हमारी सरकार ने तय किया है कि छात्रवृत्ति का पैसा छात्रों के खाते में डाल दिया जायेगा। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।) उसके बाद वह संस्थान को शुल्क देंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय मंत्री जी, असत्य बोल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति उनके खाते में भेजने की व्यवस्था कब से की गयी ? दूसरा पुनः स्पैसिफिक सवाल कर रहा हूँ कि स्व-वित्त पोषित विद्यालयों में भी जैसे बी0एड0 में कॉउन्सलिंग आप करते थे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों का एडमिशन जीरो बैलेन्स पर होता था बाद में उनके खाते में धनराशि जाती थी और छात्र अपने खाते से पैसा निकाल कर कॉलेज में जमा करता था। मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्हीं पात्र, आप पहले से पात्रता देखिये कि जो आय की सीमा है जो उस सर्टिफिकेट को जमा करे उन छात्रों को जिनको आज देना है, पिछले वर्ष की तरह जीरो बैलेन्स पर उनका प्रवेश दिलाने की कृपा करेंगे ?

मान्यवर, मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो यह है कि कबसे छात्रों के खाते में धनराशि भेजने की व्यवस्था की गयी ? यह आपकी सरकार ने नहीं बल्कि हमारी सरकार ने किया था कि विद्यार्थियों के खाते में स्कॉलरशिप जायेगी। यह आपने नहीं किया है। आप कह रहे थे कि यह हमने कर दिया, यह व्यवस्था पहले से थी। छात्रवृत्ति विद्यार्थी के खाते में भेज दिया जाता था वह खाते से धनराशि निकाल कर जमा करता था। सरकार उनको यह छूट देती थी कि अगर वह पात्रता की श्रेणी में है, तो उसका जीरो बैलेन्स पर ही प्रवेश हो जाता था और जब छात्रवृत्ति मिल जाती थी तब वह कॉलेज में जमा करता था, क्या उस व्यवस्था को पुनः बहाल करने की कृपा करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री-

आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अगर आप लिखित उत्तर को देख लेते तो आपको समझ में आ जाता। मान्यवर, पात्रता के अनुसार छात्रों के खाते में सीधे छात्रवृत्ति का पैसा भेज दिया जाता है। यह पहले से भेजा जा रहा है। पिछली सरकार ने छात्रवृत्ति 100 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया था। हमारी सरकार आने के बाद पुनः छात्रवृत्ति को 100 प्रतिशत कर दिया गया है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।) परेशानी यह है कि सरकारी और एडेड स्कूलों में सरकार की देख-रेख में सारी व्यवस्था होती है, किन्तु जो निजी स्कूल चलाते हैं

वह अपने ढंग से करते थे और जब वह चाहते थे तो छात्रों को देते थे। अब छात्रों के खाते में सीधे छात्रवृत्ति डाल दिया जाता है, उसके बाद वह निजी संस्थानों को देने की व्यवस्था करते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी घुमा कर कह रहे हैं और मैं सीधे केवल इतना निवेदन कर रहा हूँ कि इस वर्ष के पहले 03 साल आपकी सरकार रही है और यह व्यवस्था पहले से चल रही थी, केवल इस वर्ष के पहले आपकी भी सरकार में छात्रवृत्ति उनके निजी खाते में जाती थी, लेकिन उनका प्रवेश जीरो फीस पर होता था। मैं आपके माध्यम से इतना ही जानना चाहता हूँ कि इस वर्ष के पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को पुनः लागू करने की कृपा करेंगे ? अगर उसको 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार रुपया जब उसको पहले देना पड़ेगा तो फिर इसका मतलब क्या रह गया। आज उसके पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उत्तर आने दीजिये। इस पर बहुत लम्बा डिस्कशन हो गया।

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, यह सारी व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा तय की जाती है और भारत सरकार के द्वारा तय किये जाने के बाद जो भी स्थिति हमको अनुमन्य कराई जाती है वह हम लागू करते हैं। अभी आप पूछ रहे थे कि लाभान्वित छात्रों की संख्या, तो मान्यवर कुल लाभान्वित छात्रों की संख्या 2 करोड़ 29 लाख 84 हजार 763 है, जो पहले कभी नहीं हुई थी। हमारी सरकार में यह पहली बार हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) कुल धनराशि 174 अरब, 50 करोड़, 33 लाख रुपया दी गयी है। निजी संस्थान वाले अपने यहाँ मनमाने ढंग से अपने खाते में डलवाकर अपने बैंक बैलेंस में ले लेते थे अब सीधे-सीधे अधिकार हो गया कि छात्र अपने स्वयं का खाता खुलवायेगा और पैसे सीधे-सीधे उसके खाते में जायेगा। अब बिचौलिये के बीच में नहीं जाता यही परेशानी है। मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

इस पर आधे घंटे से अधिक डिस्कशन हो गया है। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इस पर आप चर्चा स्वीकृत कर लें। मैं नियम-49 में प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं, इस पर आधा घंटा हो गया है। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पूरी तरह से गलत उत्तर दे रहे हैं। मैं चुनौती दे रहा हूँ कि इनका उत्तर गलत है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ धोखा किया

है और गरीब लोगों के साथ ज्यादती की है। सरकार के इस रवैये के खिलाफ हम और हमारा दल सदन से बहिष्कार कर रहे हैं।

(नेता बहुजन समाजवादी पार्टी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहने के लिये खड़े हुए थे।

वित्त, संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से जो नियम की मंशा थी, जो इस प्रोविजन की मंशा थी वह 2014-15 में घटाया गया था और जो 2014-15 में घटाया गया था 100 की जगह 40 परसेन्ट कर दिया गया था उसको हमने फिर से पूरा 100 परसेन्ट किया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इस पर चर्चा करा लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पैसा उन लोगों की जेब से नहीं जा रहा है केवल शिकायतों के आधार पर जो गड़बड़ी की आशंका थी उसको निर्मूल करने के लिये उनके खातों में पैसा भेजा जा रहा है।

श्री लाल जी वर्मा-

यह पैसा 3 साल पहले नहीं बल्कि 7-8 साल पहले से जा रहा है। आप फिर से पता कर लें अगर मेरी बात गलत हो तो माननीय अध्यक्ष जी जो आप कहेंगे मैं उसके लिये तैयार हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

विमुक्त जाति के सर्टिफिकेट किसने रोके। उसके लिये नहीं कहेंगे। आप जब उनके संरक्षक बनते हैं तो बता दें पूरे सदन को कि उनके सर्टिफिकेट किसने रोके। मान्यवर, 40 परसेन्ट किया गया था 2014-15 में जब हमारी सरकार आई तो 100 परसेन्ट कर दिया। किसी भी एस0सी0, एस0टी0 का जब प्रवेश होगा तो उसको 100 परसेन्ट प्रतिपूर्ति मान्यवर मिलेगी। विद्यालयों में गड़बड़ी की आशंका से मान्यवर, यह व्यवस्था की गई। बार-बार माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, लेकिन उस जवाब से सन्तुष्ट नहीं। बता दें कि विमुक्त जाति के सर्टिफिकेट किसने रोके। आपके पीछे बैठे है साथ में, बता देना चाहिए पूरे हाउस को कि विमुक्त जाति के सर्टिफिकेट किसने रोके।

श्री अध्यक्ष-

अगले प्रश्न का उत्तर माननीय कृषि मंत्री जी पढ़ें।

श्री लाल जी वर्मा-

विमुक्त जाति का तो यहाँ प्रश्न है नहीं। प्रश्न है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का। मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप भी इसके पहले दे रहे थे जो दे रहे थे उसी तरह फिर देने में क्या दिक्कत है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

किसी की जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा है। एस0सी0, एस0टी0 को 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति हो रही है चाहे वह निजी संस्थान में पढ़े, चाहे अनुदानित में पढ़े, चाहे सरकारी में पढ़े। सीधी-सीधी बात है।

प्रदेश के किसानों से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर सरकारी खरीद केंद्र स्थापित कर फल, फूल, सब्जियां आदि खरीदने सम्बन्धी

***'2-श्री मौहम्मद फईम इरफान-**

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खरीद केन्द्र स्थापित कर किसानों से सीधे सब्जी, फल, फूल आदि कृषि उत्पाद खरीद कर बड़े शहरों एवं दूसरे प्रदेशों की बड़ी मंडियों में बेचने की योजना सरकार बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)-

प्रदेश की मण्डियों को ई-नेम परियोजना से आच्छादित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के किसान व व्यापारी, प्रदेश की मण्डियों के साथ-साथ देश की अन्य मण्डियों के माध्यम से क्रय-विक्रय कर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में फल एवं सब्जी से सम्बन्धित 45 जिन्सों को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की सूची से अपवर्जित कर दिया गया है। जिससे इनके क्रय-विक्रय पर कोई भी शुल्क नहीं लगता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री मौहम्मद फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ जब आपने मुझे प्रश्न के लिए बुला लिया तो आगे से पीछे पहली बार जाते हुए मैंने देखा है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। बहिर्गमन हो गया, वेल में चले गये और फिर बहस हो रही है ?

श्री अध्यक्ष-

आपकी आपत्ति गलत है, कई बार ऐसा होता है कि मा0 वर्मा जी खड़े हो जाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, वरिष्ठ नेता हैं तो मा0 वर्मा जी को हम बुला लेते हैं। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी।

श्री मौहम्मद फईम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न है मा0 मंत्री जी ने उससे बिल्कुल अलग जवाब दिया है। किसानों के गम्भीर हालात के मद्देनजर जिस समय वह अपनी फसलें पैदा करके मण्डियों में बेचने जाता है तो उन फसलों के भाव इस हद तक गिर जाते हैं कि वह बेचने में असमर्थ हो जाता है और उनका कोई खरीददार नहीं होता है, वह उन फसलों को फेंक देता है। उसके बाद अचानक से जब वही फसल कुछ समय के बाद उपभोक्ताओं के पास पहुंचती है तो वह महंगे दामों में बिकती है। इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार की ओर से किसानों को दी जा रही सुविधा में, मौजूदा व्यवस्था में, सुधार में जो प्रयास है, मुझे इसकी जानकारी करनी थी ? मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तर पर शीघ्र खराब होने वाली फसलों की खरीद को बड़े शहरों या दूसरे प्रदेशों तक भेजने की कोई योजना बनाएगी ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या न्याय पंचायत अथवा ब्लाक स्तर पर कोई स्थान निर्धारित कर पूर्व निर्धारित स्थानों पर कृषि उत्पाद क्लस्टर के रूप में मिनी मण्डियां विकसित करने की कोई योजना सरकार बनाएगी ? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि बीते वर्ष 2019-20 में, चालू वर्ष में प्रदेश के कितने एफ0पी0ओ0 (फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन) को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी है ? क्या उक्त सहायता प्राप्त एफ0पी0ओ0 से किसानों को हुए लाभों का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ?

कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार में जब कभी भी ऐसी कठिनाई आती है तो निरन्तर प्रयास करके किसानों को ठीक प्रकार से कीमतें मिलें, इसकी व्यवस्था करने का काम किया गया है। 2017-18 में जिस समय मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, आलू के भाव बहुत ज्यादा कीमतों की ओर थे। जब हम लोग 19 मार्च को सत्ता में आये, उस समय भी सरकार ने इस बात का फैसला किया कि हम आलू की कीमत तय करके उसकी खरीददारी करेंगे, खरीददारी करके राज्य के बाहर की मण्डियों में भी पहुंचाने का काम किया था। जहां तक मा0 सदस्य ने कहा है कि आगे सरकार क्या व्यवस्था करेगी, इसके लिए भारत सरकार में अभी जो 3 नये कानून लाये गये हैं, इसमें इनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है, उसी व्यवस्था के अन्तर्गत देश भर के भीतर 10 हजार एफ0पी0ओ0 बनाये जाने हैं, जिसमें से एक हजार एफ0पी0ओ0 उत्तर प्रदेश में बनाये जाने का लक्ष्य रखा है। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि उन एफ0पी0ओ0 के माध्यम से जितनी भी शीघ्र नष्ट होने वाले आइटम हैं, मैं तो मा0 मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी जब भारत सरकार के कानून नहीं आये थे, जब कोरोनाकाल था और किसानों को कठिनाइयां थीं तो 45 आइटम पर से मण्डी शुल्क को पूर्णतया माफ कर दिया गया, जिसकी वजह से किसानों को जो मण्डी शुल्क के माध्यम से या आढ़तियों को जो शुल्क जाता था, उससे एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया था और आज भी हम लोगों ने पूरे प्रदेश के भीतर यह व्यवस्था कर रखी

है कि मण्डी समिति ए0पी0एम0सी0 मण्डी के बाहर जहां कहीं पर भी साग, सब्जियाँ, अनाज किसान बेचना चाहेगा, उसके ऊपर किसी प्रकार का मण्डी शुल्क नहीं लगेगा। एफ0पी0ओ0 को राज्य के भीतर प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिसके माध्यम से इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि हम राज्य के भीतर ऐसे सब्जी उत्पादक किसानों का एफ0पी0ओ0 तैयार कराकर उनको भण्डारण की सुविधा, उनको प्रोसेसिंग की सुविधा।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत और ए0पी0ओ0 के अन्तर्गत भी दो करोड़ रुपए तक के लिए किसानों के संगठन और समूह बनकर ए0पी0ओ0 तैयार होते हैं तो उसके ऊपर विदआउट गारण्टेड लोन लिए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारे अपनी नीति के अन्तर्गत ऐसे ए0पी0ओ0 को प्रोत्साहित करने के लिए तीन लाख रुपए तक की सीमा के लिए चार प्रतिशत इन्टरेस्ट सब्सिडी देकर और ऐसे सब्जी उत्पादक किसानों को भी जिनकी खरीददारी और मार्केटिंग की व्यवस्था हो सके उसमें मदद करेगी। यह हमारी सरकार की एक व्यापक नीति है जो मैंने आपके सामने रखी।

श्री मौहम्मद फईम इरफान-

अध्यक्ष जी, उनकी फसलों की एम0एस0पी0 यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो रेट है वह भी किसान को नहीं मिल पाता मेरा मंत्री जी से यह कहना है, जो आलू है, जो मटर है, जो टमाटर है, वह लेकर जाता है जब उसका समर्थन मूल्य उसको नहीं मिलता तो अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा क्या एम0एस0पी0 को इनके लिए लागू करने की व्यवस्था रहे जिससे उनका जो माल बिकता है वह माल सही रेट में जो तय कर रखा है वह रेट मिले, जिससे किसानों को उसका लाभ मिल सके। रही बात काले कानूनों की उसका तो किसान विरोध ही कर रहा है मैं उसकी कोई बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर शीघ्र खराब होने वाली फसलों के खरीद पर बड़े शहरों या दूसरे प्रदेश में भेजने या बेचने की योजना बनाएगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

अध्यक्ष जी पूरे प्रश्न में कहीं पर इन्होंने एम0एस0पी0 की चर्चा नहीं की है। प्रश्न के बाहर इन्होंने अनुपूरक पूछा है इसलिए इसका उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री मौहम्मद फईम इरफान-

हमने किसानों के सम्बन्ध में ही प्रश्न पूछा है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

अगर एम0एस0पी0 पर चर्चा हो तब माननीय सदस्य इस पर प्रश्न पूछ लें। एम0एस0पी0 की कोई चर्चा ही नहीं है प्रश्न के भीतर, इसलिए जो अनुपूरक कर रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। एक बात इन्होंने कही कि किसान प्रदर्शन या आन्दोलन पर बैठे हुए हैं आपने यही गलत तथ्य किसानों को बताया है। आपके उकसाने की वजह से आपके द्वारा

तोड़-मरोड़ कर गलत आशंकाएं उनके बीच में पैदा की गई हैं, इससे उनके मन में भ्रम पैदा हुआ है। उस भ्रम का निवारण करने का हम काम कर रहे हैं। इस विधान सभा के माध्यम से और सदन के माध्यम से मैं चाहूँगा कि इनके भ्रम का निवारण किया जाए। कहीं पर भी तीनों बिल किसानों के एक इंच उनके हितों के खिलाफ नहीं हैं। उनको मिलने वाली सुविधाओं को कहीं पर भी रोका नहीं गया है। चीजों को गलत तरह से तोड़-मरोड़ कर रखने की जो कला आपने सीखी है उससे वह भ्रमित हैं, उनके भ्रम का निवारण हो जाएगा, मैं आपको यह जानकारी दे दूँ कि राज्य सरकार ने कोरोनाकाल के भीतर देश के भीतर ही नहीं देश के बाहर भी सब्जियों का और फलों का निर्यात जब हमारे पास बेहतर उत्पादन आया बनारस में लगभग 10 मी0टन हमारी सब्जियाँ ईराक, ईरान, अरब और दुबई आदि जगहों पर गईं। यूरोप में भी गईं लगभग चार हजार किलो सब्जियाँ श्याम सुन्दर शर्मा जी आपके पड़ोस अमरोहा में से गईं है। राज्य सरकार ने उसकी चिन्ता की है। आवश्यकता ऐसी पड़ती है तो उसकी व्यवस्था बनाकर किसान किसी तरह से परेशान न हो उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जागरूक है। सब्जी उत्पादक किसान हो चाहे फल उत्पादक किसान हो, चाहे खाद्यान्न उत्पादन करने वाला किसान हो, सबके हितों को संरक्षित करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है।

श्री मौहम्मद फईम इरफान-

किसान का एम0एस0पी0 1900 रुपया धान में था, लेकिन एक हजार रुपया में उसका बिका।

श्री अध्यक्ष-

अब इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हो गई। अभी तक दो हो प्रश्न हो सके हैं अगला प्रश्न लेने दें।

श्री मौहम्मद फईम इरफान-

हमारे प्रश्न पर मंत्री जी ने पूरा लेक्चर दे दिया।

श्री अध्यक्ष-

यहाँ कोई लेक्चर नहीं देता आपका प्रश्न था मंत्री जी का उत्तर था।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय सदस्य अलग से सवाल करेंगे तो हम उनको बता देंगे।

श्री मौहम्मद फईम इरफान-

मेरा कहना है कि क्या एम0एस0पी0 पर सरकार कोई नियम बनाएगी।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम पहले से है। एम0एस0पी0 पहले से है। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ।

प्रदेश के किसानों को फसल की बुवाई हेतु प्रमाणित बीज सब्सिडी पर उपलब्ध कराने व बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु परीक्षण कराने व जवाबदेही निर्धारित किये जाने विषयक

***'3-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को वर्तमान रबी/खरीफ/तिलहन की बुवाई हेतु सब्सिडी दर पर उन्नत एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि कृषि केन्द्रों पर उपलब्ध प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता का समय-समय पर परीक्षण कराने तथा जवाबदेही निर्धारित करने की कोई व्यवस्था है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

किसानों को रबी/खरीफ/तिलहन की बुवाई हेतु सब्सिडी दर पर उन्नत एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सेक्टर की योजनायें संचालित की जा रही हैं।

योजनान्तर्गत कृषकों को अधिकतम दो हेक्टेयर की सीमा तक वितरित प्रमाणित एवं संकर बीज पर अनुदान देय है।

प्रदेश में बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में खरीफ में उन्नत एवं प्रमाणित बीजों (तिलहन फसलों सहित) पर कृषकों को 80 प्रतिशत की सीमा तक एवं प्रदेश के शेष जनपदों में खरीफ में 50 प्रतिशत की सीमा तक केन्द्र एवं राज्य सरकार का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में रबी मौसम में उन्नत एवं प्रमाणित बीजों (राई/सरसों को छोड़कर) पर कृषकों को 50 प्रतिशत की सीमा तक केन्द्र एवं राज्य का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

रबी 2020-21 में राई/सरसों के प्रमाणित बीज पर शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता अधिकतम रु0 6500/- प्रति कुं0 की दर से अनुदान अनुमन्य किया गया है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में संकर बीजों पर कृषकों को 50 प्रतिशत की सीमा तक केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित की जाती है।

इसके लिए कृषि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल "किसान पारदर्शी सेवा योजना" (यूपीएग्रीकल्चर.कॉम) के माध्यम से कृषकों के पंजीकरण से लेकर अनुदान हस्तान्तरण का कार्य सम्पादित किया जाता है।

कृषि केन्द्रों पर आपूर्ति किए जा रहे बीजों की गुणवत्ता का परीक्षण उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया जाता है एवं उस बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही वह गुणवत्तायुक्त बीज कृषि केन्द्रों को आपूर्ति किया जाता है।

उक्त गुणवत्तायुक्त बीज के अमानक होने की शिकायत प्राप्त होने पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा बीज का नमूना ग्रहण कर पुनः परीक्षण हेतु भेजा जाता है।

उपर्युक्तनुसार

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूँ और मैं अप्रोप्रियेट प्रश्न करूँगा, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं करूँगा। मैं मा0 मंत्री जी का बहुत सम्मान भी करता हूँ, लेकिन इस उत्तर में जो चीजें दर्शायी गयी हैं वह मा0 मंत्री जी के दिल की बातें तो इसमें नहीं हैं। सरकारी आँकड़ों से जो दी हुयी चीजें हैं अण्डर प्रेशर इन्होंने लिखकरके दे दिया है। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि विभिन्न योजनाओं में जो सब्सिडी की बात की है, किसानों की आय दोगुनी करने की आपकी प्रतिबद्धता, आपकी वचनबद्धता है यह छाती पीट-पीट कर आप दोहरा रहे हैं। अब इसमें ज्यादा पैसे दे करके आपने जो लिमिट बांधी है, लक्ष्मण रेखा खींच दी है। मा0 मंत्री जी, ज्यादा पैसा दे करके बीज खरीद करके बाद में अपनी फसल को कम पैसे में बेचना पड़े तो आमदनी दोगुनी कैसे होगी ? मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आपने अभी किसानों के बारे में बड़े प्रवचन दिये थे, उसके लिये मैं आपको ढेर सारा साधुवाद देता हूँ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मा0 श्याम सुन्दर शर्मा जी हमारे पुराने मित्र हैं, हम लोग साथ-साथ मंत्रि-परिषद् में रहे हैं और मैंने अक्सर मथुरा में इनके प्रवचन को सुना है और इनके प्रवचनों का काफी लाभ हमने उठाया है।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा केवल यह आग्रह है कि जिन किसानों के पास कम भूमि है उन्हें भी निःशुल्क सरकारी सहायता के रूप में उन्नत और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे, नम्बर एक ? नम्बर दो, दूसरा अमानक बीजों के बारे में आपने बताया कि यह व्यवस्था हमने की है, यह व्यवस्था हमने की है। आपको ढेर सारा साधुवाद कि आपने व्यवस्था की है। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट, लेकिन आपने जो व्यवस्था की है इसमें आपने कभी यह नहीं बताया कि अमानक बीज जो पुनः जाँच में पाये गये हैं या नहीं, यदि है तो उनके विरुद्ध पूरे प्रदेश में कोई कार्यवाही हुयी कि नहीं हुयी है, यह जानने की मेरी जिज्ञासा है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, राज्य सरकार ने आने के पश्चात् से लगातार इस बात का प्रयास किया है, विशेष रूप से तिलहन उत्पादन को ले करके। देश में लगभग 75 हजार करोड़ रुपये का तेल, जिस डीजल और पेट्रोल की चर्चा अभी सदन में हो रही थी, डीजल और पेट्रोल के बाद सबसे ज्यादा किसी चीज का आयात होता है तो वह खाद्य तेलों का आयात होता है और लगभग 75 हजार करोड़ रुपये भारत सरकार की विदेशी मुद्रा उसके ऊपर जाती है। इसलिए भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में मा0 मुख्य मंत्री योजी जी की सरकार दोनों ने इस बात का विशेष रूप से यह प्रयास किया है कि हम तिलहन उत्पादन को आगे की ओर बढ़ायें। पण्डित जी आपके बीच में निवेदन करने में मुझे खुशी है कि पिछले वर्षों में हम लोगों ने 12.40 लाख मीट्रिक टन से तिलहन के उत्पादन को बढ़ा कर 15 लाख 57 हजार मीट्रिक टन तिलहन का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसी 02 जनवरी, 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को देश का कृषि क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार तिलहन कृषि कर्मण पुरस्कार उत्पादन के सर्वाधिक योगदान के लिए दिया है। इसके भीतर 2 करोड़ रुपये की धनराशि भी आई है। मान्यवर, आपने दूसरी बात कही कि इस साल कोरोनाकाल को देखते हुए 70 रुपये बीज पर अनुदान दिये जायें। किसान को सिर्फ 8 रुपये 50 पैसे पड़ा, जितने भी राजकीय गोदामों से बीज लिये गये हैं, जो आपने चिन्ता व्यक्त की है सिर्फ 8.50 रुपये किलो किसान को देना पड़ा है और 70 रुपये भारत सरकार ने अनुदान किया है। यानी उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सके इस दृष्टि से यह प्रयास किए गये हैं।

अगला सवाल आपने किया है कि क्या निःशुल्क उनको बीज बांटेंगे तो मैं कहूँगा कि हाँ निःशुल्क बीज बांटते हैं और इस साल भी हम लोगों ने उनको बीज बांटा है। मैं यह जानकारी दे दूँ कि प्रदेश के 3 लाख 14 हजार 255 किसानों को निःशुल्क दो किलो का मिनी किट दिया गया है और जिसके भीतर 6,285 कुन्टल के करीब यह मिनी किट सभी 75 जनपदों के भीतर देने का कार्य किया गया है। हम लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं, आपने सरसों और राई के तिलहन उत्पादन पर प्रश्न किया था इसमें हमारी जांच की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था आपके सामने हमने रखा है कि उस व्यवस्था के अन्तर्गत यह नमूने लिए जाते हैं और जहां कहीं भी अमानक की शिकायतें प्राप्त होती हैं उन शिकायतों के अनुसार हम कार्यवाही करते हैं। यह पूरी कार्यवाही के बारे में विवरण आपने मांगा है अगर आप अलग से आप प्रश्न कर देंगे तो हम आपको विवरण भी उपलब्ध करा देंगे। कार्यवाहियाँ हुई हैं, नमूने लिए गये हैं, अमानक जहां पर हुए हैं उनके खिलाफ कई लोगों के लाइसेंस जब्त किए गये हैं। लगातार राज्य सरकार उनके मानक को व्यवस्थित किए जाने के लिए यह कार्यवाही कर रही है। बीजों के सुधार के संदर्भ में जो आपने बात कही है उस पर राज्य सरकार ने अब ऐटसोर्स पता करती है कि जो बीज उत्पादक है उनको दो चीजें हम लोगों ने अनिवार्य कर दिया है कि उनको भी डी0बी0टी0 के माध्यम से ही वह पैसा किसान को देना पड़ेगा या संस्था को देना पड़ेगा, जिससे

यह पता लग सके कि वह बीज कहाँ से आ रहा है। राज्य के भीतर बीज के जो घपले हुआ करते थे कि किसी मार्केट से खरीद लिया और बीज के नाम पर भर दिया उस व्यवस्था को दूर किए जाने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है, पंजीकरण के साथ-साथ एकॉउन्ट अनिवार्य साथ में यह भी बताना कि आप यह बीज कहां से लाए हैं और यदि किसान से बीज की खरीददारी कर रहे हैं तो उनको खाते में पेमेन्ट करेंगे या संस्था को खाते में पेमेन्ट करेंगे जिसकी वजह से प्रदेश में सभी प्रकार के लगभग 5 लाख कुन्टल ऐसे बीज जो गलत और अमानक किसानों को बंटते थे उससे हमने राज्य को मुक्त कर दिया है।

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 शर्मा जी, आपके राया के फॉर्महाउस के माध्यम से जिले के कृषि मेला के माध्यम से और आपके क्षेत्र में बीज निःशुल्क बांटा गया है या नहीं बांटा गया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया जाये और वहां पर आप बांटें इसकी हम व्यवस्था करेंगे।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक माननीय मंत्री जी ने कहा कि गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने हमें यह इनाम दिया है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को वाणी से, हृदय से साधुवाद करते हैं। आपने कभी बाजीगर देखा है, बाजीगर गांव में बच्चों को दिखाने जाता है, और दिखाता है कि बच्चों यह हाथ है, हाथ दिखाने के बाद उसमें मिट्टी रखता है और मुट्ठी बन्द करता है चुर्रेट करता है और रुपया बना देता है, आज कल दिल्ली में उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे ही इनामों की बौछार लग रही है हर चीज में इनाम मिल जाते हैं, मेरा विनम्रतापूर्वक आपसे सिर्फ एक आग्रह है कि जो लक्ष्मण रेखा आपने किसानों के बारे में खींच रखी है तो क्या नम्बर-1 समस्त किसानों को उसमें कवर करेंगे या नहीं, नम्बर-2 मैंने पूछा कि जो आपने समय-समय पर डायरेक्शन दिया है उस पर कोई कार्यवाही पूरे प्रदेश में हुई या नहीं और अगर हुई तो किनके विरुद्ध हुई ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, अगर आप आदेश करेंगे तो पत्र के द्वारा भी सूचित करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से चाहेंगे तो उसका उत्तर आपको भेज देंगे। दूसरा जो आपने कहा है सभी किसान, जैसा कि मैंने उत्तर में ही बताया है कि 2 हेक्टेयर तक के किसानों को बीज सुविधा उपलब्ध है जो किसान लेना चाहेगा बीज भण्डार पर जायेगा उसको वहां से उपलब्ध हो जायेंगे, 2 हेक्टेयर तक। उसमें कोई जाति की बात नहीं है, कोई अगड़े-पिछड़े की बात नहीं रखी गयी है। किसान किसान होता है और अगर किसान किसी भी जाति का आ रहा है, 2 हेक्टेयर तक की अगर उसकी जोत है, तो उतने तक की सीमा तक बीज हम देने की व्यवस्था कर रखे हैं।

प्रदेश में वंचित किसानों को किसान सम्मान निधि दिये जाने विषयक

***4-श्री प्रभात कुमार वर्मा (अनुपस्थित)-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि देना सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने की कार्यवाही की जा रही है। यह सतत् प्रक्रिया है।

दिनांक 1-3 फरवरी, 2021 के मध्य पी0एम0 किसान समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें पात्र किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री प्रभात कुमार वर्मा उपस्थित नहीं हैं हम अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में कोरोना से बचने हेतु लागू हुए लॉकडाउन जनित परिस्थितियों में हथकरघा बुनकरों को दी जाने वाली सहायता की जानकारी सम्बन्धी

***5-श्री हाजी इरफान सोलंकी (अनुपस्थित)-**

क्या हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोरोना वाइरस संक्रमण में लॉकडाउन के कारण हथकरघा बुनकरों की खराब आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु हथकरघा बुनकरों को एकमुश्त आर्थिक मदद देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

खादी ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)-

कोविड-19 संक्रमण के कारण घोषित लॉकडाउन से प्रभावित दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूर तथा अन्य श्रेणी के श्रमिकों की समस्या के दृष्टिगत राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-198/एक-11-2020-रा0-11, दिनांक 24 मार्च, 2020 द्वारा दैनिक वेतन श्रमिकों, मजदूरों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे, जिसमें 8,000 बुनकरों को भी आर्थिक मदद उपलब्ध करायी गयी। उपरोक्त के अतिरिक्त हथकरघा बुनकरों को आर्थिक मदद देने की सरकार की अन्य कोई योजना नहीं है।

पावरलूम बुनकरों को राहत पहुंचाने के लिये लॉकडाउन के दौरान दिनांक 01-01-2020 से 31-07-2020 तक पावरलूम विद्युत सब्सिडी के रूप में रु0 435.00 करोड़ की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करायी गयी। इसके अलावा 12.703 हथकरघा बुनकरों के

विद्युत कनेक्शन पर रु0 328/- प्रतिमाह विद्युत अनुदान दिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म वितरण हेतु 08 ब्लाक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को दिया गया था, जिसके तत्वाधान में लॉकडाउन के दौरान 800 बुनकरों को रोजगार प्रदान करते हुए कपड़ा उत्पादित कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-198/एक-11-2020-रा0-11, दिनांक 24 मार्च, 2020 द्वारा घोषित योजना के अन्तर्गत दैनिक श्रमिकों के लिये व्यापक रूप से मदद की योजना प्राविधानित है, जिसके कारण अलग से योजना बनाये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री हाजी इरफान सोलंकी उपस्थित नहीं हैं हम अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश के समस्त जनपदों में मण्डी परिषद् के नीति विरुद्ध एक ही जनपद में तैनात सचिवों के स्थानान्तरण किये जाने के विषय में

***6-श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' एडवोकेट-**

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जनपदों में मण्डी परिषद् के कितने सचिव वर्तमान में कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि इनकी कोई स्थानान्तरण नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2016 से स्थानान्तरण नीति के विपरीत एक ही जनपद में तैनात सचिवों को चिन्हित कर उनका स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

वर्तमान में प्रदेश की मण्डी समितियों में 90 पूर्णकालिक/नियमित सचिव कार्यरत हैं।

जी हाँ, शासन स्तर से निर्गत होने वाली स्थानान्तरण नीति मण्डी परिषद् पर भी प्रभावी है। कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-8/2020/1/3/96-का-4-2020, दिनांक 12-05-2020 के अनुसार वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सरकारी सेवकों के सामान्य स्थानान्तरण पर रोक है। इस सम्बन्ध में आगामी स्थानान्तरण नीति के अनुसार नियमानुसार विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

***श्री मो0 असलम "राइनी" (एडवोकेट)-**

माननीय अध्यक्ष जी, समिति के सचिव व इन्सपेक्टर की भूमिका सीधे किसानों व व्यापारियों से जुड़ी होती है, इनके व्यवहार और चाल-चलन से मैंने सैकड़ों किसानों और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यापारियों से मण्डी जाकर पता किया तो पता चला कि यह थानों में तैनात दरोगाओं से भी आगे हैं। यह सचिव किसानों व्यापारियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी एक ईमानदार शासक के रूप में पूरे भारत में जाने जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से तीन अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी कृपापूर्वक बताने की कृपा करें कि दिनांक 15-5-2020 से कोविड के कारण सचिवों के ट्रांसफर पर शासन ने रोक लगा रखी है तो दिनांक 15-5-2020 से पहले जनपद सीतापुर, गोण्डा, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर, बरेली, बलिया, सिद्धार्थनगर, मेरठ, हापुड़ आदि जनपदों में तीन साल से लेकर पांच साल से ऊपर के कितने सचिव तैनात हैं ? यदि मेरे ऊपर विश्वास न हो तो 75 जिलों के जिलाधिकारियों से आख्या मंगवा लीजिये। आप स्वयं जांच करा लीजिये और बता दीजिये कि तीन और पांच साल से ऊपर जमे सचिवों और अधीनस्थ निरीक्षकों को आप कब तक हटा देंगे। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जनपद सीतापुर, कानपुर, गोण्डा, बाराबंकी, बहराइच के सचिव किसानों और व्यापारियों से जनरल डायर की तरह व्यवहार करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने जनरल डायर के बारे में तो सुना ही होगा। हमारा भारत सन् 1947 में आजाद हो चुका है। इन पांच जिलों के सचिव सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं और सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। यह अकूत सम्पत्तियों के मालिक हैं। इन्होंने लखनऊ में बड़े-बड़े आलीशान बंगले बना रखे हैं। क्या माननीय मंत्री जी कृपापूर्वक इसकी जांच एस0टी0एफ0 से करायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि 22 साल पहले जनपद श्रावस्ती बनाया गया था, लेकिन वहां पर सचिव की बहुत कमी है, तो आप वहां पर सचिव की तैनाती कब तक करा देंगे।

श्री महबूब अली-

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है शायद हो सकता है कि श्री मो0 असलम "राइनी" साहब गलत जगह बैठ गये हैं इनको हाँ की लॉबी में बैठ जाना चाहिये तो बेहतर रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

राइनी साहब, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आप कुछ गलत दिशा में बैठे हैं। आपका क्या कहना है।

***श्री मो0 असलम "राइनी" (एडवोकेट)-**

माननीय अध्यक्ष जी, 'हम आह भी करेंगे तो हो जायेंगे बदनाम और यह कत्ल भी करेंगे तो होंगे नहीं रुसवा'। माननीय मुख्य मंत्री जी अगर ईमानदार हैं और किसी को इसमें जलन है तो वह जलन अपने पास रखे। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को ईमानदार कहा है और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

403 माननीय सदस्यों में से कोई बता दे कि माननीय मुख्य मंत्री जी बेईमान हैं या किसी एक पैसे की उन्होंने बेईमानी की है। मैंने उनको चौबीस कैरेट सोना कहा है और डंके की चोट पर फिर कह रहा हूँ। ऐसा तो है कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमको कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिला देंगे। मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ईमानदार हैं तो ईमानदार है।

श्री महबूब अली-

माननीय मुख्य मंत्री जी तो माननीय मुख्य मंत्री हैं और उनको धातु से संज्ञा न दें तो अच्छा है।

श्री श्रीराम चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विद्वान सदस्य ने तीन अनुपूरक प्रश्न रखे हैं और विभिन्न प्रकार के शब्दों से भी विभूषित किया है। निश्चित रूप से नई व्यवस्था और नये शासन के नियमों के अन्तर्गत सचिवों के अधिकार बहुत सीमित हो गये हैं।

मान्यवर, सचिव पहले अपने मण्डी परिषद् के बाहर भी जाकर बहुत सारे काम देखें। जैसे जनरल डायर आपने बोल दिया। दरोगा से भी ज्यादा आतंकवादी आपने बोला। कभी करते रहे होंगे, लेकिन इस समय वह स्थिति नहीं रह गई है। अब वह अपने मण्डी परिसर के अन्दर ही सीमित रह गये हैं बाहर जाने का उनको कहीं कोई अधिकार नहीं रह गया है। किसान और उससे जुड़े हुए लोग अपने सामान को मण्डी परिसर के बाहर भी बेच सकते हैं। किसान और उससे जुड़े हुए लोग मण्डी परिसर के बाहर भी बेच सकते है। वह जहां चाहें वहां ले जा सकते हैं। नई व्यवस्था के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में जहां पर भी देखें कि हमको अच्छा दाम मिल रहा है, देखकर देश के किसी भी कोने में अपना माल बेच सकते हैं इसलिए सचिवों के अधिकार बहुत सीमित हो गये हैं। पुरानी चीजें और पुराने शब्दों को इस समय प्रयोग करना ज्यादा उचित नहीं लगता है। पांच साल से पांच जिलों का आपने नाम लिया। निश्चित रूप से वहां पर काफी लम्बे समय से होंगे। नई स्थानान्तरण नीति जो आने वाली है उसमें इनकी भी चिंता हो जाएगी और आपने जो बहराइच के बारे में कहा है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आ गया है। नई स्थानान्तरण नीति में विचार हो जाएगा।

श्री मो0 असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

मान्यवर, श्रावस्ती के बारे में ?

श्री अध्यक्ष-

श्रावस्ती के बारे में भी हो जाएगा। माननीय संजय गर्ग जी, माननीय कृषि मंत्री जी।

श्री श्रीराम चौहान-

मान्यवर, वहां पर भी हो जायेगा और किसी न किसी अच्छे सचिव की व्यवस्था की जायेगी जो आपकी चिंता और देखभाल ठीक प्रकार से करे।

श्री अध्यक्ष-

हो गया है। उत्तर आ गया। बैठिए।

श्री मो0 असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

मान्यवर, एक छोटा सा और है।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आ गया है। एक सवाल और हो जाने दीजिए।

श्री मो0 असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

माननीय मंत्री जी, सीतापुर एक घण्टे की जर्नी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि क्यों न किसी दिन हम और आप किसानों का भेष बना करके केवल एक घण्टे के लिए सीतापुर ही चले चलें। आप देख लीजिए कि वहाँ क्या हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

आप आज ही भेष बनाइये तब सदन विचार करे, आपको भेजने का (सदन में हंसी)।

श्री मो0 असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं धोती भी पहनता हूँ और माननीय मंत्री जी तैयार हो जाएं तो मैं एक घण्टे के लिए सीतापुर चलने के लिए तैयार हूँ (हंसी के ठहाके)।

श्री अध्यक्ष-

चलिए, आप तैयारी कीजिए। माननीय कृषि मंत्री जी खड़े हैं।

प्रदेश में किसानों की आय को दोगुनी करने हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

***7-श्री संजय गर्ग तथा श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की कोई योजना संचालित है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

प्रदेश के कृषकों की आय दोगुनी किये जाने हेतु निम्नलिखित योजनाएं संचालित हैं :-

1- फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2016 तक लिए गए फसली ऋण पर लघु एवं सीमान्त कृषकों का रु0 1.00 लाख की सीमा तक फसली ऋण का मोचन किया गया।

2- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत कृषकों को चतुर्मासिक रु0 2000/- की तीन किस्तों में प्रतिवर्ष रु0 6000/- की सहायता सीधे बैंक खाते में प्रदान की जा रही है।

3- न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाये जाने व कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान एवं गेहूं का क्रय।

4- एफ0पी0ओ0 अर्थात् कृषक उत्पादक संगठन को प्रोत्साहित कर किसानों को संगठित खेती से आय बढ़ाना।

5- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनान्तर्गत, मृदा परीक्षण के आधार पर मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश के आदर्श अनुपात को बनाये रखने तथा उन्नतिशील कृषकों को पोषक तत्व प्रबन्धन हेतु जागरूक करना।

6- पर्यावरण संरक्षण हेतु जैविक खेती की योजना प्रारम्भ करना एवं पराली प्रबन्धन हेतु उन्नतिशील कृषि यंत्रों पर अनुदान व डि-कम्पोजर उपलब्ध कराया जाना।।

7- मिलियन फार्मर्स स्कूल (किसान पाठशालाओं), किसान कल्याण मिशन, वैज्ञानिक किसान संवाद के माध्यम से किसानों को उन्नतिशील बीज, तकनीकी के प्रयोग कर लागत को कम करने और आय को बढ़ाने के संदर्भ में जागरूक करते हुए कृषि तथा सम्बद्ध विभागों की योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुँचा कर उनके आय को बढ़ाने के लिए प्रेरित करना।

8- किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्ति हेतु कृषि विपणन की सुविधा सुलभ कराना।

9- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक कृषकों को आच्छादित करना एवं उन्हें बीमा का लाभ उपलब्ध कराना।

10- कृषि विविधीकरण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन एवं आय वृद्धि करना।

11- मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम का वितरण।

12- विभिन्न पारिस्थितिकीय द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना।

13- कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग।

14- प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत कृषकों को उच्च सेवायें उपलब्ध कराते हुए रोजगार सृजन करना।

15- यूरिया में 05 प्रतिशत ए0सी0टी0एन0 कम हो जाने से खाद की कीमत 35 रुपये कम हो गयी, जो किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है।

16- नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलाजी- इसके अन्तर्गत निम्नांकित सब मिशन सम्मिलित हैं :-

क -कृषि प्रसार के लिए उप मिशन प्रसार कार्यक्रम (गोष्ठी एवं मेलों) द्वारा कृषकों को नई तकनीकी की जानकारी उपलब्ध कराना।

ख -कृषि यंत्रीकरण हेतु उप मिशन कृषि यंत्रीकरण के प्रयोग से कृषि लागत को प्रभावी बनाने की दृष्टि से कृषि यंत्रों पर विशेष अनुदान अनुमन्य है।

ग -बीज एवं रोपण सामग्री के लिए उप मिशन- प्रमाणित एवं संकर बीजों को अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराना।

17- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत खेत तालाब योजना।

18- सोलर फोटोवोल्टेइक इरीगेशन पम्प की स्थापना पर अनुदान की योजना।

19- राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन योजनान्तर्गत रेन फेड एरिया में खेती के साथ-साथ उद्यान आधारित कृषि, पशुपालन, कृषि वानिकी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि की समन्वित खेती पर बल दिया जाना।

20- कृषि यंत्रीकरण की विभिन्न योजनाओं एवं सबमिशन आन एग्रीकल्चरल मैकनाइजेशन के अन्तर्गत खेती के काम आने वाले कृषि यंत्रों को अनुदानित किया जाना।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, मैं सीधे सवाल पूछ लूं। इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए क्योंकि बहुत लम्बा जवाब है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ कैसे मान लिया जाये ? इस प्रश्न के उत्तर में किसी और सदस्य को अगर सप्लीमेंटरी करना होगा तो कैसे करेगा ?

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(मंत्री जी ने उत्तर पढ़ा)

मा0 अध्यक्ष जी, आपसे विनम्र निवेदन करने के बावजूद यह घिसा-घिसाया, पिटा-पिटाया जवाब अधिकारियों ने दिया और मा0 मंत्री जी ने पढ़ दिया। सब लोगों को मालूम है कि पूरा उत्तर प्रदेश का किसान कराह रहा है। वर्तमान सरकार किसान विरोधी है। ढपोलशंख की तरह इन्होंने लोक संकल्प घोषणा-पत्र में यह वायदा किया कि किसान की आय दोगुनी करेंगे। किसान की आय दोगुनी नहीं हुयी है। पराली जलाने पर उन पर चालान अर्थदण्ड दिया जा रहा है। उन्हें सजा दी जा रही है। अभी गोभी का किसान खेत में ही अपनी फसल बँटवाने के लिए मजबूर है। उन्हें लागत मूल्य तो छोड़िये आज यही हालत आलू के किसान की है। मा0 मंत्री जी सहारनपुर जनपद का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि केवल सहारनपुर जनपद में 5 हजार 700 करोड़ रुपये बैंक में कर्जदार है और किसान का मिलों पर 10 हजार करोड़ से भी ज्यादा बकाया है जिसमें आपने वायदा किया था कि हम 14 दिन के अन्दर उसका पेमेंट करा देंगे और बकाये पर ब्याज देंगे। सरकार ब्याज देने में

इंटरेस्टेड नहीं है। देवबंद चीनी मिल पर 74.22 करोड़ रुपया, गंगनौली मिल पर 190.88 करोड़ रुपया, शेरमऊ मिल पर 70.79 करोड़ रुपया, गागालेडी मिल पर 57.84 करोड़ रुपया, नौरता मिल पर 70.16 करोड़ रुपया, सरसावां मिल पर 60.19 करोड़ रुपया बकाया है और 4 लाख किसान 5 हजार 700 करोड़ रुपये के कर्जमन्द है। किसान कराह रहा है दिल्ली की सड़कों पर बैठा है। ठिठुरती हुयी ठंड में जान देने के लिए मजबूर है और हालत यह है कि 2018 में डी0ए0पी0 का रेट 1076 रुपये था, 2021 में 1200 रुपये हो गया। एन0पी0के0 का रेट 1061 था वह 1175 हो गया। डीजल का दाम 60 रुपये 77 पैसे था अब 74 रुपये 39 पैसे हो गया है। पेट्रोल का दाम 72 रुपये 25 पैसे था अब 83 रुपये 74 पैसे हो गया है। यानी किसान की लागत लगातार बढ़ रही है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या सरकार किसान की आय दोगुनी करना तो छोड़िये कम से कम उसकी लागत ही उसे मिल जाये। गन्ने के किसान की लागत का मूल्य भी उसे मिलने का काम नहीं हो रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या गन्ना का जो 10 हजार करोड़ रुपया बकाया है, उस पर सरकार ब्याज देगी या नहीं देगी ? नम्बर-2, स्वामीनाथन रिपोर्ट पर इन्होंने जो वायदा किया था न्यूनतम मूल्य तय करते हुये सीटू के हिसाब से रेट तय करेगी या नहीं करेगी ? नम्बर-3, क्या किसानों को बिजली मुफ्त देने पर विचार करेगी या नहीं करेगी ? नम्बर-4, फसल बीमा योजना का जो इन्होंने जिक्र किया, कितना पैसा इन्होंने फसल के बीमे के परिप्रेक्ष्य में बीमा कम्पनियों को दिया और पिछले वित्तीय वर्ष में कितना पैसा इन्होंने किसानों को देने का काम किया ?

मान्यवर, मा0 मंत्री जी इन चार प्रश्नों के उत्तर दे दें और मुझे पता है समय होने वाला है और यह किसानों के सम्बन्ध में उत्तर नहीं देना चाहते हैं इसलिए इन्होंने यह हालात पैदा किए हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मा0 अध्यक्ष जी, पहले फसल बीमा से शुरू करता हूँ क्योंकि मा0 सदस्य ने प्रश्न की जगह पर एक लम्बा-चौड़ा भाषण दे दिया है और उसके तथ्य पर यह पूछा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसान भाइयों को कितना लाभ मिला है और यह ऐसा प्रश्न पूछा है जिससे किसान भाइयों को अच्छे तरीके से जानकारी हो जाए और आप जो काम नहीं करते थे उस काम को हमने कर दिया है और इसलिए मैं आपके सामने उसका उत्तर दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के भीतर खरीफ फसल में 23 लाख 79 हजार किसानों ने बीमा कराया था और उसमें प्रदेश के 05 लाख 95 हजार किसानों को लाभान्वित करते हुए 803 करोड़ 92 लाख रुपये की धनराशि उनके खाते में गयी है। रबी के मौसम में 18 लाख 09 हजार किसानों ने बीमा कराया था, उसमें 03 लाख 41 हजार किसानों को लाभ पहुँचा है, 279 करोड़ 50 लाख रुपये कुल मिलाकर वित्तीय वर्ष 2019-20 के भीतर 01 हजार 83 करोड़ 42 लाख रुपये की धनराशि लगभग साढ़े तेरह लाख

किसान भाइयों के खाते में गयी है। जबसे बीमा योजना लागू है तबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार के बेहतर क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों को मिला है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, यह ठीक नहीं है, किसानों की आय दुगुनी करने के बजाय, यह उनकी कमर तोड़ने पर लगे हुए हैं। इन्होंने पराली के नाम पर किसानों को जेल भेजा है। यह गन्ना किसानों के बकाये पर ब्याज नहीं देना चाहते हैं, इन्होंने किसान के उत्पाद में लगने वाले तमाम चीजों के दाम बढ़ाये हैं। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी किसान विरोधी सरकार का चेहरा बेनकाब करने के लिए सदन से बहिर्गमन करती है।

(श्री संजय गर्ग, सदस्य समाजवादी पार्टी अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मा0 अध्यक्ष जी, इन्होंने प्रीमियम पूछा था और मैं चाहता हूँ कि वह भी रिकार्ड में आ जाए। खरीफ के मौसम में किसानों का प्रीमियम 159 करोड़ 41 लाख रुपये था और किसानों के खाते में 803 करोड़ 92 लाख रुपये गया है। रबी के मौसम में प्रीमियम 161 करोड़ 90 लाख रुपये था और किसानों के खाते में 279 करोड़ 50 लाख गया है। इन्होंने किसानों के ऊपर यूरिया एवं ए0सी0टी0 एस-3 टैक्स लगाया था। ऊपर एक जजिया कर लगाया था, उस जजिया कर को मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने खत्म किया है, इससे दाम में 35-36 रुपये कमी आ गयी है, यह भी जानकारी मैं देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।†

***8-डा0 श्याम बिहारी लाल-**

(03 मंगलवार के तारांकित प्रश्न सं0-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश में कोरोना संकट के दौरान किसानों को नगद आर्थिक योजना का लाभ दिये जाने विषयक

***9-श्री विनय शंकर तिवारी-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोरोना संकट के दौरान किसानों को मिलने वाले किसान सम्मान योजना के अतिरिक्त किसी अन्य नगद आर्थिक योजना का लाभ किसानों को दिया गया है ? यदि हां, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

---

† नत्थी 'ग' की तारांकित प्रश्न सं0-7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अतिरिक्त दिनांक 22-03-2020 से दिनांक 31-10-2020 तक कृषि विभाग के निम्नलिखित कार्यक्रमों के अन्तर्गत कृषकों को अनुदान देकर लाभान्वित किया गया :-

मद	लाभार्थी	धनराशि (लाख रु0 में)
कृषि यन्त्र	12823	7121
कृषि रक्षा उपकरण	5345	101
कृषि रक्षा रसायन	21836	108
बखारी	670	9
संकर बीज	108353	1846
सामान्य बीज	345644	3506
अन्य	141768	3324
योग	636439	16015

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत 2019-20 में फसल बीमा योजना का भुगतान किये जाने हेतु

***10-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कितनी धनराशि अनुमन्य है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2019-20 में कितने किसानों को फसल बीमा का भुगतान कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत निश्चित धनराशि अनुमन्य नहीं है।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रमुख फसलों को ग्राम पंचायत स्तर पर बीमित करते हुए संचालित कराया जा रहा है। योजना वास्तविक प्रीमियम दर पर लागू है। खरीफ मौसम में किसानों को बीमित राशि का अधिकतम 02 प्रतिशत तथा रबी मौसम में 1.5 प्रतिशत और औद्यानिक एवं वार्षिक नगदी फसलों के लिए बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम के रूप में देय है।

अधिसूचित फसल की क्षति का आंकलन मौसम के अन्त में अधिसूचित स्तर पर निर्धारित संख्या में सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर फसल की उपज का आंकलन कर योजना के प्राविधानों के अनुसार किया जाता है।

वर्ष 2019-20 के खरीफ मौसम में बीमा कम्पनियों द्वारा 5.95 लाख बीमित कृषकों को रु0 803.92 करोड़ की क्षतिपूर्ति तथा रबी मौसम में 3.29 लाख बीमित कृषकों को रुपये 273.13 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2019-20 में कुल 9.24 लाख बीमित किसानों को रुपये 1077.05 करोड़ की नियमानुसार देय क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कम्पनियों द्वारा किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की मण्डी समितियों में धर्मकांटे लगवाकर तौल सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में

***11-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की मण्डी समितियों में मण्डी समिति के धर्मकांटे स्थापित हैं ? यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है तथा कितनी मण्डी समितियों में धर्मकांटे लगने शेष हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि मण्डी समितियों में तौल में कितने प्रतिशत मण्डी समिति के धर्मकांटों का इस्तेमाल किया जा रहा है ? क्या सरकार शत-प्रतिशत मण्डी समिति में धर्मकांटा लगवाकर तौल सुनिश्चित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

1-प्रदेश में 251 प्रधान मण्डी अधिसूचित हैं, जिनमें 220 निर्मित हैं, 31 अनिर्मित हैं, 220 निर्मित मण्डी में 147 मण्डी में धर्मकांटे स्थापित हैं।

2-प्रदेश में 382 उप-मण्डी अधिसूचित हैं, जिसमें 97 उम-मण्डी निर्मित हैं, जिनमें 12 उप-मण्डियों में धर्मकांटे स्थापित हैं।

3-प्रदेश में बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत निर्मित 131 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों में 122 अवस्थापना केन्द्रों में वे-ब्रिज स्थापित हैं।

इस प्रकार कुल 372 धर्मकांटे स्थापित हैं।

प्रदेश में 147 प्रधान मण्डी में 238 धर्मकांटे स्थापित हैं, निर्मित 97 उप-मण्डी में 12 धर्मकांटे स्थापित हैं तथा प्रदेश में बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत 131 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों में 122 धर्मकांटे स्थापित हैं।

इस प्रकार कुल 372 धर्मकांटे स्थापित हैं।

1- प्रधान मण्डी में जिनमें कांटे लगने शेष हैं - 73

2- उप मण्डी में जिनमें कांटे लगने शेष हैं - 85

3- ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों जिनमें कांटे लगने शेष हैं - 09

इस प्रकार लगने वाले शेष धर्मकाटों की संख्याः- 167

मण्डी परिसर के अन्दर आने वाले वाहनों की तौल में शत-प्रतिशत मण्डी के ही धर्मकांटे प्रयुक्त हो रहे हैं।

मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति, सम्बन्धित मण्डी की आवक एवं आवश्यकता के दृष्टिगत रखते हुए शेष मण्डी समितियों में धर्मकांटे स्थापित कराये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में लॉकडाउन के कारण सब्जी उत्पादक सीमान्त कृषकों के नुकसान की भरपाई विषयक

***12- श्री नाहिद हसन-**

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लॉकडाउन के कारण प्रदेश के सब्जी-उत्पादक सीमान्त कृषकों को हुए नुकसान का मूल्यांकन सरकार ने किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कृषकों के नुकसान की भरपाई करने अथवा उन्हें राहत उपलब्ध कराने के लिए किये गये उपाय का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उद्यान विभाग द्वारा मूल्यांकन नहीं कराया गया है। यद्यपि जनपद के कृषक प्रक्षेत्रों का स्थलीय सर्वेक्षण करते हुए शाकभाजी फसलों के कृषकों को उनके उत्पाद का यथोचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से जनपद के कृषक उत्पादक समूहों से कृषकों का सम्पर्क कराते हुए शाकभाजी फसलों के विक्रय में सहयोग कराया गया है।

प्रदेश में उच्च कृषि प्रशिक्षण जैसी उच्च वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली योजनाओं को समाप्त करने के निर्णय से संदर्भित पत्र दिनांक 17-10-2020 पर कार्यवाही विषयक

*13- **श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्च कृषि प्रशिक्षण, कृषि सिंचाई, प्रशिक्षित उद्यमी, बायोफर्टिलाईजर उत्पादन, भूमि सुधार और संकर बीज के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए स्थापित वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली महत्वपूर्ण कृषि योजनाओं को समाप्त किये जाने के निर्णय की सूचना विषयक मुख्य मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-अ-4/621, दिनाँक 17-10.2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

उपरोक्त पत्र दिनांक 17-10-2020 में उल्लिखित योजनाओं हेतु वर्ष 2020-21 में कोविड-19 की महामारी के दृष्टिगत प्राविधानित धनराशि के विरुद्ध फेज के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप धनराशि निर्गत कराकर योजनाएं संचालित की जा रही हैं। किसी भी योजना के बजट को समाप्त नहीं किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि विभाग द्वारा पूर्व से चल रही सभी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में किसानों को रबी की फसल की बुआई हेतु उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु नीति बनाने विषयक।

*14-**श्री नरेश सैनी-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को रबी की फसल की बुआई हेतु यूरिया, डी0ए0पी0 आदि उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कोई नीति तैयार की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

रासायनिक उर्वरकों तथा यूरिया, डी0ए0पी0 आदि की उपलब्धता के सम्बन्ध में भारत सरकार स्तर से कार्यवाही की जाती हैं। रबी 2020-21 में उर्वरकों की आवश्यकता का आंकलन करने हेतु माह सितम्बर, 2020 में भारत सरकार के स्तर पर आयोजित जोनल कान्फ्रेंस में प्रदेश सरकार द्वारा 41.00/- लाख मी0 टन यूरिया, 17.00 लाख मी0 टन डी0ए0पी0, 5.50 लाख मी0 टन एन0पी0के0 एवं 1.50 लाख मी0 टन एम0ओ0पी0 की मांग की गयी जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा 39.00 लाख मी0 टन यूरिया, 16.00 लाख मी0 टन डी0ए0पी0, 5.00 लाख मी0 टन एन0पी0के0 एवं 1.50 लाख मी0 टन एम0ओ0पी0 उर्वरक की आपूर्ति हेतु सहमति दी गयी।

भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह उर्वरक आपूर्ति प्लान उपलब्ध कराया जाता है जिसके आधार पर जनपदवार प्लान तैयार करके उर्वरक आपूर्तिकर्ता कम्पनियों को उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर भारत सरकार के सम्पर्क में रहकर एवं पत्रों तथा व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से अनुश्रवण करते हुए रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। प्रदेश के समस्त जनपदों में उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण की स्थिति की समीक्षा निरन्तर की जा रही है तथा आवश्यकतानुसार जनपदों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। रबी में शीर्ष मांग के समय प्रदेश सरकार द्वारा 5.00 लाख मी0 टन यूरिया एवं 3.87 लाख मी0 टन फास्फेटिक (डी0ए0पी0 व (एन0पी0के0) उर्वरकों की प्रीपोजिशनिंग भी करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

***15-श्री मनोज कुमार पारस-**

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचाये जाने विषयक

***16-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने कृषक हैं तथा इसमें से खरीफ एवं रबी के 31 मार्च, 2020 तक बीमित किसानों की कितनी संख्या है ? क्या सरकार सभी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचाए जाने हेतु कोई योजना बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में कुल 238.22 लाख किसान हैं। प्रदेश में दिनांक 31 मार्च, 2020 तक खरीफ 2019 में बीमित कृषकों की संख्या 23.89 लाख तथा रबी 2019-20 मौसम में बीमित कृषकों की संख्या 23.32 लाख है। इस प्रकार वर्ष 2019-20 में प्रदेश में कुल बीमित कृषकों की संख्या 47.21 लाख है।

प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से फसल के नुकसान की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार संचालित करायी जा रही है। प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रदेश के समस्त जनपदों में सभी प्रमुख फसलों को शामिल करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र परिवारों की लड़कियों को जो कतिपय कारणों से शादी अनुदान योजना से वंचित हैं, का निवारण कर शादी अनुदान योजना का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में

***17-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए अनुदान दिया जाता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि जो पात्र परिवार के आवदेक उक्त योजना से कतिपय कारणों से वंचित हैं का निवारण कर उन परिवारों को शादी अनुदान दिलाये जाने की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों जिनकी आय शहरी क्षेत्र में रु0 56,460/- (रु0 छप्पन हजार चार सौ साठ मात्र) प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रु0 46,080/- (रु0 छियालिस हजार अस्सी मात्र) प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी, के पुत्रियों के विवाह हेतु रु0 20,000/- (रु0 बीस हजार मात्र) प्रति लाभार्थी अनुदान दिया जाता है। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य है।

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत रु0 2.00 लाख वार्षिक आय सीमा के परिवार की पुत्रियों के सामूहिक विवाह हेतु रु0 51,000/- (रु0 इक्यावन हजार मात्र) प्रति जोड़े व्यय किये जाने की व्यवस्था है। सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत वर्तमान में कम से कम 05 जोड़ों पर सामूहिक विवाह कराये जा रहें हैं।

शासनादेश संख्या-115/2016/1873/26-3-2016, दिनांक 10-06-2016 द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत "प्रथम आगत प्रथम पावत" सिद्धान्त के अनुरूप उपलब्ध बजट की सीमा तक प्राप्त पात्र आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं की जायेगी, की व्यवस्था है।

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली कन्याओं एवं विवाह करने वाले लड़कों (वर) का संयुक्त रूप से आवेदन-पत्र ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के कार्यालय में आवश्यक अभिलेखों के साथ जमा कराये जाने की व्यवस्था है। प्राप्त आवेदन-पत्रों के सत्यापनोपरान्त पात्र पाये जाने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नवीन औद्योगिक केंद्रों में युवाओं को रोजगार प्रदान किये जाने विषयक

***18-श्री वीरेन्द्र यादव-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2019 से वर्ष 2020 में दिनांक 17/11/2020 तक प्रदेश में कितने नवीन औद्योगिक केन्द्र किन मण्डलों में स्थापित कर कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त उद्योगों को कितना वित्तीय अनुदान दिया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

प्रदेश में वर्ष 2019 से वर्ष 2020 (नवम्बर, 2020 तक) में एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत 99 इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया जिसमें रु0 27713.44 करोड़ का

निवेश किया गया तथा 26081 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में वर्ष 2019 से वर्ष 2020 में दिनांक 30-06-2020 तक 252096 उद्योग आधार मेमोरेण्डम समस्त मण्डलो में दाखिल किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत 1640756 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

प्रदेश में वर्ष 2019 से वर्ष 2020 (नवम्बर 2020 तक) में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत 22 इकाइयों को रु0 148 करोड़ 67 लाख 77 हजार का ब्याज मुक्त ऋण, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के अन्तर्गत 9 इकाइयों को रु0 34 करोड़ 23 लाख का ब्याज मुक्त ऋण पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के अन्तर्गत 132 इकाइयों को रु0 511 करोड़ 39 लाख 30 हजार का पूंजीगत उपादान, अवस्थापना उपादान एवं स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य की गयी है।

उक्त के अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु उद्योगों हेतु सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्ष 2020 (माह नवम्बर) में मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 4721 लाभार्थियों को रु0 10557.92 लाख मार्जिन मनी अनुदान, एक जनपद एक उत्पाद योजना वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत 2926 लाभार्थियो को रु0 9403.5375 लाख मार्जिन मनी अनुदान एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 4231 लाभार्थियों को रु0 13387.02 लाख मार्जिन मनी अनुदान उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार कुल लाभार्थियों को रु0 33348.4775 लाख मार्जिन मनी अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में अनु0 जाति, जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध अत्याचार व अपराध की घटनाओं की रोकथाम हेतु उत्पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने विषयक

1-**श्री आजाद आरिमर्दन-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध अत्याचार व अपराध की घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई प्राविधान किया गया है तथा उत्पीड़ित व्यक्तियों परिवारों को निश्चित समय-सीमा के अन्दर आर्थिक सहायता दी जाती है ? यदि हाँ, तो जनपद आजमगढ़ में मार्च, 2017 से 31 दिसम्बर, 2019 तक कितने उत्पीड़ित व्यक्तियों को कितनी-कितनी धनराशि अर्थिक सहायता के रूप में दी गई एवं कितने उत्पीड़ित व्यक्तियों को अभी तक अर्थिक सहायता नहीं मिल सकी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का तहसीलवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

जनपद आजमगढ़ में मार्च, 2017 से 31 दिसम्बर, 2019 तक कुल 1178 उत्पीड़ित व्यक्तियों को रु0 92058750.00 (रुपये नौ करोड़ बीस लाख अठ्ठावन हजार सात सौ पचास मात्र) की धनराशि दी गयी है। उक्त अवधि के सभी उत्पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसीलवार विवरण निम्नवत् है :-

क्रम संख्या	तहसील	लाभार्थियों की सं0	धनराशि
1.	सदर	201	15208750.00
2.	सगडी	238	17886250.00
3.	निजामाबाद	175	14225000.00
4.	बूढ़नपुर	145	10463750.00
5.	मार्टिनगंज	42	3095000.00
6.	फूलपुर	139	11652500.00
7.	लालगंज	128	11253750.00
8.	मेंहनगर	110	8273750.00
	योग :	1178	92058750.00

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर में खरीफ 2019 में धान की फसल में गडुआ रोग के कारण क्षतिपूर्ति की योजना विषयक

2-श्री सीताराम वर्मा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में खरीफ 2019 में धान की फसल में गडुआ रोग के कारण कितनी क्षति हुई है एवं उसके प्रतिपूर्ति की कोई योजना है ? यदि हाँ तो उक्त योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद सुल्तानपुर में खरीफ 2019 मौसम में फसल धान में गडुआ रोग के कारण क्षति नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त प्रस्तर-1 के अनुसार।

जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर के पूर्व में मण्डी समिति द्वारा जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक

3-श्री सीताराम वर्मा-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर अन्तर्गत पूर्व में मण्डी समिति द्वारा बनायी गयी जर्जर सड़कों की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जी हाँ।

शासन द्वारा घोषित गड्ढा मुक्तिकरण योजना एवं उ0प्र0 ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013 के प्राविधानों के अनुसार मण्डी परिषद् द्वारा पूर्व निर्मित सम्पर्क मार्गों में से मरम्मत योग्य सम्पर्क मार्गों का अनुरक्षण/मरम्मत कार्य कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ऋण मोचन योजनान्तर्गत पात्र किसानों को योजना का लाभ दिये जाने विषयक

4-श्री सीताराम वर्मा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत जिन पात्र किसानों को सरकारी या बैंक कार्मिकों की कतिपय त्रुटि के कारण ऋण मोचन का लाभ नहीं मिल सका है, का निराकरण कर उन्हें उक्त योजना का लाभ देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना का संचालन शासनादेश दिनांक 24 जून, 2017 द्वारा नान एन0पी0ए0 एवं शासनादेश दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 द्वारा एन0पी0ए0 के कृषकों हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित कराते हुए नान एन0पी0ए0, एन0पी0ए0, नान एन0पी0ए0 शिकायत एवं एन0पी0ए0 शिकायत के लगभग 28 चरणों में पात्र कृषकों की धनराशि की डिमाण्ड जनरेशन के आधार पर नोडल बैंकों को भुगतान कर कृषकों को लाभान्वित किया गया।

जनपद स्तर पर हेल्प डेस्क के माध्यम से दिनांक 07 जनवरी, 2019 से दिनांक 21 जनवरी, 2019 तक छूटे हुए कृषकों से ऑफ-लाइन शिकायतें प्राप्त कर उनका निस्तारण करते हुए पात्र कृषकों को धनराशि का भुगतान नोडल बैंको को किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में उरई-कालपी मार्ग पर आवासीय योजना हेतु भू-खण्ड आवंटित कर योजना को विकसित किये जाने विषयक

5-श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के मुख्यालय उरई में उरई-कालपी मार्ग पर यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की आवासीय योजना के अन्तर्गत आवंटित भू-खण्ड इस योजना के विकसित न होने के कारण उक्त भूमि बेकार पड़ी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना को कब तक विकसित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जनपद जालौन में जालौन के मुख्यालय उरई-कालपी मार्ग पर यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विगत 30 वर्ष पूर्व औद्योगिक क्षेत्र उरई साइट-2 को विकसित किया गया था। उक्त औद्योगिक क्षेत्र में 238.456 एकड़ भूमि औद्योगिक सेक्टर एवं 55.42 एकड़ भूमि आवासीय सेक्टर हेतु विकसित की गयी थी। आवासीय सेक्टर में 5.50 एकड़ भूमि निम्न क्षेत्र में स्थित होने के कारण विकसित नहीं की गयी थी, क्योंकि वहां जलभराव की समस्या बनी रहती है। प्रश्नगत भूमि को 01 वर्ष में विकसित किये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर चौक के पास जनहित में ओवरब्रिज बनवाये जाने विषयक

6-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर चौक के पास तथा कुलेसरा में हिण्डन नदी के पुश्ता के आस-पास की लगभग 50 हजार आबादी हेतु जनहित में ओवरब्रिज सरकार बनायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जनपद गौतमबुद्धनगर में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौर चौक के पास तथा कुलेसरा में हिण्डन नदी के पुश्ता के आस-पास की लगभग 50 हजार की आबादी हेतु ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत मै0 राइट्स लिमिटेड (भारत सरकार की संस्था) को आवागमन की व्यापक गतिशीलता कम्प्रीहेन्सिव मोबिलिटी ट्रैफिक एण्ड ट्रान्सपोर्टेशन प्लान फार ग्रेटर नोएडा) के कार्यों के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार किये जाने हेतु नियुक्त किया जा चुका है, जिसमें प्रश्नगत क्षेत्र सम्मिलित है। मै0 राइट्स लिमिटेड द्वारा स्थल का सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया गतिमान है।

मै0 राइट्स लिमिटेड की अन्तिम अनुशंसा प्राप्त होने के बाद उक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गौतमबुद्धनगर में तिलपता बाईपास को 130 मीटर से जोड़े जाने विषयक

7-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर में तिलपता बाईपास पर रेलवे कन्टीनर के कारण तिलपता में अत्यधिक जाम लगने से कई दुर्घटना हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार तिलपता को 130 मीटर रोड से जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

तिलपता बाईपास पर रेलवे कन्टीनर के कारण तिलपता में समय-समय पर जाम लगने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

जी हाँ।

तिलपता को जोड़ने हेतु 60 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गयी है। उक्त सड़क का सर्वे का कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा भूमि क्रय की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा एवं नोएडा प्राधिकरण में अधिग्रहण मुक्त भूमि पर किसानों के आश्रितों को जीविकोपार्जन हेतु व्यावसायिक गतिविधियों हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने विषयक

8-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नोएडा एवं नोएडा प्राधिकरण में अधिग्रहण से मुक्त जमीन पर किसानों के आश्रितों को जीविकोपार्जन हेतु व्यावसायिक गतिविधियां चलाने के लिए सरकार अनापत्ति प्रमाण-पत्र देगी ? यदि हाँ तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अधिग्रहण से मुक्त भूमि पर ग्रामीण भवन विनियमावली में व्यवसायिक गतिविधि अनुमन्य किये जाने का प्राविधान नहीं है तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भवन विनियमावली के अध्याय-6 "ग्रामीण आवादी में भवनों का निर्माण" के प्रस्तर-27.4 के अन्तर्गत अधिग्रहण से मुक्त जमीन पर किसानों के आश्रितों को जीविकोपार्जन हेतु आवासीय गतिविधियां (जिसमें व्यावसायिक गतिविधियां भी आती हैं) सशर्त अनुमन्य हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना के अन्तर्गत 50 छात्रों के छात्रावास निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, फिरोजाबाद द्वारा चिन्हित भूमि पर तैयार प्रारम्भिक आगणन पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

9-**श्री मनीष असीजा-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र फिरोजाबाद में बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना के अन्तर्गत 50 छात्रों के छात्रावास निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 फिरोजाबाद द्वारा रेहना क्षेत्र के गाटा संख्या-126, रकवा 0.207 हेक्टेयर में 0.150 हेक्टेयर चिन्हित भूमि पर तैयार प्रारम्भिक आगणन रु0 118.57 लाख समाज कल्याण अधिकारी, फिरोजाबाद के द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक संख्या-5202-05/स0क0/छात्रावास/2019-20 दिनांक 7/2/2020 के द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ तो उक्त छात्रावास के निर्माण हेतु प्रेषित प्रस्ताव/आगणन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

जनपद-फिरोजाबाद के रेहना क्षेत्र में प्रस्तावित छात्रावास निर्माण के प्रस्ताव को नगर निगम, फिरोजाबाद की बोर्ड मीटिंग दिनांक 04-10-2019 में मा0 सदस्यों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा भी जलभराव एवं अतिरिक्त मिट्टी के भराव के दृष्टिगत छात्रावास निर्माण में असमर्थता व्यक्त की गई है।

अतः रेहना के स्थान पर ग्राम लालऊ, तहसील फिरोजाबाद सदर में 50 छात्रों हेतु छात्रावास निर्माण के सम्बन्ध में मा0 विधायक, सदर, फिरोजाबाद की संस्तुति के क्रम में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पूर्वांचल जनपदों में नायक जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिये जाने के मापदण्डों हेतु सर्वेक्षण विषयक

10-**डॉ0 श्याम बिहारी लाल-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वांचल के जनपदों यथा-चंदौली, सोनभद्र इत्यादि में नायक जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिये जाने का आधार क्या है ? क्या उक्त जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विशिष्टीकरण के लिए सुनिश्चित मापदण्डों हेतु व्यापक सर्वे कराया गया था ? यदि हाँ तो उक्त सर्वेक्षण का सार क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक-6 पर गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड जाति को जनपद महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर व सोनभद्र में अधिसूचित किया गया है। उक्त राजपत्र भारत सरकार के स्तर से अधिसूचित किया गया है, जिसमें जनपद चन्दौली सम्मिलित नहीं है।

उक्त जाति को अनुसूचित जनजाति में विशिष्टीकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कोई सर्वे नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बाँदा में बन्द पड़ी कताई मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में

11-**श्री बृजेश कुमार प्रजापति-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बाँदा में वर्षों से बन्द पड़ी कताई मिल को पुनः चालू सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लगातार हो रहे घाटे, टेक्सटाइल उद्योग में व्याप्त मन्दी, विपरीत बाजारीय परिस्थितियों तथा जर्जर वित्तीय स्थिति के कारण कालान्तर में कार्यशील पूंजी के अभाव से उ0प्र0 स्टेट यार्न कम्पनी लि0, कानपुर की बांदा स्थित कताई मिल दिनांक 10-02-2000 से विधिक रूप से बन्द है। जिसके समस्त श्रमिकों/कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का हितलाभ प्राप्त कर लिया गया है। वर्तमान में बांदा कताई मिल के संचालन की कोई योजना नहीं है।

जनपद-बाँदा के ब्लाक मुख्यालय जसपुरा में मिनी स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में

12-**श्री बृजेश कुमार प्रजापति-**

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष जनपद-बाँदा के ब्लाक मुख्यालय जसपुरा में त्वरित विकास योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा मिनी स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां तो क्या सरकार स्वीकृत कार्य के लिए धन उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल एवं युवा कल्याण, पंचायती राज मंत्री (श्री उपेन्द्र तिवारी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

त्वरित विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी मिनी स्टेडियम के निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है।

केरल में विमान दुर्घटना में मृतक पायलट को शहीद का दर्जा व उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी व सहायता राशि दिये जाने विषयक

13-**श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाक 07 अगस्त, 2020 को केरल में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जनपद मथुरा के मृतक पायलट श्री अखिलेश कुमार को वन्दे भारत मिशन के अन्तर्गत ड्यूटी पर दुर्घटना में मृत्यु के कारण शहीद का दर्जा दिये जाने हेतु भारत सरकार से पत्राचार सरकार करेगी ? क्या सरकार मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी व सहायता राशि प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है। उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बधित नहीं है।

स्पेशल ओलम्पिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल-2019 में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को शासन द्वारा पुरस्कृत करने व दिव्यांगों का मनोबल बढ़ाये जाने विषयक

14-**श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पेशल ओलम्पिक विश्व समर गेम्स यू0एस0ए0-2015 में उत्तर प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को शासन द्वारा पुरस्कृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार दिव्यांग समाज के मनोबल बढ़ाने के लिए स्पेशल ओलम्पिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल-2019 (अबूधाबी संयुक्त अरब अमीरात) में उत्तर प्रदेश के पदक विजेताओं को शासन द्वारा पुरस्कृत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

जी हाँ।

दिव्यांगजन प्रदेशीय खेल संघों के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासनादेश दिनांक 30-09-2020 के प्रावधान के अनुसार परीक्षण कर पुरस्कार प्रदान करने पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बाँदा के भूरागढ़ में औद्योगिक क्षेत्र के आवंटियों व चालू/बन्द कारखानों की सूची पटल पर रखे जाने विषयक

15-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बाँदा के भूरागढ़ में औद्योगिक क्षेत्र निर्धारित है ? क्या सरकार उक्त औद्योगिक क्षेत्र के सभी आवंटियों की नाम, पते सहित सूची व चालू और बन्द कारखानों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हाँ

औद्योगिक क्षेत्र के आवंटियों के नाम, पते सहित सूची व चालू और बन्द कारखानों की सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाँदा में राज्य स्तरीय स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में

16-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करने कि बुन्देलखण्ड के जनपद-बाँदा में सरकार राज्य स्तरीय स्टेडियम का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राज्य योजना आयोग-1, योजना भवन, लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-10(4)/35-1/2011-97, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा ग्रामीण स्टेडियम की योजना ड्रॉप कर दी गयी है।

वर्तमान में मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं तथा भारत सरकार द्वारा संचालित खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत खेल अवस्थापना सृजन का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में युवा कल्याण विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन ट्रांजिट हास्टल, डालीबाग कालोनी, लखनऊ में मोटर साइकिल स्टैण्ड (कालोनी का मुख्य मार्ग) में सीवर का गन्दा पानी भरने एवं कालोनी के चारों और बॉउन्ड्रीवाल बनाये जाने विषयक

17-**श्री संजय गर्ग-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगे कि श्री राम अचल राजभर, स0वि0स0 का पत्र संख्या-क-6 नं0-380833, दिनांक 28-02-2020 जो राज्य सम्पति विभाग के अधीन ट्रांजिट हास्टल, डालीबाग कालोनी, लखनऊ में मोटर साइकिल स्टैण्ड (कालोनी का मुख्य मार्ग) में सीवर का गन्दा पानी भरने एवं कालोनी के चारों ओर बॉउन्ड्रीवाल बनाये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

अधिशासी अभियन्ता, सिविल अनुरक्षण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 14 जुलाई, 2020 द्वारा धनराशि रु0 9.97 लाख का आगणन प्राप्त हुआ है। उक्त आगणन में डालीबाग स्थित ट्रांजिट हास्टल की बॉउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य एवं गेट के सामने फर्श ऊँचा कर कोटा स्टोन लगाने का कार्य अपरिहार्य, तत्कालिक एवं अति आवश्यक न होने के कारण प्रश्नगत कार्य हेतु अधिशासी अभियन्ता द्वारा गठित आगणन स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन आवंटित बजट द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण व शेष कार्यों को पूर्ण कराने विषयक

18-**श्री संजय गर्ग-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन लखनऊ नगर के डालीबाग स्थित ट्रांजिट हास्टल वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस तथा बहुखण्डी आवास में लोक निर्माण विभाग (विद्युत) अनुरक्षण खण्ड-2 के लिए वर्ष 2017 से दिनांक 20-05-2020 तक किस-किस मद में कुल कितना बजट आवंटित एवं अवमुक्त किया गया तथा उक्त बजट से बिल्डिंगवार क्या-क्या कार्य कराये गये तथा कितना कार्य कराया जाना शेष है ? क्या सरकार शेष कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन लखनऊ नगर के डालीबाग स्थित ट्रॉजिट हॉस्टल, वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस तथा बहुखण्डी आवास में विगत वर्ष 2017 से दिनांक 20 मई, 2020 तक कुल आवंटन के सापेक्ष कराये गये कार्य निम्न प्रकार हैं :-

क्रमांक	भवन का नाम/कार्य	व्यय धनराशि
1	ट्रांजिट हॉस्टल	शून्य
2	विशिष्ट अतिथि गृह, डालीबाग (ए0सी0, सबमर्सिबल पम्प, केविल कार्य, सी0सी0टी0वी0, फ्रेश एयर फैन, किचेन की चिमनी, एल0ई0डी0 बोर्ड, आर0ओ0 इत्यादि)	रु0 65.21
3	बहुखण्डीय आवास (ए0एम0एफ0 पैनल, एल0टी0 पैनल, अर्थिंग चेन्जओवर, स्विच डी0जी0 सेट की रिपेयरिंग इत्यादि)	रु0 11.14 लाख

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के डालीबाग के राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा निर्मित ट्रांजिट हास्टल की बाउण्ड्रीवॉल बनाने विषयक

19-**श्री संजय गर्ग-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता अनुरक्षण खण्ड-2, सिविल), लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्रांक-01/टी0एच0डी0बी0सी0/जी0 सु0/2020-21, दिनांक 14-07-2020 जो लोअर डालीबाग स्थित ट्रांजिट हॉस्टल डालीबाग, लखनऊ की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण एवं गेट के सामने फर्श को ऊंचा कर कोटा स्टोन लगाये जाने विषयक है, राज्य सम्पत्ति अधिकारी (शिविर कार्यालय) राज्य सम्पत्ति विभाग, अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

अधिशासी अभियन्ता, सिविल अनुरक्षण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 14 जुलाई, 2020 द्वारा धनराशि रु0 09.97 लाख का आगणन प्राप्त हुआ है। उक्त आगणन में डालीबाग स्थित ट्रांजिट हॉस्टल की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य एवं गेट के सामने फर्श ऊँचा कर कोटा स्टोन लगाने का कार्य अपरिहार्य, तत्कालिक एवं अति आवश्यक न होने के

कारण प्रश्नगत कार्य हेतु अधिशासी अभियन्ता द्वारा गठित आगणन स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ में पात्रों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिये जाने विषयक

20-**श्री आजाद अरिमर्दन-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कितने पात्र लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ वर्तमान में दिया जा रहा है तथा उक्त में से कितने लाभार्थियों को पहली किस्त मिलने के पश्चात उनका आवेदन फार्म पी0एफ0एम0एस0 अकाउण्ट पर रिजेक्ट हो गया है ? क्या सरकार पी0एफ0एम0एस0 अकाउण्ट पर रिजेक्ट हुए पात्र लाभार्थियों के आवेदन-पत्र को पुनः चालू/सक्रिय कराकर उक्त पेंशन योजना का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जिलाधिकारी, आजमगढ़ की प्राप्त आख्यानुसार जनपद आजमगढ़ में वर्तमान में 1,07,652 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है तथा उक्त में से पहली किस्त मिलने के पश्चात् पी0एफ0एम0एस0 अकाउण्ट पर किसी भी लाभार्थी का आवेदन फार्म रिजेक्ट नहीं हुआ है।

इस प्रकार की व्यवस्था अनुमन्य है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के जिला स्टेडियम में खिलाड़ियों के व्यायाम हेतु आधुनिक जिम की स्थापना कराये जाने विषयक

21-**श्री मनीष असीजा-**

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के जिला स्टेडियम में खिलाड़ियों के व्यायाम हेतु एक आधुनिक जिम की स्थापना कराये जाने पर सरकार विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

जनपद फिरोजाबाद स्थित दाऊदयाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में वर्तमान समय में खिलाड़ियों हेतु 06-स्टेशन का मल्टीजिम मशीन स्थापित है, जहाँ तक आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित जिम मशीन स्थापित किये जाने का प्रश्न है तो स्पष्ट करना है कि स्टेडियम में आधुनिक जिम मशीन स्थापित करने के लिये पर्याप्त लम्बाई-चौड़ाई में भवन का होना अति आवश्यक है, जो कि स्टेडियम में उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में स्वीकृत व निर्माणाधीन आई0टी0आई0 के विवरण विषयक

22-श्री नाहिद हसन-

क्या व्यवसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने आई0टी0आई0 वर्तमान में निर्माणाधीन हैं तथा कितने नये बनाया जाना प्रस्तावित है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री (श्री कपिल देव अग्रवाल)-

प्रदेश में कुल 65 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निर्माणाधीन है। एक प्रस्तावित आई0टी0आई0 कम स्किल डेवलपमेंट सेन्टर, नौगढ़, जनपद-चन्दौली में स्वीकृत होकर निर्माण की प्रक्रिया में है, जिसकी कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 है। इसमें धनराशि आवंटन की कार्यवाही प्रचलन में है।

जी हाँ।

सूची/विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र रुधौली के तहसील स्तरीय ग्राम भानपुर में मण्डी समिति का कार्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में

23-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 21/03/2018 को जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के तहसील स्तरीय ग्राम भानपुर में मण्डी समिति स्थापित किये जाने हेतु निदेशक मण्डी परिषद लखनऊ को पत्र दिया गया था, जिस पर सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति के द्वारा अपर निदेशक मण्डी परिषद के द्वारा सिर्फ ग्राम भानपुर के गल्ला लाईसेन्सियों की संख्या पर आख्या प्रस्तुत की जबकि प्रश्नकर्ता द्वारा तहसील के समस्त गल्ला लाइसेन्सधारियों के आधार पर भानपुर में मण्डी समिति स्थापित किये जाने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बस्ती के भानपुर तहसील के समस्त गल्ला लाईसेन्सियों की संख्या तथा औसत आय की जांच कर मानक के अनुसार तहसील स्तरीय ग्राम भानपुर में मण्डी समिति का कार्यालय स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

सचिव मण्डी समिति, सहियापुर ने अपने पत्र दिनांक 21-08-2015 द्वारा भानपुर तहसील क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त लाईसेंसी व्यापारियों की सूचना उपलब्ध कराते हुए यह अवगत कराया गया था कि ग्राम सभा भानपुर में 03, असनहारा बाजार में 07, असनहरा

करमहिया बाजार में 01 एवं पिरैला नरहरिया में 01 कुल 12 लाइसेंसी व्यापारी तत्समय कार्यरत थे।

मण्डी समिति द्वारा अद्यतन आख्या दिनांक 09-12-2020 के माध्यम से यह तथ्य भी इंगित किया गया है कि कृषि विपणन के सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत अध्यादेश दिनांक 05.06 2020 एवं अधिनियम दिनांक 27-09-2020 के फलस्वरूप उपरोक्त क्षेत्र में समस्त व्यापारी कृषि उपज का व्यापार करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं व कृषि उत्पादों के विपणन के लिए न तो किसी परिसर विशेष की अनिवार्यता है और न ही इसके लिए मण्डी लाइसेंस की आवश्यकता तथा न ही मण्डी शुल्क की कोई देयता ही है। अतः वर्तमान परिस्थिति में भानपुर को उप-मण्डी घोषित किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र रुधौली के भानपुर तहसील ग्राम जोगिया व बेलौना सिरसिहवा में मिनी स्टेडियम के आगणन व निर्माण की स्वीकृति विषयक

24-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10 जुलाई, 2020 जो भारत सरकार के खेलो इण्डिया कार्यक्रम के तहत जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के भानपुर तहसील ग्राम जोगिया तथा रुधौली तहसील के ग्राम बेलौना सिरसिहवा में मिनी स्टेडियम के आगणन एवं निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने विषयक है, महानिदेशक प्रान्तीय रक्षा दल/विकास दल एवं युवा कल्याण, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2020 प्राप्त हुआ है। इस क्रम में खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत खेल अवस्थापना सृजन हेतु भूमि युवा कल्याण के नाम दर्ज कराने एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों/आगणन की तीन प्रतियों सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बस्ती से महानिदेशालय युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2020 द्वारा अनुरोध किया गया है।

जिला मुरादाबाद एवं सम्भल के विभिन्न तहसील मुख्यालयों से सम्बन्धित नगरों में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु बनाये गये छात्रावासों सम्बन्धी

25-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद एवं सम्भल की किन-किन तहसील मुख्यालय से सम्बन्धित स्थानों पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए सरकार द्वारा निर्मित छात्रावास उपलब्ध है ? क्या सरकार उक्त जनपदों के अवशेष तहसील मुख्यालयों पर भी उक्त छात्रावास बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद मुरादाबाद में सदर तहसील में 04 राजकीय अम्बेडकर छात्रावास एवं जनपद सम्भल की तहसील चन्दौसी में 01 डा0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय छात्रावास बहजोई रोड, मौलागढ़ में संचालित है।

क्षेत्र में छात्रावास की आवश्यकता एवं निःशुल्क भूमि की उपलब्धता होने पर छात्रावास निर्माण कराया जाता है एवं वर्तमान में उक्त जनपदों में नवीन छात्रावास निर्माण कराये जाने सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

26-हाजी इरफान सोलंकी-

[02-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज हेतु स्वीकृत आई0टी0आई0 कालेज का निर्माण डालीगंज में कराये जाने विषयक

27-डा0 नीरज बोरा-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के फैजुल्लागंज हेतु स्वीकृत आई0टी0आई0 कालेज का निर्माण डालीगंज में कराया जाना है ? यदि हाँ, तो उक्त आई0टी0आई0 कालेज का निर्माण सरकार कब तक प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जी हाँ।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ उत्तर के फैजुल्लागंज में स्वीकृत आई0टी0आई0 सदर तहसील के मोहल्ला डालीगंज में विभाग की एक अन्य भूमि, जिस पर स्थापित पूर्वी बंगाल विस्थापित महिला उत्पादन केन्द्र था, जोकि बन्द हो चुका है तथा भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, के ध्वस्तीकरण एवं निस्तारण करने की कार्यवाही की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। ध्वस्तीकरण एवं नीलामी हेतु प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,

अलीगंज, लखनऊ को निर्देशित किया गया है। ध्वस्तीकरण एवं नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न होते ही भवन निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन लगभग 30 वर्षों से संचालित ट्रांजिट हॉस्टल, डालीबाग, लखनऊ में बन्द किये गये व्यवस्थाधिकारी कार्यालय को पुनः चालू कराये जाने विषयक

28-**श्री संजय गर्ग-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती जय देवी, सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या-क-6 नं0 359358, दिनांक 17-06-2020 जो राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन लगभग 30 वर्षों से संचालित ट्रांजिट हॉस्टल, डालीबाग, लखनऊ में उच्चाधिकारियों को गुमराह कर अवैध रूप से बन्द किये गये व्यवस्थाधिकारी कार्यालय को पुनः चालू कराये जाने एवं दोषी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद महोबा के कुलपहाड़ में किसानों हेतु मण्डी का निर्माण किये जाने विषयक

29-**श्री बृजभूषण राजपूत-**

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के कुलपहाड़ कस्बे में किसानो के लिए मण्डी न होने के कारण किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है ? यदि हाँ,तो क्या सरकार कुलपहाड़ कस्बे में मण्डी का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जनपद महोबा में चरखारी मण्डी समिति के अन्तर्गत आने वाली उप-मण्डी कुलपहाड़ का परिसर निर्मित नहीं है, परन्तु कुलपहाड़ के पूरब 10 कि0मी0 पर सूपा, पश्चिम में 10 कि0मी0 पर भरवारा तथा दक्षिण दिशा में 20 कि0मी0 पर अजनर ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र निर्मित है। प्रत्येक अवस्थापना केन्द्र में 04-04 दुकानें, छायादार चबूतरा और एक-एक गोदाम 500 (मी0 टन), कार्यालय भवन, सुलभ शौचालय निर्मित एवं संचालित है। उक्त के अतिरिक्त दक्षिण में 15 कि0मी0 पर उप-मण्डी स्थल जैतपुर भी निर्मित एवं संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

मृत्युपरान्त मिलने वाली धनराशि, ए0सी0पी0 व पेंशन के लाभ आश्रितों को दिये जाने के सम्बन्ध में

30-**श्री लाल जी वर्मा-**

क्या कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामचन्द्र यादव परिचर के पद पर नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिकी विवविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या में कार्यरत थे जिनका निधन 30-10-2018 को हो जाने के बाद मृत्युपरान्त मिलने वाली धनराशि जैसे ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण, पारिवारिक पेंशन व ए0सी0पी0 का लाभ उनके आश्रितों को मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त धनराशि दिलायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

स्व0 श्री राम चन्द्र यादव नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र, बलिया में परिचर के पद पर कार्यरत थे। सेवाकाल में ही दिनांक 30-10-2018 को उनका निधन हो गया। इनकी पत्नी की मृत्यु श्री यादव की मृत्यु से पूर्व हो जाने के कारण उनके समस्त आश्रितों के सहमति पर विश्वविद्यालय आदेश दिनांक 20-02-2019 द्वारा उनके पुत्र श्री अखिलेश कुमार को सेवायोजित किया गया है।

पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 01-10-2019 के अनुसार आई0सी0ए0आर0 योजना में कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन तथा ग्रेच्युटी आदि देय नहीं है।

अवकाश नकदीकरण की सुविधा विश्वविद्यालय में अनुमन्य नहीं है।

शासन के पत्र दिनांक 18-02-2020 के अनुसार कृषि विज्ञान केन्द्र में कार्यरत वैज्ञानिक/कर्मचारियों को ए0सी0पी0 तथा सातवां वेतन पुनरीक्षण दिया जाना आई0सी0ए0आर0 के अधिकार क्षेत्र में है।

कृषि विज्ञान केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों के ए0सी0पी0 निर्धारण के सम्बन्ध में मार्गदर्शन हेतु विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 23-07-2019 द्वारा वित्तदायी संस्था (आई0सी0ए0आर0) से अनुरोध किया गया है, जिसका उत्तर प्रतिक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

तदैव।

तदैव।

प्रदेश के प्रत्येक गांव में खेल का मैदान बनाने विषयक

31-**श्री देवमणि द्विवेदी-**

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की खेलो इण्डिया के दृष्टिगत प्रदेश के सभी गांवों में खेल का मैदान उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

युवा कल्याण विभाग में खेल मैदान का विकास कराए जाने की कोई योजना सम्प्रति संचालित नहीं है, अपितु खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत जारी गाइड लाइन के अनुसार प्रदेश के ब्लॉक व पंचायत स्तर पर खेल मैदान का विकास मनरेगा योजना के माध्यम से ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कराया जाता है।

32-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

दिनांक 24-02-2021 को अतारांकित प्र0सं0-186 के अन्तर्गत उत्तरित

33-हाजी इरफान सोलंकी-

1-सोमवार के अतारांकित प्र0सं0-153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित

जनपद महोबा के चरखारी में स्वीकृत स्टेडियम के लिए धन आवंटन किये जाने विषयक

34-**श्री बृजभूषण राजपूत-**

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा के चरखारी में स्वीकृत स्टेडियम के लिए धन आवंटित कर स्टेडियम का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

जी नहीं।

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राज्य योजना आयोग-1, योजना भवन, लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र-संख्या-10(4)/35-1/2011-97, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा ग्रामीण स्टेडियम की योजना ड्रॉप कर दी गयी है।

वर्तमान में मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं तथा भारत सरकार द्वारा संचालित खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत खेल अवस्थापना सृजन का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में युवा कल्याण विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

इस क्रम में उक्त स्थान पर खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत मल्टीपरपज हाल के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के अनुसार संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु महानिदेशालय युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 18 जनवरी, 2021 द्वारा जिलाधिकारी, महोबा से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत विकास खण्ड धनीपुर ग्राम गजनीपुर में खेलो इण्डिया परियोजना अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक पत्र दिनांक 12-10-2020 पर कार्यवाही विषयक

35-**श्री अनिल पाराशर-**

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत विकास खण्ड धनीपुर के ग्राम गजनीपुर में ग्रामीण विकास के खेलो इण्डिया राष्ट्रीय कार्यक्रमों के उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की यूनिट-32 अलीगढ़ के द्वारा परियोजना लागत 644.92 लाख उक्त को स्वीकृत कर धनराशि अवमुक्त करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-4292, दिनांक 12-10-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनिल पाराशर, मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र कोल, अलीगढ़ का पत्र संख्या-4291, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 प्राप्त हुआ है। पत्र के साथ संलग्न जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत विकास खण्ड धनीपुर के ग्राम गजनीपुर में खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत खेल अवस्थापना सृजन हेतु उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड की यूनिट-32 अलीगढ़ द्वारा परियोजना लागत 644.92 लाख के उपलब्ध कराये गये आगणन में प्राप्त कमियों का निराकरण कराते हुए पुनः संशोधित प्रस्ताव/आगणन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में महानिदेशालय, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1914/चार-07/यु0क0/2007, दिनांक 23 नवम्बर, 2020 द्वारा जिलाधिकारी, अलीगढ़ से अनुरोध किया गया है।

प्रदेश में आये अनुसूचित जनजाति मीणा के व्यक्तियों को प्रदेश में एस0 टी0 कोटे का आरक्षण प्रदान किये जाने विषयक

36-**श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजस्थान राज्य से विस्थापित होकर आये अनुसूचित जनजाति मीणा के व्यक्तियों को सरकार प्रदेश में एस0टी0 कोटे का आरक्षण प्रदान करेगी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त विस्थापित मीणा समाज के व्यक्ति प्रदेश में होने वाले सभी चुनावों में एस0 टी0 कोटे की सीटों पर चुनाव भी लड़ सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मीणा जनजाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं। इस प्रकार मीणा जाति को उत्तर प्रदेश में नियमानुसार अनुसूचित जनजाति का आरक्षण अनुमन्य नहीं है।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद में बन्द पड़े सूती मिल के पुनः संचालन के सम्बन्ध में

37-**श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में बन्द सूत मिल को क्षेत्र व श्रमिकों के हित में पुनः चालू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं।

लगातार हो रहे घाटे, टेक्सटाइल उद्योग में व्याप्त मन्दी, विपरीत बाजारीय परिस्थितियाँ तथा कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण कालान्तर में कार्यशील पूंजी के अभाव में वर्ष 2020 में कताई मिल सीतापुर विधिक रूप से बन्द घोषित कर दी गई, जिसके समस्त श्रमिकों/कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का हितलाभ प्राप्त कर लिया गया है। वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय, मुम्बई के आदेशानुसार सीतापुर कताई मिल परिसमापनाधीन है तथा कताई मिल की परिसम्पत्तियां परिसमापक (जिलाधिकारी, सीतापुर) के अधीन हैं।

जनपद शामली में कारपोरेट सोशल रिस्पाँसिबिलिटी कार्यक्रम में प्रस्तावित परियोजनाओं के विवरण व इस हेतु धनराशि के व्यय विषयक

38-**श्री नाहिद हसन-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में जनपद शामली में कारपोरेट सोशल रिस्पाँसिबिलिटी कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि व्यय की जानी है एवं उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं का विवरण क्या है तथा परियोजनाओं के चयन का मैकेनिज्म क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

चालू वित्तीय वर्ष में जनपद शामली में कारपोरेट सोशल रिस्पाँसिबिलिटी कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित धनराशि रु0 28,04,000/- (अट्ठाइस लाख चार हजार रुपये मात्र) में से रु0 23,64,000/- (तेइस लाख चौंसठ हजार) व्यय हो चुकी है और इसके अन्तर्गत गाँववासियों, किसानों और कर्मचारियों को मास्क तथा सैनेटाइजर का वितरण, गाँवों को सैनेटाइज करना, सामुदायिक जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार, वृक्षारोपण, वाटर प्यूरीफायर, सैनेटरी

पैड का वितरण, खेलकूद प्रतियोगिता एवं जिम का निर्माण तथा कस्तूरबा विद्यालय हेतु प्रोजेक्टर का उपार्जन आदि कार्यक्रम सम्मिलित है। कारखाना अधिनियम, 2013 की धारा-135 के अनुसार उद्योग द्वारा कारपोरेट सोशल रिस्पाँसिबिलिटी कमेटी गठित की जाती है, जिसमें उद्योग के 2 या अधिक डायरेक्टर हो सकते हैं। इसी कमेटी द्वारा कारपोरेट सोशल रिस्पाँसिबिलिटी के अन्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि एवं मद को अनुमोदित किये जाने का प्रावधान है।

उपर्युक्त दी गयी तथ्यात्मक स्थिति स्वतः स्पष्ट है। अतः अग्रेतर प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

स0वि0स0 के पत्र सं0-ख-6-नं0-27575, दिनांक 14-11-2020 को किसान सम्मान निधि में हुई अनियमितताओं व भ्रष्टाचार विषयक पत्र पर कार्यवाही विषयक

39-**श्री सत्यपाल सिंह राठौर-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6-नं0-27575, दिनांक 14-11-2020 जो किसान सम्मान निधि में हुई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रश्नगत पत्र के स्थान पर प्रश्नकर्ता मा0 विधायक का पत्र सं0-ख-6-नं0-271575, दिनांक 04-11-2020 प्राप्त हुआ है।

प्राप्त शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी, एटा द्वारा जनपद की तहसीलों के माध्यम से सम्बन्धित लाभार्थी कृषकों का सत्यापन कराया जा रहा है, इससे पूर्व उप जिलाधिकारी, सदर एवं अलीगंज की जांच आख्या के आधार पर अपात्रों को चिन्हित कर राजस्व की वसूली भारत कोष के माध्यम से कर ली गयी है, साथ ही यह भी निर्देश दिये जा चुके हैं कि जो भी अपात्र व्यक्ति धनराशि की वापसी नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जांच में दोषी पाये जाने वाले जन सुविधा केन्द्र संचालकों के विरुद्ध थाना अलीगंज एवं थाना बागवाला में अभियोग भी पंजीकृत कराया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त विभाग में तैनात कुल 09 कम्प्यूटर आपरेटर जिन्हें जांच में दोषी पाया गया था, उनकी सेवा समाप्त कर नवीन कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति की गयी है। इसके अतिरिक्त विभाग के जो फर्जी तरीके से सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे थे, उन्हें चिन्हित करते हुए धनराशि की वसूली कर ली गयी है और दण्ड के तौर पर उन सभी कार्मिकों की एक वेतन वृद्धि सम्पूर्ण सेवाकाल के लिए अवरुद्ध की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सीतापुर, तहसील महमूदाबाद में स्थापित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती के सम्बन्ध में

40-**श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में स्थापित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालक), हाजीपुर तथा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका), मानापुर में स्वीकृत पदों के सापेक्ष शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? क्या सरकार कोई निर्धारित समय-सीमा में उक्त विद्यालयों में उक्त रिक्त पदों पर भर्ती करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में स्थापित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालक), हाजीपुर तथा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका), मानापुर में स्वीकृत पदों के सापेक्ष शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् हैं :-

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या		रिक्त पदों की संख्या		अभ्युक्ति
		शैक्षणिक	गैर शैक्षणिक	शैक्षणिक	गैर शैक्षणिक	
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालक), हाजीपुर	21	30	14	28	-
2	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका), मानापुर	-	-	-	-	पद सृजन पद वित्त विभाग ने रोक लगा रखी है।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवक्ता, सहायक अध्यापक एल0टी0 ग्रेड के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अधियाचन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की जानी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में अरहर, उर्द, मूंग, चना, मटर का उत्पादन बढ़ाने पर विचार विषयक

41-**श्री प्रभात कुमार वर्मा-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में दलहन का उत्पादन कम हो रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार देवीपाटन मण्डल के चारों जनपद में अरहर, उर्द, मूंग, चना, मटर के उत्पादन बढ़ाने की कोई नई योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

गोण्डा जनपद का विगत 03 वर्षों में दलहन उत्पादन का विवरण-

वर्ष	**उत्पादन (मैट्रिक टन)**
2017-18	22051
2018-19	22231
2019-20	25864

केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन योजना के अन्तर्गत किसानों को दलहनी फसलों के प्रदर्शन, प्रमाणित बीज वितरण तथा अन्य कृषि निवेश यथा-जिप्सम, खरपतवारनाशी, कृषि रक्षा रसायन, राइजोबियम कल्चर, मिनी दाल मिल, तिरपाल, कृषि यंत्र, सिंचाई के लिये पानी का पाइप, पम्पसेट आदि को कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त किसानों को दलहन उत्पादन के सम्बन्ध में फसल पद्धति आधारित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

जनपद महोबा में वर्ष 2018-19 में किसानों की क्षतिग्रस्त हुई फसलों की बीमा की शेष धनराशि दिलाये जाने विषयक

42-**श्री बृजभूषण राजपूत-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा में खरीफ की फसल उर्द, तिलहन, मूंगफली आदि वर्ष 2018-19 में 98 हजार किसानों के बीमा राशि 218 करोड़ रुपये के सापेक्ष उनके फसलों के नुकसान की भरपाई हेतु कम्पनी द्वारा 43 करोड़ का ही भुगतान किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार शेष धनराशि बीमा कम्पनी से किसानों को दिलाएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के खरीफ मौसम में जनपद महोबा में अधिसूचित फसलों हेतु 93822 कृषकों द्वारा 95157 हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा कराया

गया। कृषकों द्वारा प्रीमियम के रूप में 320.96 लाख रुपये जमा किए गए। योजना के प्राविधानों के अनुसार 24703 बीमित किसानों को नियमानुसार देय क्षतिपूर्ति रुपये 1027.79 लाख का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत लघु व सीमान्त कृषकों को स्प्रिंकलर सेट पर अनुदान दिये जाने हेतु बजट आवंटित किये जाने विषयक

43-**श्री बृजभूषण राजपूत-**

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत भूमि संरक्षण द्वारा जल संरक्षण हेतु तालाबों का निर्माण कार्य में 50 प्रतिशत अनुदान एवं तालाबों से सिंचाई के लिये स्प्रिंकलर सेट हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को क्रमशः 80 से 90 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था थी, किन्तु विगत 2 वर्ष से स्प्रिंकलर सेट के लिये कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कार्य हेतु बजट आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जी नहीं।

जी हाँ।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अपेक्षित धनराशि जनपदों को आवंटित कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़, विकास खण्ड बीलरियागंज में कृषि **रक्षा इकाई के जर्जर भवन का नव-निर्माण कराने विषयक**

44-**श्री नफीस अहमद-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में स्थानीय कस्बा में स्थित कृषि रक्षा इकाई का भवन जर्जर होने से बारिश में छत टपकने के कारण कीटनाशनक दवाओं व बीज को सुरक्षित रखने में समस्या हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवन का नव निर्माण करायेगी ? यदि हों, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायती राज अधिकारी को 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अन्टाइड फण्ड से जनपद के

समस्त राजकीय कृषि बीज भण्डार एवं कृषि रक्षा इकाइयों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के निर्देश के क्रम में विकास खण्ड बिलरियागंज के कृषि रक्षा इकाई एवं कृषि बीज भण्डार का भवन, जो एक ही भवन में स्थित है, के मरम्मत का कार्य 15वें वित्त आयोग की कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए स्थापित आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु जानकारी सम्बन्धी

45-**श्री मौहम्मद फईम इरफान-**

क्या दिव्यांगजन एवं सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन स्थानों पर दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने हेतु आवासीय विद्यालय स्थापित हैं ? क्या सरकार प्रत्येक जिले में उक्त विद्यालय स्थापित करने की योजना बनाएगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दृष्टिबाधित बच्चों हेतु जनपद-लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, बांदा एवं सहारनपुर में आवासीय विद्यालय स्थापित है।

जनपद-मिर्जापुर तथा लखीमपुर खीरी में इण्टरमीडिएट स्तर तक के दृष्टिबाधित आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के 12 जनपदों तथा लखनऊ, कन्नौज, औरैया, प्रयागराज, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, एटा, बुलन्दशहर, महराजगंज, आजमगढ़, बलिया तथा गाजियाबाद में समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें दृष्टिबाधित, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के साथ-साथ सामान्य विद्यार्थी भी समेकित रूप से कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में फूलों की खेती हेतु योजना बनाने विषयक

46-**श्री प्रभात कुमार वर्मा-**

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में फूलों की खेती के लिये सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या ?

श्री श्रीराम चौहान-

जी हाँ।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 30-नान एन0एच0एम0 जनपदों की औद्यानिक विकास परियोजना पूर्व से संचालित है, जिसके अन्तर्गत जनपद गोण्डा में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम भी स्वीकृत है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 30-नान एन0एच0एम0 जनपदों की औद्यानिक विकास परियोजना पूर्व से संचालित है, जिसके अन्तर्गत जनपद गोण्डा में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम भी स्वीकृत है। योजनान्तर्गत इच्छुक कृषक कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराते हुए प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजनान्तर्गत कट फ्लावर (रजनीगंधा/गुलाब/जरबेरा) इकाई लागत धनराशि रु0 1.00 लाख का 40 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रु0 40000.00 प्रति हेक्टेयर बल्बस फ्लावर (ग्लेडियोलस इकाई लागत धनराशि रु0 1.50 लाख का 40 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रु0 60000.00 प्रति हेक्टेयर तथा लूज फ्लावर (गेंदा, देसी गुलाब) इकाई लागत धनराशि रु0 40000.00 का 40 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 16000.00 प्रति हेक्टेयर अनुदान अनुमन्य है। वर्ष 2020-21 में जनपद गोण्डा हेतु कट फ्लावर-05 हेक्टेयर, बल्बस फ्लावर (ग्लेडियोलस)-10 हेक्टेयर तथा लूज फ्लावर (गेंदा, देसी गुलाब)-10 हेक्टेयर के लक्ष्य स्वीकृत हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हाथरस में वर्ष 2014 के उपरान्त हस्तनिर्मित काँच के मूंगा, मोती एवं नग के उद्योग के रजिस्ट्रेशन को खत्म एवं संचालित कराने हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

47-**श्री रामवीर उपाध्याय-**

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस में वर्ष 2014 के उपरान्त प्रति वर्ष कितनी फर्मों ने हस्तनिर्मित काँच के मोती, मूंगा एवं नग के उद्योगों के रजिस्ट्रेशन को खत्म कराया है ? क्या यह सही है कि उक्त जनपद के कस्बा पुरदिलनगर में स्थापित उक्त उद्योग को चीन से आयात के कारण नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उद्योग को पुनः सुचारु रूप से संचालित करने हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद हाथरस में वर्ष 2014 के उपरान्त प्रति वर्ष उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, हाथरस कार्यालय में पंजीकृत किसी भी फर्म द्वारा हस्तनिर्मित काँच के मोती, मूंगा एवं नग के उद्योगों के रजिस्ट्रेशन को खत्म/समर्पित नहीं कराया है।

जनपद हाथरस के कस्बा पुरदिलनगर में स्थापित उक्त उद्योगों को चीन से आयात के कारण पुरदिलनगर में उत्पादित उत्पाद पर आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा है।

जनपद हाथरस के कस्बा पुरदिलनगर में मूंगा, मोती के उद्योग/व्यापार को पुनः स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्य मंत्री युवा स्व-रोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही बैंक/जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, हाथरस के माध्यम से मुद्रा योजना/स्टैण्ड अप योजना/स्टार्ट अप योजना के अन्तर्गत ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर उक्त व्यापार/ उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जनपद हाथरस के कस्बा पुरदिलनगर में उक्त उद्योगों के हस्तशिल्पियों को हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ष में दो बार मेलों में स्टाल लगाने हेतु अधिकतम 10-10 हजार अर्थात् अधिकतम रु0 20000/- प्रतिपूर्ति के रूप में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, हाथरस के माध्यम से दिये जाते हैं। साथ ही हस्तशिल्पियों को मुख्य मंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना के माध्यम से भी लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें पात्र लाभार्थियों को रु0 500/- प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान है। उक्त योजनान्तर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पुरुष हस्तशिल्पी एवं 55 वर्ष पूर्ण कर चुकी महिला हस्तशिल्पी पात्र होंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खेल निदेशालय द्वारा संचालित क्रीड़ांगनों में कार्यरत खेल प्रशिक्षकों को मानदेय भुगतान किये जाने विषयक

48-श्री अजय कुमार लल्लू-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 खेल निदेशालय द्वारा संचालित क्रीड़ांगनों में कार्यरत तदर्थ खेल प्रशिक्षकों को विगत 8 माह से मानदेय के भुगतान न मिलने विषयक मुख्य मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-अ-4/83, दिनाँक 04-11-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

उक्त पत्र मा0 मुख्य मंत्री जी ऑनलाइन संख्या-18157200060540, दिनांक 07-01-2021 के माध्यम से खेल निदेशालय में प्राप्त हुआ है।

कोविड के कारण प्रदेश के किसी भी क्रीड़ांगन में प्रशिक्षण संचालित नहीं किये जा सके। उक्त स्थिति में अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों का नवीनीकरण नहीं किया गया। श्रम विभाग के शासनादेश दिनांक 18-08-2020 के प्रावधानों के अनुसार अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की सेवाएँ जेम पोर्टल से प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गयी है। शासनादेशों में अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण शिविर संचालित किये बिना मानदेय का भुगतान किये जाने का प्रावधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद की मण्डलीय उप निदेशक पर अवैध वसूली/उत्पीड़न के आरोपों की जांच व कार्यवाही विषयक

49-डा0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की मण्डलीय उप निदेशक पर मेरठ मण्डल एवं मुरादाबाद में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली/उत्पीड़न के आरोप लगाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जाँच कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

सुश्री सरोज प्रसाद, उप निदेशक, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद में तैनाती के दौरान उनके द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों के साथ मर्यादित व समुचित व्यवहार न किये जाने की शिकायत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच अपर निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा करायी गयी। जांच में उनके ऊपर लगाये गये आरोप सिद्ध पाये गये। उक्त के दृष्टिगत सुश्री प्रसाद को शासन के पत्र संख्या-384/26-1-2021-4(09)-2020, दिनांक 12-02-2021 द्वारा उनको अपने अधीनस्थ कार्मिकों के साथ मर्यादित व समुचित व्यवहार करने हेतु निर्देशित करते हुए भविष्य के लिए सचेत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

50-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त

जनपद मथुरा, विधान सभा क्षेत्र मांट में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सम्बद्ध औद्योगिक इकाई लगाने हेतु नीति विषयक

51-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में वन-डिस्ट्रिक्ट वन-प्रोडक्ट के अन्तर्गत औद्योगिक इकाई लगाने की दिशा में कोई नीति सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत जनपद-मथुरा हेतु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए दो उत्पादों टैप्स एण्ड काक्स (स्वच्छता सम्बन्धी उपकरण/ हार्डवेयर उत्पाद) एवं

ठाकुर जी की पोशाक, श्रृंगार मूर्ति व कंठी माला उत्पाद को निर्धारित किया गया है। यह योजना न केवल नये उद्यम स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए है, अपितु ऐसे उद्यमी जो उक्त दोनों क्षेत्रों के उद्यम से पूर्व में जुड़े हैं उनके उद्यम के विस्तारीकरण में भी सहायता प्रदान की जाती है। कोई भी इच्छुक उद्यमी योजना की वेबसाइट www.diupmsme.upsidc.gov.in योजना में उक्त दोनों विधाओं की निर्माण/सेवा/ व्यवसाय उद्यम की स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित चयन प्रक्रिया के उपरान्त इच्छुक बैंक के माध्यम से अनुदानित ऋण प्राप्त कर सकता है तथा किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता हेतु किसी भी कार्य दिवस में उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, मथुरा से सम्पर्क कर जनपद का कोई भी उद्यमी अपनी जिज्ञासा एवं योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र रुधौली अन्तर्गत बस्ती-रुधौली मार्ग पर ग्राम पैड़ा खरहरा में शहीद स्थल पार्क के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में

52-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत बस्ती-रुधौली मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम पैड़ा खरहरा में स्थित शिव गुलाम सिंह स्थल पर सरकार द्वारा स्थापित शहीद स्थल का उद्यान देख-रेख के अभाव में खराब स्थिति में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उद्यान का जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जी नहीं।

आवश्यकता नहीं है।

जनपद बस्ती में 0.40 हे0 क्षेत्रफल में शहीद बाबू शिव गुलाम सिंह पार्क स्थित है, जिसमें शहीद बाबू शिव गुलाम सिंह की स्मृति में निर्मित शहीद स्मारक एवं स्मारक का आधार संगमरमर से बना है तथा स्मारक पर अशोक की लाट लगी है। स्मारक के आस-पास मखमली घास का लान है एवं अलंकृत पौधे लगाकर स्मारक सुसज्जित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में पार्क एवं शहीद स्मारक के रख-रखाव पर विभाग द्वारा रु0-178100/- व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में रख-रखाव एवं सुसज्जा हेतु धनराशि रु0 83100/- उपलब्ध करायी गयी है, जिससे शहीद स्मारक का सौन्दर्यीकरण एवं रख-रखाव किया जा रहा है। शहीद स्मारक पर प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय पर्वों पर झण्डारोहण एवं माल्यार्पण किया जाता है। शहीद स्मारक वर्तमान में सुसज्जित है एवं किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं है।

जे0 के0 कॉटन स्पिनिंग व विविंग मिल्स कानपुर में दिनांक 25-02-2015 को औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की रिपोर्ट पर मिल बन्द करने पर कार्यवाही विषयक

53-**श्री अजय कुमार लल्लू-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे0 के0 कॉटन स्पिनिंग व विविंग मिल्स कानपुर में दिनांक 25-02-2015 को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर सेवायोजकों की मिल को पुनः बन्द करने के प्रयास पर रोक की अनदेखी कर नियमों का उल्लंघन करते हुए सेवायोजकों ने दिनांक 15-05-2017 से मिल में तालाबन्दी करते हुए गरीब श्रमिकों को असहाय छोड़े जाने विषयक मुख्य मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-अ-4/840, दिनांक 11-09-2020 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अनुरक्षण खण्ड-2 (सिविल), लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्रांक-01/टीएच-डीबीसी/जी0सु0/2020-21, दिनांक 14-07-2020 जो लोअर डालीबाग स्थित ट्रांजिट हास्टल, डालीबाग लखनऊ की बाउण्ड्रीवाल व अन्य कार्य हेतु आगणन प्राप्त कर कार्रवाई विषयक

54-**श्री संजय गर्ग-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अनुरक्षण खण्ड-2 (सिविल), लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्रांक-01/टीएचडीबीसी/जी0सु0/2020-21, दिनांक 14-07-2020 जो लोअर डालीबाग स्थित ट्रांजिट हास्टल, डालीबाग, लखनऊ की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण एवं गेट के सामने फर्श को ऊंचा कर कोटा स्टोन लगाये जाने का आगणन रुपया 9.97 लाख है, राज्य सम्पत्ति अधिकारी (शिविर कार्यालय) राज्य सम्पत्ति विभाग, अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

अधिशासी अभियन्ता, सिविल अनुरक्षण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 14 जुलाई, 2020 के साथ प्राप्त आगणन में डालीबाग स्थित ट्रांजिट हास्टल की बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य एवं गेट के सामने फर्श ऊँचा कर कोटा स्टोन लगाने का कार्य

अपरिहार्य, तात्कालिक एवं अति आवश्यक न होने के कारण प्रश्नगत कार्य हेतु अधिशासी अभियन्ता द्वारा गठित आगणन स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

श्री राम अचल राजभर, स0वि0स0 का पत्र संख्या-क-6 नं0-432711, दिनांक 01-10-2020 के क्रम में राज्य सम्पत्ति विभाग के ट्रांजिट हास्टल, डालीबाग में स्टैण्ड के पास बने सीवर लाइन के जीर्णोद्धार व बाउण्ड्रीवाल निर्माण पर कार्यवाही विषयक

55-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम अचल राजभर, स0वि0स0 का पत्र संख्या-क-6 नं0-432711, दिनांक 01-10-2020 जो राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन ट्रांजिट हास्टल, डालीबाग, लखनऊ में मोटर साइकिल स्टैण्ड के पास बने सीवर लाइन के जीर्णोद्धार एवं उक्त आवास के चारों और बाउण्ड्रीवाल के निर्माण का आगणन रुपया 9.97 लाख की वित्तीय स्वीकृति विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

अधिशासी अभियन्ता, सिविल अनुरक्षण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 14 जुलाई, 2020 द्वारा धनराशि रु0 9.97 लाख का आगणन प्राप्त हुआ है। उक्त आगणन में डालीबाग स्थित ट्रांजिट हास्टल की बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य एवं गेट के सामने फर्श ऊँचा कर कोटा स्टोन लगाने का कार्य अपरिहार्य, तात्कालिक एवं अति आवश्यक न होने के कारण प्रश्नगत कार्य हेतु अधिशासी अभियन्ता द्वारा गठित आगणन स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में शेष किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि भेजे जाने के सम्बन्ध में

56-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर मैं कुल कितने कृषक हैं तथा कितने कृषकों को उनके खाते में दिनांक 30 अक्टूबर, 2020 तक किसान सम्मान निधि भेज दी गयी है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष किसानों के खातों में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुए किसान सम्मान निधि भेजे जाने हेतु कोई समय-सीमा तय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लगभग 96876 कृषक परिवार पात्र हैं, जिसमें से 30 अक्टूबर, 2020 तक 78518 कृषकों को योजना के लाभ की धनराशि उनके खाते में भेजी जा चुकी है।

अवशेष पात्र कृषकों के खाते में शीघ्र ही धनराशि प्रेषित किया जाना सम्भावित है।

योजनान्तर्गत भुगतान पात्र कृषकों के पंजीकरण की तिथि से नियमानुसार दिये जाने का प्राविधान है।

जिन पात्र कृषकों के डाटा में त्रुटियों के कारण किस्त निर्गत नहीं हो पा रही थी, उनकी त्रुटियों के निराकरण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2021 से 03 फरवरी, 2021 तक पी0एम0 किसान समाधान दिवस आयोजित कर कृषकों की समस्याओं का समाधान किया गया।

पुनः प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2021 से 03 मार्च, 2021 तक पी0एम0 किसान समाधान अभियान चलाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी तथा बिजनौर में शेष लाभार्थियों को लाभ प्रदान किये जाने विषयक

57-**श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी की गयी है ? यदि हाँ, तो कबसे तथा कितनी धनराशि की बढ़ोत्तरी की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बिजनौर के कितने लाभार्थियों को दिनांक 23-06-2020 की उक्त बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान किया गया है तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष लाभार्थियों को बढ़ी हुये पेंशन का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत शासनादेश सं0-07/2019/1164/26-2-2019-100(1)/2017, दिनांक 26-06-2019 द्वारा 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्धजनों को दिनांक 01-01-2019 से रु0 100/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी राज्यांश के अंश में वृद्धि करते हुए रु0 300/- राज्यांश व रु0 200/- केन्द्रांश अर्थात् कुल रु0 500/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान हो रहा है।

जिलाधिकारी, बिजनौर से प्राप्त आख्यानुसार जनपद बिजनौर के समस्त 51,410 वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को दिनांक 23-06-2020 तक बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान किया गया है। कोई भी पेंशनर बढ़ी हुई पेंशन पाने हेतु शेष नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

58-**श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-**

[सोमवार के अतारांकित प्र0 सं0-154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बहराइच, विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में लम्बित वृद्धावस्था पेंशन फार्मों को स्वीकृत कराकर पेंशन दिलाने विषयक

59-**श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच की विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के वृद्धावस्था पेंशन के कितने फार्म जनपद/निदेशालय/शासन स्तर पर वर्तमान में लम्बित हैं ? क्या सरकार उक्त पात्र लाभार्थियों के फार्म को स्वीकृत कर उन्हें पेंशन देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

निदेशक, समाज कल्याण की प्राप्त आख्यानुसार जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 5187 फार्म खण्ड विकास अधिकारियों के स्तर से जांचोपरान्त जनपद स्तर पर आनलाइन प्राप्त हुये हैं, जिनमें से जिला स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुमोदनोपरान्त 3185 आवेदन-पत्रों पर स्वीकृति की कार्यवाही की जा चुकी है एवं 431 आवेदन-पत्र विभिन्न कारणों से अपात्र होने के कारण निरस्त किये जा चुके हैं। 1571 आवेदन-पत्र जिला स्तर पर लम्बित हैं।

योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र आनलाइन किये जाने की सतत् प्रक्रिया है। वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत जांचोपरान्त पात्रता श्रेणी में आने वाले सभी पात्र वृद्धों को पेंशन दिये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में उप कृषि निदेशक कार्यालय में दिनांक 01-04-17 से 01-12-19 तक कुल कृषि यंत्रों का वितरण व किसानों से प्राप्त धनराशि का पूर्ण विवरण दिये जाने विषयक

60-**श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में उप कृषि निदेशक कार्यालय मे दिनांक 01-04-2017 से 01-12-2019 तक सरकार द्वारा कितने व कौन से यन्त्र

किसानों से धनराशि लेकर वितरण के लिए कार्यालय को प्राप्त हुए तथा कुल कितने कृषि यन्त्रों का वितरण किन कृषकों को कब किये गये तथा कितनी धनराशि जमा करायी गयी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद शाहजहाँपुर में सन्दर्भित अवधि में कुल 791 कृषि यंत्रों जैसे-रोटावेटर, राइस ट्रान्स प्लान्टर, हाइड्रोलिक प्लाऊ, पम्पसेट फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेन्टर, पावर टिलर, सीड ड्रिल, पावर चैफ कटर, स्ट्रा रीपर, लेजर लैण्ड लेवलर, थ्रेसर, हैरो, पेडी मल्टीक्राप थ्रेसर, मिनी दाल मिल, रीपर 20 एच0पी0 से कम, डिस्क प्लाऊ, चीजल प्लाऊ, पशु चालित यन्त्र, कल्टीवेटर, मल्चर, रिवर्सेबल एम0बी0 प्लाऊ, चैफ कटर हस्त चालित, ट्रैक्टर माउण्टेड स्प्रेयर मशीन एवं जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल का क्रय किसानों द्वारा किया गया, जिसका अनुदान कृषकों को दिया गया तथा कुल रु0 81,500 धनराशि टोकन मनी के रूप में जमा करायी गयी।

जी हाँ।

लाभार्थी कृषकों की सूची मा0 विधान सभा अध्यक्ष के कार्यालय में रखी है, जहाँ उसे अवलोकित किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में उक्त योजना हेतु चिन्हित समस्त पात्र किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा कराये जाने विषयक

61-**श्री मनीष असीजा-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में कुल कितने पात्र किसानों को चिन्हित करा गया है तथा इनमें से कितने किसानों को प्रथम किस्त प्रदान की गयी है तथा कितनों को चतुर्थ किस्त प्राप्त हो रही है ? क्या सरकार को जानकारी है कि प्रथम किस्त की तुलना में चौथी किस्त का लाभ उठाने वाले पात्र किसानों की संख्या लगभग आधी रह जाने (दिनांक 23/01/2020 तक प्रथम किस्त 176081 तथा चतुर्थ किस्त 92695) के कारण वंचित किसानों को अब तक सम्मान निधि प्राप्त नहीं हो सकी है ? यदि हाँ तो क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद में उक्त योजना हेतु चिन्हित समस्त पात्र किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा कराये जाने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जनपद फिरोजाबाद में 31 जनवरी, 2021 तक कुल 218559 कृषकों को कम से कम एक किस्त प्राप्त हुआ है। इस प्रकार योजनान्तर्गत 218559 कृषकों को प्रथम किस्त एवं 180465 कृषकों को चतुर्थ किस्त प्राप्त हुआ है।

जी नहीं, अपवर्जन श्रेणी को छोड़कर सभी पात्र कृषकों को योजनान्तर्गत पंजीकरण की तिथि से लाभ दिये जाने का प्राविधान है।

प्रथम किस्त तथा आगामी किस्तों में कृषकों की संख्या में यह अन्तर उनमें पंजीकरण की तिथि के कारण है, क्योंकि पंजीकरण की तिथि से योजना का लाभ दिये जाने का प्राविधान है।

योजनान्तर्गत सभी पात्र कृषकों को लाभ दिया जायेगा। सभी पात्र कृषकों को योजना का लाभ दिये जाने की कार्यवाही क्रमिक है।

त्रुटियों के निराकरण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2021 से 03 फरवरी, 2021 तक पी0एम0 किसान समाधान दिवस आयोजित किया गया था। उक्त अवधि में जनपद फिरोजाबाद में कुल 4105 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, उनमें से 1839 मामले निस्तारित किये गये एवं 2266 मामले लम्बित रहे, जिसके निस्तारण की प्रक्रिया क्रमिक है।

पुनः प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2021 से 03 मार्च, 2021 तक पी0एम0 किसान समाधान अभियान चलाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में किसान फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 में इंश्योरेंस कम्पनियों द्वारा किसानों को किये गये भुगतान विषयक

62-**श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसान फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 में बीमित किसानों तथा सरकार द्वारा इन्श्योरेंस कम्पनियों को कुल कितनी धनराशि बीमा प्रीमियम के रूप में दी गयी है एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त योजना के अन्तर्गत इन्श्योरेंस कम्पनियों द्वारा किसानों को कुल कितनी धनराशी का बीमा क्लेम के रूप में भुगतान किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में बीमित किसानों तथा सरकार द्वारा इन्श्योरेंस कम्पनियों को कुल दिये गये प्रीमियम एवं क्षतिपूर्ति का विवरण निम्नवत हैं :-

	प्रीमियम (लाख रु0 में)				अतिरित क्षतिपूर्ति (लाख रु0 में)
	कृषक अंश	राज्यांश	केन्द्रांश	कुल प्रीमियम	
1	2	3	4	5	6
खरीफ 2018	20747.17	29428.99	29428.99	79605.15	43426.77
रबी 2018-19	20229.42	25178.96	25178.96	70587.34	1838.96
2018-19 (खरीफ+रबी)	40976.59	54607.95	54607.95	150192.49	45265.73
खरीफ 2019	15940.93	27987.25	27987.25	71915.43	80392.91
रबी 2019-20	16189.88	21436.48	21436.48	59062.84	27313.13
2019-20 (खरीफ+रबी)	32130.81	49423.73	49423.73	130978.27	107706.04
खरीफ 2020	17826.06	33444.69	33342.04	84612.79	603.09
रबी 2020-21	15322.91	30896.11	30896.11	77115.13	मौसम की समाप्ति पर क्राप कटिंग के आधार पर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
2020-21 (खरीफ+रबी)	33148.97	64340.80	64238.15	161727.92	603.09

उपर्युक्तानसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के तहसील भानपुर में मण्डी समिति का निर्माण कराये जाने विषयक

63-**श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 14-07-2019 का पत्रांक संख्या एस0जे0 218/2019 जो भानपुर तहसील मुख्यालय के अन्तर्गत ग्राम भानपुर के मण्डी समिति का निर्माण कराये जाने विषयक है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

म0 विधायक का पत्र दिनांक 14-07-2019, दिनांक 20-02-2021 को प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त के क्रम में सचिव, मंडी समिति, सहियापुर जनपद सिद्धार्थनगर की आख्या दिनांक 20-02-2021 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा सुधारों के लिए लाये गए अध्यादेश/अधिनियम दिनांक 05 जून 2020 में व्यवस्था है कि मंडी परिसरों

के बाहर कृषि उपज का विपणन पूरी तरह से लाइसेंस व मंडी शुल्क व्यवस्था से मुक्त रहेगा। फलस्वरूप भानपुर क्षेत्र में कृषि उपज का व्यापार, अधिनियम की नवीनतम व्यवस्थानुसार बिना मण्डी लाइसेंस एवं बिना मण्डी शुल्क की देयता के स्वतंत्र रूप से किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शामली विधान सभा क्षेत्र कैराना में महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ट्रेनिंग दिलवाने विषयक

64- **श्री नाहिद हसन-**

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कैराना, जनपद शामली में महिलाओं को सिलाई कढ़ाई व अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों की ट्रेनिंग दिलाने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

विधान सभा क्षेत्र कैराना जनपद शामली में महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई व अन्य व्यवसायों में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

जी हाँ। विधान सभा क्षेत्र कैराना जनपद शामली में आरपीएल (रिक्नीशन ऑफ प्रायर लर्निंग) के अन्तर्गत 720 महिलाओं को अपैरल मेडअप्स तथा होम फर्निशिंग सेक्टर में सिलाई, कढ़ाई के व्यवसाय में प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 27 महिलायें कन्स्ट्रक्शन सेक्टर में शार्टटर्म ट्रेनिंग के अन्तर्गत इलेक्ट्रिकल फोरमैन व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 10 नवम्बर 2020 तक वृद्धावस्था पेंशन हेतु अग्रसारित आवेदन-पत्रों के लिए आवश्यक धनावंटन कराते हुये पात्र लाभार्थियों के खाते में पेंशन भुगतान करने विषयक

65-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक वृद्धावस्था पेंशन हेतु जांच के उपरांत कितने पात्र आवेदन-पत्र समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ को अग्रसारित करे गए हैं एवं कितने अग्रसारित होने शेष है ? क्या सरकार इन अग्रसारित आवेदन-पत्रों के लिए आवश्यक धनावंटन कराते हुये पात्र लाभार्थियों के खाते में पेंशन भुगतान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

निदेशक, समाज कल्याण की प्राप्त आख्यानुसार जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक वृद्धावस्था पेंशन हेतु जाँच के उपरान्त 13,608 पात्र आवेदन-पत्रों को

ऑनलाइन पोर्टल पर पेंशन भुगतान हेतु अग्रसारित किया गया है। दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी, फिरोजाबाद के लॉगिन पर कोई भी आवेदन-पत्र अग्रसारित हेतु शेष नहीं है।

वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत जांचोपरान्त पात्रता श्रेणी में आने वाले सभी पात्र वृद्धों को पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र ऑनलाइन किये जाने की सतत् प्रक्रिया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक दिव्यांग पेंशन हेतु लंबित आवेदनों की जांच पूर्ण कराते हुये पात्र आवेदनों को दिव्यांग कल्याण निदेशालय लखनऊ को अग्रसारित कराये जाने विषयक

66-**श्री मनीष असीजा-**

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 10 नवम्बर 2020 तक दिव्यांग पेंशन हेतु कितने आवेदन-पत्र जांच लिए ब्लॉक/तहसील स्तर पर लंबित है ? क्या सरकार इन लंबित आवेदनों की जांच पूर्ण कराते हुये पात्र आवेदनों की दिव्यांग कल्याण निदेशालय लखनऊ को अग्रासरित कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना ऑनलाइन संचालित है। ऑनलाइन प्रक्रिया में जाँच हेतु आवेदन-पत्र ब्लॉक/तहसील स्तर पर प्रेषित करने की व्यवस्था नहीं है। जनपद-फिरोजाबाद में दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक दिव्यांग पेंशन के 121 आवेदन-पत्र जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के लॉगिन पर लम्बित थे।

उक्त लम्बित 121 आवेदन-पत्रों में से पात्र पाये गये 50 आवेदन स्वीकृति के उपरान्त पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अग्रसारित कर दिये गये हैं तथा शेष 71 आवेदन विभिन्न कारणों से अपात्र पाये जाने के कारण अस्वीकृत कर दिये गये हैं।

उक्तानुसार।।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 10 नवम्बर 2020 तक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ हेतु तहसील/ब्लॉक स्तर पर लम्बित आवेदन-पत्रों की जांच कराने व आवेदनों को समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ को अग्रसारित कराने विषयक

67-**श्री मनीष असीजा-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ हेतु कितने आवेदन-पत्र तहसील/ब्लॉक स्तर

पर लंबित है ? क्या सरकार इन लंबित आवेदन-पत्रों की जांच कराते हुये आवेदनों को समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ को अग्रसारित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद की प्राप्त आख्यानुसार जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 10-11-2020 तक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहसील/ब्लॉक स्तर पर 532 आवेदन-पत्र लम्बित थे, जो वर्तमान में निस्तारित किये जा चुके हैं, जिनका तहसील/ब्लॉकवार विवरण निम्नवत् हैं :-

क्र0स0	**तहसील का नाम**	**ब्लॉक/टाउन का नाम**	**आवेदन-पत्रों की संख्या**
1	फिरोजाबाद	ब्लॉक फिरोजाबाद	26
		ब्लॉक नारखी	33
		टाउन फिरोजाबाद	196
	तह0 फिरोजाबाद	**योग :-**	**255**
2	शिकोहाबाद	ब्लॉक खैरगढ़	28
		ब्लॉक शिकोहाबाद	57
		टाउन शिकोहाबाद	28
	तह0 शिकोहाबाद	**योग :-**	**113**
3	जसराना	ब्लॉक जसराना	20
		ब्लॉक एका	39
		टाउन जसराना	03
		टाउन फरिहा	01
	तह0 जसराना	**योग :-**	**63**
4	टुण्डला	ब्लॉक टुण्डला	44
		टाउन टुण्डला	05
	तह0 टुण्डला	**योग :-**	**49**
5	सिरसागंज	ब्लॉक अराव	24
		ब्लॉक मदनपुर	26
		टाउन सिरसागंज	02
	तह0 सिरसागंज	**योग :-**	**52**
		कुल योग	**532**

निदेशक, समाज कल्याण ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत तहसील/ब्लाक स्तर पर लम्बित 532 आवेदन-पत्रों पर जांचोपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों द्वारा 341 आवेदन-पत्रों को पात्र पाया गया है तथा 191 आवेदन-पत्रों को विभिन्न कारणों से अपात्र पाये जाने के कारण निरस्त किया जा चुका है। योजनान्तर्गत पात्र पाये

गये 341 आवेदन-पत्रों को जिला स्तरीय समिति से स्वीकृति के उपरान्त जनपदीय कोषागार से लाभार्थियों के बैंक खातों में ई-कुबेर के माध्यम से आर्थिक सहायता अन्तरित की जा चुकी है, जिनका तहसील/ ब्लाकवार विवरण निम्नवत् हैं :-

क्र0स0	तहसील का नाम	ब्लॉक/टाउन का नाम	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	निरस्त आवेदन पत्रों की संख्या
1	फिरोजाबाद	ब्लॉक फिरोजाबाद	18	08
		ब्लाक नारखी	12	21
		टाउन फिरोजाबाद	156	40
	तह0 फिरोजाबाद	**योग :-**	**186**	**69**
2	शिकोहाबाद	ब्लॉक खैरगढ़	13	15
		ब्लॉक शिकोहाबाद	33	24
		टाउन शिकोहाबाद	17	11
	तह0 शिकोहाबाद	**योग :-**	**83**	**50**
3	जसराना	ब्लॉक जसराना	15	05
		ब्लॉक एका	26	13
		टाउन जसराना	03	00
		टाउन फरिहा	01	00
	तह0 जसराना	**योग :-**	**45**	**18**
4	टुण्डला	ब्लॉक टुण्डला	16	28
		टाउन टुण्डला	01	04
	तह0 टुण्डला	**योग :-**	**17**	**32**
5	सिरसागंज	ब्लाक अराव	14	10
		ब्लॉक मदनपुर	15	11
		टाउन सिरसागंज	01	01
	तह0 सिरसागंज	**योग :-**	**30**	**22**
		कुल योग :-	**341**	**191**

उपरोक्तानुसार कार्यवाही की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक किसान सम्मान निधि प्राप्त करने से वंचित पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि दिलवाये जाने विषयक

68-**श्री मनीष असीजा-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 10 नवम्बर, 2020 तक कितने कृषक किसान सम्मान निधि प्राप्त करने से वंचित रह गए है ? क्या सरकार

वंचित पात्र किसानों को किसान सम्मान निधि दिलवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

10 नवम्बर, 2020 तक कुल 209975 कृषकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत कम से कम एक किस्त का लाभ दिया जा चुका है।

दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक 218559 कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। इनवैलिड आधार, आधार के अनुसार नाम गलत एवं ओपनसोर्स से पंजीकरण सम्बन्धी त्रुटियों के कारण कुल 29714 कृषक परिवार प्रभावित है, जिनके निराकरण की कार्यवाही क्रमिक है। योजनान्तर्गत अपवर्जन श्रेणी के कृषकों को छोड़कर सभी पात्र कृषकों को उनके पंजीकरण की तिथि से लाभ दिये जाने का प्राविधान है। योजना के प्राविधानानुसार नये कृषक अपना पंजीकरण जन सुविधा केन्द्र से कराते हुए योजना में शामिल हो सकते है।

जी हाँ।

त्रुटियों के निराकरण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2021 से 03 फरवरी, 2021 तक पी0एम0 किसान समाधान दिवस आयोजित किया गया था। उक्त अवधि में जनपद फिरोजाबाद में कुल 4105 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, उनमें से 1839 मामले निस्तारित किये गये एवं 2266 मामले लम्बित रहे, जिसके निस्तारण की प्रक्रिया क्रमिक है।

पुनः प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2021 से 03 मार्च, 2021 तक पी0एम0 किसान समाधान अभियान चलाया जा रहा है।

भुगतान की कार्यवाही क्रमिक है।

प्रश्न नहीं उठता है।

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत दि0 01-04-18 से 10-02-20 तक कराये गये शादी आयोजन व सरकार द्वारा आदेश दिये जाने विषयक

69-**श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत दिनांक 01-04-2018 से 10-02-2020 तक जनपद शाहजहांपुर में कितने सामूहिक विवाह किस स्थान पर किस विधान सभा क्षेत्र में समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कराये गये है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त जनपद में विधान सभा क्षेत्र कटरा में उपरोक्त वर्षों में कोई शादी समारोह उक्त योजना के अन्तर्गत नहीं कराये गये है ? क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कटरा मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत शादी समारोह कराने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

दिनांक 01-04-2018 से दिनांक 10-02-2020 तक जनपद शाहजहाँपुर में 1484 जोड़ों का मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह समारोह में कराया गया।

दिनांक 14-05-2018, दिनांक 10-12-2018 एवं दिनांक 14-11-2019 स्थल ओ0सी0एफ0 रामलीला मैदान विधान सभा क्षेत्र शाहजहांपुर एवं दिनांक 09-02-2019, दिनांक 16-06-2019 स्थल कृषि उत्पादन मण्डी समिति, रौजा विधान सभा क्षेत्र शाहजहांपुर में मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन जनपद स्तर पर किया गया।

दिनांक 07-07-2019 एवं दिनांक 24-11-2019 को स्थल-कांट विधान सभा क्षेत्र ददरौल तथा स्थल-निगोही विधान सभा तिलहर में सम्पन्न कराये गये।

जी हाँ।

विधान सभा क्षेत्र कटरा में दिनांक 16-02-2021 को मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कुल 30 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

70- **श्री नाहिद हसन-**

[दिनांक 24-02-2021 को अतारंकित प्र0स0-193 के अन्तर्गत उत्तरित]

71- **श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

[20-11-2020 71 राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

72- **श्री मनीष असीजा-**

[01-सोमवार के अतारांकित प्र0सं0-158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में शादी अनुदान योजना में त्रुटिवश 2 बार आवेदन हो जाने पर किसी एक आवेदन को स्वीकृत करने पर विचार विषयक

73-**श्री मनीष असीजा-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत एस0सी0/एस0टी0 अथवा सामान्य वर्ग के गरीब आवेदन-कर्ता द्वारा त्रुटिवश दो बार आवेदन हो जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार त्रुटिवश 2 बार आवेदन हो जाने पर उसे निरस्त करने के स्थान पर पात्रता श्रेणी के आधार पर किसी एक आवेदन को स्वीकृत करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना में अनुदान हेतु आवेदनकर्ता अपनी दो पुत्रियों के विवाह हेतु आवेदन कर सकता है ?

श्री रमापति शास्त्री

जी नहीं।

शादी अनुदान योजनान्तर्गत एस0सी0/एस0टी0 अथवा सामान्य वर्ग के गरीब आवेदनकर्ताओं द्वारा दो आवेदन करने की स्थिति में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/उप

जिलाधिकारी द्वारा आवेदन-पत्रों का परीक्षण कर एक आवेदन-पत्र को अनुमोदित/अग्रसारित किया जाता है तथा उसी आवेदक का दूसरा आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में एक ही आवेदन-पत्र पी0एफ0एम0एस0 पर जाता है। अतः आवेदन पत्र डुप्लीकेट एकाउन्ट के कारण निरस्त नहीं होता है तथा इस सम्बन्ध में शादी अनुदान पोर्टल के सॉफ्टवेयर में एन0आई0सी0 द्वारा खाता संशोधन का आप्शन समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन में उसी आवेदक का अन्य खाता अपडेट करने की व्यवस्था उपलब्ध करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

शासनादेशानुसार एक ही व्यक्ति के दो पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान अनुमन्य है।

प्रदेश में वित्तविहीन शिक्षण संस्थानों में पूर्व की भांति निःशुल्क प्रवेश की सुविधा प्रदान करने पर विचार करने विषयक

74-**श्री मनीष असीजा-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या के सापेक्ष प्रदेश में संचालित राजकीय/सहायता प्राप्त संस्थानों में स्वीकृत सीटों की संख्या कम होने से व्यवसायिक पाठ्यक्रमों/अन्य पाठ्यक्रमों में पढ़ने के इच्छुक एससी/एसटी वर्ग के गरीब मेधावी छात्र/छात्राएँ वित्तविहीन संस्थानों में अत्यधिक बड़ी धनराशि का अग्रिम शुल्क नहीं भर पाने के कारण अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने से वंचित रह जाते है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार वित्तविहीन शिक्षण संस्थानों में पूर्व की भांति निःशुल्क प्रवेश की सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के समस्त पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को छात्रवृति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उनके बैंक खातों में अन्तरित किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिये जाने व जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना व किरतपुर में स्टेडियम बनवाने की योजना विषयक

75-**श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन देने, स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने तथा स्टेडियम और सेन्टर ऑफ एक्सिलेंस स्थापित करने की

योजना सरकार की है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा नगीना एवं किरतपुर में स्टेडियम बनवाएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

प्रदेश में स्पोर्टस को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा खेल विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही है :-

खेल विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाएं :-

1- प्रशिक्षण

2- आवासीय क्रीड़ा छात्रावास

3- प्रतियोगिता

4- विशेष प्रशिक्षण शिविर एवं किट की व्यवस्था

5- लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार

6- राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार

7- प्रदेश के भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को पहलवानों को वित्तीय सहायता

8- स्पोर्ट्स कॉलेजेज

9- प्रदेशीय क्रीड़ा संघों/क्लबों एवं समितियों को अनुदान

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 71 स्टेडियम निर्मित हैं, जहां तक सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्स का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खेलों को प्रोत्साहन देने की दिशा में तथा खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से प्रदेश में 16 खेलों में 19 जनपदों में कुल 890(670 बालक एवं 220 बालिका) खिलाड़ियों का 44 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। आवासीय छात्रावास के अन्तर्गत रहने वाले खिलाड़ियों को रु0 250 प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी की दर से भोजन, आवासीय सुविधा, शिक्षा, चिकित्सा, खेल किट उपकरण आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

इसके अतिरिक्त 03 स्पोर्ट्स कालेज क्रमशः गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर एवं मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कालेज, सैफई (इटावा) की स्थापना की गयी है। इन कालेजों में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के 12 वर्ष की आयु के बच्चों का चयन कर प्रवेश दिया जाता है और उनके अध्ययन तथा विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था इसी आवासीय संस्था में एक स्थान पर की जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में खेल विभाग द्वारा पूर्व से ही एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कराया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत मुख्य खेल मैदान, प्रशासनिक भवन, बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल, बास्केटबाल कोर्ट सीमेंटेड, शूटिंग रेंज एवं तरणताल निर्मित है।

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत दि0 01-04-18 से 10-02-20 तक कराये गये शादी आयोजन व सरकार द्वारा आदेश दिये जाने विषयक

76- **श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'**-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 तथा माह फरवरी, 2020 में कितनी धनराशि का आवंटन जिला समाज कल्याण अधिकारी शाहजहांपुर को किया गया तथा समाज कल्याण अधिकारी ने किन विवाहित जोड़ों को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की ? क्या सरकार उक्त विवाहित जोड़ों के नाम पिता/पति का नाम की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में धनराशि रु0 3,14,53,500/- (रु0 तीन करोड़ चौदह लाख तिरपन हजार पांच सौ मात्र) का आवंटन हुआ तथा माह फरवरी, 2020 में धनराशि का कोई भी आवंटन नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 272 जोड़ों पर रु0 314.36 लाख (रु0 तीन करोड़ चौदह लाख छत्तीस हजार मात्र) व्यय हुआ, जिसमें से 496 जोड़ों पर शासनादेश दिनांक 12-10-2017 के क्रम में रु0 35,000/- (रु0 पैतीस हजार मात्र) की दर से रु0 173.60 लाख (रु0 एक करोड़ तिहत्तर लाख साठ हजार मात्र) तथा 276 जोड़ों पर शासनादेश दिनांक 06-02-2019 के क्रम में रु0 51,000/- (रु0 इक्यावन हजार मात्र) की दर से रु0 140.76 लाख (रु0 एक करोड़ चालीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) व्यय किया गया है।

जी हाँ।

सूची संलग्न है।

सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में एन0एम0एस0ए0 योजनान्तर्गत अपात्रों को लाभान्वित करने की जांच व दोषियों से धन वसूली व कार्रवाई विषयक

77-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद झांसी में एन0एम0एस0ए0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 तथा 2019-20 में कतिपय अपात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अधिकारियों को

संलिप्तता की जांच कराते हेतु दोषियों से धन वसूली की कार्रवाई करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही

भूमि संरक्षण इकाई जनपद-झांसी में योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कतिपय शिकायत प्राप्त हुई है।

जांच प्रक्रियाधीन है।

जांच प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता है।

78- **श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस-**

[26-11-2020 विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

79- **श्री जवाहर लाल राजपूत-**

[दिनांक 24-02-2021 को अतारांकित प्र0स0-188 के अन्तर्गत उत्तरित, 26-11-2020]

प्रदेश में उर्वरक दवाओं व बीज आदि के नमूने लेकर जांच करने व इस हेतु कार्रवाई किये जाने विषयक

80- **श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में 42 हजार से अधिक डीलर तथा 12000 कीटनाशक दवाओं के विक्रेता है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2018-19 में 12000 नमूने उर्वरक के लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? यदि हाँ, तो कितने उर्वरकों, दवाओं व बीज आदि के नमूने लिए गये तथा कितने पर कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

जी हाँ।

उर्वरकों, दवाओं व बीज आदि के लिए गए नमूनों पर की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:-

नाम	ग्रहित नमूनों की संख्या	की गयी कार्यवाही की संख्या
उर्वरक	11057	930
कृषि रक्षा रसायन	6828	448
बीज	10685	197

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर विधान सभा क्षेत्र नगीना में धान अनुसंधान केंद्र में नये कृषि विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में

81-**श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में स्थित धान अनुसंधान केंद्र में नया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

वर्तमान में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में चार कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/अयोध्या/मेरठ/बांदा स्थापित हैं। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) जनपद आजमगढ़ तथा कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) जनपद लखीमपुर-खीरी में पठन-पाठन प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद गोण्डा में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) निर्माणाधीन है। सम्प्रति उक्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों एवं इनके अन्तर्गत नवनिर्मित महाविद्यालयों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं आदि की व्यवस्था एवं इनको सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत जनपद बिजनौर में कृषि विश्वविद्यालय खोलने पर विचार किये जाने का अवसर नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु योजना के सम्बन्ध में

82-**श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने हेक्टेयर भूमि वर्तमान में बंजर है ? क्या सरकार उक्त बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 के वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में भूमि उपयोगिता के लिए प्रतिवेदन क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है जिसमें से बंजर भूमि 24.96 लाख हेक्टेयर (ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि 4.61 लाख हेक्टेयर, कृषि बेकार भूमि 4.05 लाख हेक्टेयर, वर्तमान परती 11.21 लाख हेक्टेयर अन्य परती 5.09 लाख हेक्टेयर) है।

प्रदेश में बीहड़/बंजर तथा जलभराव क्षेत्रों के सुधार हेतु राज्य पोषित पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक अनुमोदित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

83-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[01 सोमवार के अतारांकित प्र0सं0-155 के अन्तर्गत स्थानान्तरिता]

84-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

[दिनांक 24-02-2021 को अतारांकित प्र0स0-189 के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद झांसी के तहसील गरौठा में वर्ष 2019-20 में किसानों को फसल बीमा अन्तर्गत भुगतान कराये जाने विषयक

85-**श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा तहसील में वर्ष 2019-20 व 2020-21 में कम वर्षा होने के कारण किसानों की खरीफ फसल तिल, मूंग, उरद, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, धान आदि की फसल 80-90 प्रतिशत तक बर्बाद होने के कारण किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा के अन्तर्गत प्रभावित शत-प्रतिशत किसानों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वंचित किसानों को बीमा का भुगतान कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर तहसील गरौठा में वर्ष 2019-20 के खरीफ मौसम में 0.43 लाख बीमित कृषकों को रुपये 7872.10 लाख की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।

तहसील गरौठा में वर्ष 2020-21 के खरीफ मौसम में 0.65 लाख कृषकों द्वारा बीमा कराया गया। मध्यावस्था/स्थानिक आपदा के अन्तर्गत 61 बीमित कृषकों को 0.41 लाख की आंशिक क्षतिपूर्ति की गई।

अन्तिम क्षतिपूर्ति का भुगतान मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर नियमानुसार आंकलित करते हुए किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

86-श्री जवाहर लाल राजपूत-

[दिनांक 24-02-2021 की अतारांकित प्र0स0-187 के अन्तर्गत उत्तरित]

87-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्ता]

जनपद बागपत विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में दिव्यांगों को ट्राई साइकिल अथवा मोटर चालित ट्राई साइकिल देने विषयक

88-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में किस ग्राम के किन दिव्यांग व्यक्तियों को ट्राई साइकिल अथवा मोटर चालित ट्राई साइकिल दी गयी है तथा किस ग्राम में किन दिव्यांगों को दिया जाना शेष है ? क्या सरकार शेष दिव्यांगों को ट्राई साइकिल अथवा मोटर चालित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जनपद-बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में वर्ष 2017-18 व 2018-19 में संलग्न सूची के उल्लिखित ग्रामों के क्रमशः 29 व 33 दिव्यांगजन को हस्तचालित ट्राईसाइकिल प्रदान की गयी है।

जनपद-बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत के किसी भी ग्राम सभा में ट्राईसाइकिल दिये जाने का आवेदन लम्बित नहीं है।

दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया जाना उनकी मांग, आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में वर्ष 2017-18 में कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनान्तर्गत ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये गये लाभार्थियों की सूची

जनपद-बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में वर्ष 2018-19 में कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनान्तर्गत ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये गये लाभार्थियों की सूची :-

क्र0स0	ग्राम सभा का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	उपकरण का नाम
1	2	3	4	5
1	लोहड्डा	ममता	सलवीर	ट्राईसाईकिल
2	लोयन	गौरव	जगदीश	ट्राईसाईकिल
3		शिव कुमार	जगदीश	ट्राईसाईकिल
4		असलम	यूसुफ	ट्राईसाईकिल
5		जितेन्द्र कुमार	भंवर सिंह	ट्राईसाईकिल

क्र0स0	ग्राम सभा का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	उपकरण का नाम
1	2	3	4	5
6		कालू	इन्द्रपाल सिंह	ट्राईसाईकिल
7		संजीव कुमार	ओम प्रकाश सिंह	ट्राईसाईकिल
8	गुराना	कान्ता देवी	राम कुमार	ट्राईसाईकिल
9		बाबूराम	रामछैल	ट्राईसाईकिल
10	आसफपुर खड़खड़ी	मोमिन	तराबुद्दीन	ट्राईसाईकिल
11	अंगदपुर (जोहड़ी)	प्रवेज	यामीन	ट्राईसाईकिल
12		नीरज कुमार	रणबीर	ट्राईसाईकिल
13	अंगदपुर	कृष्णपाल	पीतम सिंह	ट्राईसाईकिल
14		अलिताब	साफिक खाँ	ट्राईसाईकिल
15	बड़ावद	राजवीर सिंह	बीरे	ट्राईसाईकिल
16		सोमेन्द्र	सोहनपाल	ट्राईसाईकिल
17	मलकपुर	श्रीमती कौशल	संजीव	ट्राईसाईकिल
18	गौरीपुर	पुष्पेन्द्र कुमार	जयपाल	ट्राईसाईकिल
19	खूबीपुर निवाड़ा	कविता	हरबीर	ट्राईसाईकिल
20		बब्लू	रामधारी	ट्राईसाईकिल
21		भीमापाल	श्री प्रेम	ट्राईसाईकिल
22	निवाड़ा	अब्बास	मंगला	ट्राईसाईकिल
23		सत्तार	अमीन खान	ट्राईसाईकिल
24	लधवाड़ी	बेबी	राजेन्द्र	ट्राईसाईकिल
25	काशीराम कालोनी	साजिदा	मो0 ताहिर	ट्राईसाईकिल
26	बड़ौत	ओमदत्त	लकीराम	ट्राईसाईकिल
27	पठानकोट बड़ौत	अकबर अली	अयूब अली	ट्राईसाईकिल
28		श्रीमती सबिना	इसराईल	ट्राईसाईकिल
29	पट्टी चैधरान बड़ौत	रहीश अहमद	शभीर अहमद	ट्राईसाईकिल

क्र0स0	ग्राम सभा का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	उपकरण का नाम
1	2	3	4	5
जनपद-बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में वर्ष 2018-19 में कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनान्तर्गत ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये गये लाभार्थियों की सूची :-				
1	अहमदपुर शाहपुर पढडा	लियाकत	शरीफ	ट्राईसाईकिल
2		अमित कुमार	रामधन सिंह	ट्राईसाईकिल
3		पिन्की	कपिल	ट्राईसाईकिल
4		रामपाल	मंगल	ट्राईसाईकिल
5	सिसाना	प्रमोद		ट्राईसाईकिल
6		सुभाष	लखी	ट्राईसाईकिल
7	जोहड़ी	मिन्टू	मांगेराम	ट्राईसाईकिल
8	राजपुर खामपुर	कमलेश	पालेराम	ट्राईसाईकिल
9	ग्यासीपुर उर्फ गाँधी	रीना	अरूण	ट्राईसाईकिल
10	इद्रीसपुर	हमीदा	गुलफाम	ट्राईसाईकिल
11	कोताना	सीमा	सूबे सिंह	ट्राईसाईकिल
12	अगदपुर	शहनवाज	फितेजुद्दीन	ट्राईसाईकिल
13		नसीमा	अब्बास	ट्राईसाईकिल
14		माने	दिलशाद	ट्राईसाईकिल
15	लधवाड़ी	बच्चन सिंह	कन्हैया लाल	ट्राईसाईकिल
16	हसनपुर जिवानी	सहेन्द्र पाल	जोधा सिंह	ट्राईसाईकिल
17	सादातपुर जोनमाना	अजय कुमार	साहब सिंह	ट्राईसाईकिल
18		इरफाना	भोला	ट्राईसाईकिल
19		सोनू	देशराज	ट्राईसाईकिल
20		साजिया	शब्बीर	ट्राईसाईकिल
21		मेहताब	मांगे	ट्राईसाईकिल
22	निवाड़ा	टीटू	सीताराम	ट्राईसाईकिल
23		सन्तो	रामपाल	ट्राईसाईकिल
24		अकिल	शराफत	ट्राईसाईकिल

क्र0स0	ग्राम सभा का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	उपकरण का नाम
1	2	3	4	5
25		हबीब	नजीर	ट्राईसाईकिल
26		बुर हसन	नजीर	ट्राईसाईकिल
27	खेड़ा इस्लामपुर	सागर	कमद सिंह	ट्राईसाईकिल
28		ओम प्रकाश	फेरू	ट्राईसाईकिल
29	लुहारी	चान्दो देवी	तेजपाल	ट्राईसाईकिल
30	बिजरौल	चमन	कबूल	ट्राईसाईकिल
31	जाफराबाद नगला	शमशाम	अलाउद्दीन	ट्राईसाईकिल
32		शबनम चौधरी	मो0 यामीन	ट्राईसाईकिल
33	नगरीय क्षेत्र बड़ौत	अंशू	इन्द्रपाल सिंह	ट्राईसाईकिल

89-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

कार्यालय महाप्रबन्धक जिला उद्योग केंद्र शाहजहांपुर द्वारा आई0जी0आर0एस0 सं0 18150200016388 पर शिकायत की जांच व विभिन्न ट्रेड की फर्जी ट्रेनिंग में भ्रष्टाचार विषयक

90-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री पोर्टल आई0जी0आर0एस0 संख्या-18150200016388 जो महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र शाहजहांपुर कार्यालय में ट्रेडों की ट्रेनिंग कार्यदायी संस्था से मिल कर फर्जी नामों से ट्रेनिंग कराना तथा अन्य भ्रष्टाचार की जांच विषयक है, की जांच प्रश्नकर्ता से साक्ष्य लेकर सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

संयुक्त आयुक्त उद्योग बरेली मण्डल, बरेली द्वारा प्रश्नगत शिकायत की जाँच दिनांक 25-01-2021 को जनपद शाहजहांपुर में की गई है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई तथा मै0 यूपिको द्वारा योजनान्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षार्थियों को टूलकिट का वितरण किया गया। ट्रेडों की ट्रेनिंग कार्यदायी संस्था से मिल कर फर्जी नामों से नहीं की गई है बल्कि प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित समय पर नामित संस्थाओं के माध्यम से ही कराये गये हैं।

जनपद में संचालित प्रशिक्षण योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के पदाधिकारियों को सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये है ताकि अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित कराये जाने का उद्देश्य पूर्ण हो।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में वर्ष 2020-21 में हुई कम वर्षा से 80-90 प्रतिशत फसल नुकसान का बीमा राशि का 25 प्रतिशत राहत किसानों को तत्काल उपलब्ध कराने विषयक

91-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में वर्ष 2020-21 में हुयी कम वर्षा से 80-90 प्रतिशत फसल के नुकसान का प्रधानमंत्री फसल बीमा के अन्तर्गत तत्काल 25 प्रतिशत राहत किसानों को दिलाये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-06759915 दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

जनपद झांसी में कार्यरत बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0 द्वारा खरीफ, 2020 मौसम में मध्यावस्था/स्थानिक आपदा के अन्तर्गत 75 बीमित कृषकों को रुपये 1.37 लाख की आंशिक क्षतिपूर्ति (तत्काल राहत) का भुगतान किया गया है।

अन्तिम क्षतिपूर्ति का भुगतान मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में एकीकृत योजनान्तर्गत विकास कार्य कराने हेतु दिये गये पत्र सं0 ख-6 न0 574558 पर कार्यवाही हेतु

92-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में एकीकृत योजनान्तर्गत विकास कार्य कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-6 न0 574558 दिनांक 19-06-2019 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड-सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत ग्राम-रसूलपुर रिठौरी, गांगरौल एवं फौलादपुर में विकास कार्यों हेतु कुल धनराशि रु0 106.02 लाख का प्रस्ताव निदेशक, समाज कल्याण के पत्रांक-541-42/स0क0/विकास/2019-2020, दिनांक 03-07-2019 द्वारा प्राप्त हुआ, जिसके क्रम में अवगत कराना है कि विचारोपरान्त ग्राम रसूलपुर रिठौरी के विकास कार्य हेतु प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चिन्हांकन करते हुये रु0 20.00 लाख (रु0 बीस लाख मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बाँदा में राज्यस्तरीय स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में

93-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुल्देलखंड क्षेत्र के जनपद-बाँदा में राज्यस्तरीय स्टेडियम का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राज्य योजना आयोग-1 योजना भवन, लखनऊ के अर्द्धशासकीय-पत्र संख्या-10(4)/35-1/2011-97, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा ग्रामीण स्टेडियम की योजना ड्रॉप कर दी गयी है।

वतर्मान में मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं तथा भारत सरकार द्वारा संचालित खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत खेल अवस्थापना सृजन का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में युवा कल्याण विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

जनपद लखनऊ के विधायक निवास दारूलशफा लखनऊ में आवंटित अवासों में सफाई के सम्बन्ध में

94-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास दारूलशफा लखनऊ में आवंटित विधायकों के निवास की सफाई व्यवस्था वर्तमान में सफाई कर्मियों के कमी के कारण सफाई कार्य नहीं हो पा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार कार्यदायी संस्था को सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने हेतु निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

विधायक निवास-1 खण्ड-अ/ब, 2 नया/पुराना दारुलशफा, लखनऊ में सफाई व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य जेम पोर्टल के माध्यम से चयनित फर्म द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार निर्धारित सर्विस स्कोप अर्थात इन्डोर एरिया, आउटडोर एरिया एवं हाईइन्टेंसिव एरिया के आधार पर दो पालियों में किया जा रहा है। अनुबन्ध में यद्यपि सफाई कर्मियों की संख्या नियत किए जाने की व्यवस्था नहीं है तथापि गुणवत्तापूर्ण सफाई कार्य हेतु क्षेत्रफल के अनुसार उचित संख्या में कार्मिक उपलब्ध कराए जाने का उल्लेख है। कार्यदायी संस्था द्वारा वर्तमान में 58 सफाई कर्मियों के माध्यम से यह कार्य कराया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक जनपद, तहसील एवं ब्लाक स्तर पर बिक्री (विपणन) केंद्रों की स्थापना एवं प्रचार-प्रसार करने विषयक

95-श्री मनीष असीजा-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये जैविक फल/सब्जियों की पैदावार करने वाले किसानों को चिन्हित/सूचीबद्ध करते हुये प्रदेश के प्रत्येक जनपद, तहसील एवं ब्लाक स्तर पर बिक्री (विपणन) केंद्रों की स्थापना करने एवं प्रचार-प्रसार करते हुये जैविक सब्जियों के उत्पादकों एवं खरीदारों के मध्य बाजार निर्मित करने पर सरकार विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उ0प्र0 द्वारा जैविक उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन करने के लिए लखनऊ स्थित किसान बाजार में वर्ष अक्टूबर, 2019 से माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार तथा रविवार को आर्गेनिक बाजार का आयोजन किसान बाजार, लखनऊ में किया जा रहा है।

लखनऊ की तर्ज पर प्रदेश के सभी मंडलों की प्रमुख मंडियों में जैविक उत्पादों के विपणन के प्रोत्साहन के लिए संप्रति आजमगढ़ मण्डल के अतिरिक्त अन्य 17 मंडलों में 18 स्थानों पर साप्ताहिक/पाक्षिक रूप से जैविक उत्पाद बाजार का आयोजन कर ऐसे उत्पादों के कृषकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।

मण्डी परिषद् द्वारा जैविक उत्पादों की टेस्टिंग की सुविधा को सर्व सुलभ करने के लिए खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग को भी रु0 16,91,18,771.00 की धनराशि मेरठ एवं वाराणसी में टेस्टिंग लैब के आधुनिकरण के लिए अनुदान के रूप में दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

96- श्री मनीष असीजा-

(एक से अधिक विभागों से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त।)

शिक्षा सत्र 2020-21 में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व शुल्क पूर्ति करने सम्बन्धी

97-श्री मौहम्मद फईम इरफान-

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र 2020-21 के दौरान पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जी हाँ, शिक्षा सत्र 2020-21 के दौरान पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान सरकार करेगी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के सम्बन्ध में नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत समय-सारिणी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद झांसी में खरीफ फसल के क्राप कटिंग प्रयोग पर फसलों के नुकसान का आंकड़ा प्राप्त करने विषयक

98-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में खरीफ फसल के क्राप कटिंग प्रयोग मौके पर सैटेलाइट/मोबाइल पर अपलोड करने एवं फसलों के नुकसान का सही आंकड़ा प्राप्त करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं-ख-6487977 दिनांक 16 अक्टूबर 2020 कृषि उत्पादन आयुक्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

फसलों के आच्छादन तथा उपज के सही आंकलन के सम्बन्ध में राजस्व कर्मियों के द्वारा स्मार्ट फोन के माध्यम से क्राप कटिंग प्रयोगों के सम्पादन हेतु कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निरन्तर निर्देशित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जनपद एवं तहसील स्तर पर राजस्व कार्मिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, झांसी को पृथक से भी निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में वि0स0क्षे0 रूधौली में खेलो इण्डिया के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर खेलकूद के लिए ब्लाक रामनगर सल्टौआ में खेल किट वितरण किये जाने विषयक

99-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में खेलो इन्डिया के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर खेलकूद के लिये युवक मंगल दल तथा महिला मंगल दल को खेल किट का विवरण ब्लाक रुधौली में किया गया किन्तु ब्लाक भानपुर सल्टौआ में वितरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ब्लाक राम नगर सल्टौआ में खेल किट वितरण किये जाने हेतु आदेशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

जी नहीं। खेलो इण्डिया के तहत खेल किट वितरण की कोई योजना प्रदेश में संचालित नहीं है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री वितरण योजना के अन्तर्गत जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के युवक मंगल दलों एवं महिला मंगल दलों को खेल किट का वितरण वर्ष 2019-20 के सापेक्ष किया जा चुका है।

अवगत कराना है कि भानपुर तहसील के सल्टौआ ब्लाक में खेल किट का वितरण अभी नहीं किया जा सका है।

ब्लाक राम नगर के युवक मंगल दलों एवं महिला मंगल दलों को खेल किट का वितरण वर्ष 2019-20 के सापेक्ष किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त ब्लाक सल्टौआ के युवक एवं महिला मंगल दलों को वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत खेल किटों का वितरण मा0 विधायक जी, विधान सभा क्षेत्र रूधौली से समय प्राप्त कर यथाशीघ्र करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ में नई कम्पनियों की बंद पड़ी मिलों की भूमि दिये जाने सम्बन्धी

100-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-6-नं0-429740 दिनांक 08-06-2020 जो कि जनपद मऊ में बन्द मिलों की भूमि नई कम्पनियों को एलाट करके उद्योगों को बढ़ावा देने सम्बन्धी है, प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी हां।

उक्त पत्र के क्रम में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0, कानपुर से प्रकरण में आख्या प्राप्त करते हुए परीक्षणोंपरान्त प्रकरण से सम्बंधित अद्यतन स्थिति/विवरण से मा0 सदस्य को औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के पत्र दिनांक 16-09-2020 द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

यूपी स्टेट स्पिनिंग मिल्स, परदहां-मऊ व स्वदेशी काटन मिल्स, मऊ की बंद इकाई की भूमि को नई कम्पनी को दिये जाने विषयक

101-श्री विजय कुमार राजभर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल्स परदहां-मऊ एवं स्वदेशी काटन मिल्स, मऊ की बन्द इकाइयों की निष्प्रयोज्य खाली भूमि को किसी नई कम्पनी को एलॉट करके उद्योग स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने हेतु औद्योगिक लैण्ड बैंक में वृद्धि हेतु गठित समिति के निर्णय के क्रम में उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम/स्पिनिंग/यार्न/सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की बन्द पड़ी कताई मिलों की भूमि को लैण्ड बैंक में लाए जाने हेतु उक्त मिलों पर बकाया देयता के सम्बन्ध में ओटीएस (एकमुश्त समाधान) की कार्यवाही किए जाने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में कम्पनी की वर्तमान देयताओं का अंतिम रूप से भुगतान कर भूमि का उचित उपयोग प्रदेश में औद्योगीकरण के बढ़ावा हेतु किया जा सकेगा, जिसमें उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0, कानपुर की परदहां (मऊ) इकाई भी सम्मिलित है। स्वदेशी काटन मिल्स, मऊ, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक उपक्रम है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में पूर्व समाज कल्याण अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा छात्रवृत्ति में हुए घोटाले सम्बन्धित

102-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 के मध्य जनपद मथुरा में समाज कल्याण अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कालेज प्रबन्धक समिति से मिलकर बड़े पैमाने पर छात्रवृत्ति में घोटाला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां, मथुरा के निजी आई0टी0आई0 शिक्षण संस्थाओं में छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी पाई गयी है।

जी हां।

प्रकरण की जाँच हेतु गठित 03 सदस्यीय जांच टीम की आख्या के आधार पर वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक अनियमित ढंग से संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के गबन के लिए 71 निजी आई0टी0आई0 शिक्षण संस्थाओं, समाज कल्याण विभाग के 11 अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य विभागों के 08 अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। समाज कल्याण विभाग के 04 अधिकारी/कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के वि0स0क्षे0 रुधौली के भानपुर त0 ग्राम जोगिया व रूधौली तहसील के ग्राम बेलौना सिरसिहवा में मिनी स्टेडियम के आगणन व निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर कार्यवाही के सम्बन्ध में

103-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10 जुलाई, 2020 जो भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली की भानपुर तहसील के ग्राम जोगिया तथा रुधौली तहसील के ग्राम बेलौना सिरसिहवा में मिनी स्टेडियम के आगणन एवं निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने विषयक है, महानिदेशक प्रान्तीय रक्षा दल/विकास दल एवं युवा कल्याण उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2020 प्राप्त हुआ है। इस क्रम में खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत खेल अवस्थापना सृजन हेतु भूमि युवा कल्याण के नाम दर्ज कराने एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों/आगणन की तीन प्रतियों सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बस्ती से महानिदेशालय युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2020 द्वारा अनुरोध किया गया है।

आई0जी0आर0एस0 सं0 18150200016368 मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय प्रकोष्ठ उ0प्र0 लखनऊ जिला उद्योग केंद्र शाहजहांपुर में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच कराने विषयक

104-श्री वीर विक्रम सिंह, 'प्रिंस'-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात एवं प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र आई0जी0आर0एस0 सं0-18150200016368 जो जिला उद्योग केन्द्र

शाहजहांपुर में भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में है पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

पत्र संख्या-6(2)/18-1-20-19(3)/19, दिनांक 01-6-2020 द्वारा अपर आयुक्त उद्योग (कार्मिक) उद्योग निदेशालय कानपुर को संदर्भित प्रकरण में जाँच अधिकारी नामित किया गया है। जाँच अधिकारी के पत्रांक-सी0-35, दिनांक 16-6-2020 द्वारा अपनी जांच आख्या के निष्कर्ष में भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होना नहीं पाया गया। अतः संदर्भित प्रकरण में संयुक्त आयुक्त उद्योग बरेली मण्डल, बरेली द्वारा जाँच की गई। जाँच अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक-1091, दिनांक 10-9-2020 द्वारा सभी प्रशिक्षण योजनाएं नियमानुसार पूर्ण करायी गयी है", के दृष्टिगत उद्योग निदेशालय कानपुर के पत्रांक 230, दिनांक 18-01-2021 द्वारा संयुक्त आयुक्त उद्योग, बरेली मण्डल, बरेली को पुनः जांच करने के निर्देश दिये गये। जाँच अधिकारी के पत्रांक-2613-14, दिनांक 11-02-2021 द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के निष्कर्ष में श्री दुर्गेश कुमार, प्रभारी उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, शाहजहांपुर को प्रशिक्षण योजनाओं के प्रचार-प्रसार में रुचि न लिये जाने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के टूल किट के क्रय एवं आपूर्ति कराये जाने में शिथिलता तथा प्रभावी अनुश्रवण न किया जाना पाया गया है। उक्त शिथिलता हेतु श्री दुर्गेश कुमार, प्रभारी उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, शाहजहांपुर को आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, निदेशालय कानपुर के पत्रांक-2057, दिनांक 22-02-2021 द्वारा भर्त्सना प्रविष्टि निर्गत की गई है।

उपरोक्तानुसार।

मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में जनपद शाहजहांपुर में 712 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न कराये जाने विषयक

105-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में जनपद शाहजहांपुर में तीन करोड़ तिरसठ लाख बारह हजार की धनराशि उपरोक्त योजना में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय शाहजहांपुर को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सात सौ बारह जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न कराया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र कटरा में कोई भी विवाह उक्त योजना के अन्तर्गत सम्पन्न नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कटरा में भी सामूहिक विवाह कार्यक्रम सम्पन्न कराने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

जी हाँ।

विधान सभा क्षेत्र कटरा में दिनांक 16-02-2021 को मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कुल 30 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2017 से 01-01-2021 तक स्थापित उद्योगों व पलायन करने वाले उद्योगों विषयक

106-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2017 से 01 जनवरी, 2021 तक कितने उद्योग स्थापित हुए है तथा कितने उद्योग का पलायन हुआ है ? क्या सरकार ने जनपद आजमगढ़ में नये उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री सतीश महाना-

उद्योग आधार/उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण के आधार पर जनपद आजमगढ़ में अप्रैल, 2017 से जनवरी, 2021 तक कुल 6654 सूक्ष्म एवं लघु इकाइयॉ लगी है तथा वर्ष 2017 से दिनांक 01 जनवरी, 2021 के मध्य कोई भारी उद्योग की स्थापना नहीं की गयी है एवं इस जनपद में कोई भी उद्योग पलायन नहीं हुआ है।

उद्योगों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति- 2017, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति-2017 द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था की गयी है। सरकार द्वारा निवेश मित्र पोर्टल द्वारा समयबद्ध अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने तथा एमएसएमई ऐक्ट 2020 द्वारा 72 घंटे के अन्दर अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था की गयी है।

उपर्युक्त विवरण पूर्ण एवं स्वतः स्पष्ट है, अतः इसके दृष्टिगत इसे सदन के पटल पर रखने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

107-श्री विजय कुमार राजभर-

(दिनांक 24-02-2021 को अतारांकित प्र0स0-190 के अन्तर्गत उत्तरित)

प्रदेश में गौमूत्र से औषधि व अन्य सामग्री बनाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने विषयक

108-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गौमूत्र से बनने वाली औषधि व अन्य सामग्री बनाने वाली उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की कोई

कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्रदेश में अधिकाधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों की स्थापना हेतु उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 के माध्यम से इकाइयों को विभिन्न सुविधायें/सहायतायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों की स्थापना हेतु 15 से 35 प्रतिशत तक का अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। गोमूत्र से औषधियां व अन्य सामग्री बनाने वाली इकाइयां भी इन योजनाओं के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की विधान सभा क्षेत्र गरौठा की तहसील मोठ में चावल मिल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में

109-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र की मोंठ तहसील में बासमती धान 1509 धान की पैदावार अधिक मात्रा में होती है किन्तु क्षेत्र में चावल मिल न होने के कारण किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो किसानों के हित में उक्त क्षेत्र में चावल मिल स्थापित कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत उनकी फसलों का क्रय किया जाता है।

जनपद झांसी में फसल धान के अन्तर्गत वर्ष 2019 में 8485 हे0 और वर्ष 2020 में 8758 हे0 का आच्छादन हुआ।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत सामान्य धान का क्रय रुपये 1868/- प्रति कुं0 एवं धान ग्रेड-ए का क्रय रुपये 1888/- प्रतिकुंतल की दर से करते हुए जनपद झांसी में दिनांक 19 फरवरी, 2021 तक कुल 628.32 मी0 टन धान की खरीद की गयी।

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जिसमें चावल मिल भी सम्मिलित है, की स्थापना/तकनीकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण हेतु वित्तीय सहायता अनुमन्य किए जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला कृषि अधिकारी कार्यालय, सुल्तानपुर में 14 कॉलम की सूचना एवं बैलेंस शीट नहीं बनाये जाने के सम्बन्ध में

110-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के संज्ञान में है कि जिला कृषि अधिकारी कार्यालय सुल्तानपुर में 14 कॉलम की सूचना एवं बैलेंस शीट नहीं बनायी गयी है ? यदि हां, तो कब से तथा उक्त सूचना एवं बैलेंसशीट नहीं बनाये जाने के कारण कितनी शासकीय धनराशि की क्षति हुई है ? क्या सरकार उक्त हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं। जिला कृषि अधिकारी कार्यालय सुल्तानपुर में 14 कॉलम की सूचना प्रत्येक माह बनायी गयी है एवं वर्ष 2008-09 तक की बैलेन्स शीट तैयार की गयी है। वर्ष 2009 में जनपद सुल्तानपुर के कट कर अमेठी जनपद बन जाने के कारण जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड यथा अमेठी, संग्रामपुर, भेटुआ, भादर, मुसाफिरखाना, जगदीशपुर, गौरीगंज एवं बाजार शुक्ल में स्थित राजकीय बीज भण्डार के अमेठी जनपद में चले जाने के कारण बैलेन्स शीट नहीं तैयार करायी जा सकी, जिसे तैयार कराये जाने का कार्य क्रमिक है।

14 कॉलम की सूचना में बीजों की प्राप्ति बिक्री एवं ब्रिकी के सापेक्ष जमा धनराशि का विवरण अंकित रहता है, जिसका सत्यापन राजकीय कोषागार से कराया गया है, जिसके आधार पर स्पष्ट है कि जनपद में कोई भी शासकीय क्षति नहीं हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गौतमबुद्धनगर की ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तथा नोएडा प्राधिकरण में भी यमुना प्राधिकरण की भांति किसानों के बच्चों हेतु 40 प्रतिशत आरक्षण लागू करने विषयक

111-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना प्राधिकरण जनपद गौतमबुद्धनगर में जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण उद्योगों के लिए किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त किसानों के बच्चों को उक्त उद्योगों में 40 प्रतिशत का आरक्षण (कोटा) यमुना प्राधिकरण ने दिया है ? क्या सरकार जनपद गौतमबुद्धनगर की ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण तथा नोएडा प्राधिकरण में भी यमुना प्राधिकरण की भांति किसानों के बच्चों का 40 प्रतिशत कोटा (आरक्षण) लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की नीति के अनुसार स्थानीय लोगों को नौकरी दिये जाने हेतु स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाई में उपलब्ध कुल रोजगार का कम से कम 20 प्रतिशत तक रोजगार दिये जाने का प्राविधान है तथा 40 प्रतिशत तक रोजगार उपलब्ध कराने वाली कम्पनी को भूमि आवंटन में प्राथमिकता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। यह प्राविधान सितम्बर, 2017 के बाद हुए औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन पर लागू है। जी नहीं नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की आवंटन नीति के अनुसार 4000 वर्ग मीटर से ऊपर के भूखण्डों के आवंटन हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के सदस्य, विधान सभा श्री दल बहादुर द्वारा दिनांक 22-01-2020 व 14-02-2020 पर कार्यवाही हेतु

112-श्री राम नरेश रावत-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बलराम सिंह पुत्र स्वर्गीय बाबू सिंह निवासी ग्राम हथिगांव मजरे भीतरगांव, तहसील-लालगंज जनपद रायबरेली द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड संख्या 5040050000/1205 के अन्तर्गत दिनांक 30-09-2014 को लिए गए ऋण रुपया-95000.00 को सरकार की ऋण माफी योजना, 2017 के तहत माफ करने तथा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, भीतरगांव जनपद रायबरेली के कर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के सम्बन्ध में श्री दल बहादुर, सदस्य, विधान सभा सलौन जनपद-रायबरेली के पत्रांक 314 दिनांक 22-01-2020, पत्रांक 18 दिनांक 14-02-2020 तथा पत्रांक 812 दिनांक 25-09-2020 जिलाधिकारी रायबरेली को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हाँ।

मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2020 जिलाधिकारी, रायबरेली को प्राप्त हुआ है।

मा0 सदस्य विधान सभा क्षेत्र सलोन जनपद रायबरेली का पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2020 जिलाधिकारी रायबरेली के कार्यालय में प्राप्त होने के उपरान्त अग्रणी जिला प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा/सम्बन्धित बैंक के स्टेटमेंट की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि श्री बलराम सिंह पुत्र स्वर्गीय बाबू सिंह निवासी ग्राम हथिगांव मजरे भीतरगांव, तहसील लालगंज जनपद रायबरेली का के0सी0सी0 ऋण खाता एक वर्ष से अधिक समय से ओवरड्यू था तथा दिनांक 03 अक्टूबर,

2016 को स्वयं इनके द्वारा बैंक शाखा में आकर रुपये 108000/- की धनराशि जमा करने के पश्चात पुनः दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 को बैंक से धनराशि निकाली गयी।

फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत पोर्टल पर के0सी0सी0 संख्या 50400500001205 को बैंक द्वारा देयता शून्य तथा फिल्टर 09 (आउटस्टैण्डिंग रिपेमेंट एमाउन्ट=0) के अन्तर्गत होने के कारण उक्त कृषक ऋण मोचन योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर ग्राम याकूबपुर खसरा सं 40,102 नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि का मुआवजा व आवासीय भूखण्ड के भुगतान प्रकरण की जांच विषयक

113-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के ग्राम याकूबपुर के खसरा नं0-40, 102, नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि का मुआवजा एवं आवासीय भूखण्ड उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका सं0-52153/2011 के बाद भी कतिपय खातेदार को भुगतानित कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार का उच्च न्यायालय के रिट सं0-17716/2012 दिनांक 10/04/2012 के आदेशानुसार उक्त के अन्य सहखातेदारों को भी प्रश्नगत प्रकरण के खसरा सं0-101,137 जो कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि है का मुआवजा एवं आवासीय भूखण्ड का भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में भुगतान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

रिट याचिका सं0-52153/2011 के (दिनांक 31-03-2015 से 10-05-2016) निरस्त होने के उपरान्त खसरा सं0-40म व 102 की भूमि के कुछ सहखातेदारों की आबादी/(अतिक्रमण) को विनियमित पाया गया। तदनुक्रम में मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका सं0 17716/2012 एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-22462/2013 में पारित आदेशों से आच्छादित खसरा सं0-102 व 137 की भूमि के सापेक्ष कतिपय सहखातेदारों को 10/5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखण्ड के समतुल्य धनराशि का लाभ प्रदान किया गया है। याचिका के सहयाची श्री फोहन पुत्र श्री चन्दरमल का, नोएडा की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त खसरा सं0-40म व 102 पर अतिक्रमण होने तथा वर्तमान में पुनर्स्थापित याचिका सं0-52153/2011 लम्बित होने के कारण लाभ प्रदान नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 विक्रमादित्य मौर्य स0वि0प0 के पत्र दिनांक 02-01-2019 आई0जी0आर0एस0 सं0 18155190001803 पर कार्यवाही विषयक

114-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री विक्रमादित्य मौर्य, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 02-01-2019 आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या-18155190001803 जो वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अनियमितताओं की जांच किये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जी हाँ।

श्री विक्रमादित्य मौर्य, मा0 सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 02-01-2019 में उल्लिखित बिन्दुओं की निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0, लखनऊ के आदेश संख्या-डी0एच0-152, दिनांक 14-06-2019 द्वारा बायोकेमिस्ट, श्रेणी-1 मौन विशेषज्ञ (मु0) एवं सहायक लेखाधिकारी की तीन सदस्यीय संयुक्त जांच समिति से प्रारम्भिक जांच करायी गयी। संयुक्त जांच समिति की जांच आख्या दिनांक 31-07-2019 एवं 27-08-2019 में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के प्राविधानों के अनुसार विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन विशिष्ट अतिथि गृह, डालीबाग, लखनऊ की विद्युत सप्लाई विषयक

115-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पति विभाग के अधीन विशिष्ट अतिथि गृह डालीबाग लखनऊ की विद्युत सप्लाई हेतु कितने एच0पी0 का जनरेटर कब स्थापित किया गया है ? तथा उक्त जनरेटर से किन-किन स्थानों पर विद्युत आपूर्ति की जाती है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त जनरेटर द्वारा एक घण्टे की विद्युत आपूर्ति हेतु कितने लीटर डीजल की खपत होती है तथा उक्त जनरेटर को संचालित किये जाने हेतु प्रतिमाह कितने लीटर डीजल वर्तमान में सम्बंधित ईकाई को उपलब्ध कराया जाता है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राज्य सम्पति विभाग के अधीन विशिष्ट अतिथि गृह, डालीबाग, लखनऊ की वैकल्पिक विद्युत सप्लाई हेतु 42 एच0पी0 का जनरेटर वर्ष 2002 में स्थापित किया गया। उक्त जनरेटर से केवल विशिष्ट अतिथि गृह, डालीबाग, लखनऊ की वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति की जाती है।

उक्त जनरेटर द्वारा वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति एवं टेस्ट व ट्रॉयल करते समय एक घण्टे की अवधि में पांच लीटर डीजल की खपत होती है उक्त जनरेटर को संचालित किए जाने हेतु आवश्यकतानुसार डीजल सम्बन्धित इकाई को उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

राज्य सम्पत्ति विभाग, लखनऊ स्थित इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों को अवकाश के दौरान लॉकडाउन अवधि का वेतन भुगतान किये जाने विषयक

116-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग लखनऊ स्थित विभिन्न इकाइयों में कार्यरत तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो मार्च, 2020 में अवकाश लेकर मुख्यालय से बाहर गये थे किन्तु उक्त अवधि में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने से यातायात की सुविधा बंद हो जाने के कारण लॉकडाउन खुलने के उपरान्त ही कार्यालय में उपस्थित हो पाये थे को लॉकडाउन समयावधि का वेतन भुगतान सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राज्य सम्पति विभाग लखनऊ स्थित विभिन्न इकाइयों में कार्यरत तृतीय श्रेणी के कुल 08 कार्मिक एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 17 कार्मिक जो मार्च, 2020 में अवकाश लेकर मुख्यालय से बाहर गए थे, किन्तु उक्त अवधि में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने के कारण कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाए थे, को उक्त अवधि के वेतन भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बड़ौदा उ0प्र0 ग्रामीण बैंक भीतरगांव जनपद रायबरेली के कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक

117-श्री श्रीराम सोनकर-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-176/भा0ज0पा0/2020 दिनांक 18-12-2020 जो श्री बलराम सिंह पुत्र स्व0 बाबू सिंह नि0 ग्राम हथिगवां मजरे भीतरगांव तहसील लालगंज जनपद रायबरेली द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड से 5040050000/1205 के अन्तर्गत दिनांक 30-09-2014 को लिये गये ऋण रु0 95000/- को सरकार की ऋण माफी योजना 2017 के तहत माफ करने तथा बड़ौदा उ0प्र0 ग्रामीण बैंक भीतरगांव जनपद रायबरेली के कर्मियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

यद्यपि उक्त पत्र प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु प्रकरण की जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त अग्रणी जिला प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा/सम्बंधित बैंक के स्टेटमेंट की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि श्री बलराम सिंह पुत्र स्वर्गीय बाबू सिंह निवासी ग्राम हथिगांव मजरे भीतरगांव, तहसील लालगंज जनपद रायबरेली का के0सी0सी0 ऋण खाता एक वर्ष से अधिक समय से ओवरड्यू था तथा दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 को स्वयं इनके द्वारा बैंक शाखा में आकर रुपये 108000/- की धनराशि जमा करने के पश्चात पुनः दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 को बैंक से धनराशि निकाली गयी।

फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत पोर्टल पर के0सी0सी0 संख्या 50400500001205 को बैंक द्वारा देयता शून्य तथा फिल्टर 09 (आउटस्टैण्डिंग रिपेमेंट एमाउन्ट=0) के अन्तर्गत होने के कारण उक्त कृषक ऋण मोचन योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

आई0जी0आर0एस0 सं0 18157200053789 जनपद लखनऊ में राज्य संपत्ति विभाग के अधीन ट्रांजिट हास्टल डालीबाग में तैनात विद्युत अनुरक्षण खंड के अभियन्ताओं द्वारा लापरवाही किये जाने विषयक

118-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नील रतन सिंह पटेल सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 30-09-2020 आई0जी0आर0एस0 18157200053789 जो जिला लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन ट्रांजिट हास्टल डालीबाग में तैनात विद्युत खण्ड के अभियन्ताओं द्वारा सरकारी कार्यों में लापरवाही किये जाने के सम्बन्ध में है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रकरण की जांच हेतु अधिशासी अभियन्ता विद्युत अनुरक्षण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा जांच किये जाने हेतु जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच के दौरान स्थलीय निरीक्षण, अभिलेखीय परीक्षण में किसी भी अभियन्ता की लापरवाही प्रकट नहीं हुई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

119-श्री ओमकार सिंह-

(दिनांक 19-02-2021 को अतारांकित प्र0स0-156 के अन्तर्गत उत्तरित)

120-श्री मनोज कुमार पारस-

(दिनांक 19-02-2021 को अतारांकित प्र0स0-157 के अन्तर्गत उत्तरित)

जनपद अयोध्या के विकास खण्ड में आई0टी0आई0 भवन करसेण्डी सोहवाल का निर्माण हेतु

121-श्रीमती शोभा सिंह चौहान-

क्या व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या के सोहावल विकास खण्ड में निर्माणाधीन आई0टी0आई0 भवन बरसेण्डी सोहावल में मानक रहित सामग्री व पीली ईंट से निर्माण की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जी हाँ।

जी हाँ।

जांच आख्या प्राप्त होने के पश्चात।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों/वयस्कों के अभिभावकों को उनके इलाज हेतु कोई आर्थिक सहायता मुहैया करने के सम्बन्ध में

122-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों/वयस्कों के अभिभावकों को उनके इलाज हेतु कोई आर्थिक सहायता मुहैया करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं तो, क्यो ?

श्री अनिल राजभर-

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न विद्यालयों में मानसिक रूप से दिव्यांग छात्र/छात्राओं को अन्य दिव्यांग बच्चों की भांति निःशुल्क शिक्षा, आवासीय सुविधा एवं छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के 40 प्रतिशत व उससे अधिक की दिव्यांगता के एवं गरीबी रेखा के नीचे आने वाले दिव्यांगजनों को दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना के तहत रु0 500/- प्रति माह की दर से दिव्यांग पेंशन प्रदान की जाती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों/वयस्कों को प्रदेश के चिकित्सालयों में इलाज की सुविधा उपलब्ध है तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा अन्य दिव्यांगजन के साथ-साथ मानसिक रूप से मंदित दिव्यांगजनों के पुनर्वासन हेतु सुविधा प्रदान की जाती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों/वयस्कों के अभिभावकों को उनके इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की पृथक से कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील सदर के ग्राम लालऊ में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजनान्तर्गत 50 बालक क्षमता छात्रावास निर्माण हेतु कोई कार्य-योजना बनाने विषयक

123-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील सदर के ग्राम लालऊ में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजनान्तर्गत में 50 बालक क्षमता छात्रावास का निर्माण सरकार करवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजनान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद की तहसील सदर के ग्राम लालऊ में 50 छात्र क्षमता के छात्रावास निर्माण के सम्बन्ध में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पूर्व की भांति अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों एवं वित्त विहीन कॉलेजों, प्राइवेट कालेजों में स्कॉलरशिप के माध्यम से फीस जमा करने के सम्बन्ध में

124-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सरकारी डिग्री कॉलेजों, प्राइवेट कॉलेजों एवं वित्त विहीन कॉलेजों की फीस स्कॉलरशिप के माध्यम से जमा होती थी, परन्तु वर्तमान में उक्त फीस उनसे पहले जमा कराई जाती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्व की भांति उनकी फीस स्कॉलरशिप के माध्यम से जमा करायेगी ? यदि हाँ, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

केन्द्र पुरोनिधानित अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृति योजना की भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रख्यापित गाइड लाइन के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा वर्ष 2018-19 से राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य है। निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है।

पात्र एवं सही डाटा वाले सभी अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उनके बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से अन्तरित की जाती है। बैंक खाते में धनराशि आने के उपरान्त छात्र द्वारा स्वयं अपने शुल्क की धनराशि सम्बन्धित संस्थान में जमा करायी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विद्यार्थियों को आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 तथा अन्य एलाइड सेवाओं के अधिकारियों द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण/ सलाह प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में योजना पर विचार विषयक

125-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को जनपद में पदस्थ आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 तथा अन्य एलाइड सेवाओं के अधिकारियों द्वारा निःशुल्क साक्षात ऑनलाइन प्रशिक्षण/सलाह प्रदान किये जाने की कोई परियोजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

राज्य सरकार द्वारा मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, पी0सी0एस0, जे0ई0ई0, नीट, एन0डी0ए0 सी0डी0एस0 इत्यादि हेतु प्रतिभाशाली तथा उत्साही विद्यार्थियों की निःशुल्क साक्षात प्रशिक्षण/आनलाइन/ सलाह प्रदान किये जाने हेतु प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जाने विषयक योजना प्रारम्भ की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के मोंठ की कृषि उत्पादन मण्डी समिति की नीलामी प्रक्रिया में किसानों की उपज का समान मूल्य दिलाने विषयक

126-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के मोंठ की कृषि उत्पादन मण्डी समिति में किसानों की धान की उपज की नीलामी में कतिपय किसानों को उनकी उपज का अधिक दाम तथा कुछ किसानों को कम दाम की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जनपद झांसी में किसानों को समर्थन मूल्य प्राप्त होने के लिए क्रय केन्द्र खुलवाने विषयक मा0 विधायक का पत्र दिनांक 15-10-2020 प्राप्त हुआ है। जहां तक किसानों की उपज का अधिक एवं कम दाम की शिकायतों के सम्बन्ध में है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति मोंठ में किसानों द्वारा लाये गये कृषि उत्पादों की बिक्री मण्डी

समिति के कर्मचारियों, व्यापारियों एवं किसानों की उपस्थिति में दिन में दो बार प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक तथा अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक खुली नीलामी द्वारा करायी जाती है। मण्डी के लाइसेंसी व्यापारियों द्वारा लगायी गयी सर्वाधिक बोली पर किसानों की सहमति प्राप्त कर कृषकों के उत्पाद की तुलाई कर उसके मूल्य का भुगतान कृषकों को किया जाता है। इस सम्बन्ध में किसी भी किसान द्वारा कम मूल्य प्राप्त होने की शिकायत मण्डी समिति/मण्डी परिषद् स्तर पर नहीं की गई है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्रांक सं0-1918, दिनांक 26-03-2019 को प्रदेश के पिछड़ा वर्ग/अनु0 जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृति घोटाले की जांच कराने विषयक

127-पं0 राधा कृष्ण शर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्रांक-1918, दिनांक 26 मार्च, 2019 को सम्पूर्ण प्रदेश में पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक के छात्र-छात्राओं की छात्रवृति घोटाले की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु आदेश जारी हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच समिति गठित कर जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं, समाज कल्याण अनुभाग-3 का पत्रांक-1918, दिनांक 26 मार्च, 2019 को जारी नहीं हुआ है। बल्कि पत्र संख्या-1918/26-3-2019, दिनांक 26 अप्रैल, 2019 को जारी हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा नगीना में सहकारी कताई मिल को पुनः चालू कराने के सम्बन्ध में

128-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा नगीना में सहकारी कताई मिल को पुनः चालू करने की योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की सदस्य कताई मिल नगीना, जनपद-बिजनौर के समस्त श्रमिकों/कर्मचारियों द्वारा वी0आर0एस0 का हित लाभ प्राप्त कर लिया गया है। टेक्सटाइल उद्योग में व्याप्त भारी मन्दी के कारण कार्यशील पूंजी के अभाव में नगीना कताई मिल वर्ष 2000 में विधिक रूप से बन्द घोषित कर दी गयी। नगीना कताई मिल की सम्पत्तियां परिसमापक के अधीन हैं। टेक्सटाइल उद्योग में व्याप्त मन्दी एवं विपरीत बाजारीय परिस्थितियों तथा जर्जर वित्तीय स्थिति के कारण मिल के संचालन की कोई योजना नहीं है।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र बिठूर के अन्तर्गत मण्डी परिषद् की सड़कों का निर्माण कराने विषयक

129-श्री अभिजीत सिंह सांगा-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र बिठूर के अन्तर्गत मण्डी परिषद् की सड़कों का निर्माण न होने से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण समयबद्ध सीमा में करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

विधान सभा क्षेत्र बिठूर क्षेत्रान्तर्गत विगत तीन वर्षों 2017-18 में 38 नग सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 62.32 किमी0, वर्ष 2018-19 में 12 नग, लम्बाई 22.54 किमी0 तथा वर्ष 2019-20 में 06 नग, लम्बाई 5.80 किमी0 की मरम्मत का कार्य कराया गया है।

वर्तमान में गड्ढा मुक्तिकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में 03 नग पूर्व निर्मित सम्पर्क मार्गों की लम्बाई 3.60 किमी0 की मरम्मत कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, कानपुर नगर के स्तर से प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा में वर्ष 2015-16 से 2019-20 के मध्य समाज कल्याण विभाग में गरीबों को दिये जाने वाले पैसे में भ्रष्टाचार की जांच व कार्रवाई विषयक

130-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में वर्ष 2015-16 से 2019-20 के मध्य समाज कल्याण विभाग में गरीबों को दिये जाने वाले पैसे का अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा करोडों रुपये का भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

मथुरा के आई0टी0आई0 के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी पाई गई है।

जी हां।

प्रकरण की जांच हेतु गठित 03 सदस्यीय जांच टीम की आख्या के आधार पर वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक अनियमित ढंग से संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के गबन के लिए 71 निजी आई0टी0आई0 शिक्षण संस्थाओं, समाज कल्याण विभाग के 11 अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य विभागों के 08 अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। समाज कल्याण विभाग के 04 अधिकारी/कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

आई0जी0आर0एस0 सं0-19000200054396 राज्य सम्पत्ति विभाग, लखनऊ की ट्रांजिट हॉस्टल, डालीबाग व वीआईपी गेस्ट हाउस में विद्युत उपकरण व इलेक्ट्रानिक सामानों की बिना नीलामी के बिक्री कराये जाने के सम्बन्ध में जांच विषयक

131-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कौशल किशोर, संसद सदस्य, लोक सभा का पत्र दिनांक 03-10-2020 आई0जी0आर0एस0 सं0-19000200054396 जोकि राज्य सम्पत्ति विभाग, लखनऊ ट्रांजिट हॉस्टल डालीबाग एवं वी0आई0पी0 गेस्ट हाउस में लो0नि0 वि0 (वि0) के अधिकारियों के द्वारा विद्युत उपकरण/संयंत्र लगाने तथा इलेक्ट्रानिक सामानों के विक्रय बिना नीलामी के की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रकरण की जांच हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत अनुरक्षण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच के दौरान स्थलीय निरीक्षण, अभिलेखीय परीक्षण में किसी भी अभियन्ता की लापरवाही प्रकट नहीं हुई है तथा कार्य स्थल पर पड़ी निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण हेतु नियमानुसार ई-नीलामी की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

एस0सी0/एस0टी0 के विरुद्ध हत्या के अपराध में पीड़ित को 5000 रुपये प्रतिमाह दिलाये जाने विषयक

132-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध हत्या के अपराध में पीड़ित को 5000 रुपये प्रतिमाह दिलाये जाने हेतु केन्द्र

सरकार की नियमावली में प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रावधान के अन्तर्गत प्रदेश में पीड़ितों को 5000 रु0 प्रतिमाह दिलाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-118/2016/1405/26-3-2016-4 (256)/1994, दिनांक 14 जून, 2016 में मृतक की विधवा या अन्य आश्रितों को रु0 5000/-पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2015 से वर्ष 2021 के मध्य अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कराये जाने विषयक

133-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2015 से वर्ष 2021 के मध्य अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति घोटाले की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच दल बनाकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2015 से वर्ष 2021 के मध्य अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति में कोई घोटाले का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई जांच प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

134-**श्री नाहिद हसन-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

[12:22] उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

मुझे इस आदरणीय सदन को शोक की तीन सूचनाएं देनी हैं।

श्री राजित प्रसाद यादव जी उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे, उनका जिला वाराणसी में जन्म हुआ था, वह जनता दल के टिकट पर विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। अनेक संस्थाओं में काम करते हुए, वह एक प्रतिष्ठित, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता बने और इस आदरणीय सदन के सदस्य हुए।

इसी प्रकार श्री राम पूजन पटेल जी का निधन 22 फरवरी को हो गया और वह 81 वर्ष के थे। उनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के

टिकट पर वे वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधान सभा आए थे और वह लम्बे समय तक इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे हैं और वह प्रतिष्ठित एवं सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। उनके निधन पर स्वाभाविक ही हम लोग दुखी हैं।

इसी प्रकार भीम प्रसाद सोनकर जी का निधन होने का समाचार मिला है, वह 64 वर्ष के थे। वह अनेक संस्थाओं में काम करते हुए इस आदरणीय सदन के सदस्य हुए। हम लोग स्वाभाविक ही अपने इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकाकुल हैं। मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवारों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिवारों तक पहुँचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रख रहे हैं।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

सन्त रविदास जी की जयन्ती दिवस को पूर्व की भाँति मनाए जाने एवं राजकीय अवकाश घोषित करने की माँग

श्री अध्यक्ष-

एक श्री मनोज कुमार पारस की नियम-300 में सूचना है, वह किसी भी तरह से 300 में नहीं आती, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत संतप्रिय देश है तो अब यह इस नियम में नहीं आता, लेकिन आप सभी संत रविदास जी का आदर व्यक्त करते हैं।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, इसमें पूर्व की सरकारों ने गजटेड हॉलीडे दिया था, उस हॉलीडे को खत्म कर दिया गया, सरकारी छुट्टी खत्म कर दी गयी, उस छुट्टी को बहाल कर दिया जाये। दूसरा, कहीं कोरोना के नाम पर और कहीं धारा-144 के नाम पर, जो पारम्परिक तरीके से रविदास जयन्ती पूरे प्रदेश में मनायी जाती थी, उस पर पुलिस प्रशासन रोक लगा रहा है, अनुमति नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा कहीं नहीं है।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसमें कोई व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जो विषय मा0 पारस जी ने नियम-300 के माध्यम से उठाया है, ये नियम-300 के अन्तर्गत तो नहीं आता है, लेकिन जब विषय उठाया है, तो सरकार की तरफ से भी जो विशेष व्यवस्था की गयी है उसकी जानकारी हम दे दे रहे हैं। 20 तारीख को हमने पुलिस मुख्यालय से एक परिपत्र जारी कराया है, आप कह रहे हैं कि पुलिस अनुमति नहीं दे रही है। मान्यवर, उस परिपत्र की तीन-चार लाइनें पढ़ दे रहे हैं जिससे आपका विषय स्पष्ट हो जाएगा और सरकार की मंशा भी मालूम हो जाएगी। 20 फरवरी को डी0जी0-8-77(5) 2020-21 एक परिपत्र जारी किया गया सेवा में, पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर, साथ ही समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0, कृपया अवगत कराना है कि इस वर्ष संत रविदास जयन्ती दिनांक 27 फरवरी, 2021 को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मनायी जायेगी। सन्त रविदास के अनुयायियों एवं विभिन्न संगठनों द्वारा उक्त अवसर पर प्रतिमा पर माल्यार्पण, पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन, गोष्ठी, भोज, प्रभात-फेरी, झांकी, शोभा यात्रा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि आपकी बात का समाधान हो गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार की रोक नहीं है। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे सम्मान के साथ आप जयन्ती मनाइये और हम लोग भी उसमें शामिल होते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह सूचना अग्राह्य है।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

अब हम नियम-301 की सूचनाएं लेते हैं। आज 25-02-2021 को कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिसमें 22 मा0 सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी एवं शेष सूचनाएं अस्वीकृत हैं।

(नियम-301 की स्वीकृत 22 सूचनाएं संलग्न हैं)

पहली सूचना श्री आनन्द शुक्ला की जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सकरौंहा धवइया नाला में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी की बुन्देलखण्ड के किसानों को बिजली विभाग द्वारा ट्यूबवेल कनेक्शन के अन्तर्गत मिलने वाली छूट व ट्यूबवेल कनेक्शन का सामान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राजमणि कोल की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत रामनगर से परानीपुर जाने वाले प्रस्तावित मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्रीमती सावित्री कठेरिया की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना अन्तर्गत ब्लाक चकरनगर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री श्रीकान्त कटियार की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ अन्तर्गत ग्राम जाजमऊ गैर एहतमाली में राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री सुरेन्द्र मैथानी की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दपुर

अन्तर्गत कतिपय बस्तियों एवं गाँवों में सामुदायिक केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री काली प्रसाद की जनपद देवरिया के नगर पंचायत सलेमपुर को नगर पालिका परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्रीमती उषा सिरोही की जनपद बुलन्दशहर के ग्राम करीम नगर बनबोई में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्रीमती सरोज सोनकर की जनपद बहराइच के विकास खण्ड मिहींपुरवा के ग्राम कुड़वा में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन अन्तर्गत ग्राम उमरी कला में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्याहरवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं की तैयार ओवरहेड टैंक की कमियों को दूर करते हुए उसे संचालित करने एवं निर्माणाधीन ओवरहेड टैंकों का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाहरवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की प्रदेश में कार्यरत आशा बहुओं का मानदेय व अन्य सुविधायें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री सुभाष राय की प्रदेश में शिक्षक कर्मचारियों की अंशदायिक पेंशन योजना में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत कन्जेश्वर धाम मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री मोहम्मद फईम इरफान की जनपद मुरादाबाद के कतिपय ग्रामों को ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की जनपद प्रयागराज के ग्राम सभा गोहरी के अन्तर्गत थाना सोरांव में इश्तियाक अहमद के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री हरीराम की जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी के अन्तर्गत अमवार कनहर सिंचाई परियोजना में प्रभावित विस्थापित लोगों को प्लाट एवं विस्थापन पैकेज दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाहरवीं सूचना श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत नौमील चौराहे से पिनानी गांव तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री कैलाश नाथ सोनकर की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत गंगा नदी पर सिरसा से हण्डिया जाने वाले पीपा पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया की जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी के अन्तर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत आर0सी0सी0 कल्वर्ट के स्थान पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तथा बाइसवीं सूचना श्री ओम प्रकाश राजभर, श्री त्रिवेणी राम, श्री रामानन्द बौद्ध की प्रदेश में 69000 शिक्षा एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी की भर्ती में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्न माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार कर दी गयीं :-

श्री प्रेम सागर पटेल, श्री वीरेन्द्र यादव, श्री आजाद अरिमर्दन, श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री रवेन्द्रपाल सिंह, श्री लाल बहादुर, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री मनोज कुमार पारस एवं श्री संजीव कुमार।

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सकरौंहा धवइयां नाला में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आनन्द शुक्ला-

[मान्यवर, जनपद चित्रकूट विधान सभा क्षेत्र 237, मानिकपुर के अन्तर्गत धवइया नाला ग्राम पंचायत सकरौंहा वि0ख0 मानिकपुर में पुल न बने होने से आम जनमानस को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में उक्त नाला में पुल का पुनर्निर्माण अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

बुन्देलखण्ड के किसानों को बिजली विभाग द्वारा ट्यूबवेल कनेक्शन के अन्तर्गत मिलने वाली छूट का सामान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-

[माननीय, निवेदन के साथ अवगत कराना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड अति पिछड़ा व संसाधन विहीन क्षेत्र है तथा यहां का किसान सदैव नाना प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त व पीड़ित रहता है, यहां के तमाम किसान गत वर्षों से बिजली विभाग में नलकूप कनेक्शन का पैसा जमा करके चक्कर लगा रहे हैं, न तो किसानों को अभी तक कनेक्शन दिये गये और न ही नलकूप कनेक्शन के अन्तर्गत मिलने वाली छूट मिली है। खरीफ की फसल का सीजन बीत गया, लेकिन अभी तक बिजली विभाग द्वारा किसानों को न तो ट्यूबवेल कनेक्शन के अन्तर्गत मिलने वाली छूट दी गई और नहीं ट्यूबवेल कनेक्शन का सामान उपलब्ध कराया गया है। बिजली विभाग का चक्कर काटते-काटते किसान परेशान हो चुका है।

अतः महोदय उपर्युक्त लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से अनुरोध सहित बुन्देलखण्ड के किसानों को बिजली विभाग द्वारा ट्यूबवेल कनेक्शन के अन्तर्गत मिलने वाली छूट व किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन का सामान उपलब्ध कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत रामनगर से परानीपुर जाने वाले प्रस्तावित मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजमणि कोल-

[माननीय, जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा में रामनगर से परानीपुर जाने वाले मार्ग जोकि अत्यन्त पतला है, पर लगातर जाम की समस्या बनी रहती है तथा वाहनों की

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लम्बी लाइन लगी रहती है, जिससे जनमानस में काफी आक्रोश व्याप्त है। उक्त मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर शीघ्रातिशीघ्र रामनगर से परानीपुर जाने वाले प्रस्तावित मार्ग का चौड़ीकरण कराने की मांग करता हूँ।,

जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत ब्लाक चकरनगर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सावित्री कठेरिया-

[माननीय, मेरी विधान सभा क्षेत्र भरथना जनपद इटावा के चकरनगर ब्लाक के अन्तर्गत बहुत से ऐसे कच्चे मार्ग हैं, जिन पर जगह-जगह गड्ढे होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जैसे-मंशे का पुरा (सिण्डौस), तलियान यखेड़न (चौरेला), नोरगा खोड़न (कुअरपुरा कुर्छा), ककरैया प्राइमरी स्कूल तक, सिण्डौस-बृन्दावन सिंह के दरवाजे से गजेन्द्र सिंह फौजी के घर तक, ढका स्कूल से राजकुमार चौहान के घर तक, सिन्डौस-प्रमोद की दुकान से लख्ना सिण्डौस मार्ग तक, गुरानी तोमेन्द्र सिंह के घर से नरसिंह मन्दिर तक, विजमंगल सिंह के दुकान से पुष्पेन्द्र चौहान के घर तक, चौवेला मार्ग, लख्ना सिण्डौस मार्ग से गशेपुरा तक मार्ग का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम जाजामऊ गैर एहतमाली में राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीकान्त कटियार-

[माननीय, कृपया विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ग्राम सभा जाजामऊ गैर एहतमाली, वि0ख0 फतेहपुर चौरासी, तहसील बांगरमऊ जनपद उन्नाव में राजकीय इण्टर कॉलेज स्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस क्षेत्र में छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह लोक महत्व का विषय है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर ग्राम सभा जाजामऊ गैर एहतमाली, वि0ख0 फतेहपुर चौरासी, तहसील बांगरमऊ, जनपद उन्नाव में राजकीय इण्टर कॉलेज स्थापित किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत कतिपय बस्तियों एवं गांवों में सामुदायिक केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

[माननीय, आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अत्यधिक मलिन बस्तियां/गांव आते हैं। बस्तियों/गांव के नाम निम्न हैं-मसवानपुर बस्ती, दबौली गांव, गुजैनी गांव, अम्बेडकरनगर मलिन बस्ती, दादा नगर कच्ची बस्ती, जमुई गांव, सरायंमीता आदि और यहां लाखों की आबादी है, परन्तु इन क्षेत्रों में सामुदायिक केन्द्र नहीं है। समुचित स्थान न होने के कारण कार्यक्रम को सम्पन्न करने हेतु लोगों को काफी दूर जाना पड़ता है। जिसके कारण किसी भी सामाजिक/धार्मिक कार्यक्रम एवं विवाह आदि के लिए क्षेत्रवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनहित के आधार पर गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण होना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद देवरिया के नगर पंचायत सलेमपुर को नगर पालिका परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली प्रसाद-

[माननीय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर जनपद देवरिया की नगर पंचायत सलेमपुर बहुत बड़ी नगर पंचायत है। बहुत बड़े क्षेत्रफल को देखते हुए नगर पंचायत सलेमपुर को नगर पालिका बनाया जाना जनहित में आवश्यक है। इसकी काफी समय से मांग भी की जा रही है, इस सम्बन्ध में शासन एवं प्रशासन को कई बार लिखा जा चुका है। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने से क्षेत्रवासियों में निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नगर पंचायत सलेमपुर को नगर पालिका बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम करीमनगर बनवोई में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती उषा सिरोही-

[माननीय, अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर के ग्राम करीमनगर बनवोई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है। इस स्वास्थ्य केन्द्र पर वर्तमान में कोई चिकित्सक कार्यरत नहीं है, जिस कारण से यहां पर चिकित्सा सुविधा बाधित हो गयी है। जनहित में प्राथमिक

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्वास्थ्य केन्द्र, करीमनगर बनवोई, जनपद बुलन्दशहर में किसी चिकित्सक की तैनाती किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद बहराइच के विकास खण्ड मिर्हीपुरवा के ग्राम कुड़वा में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरोज सोनकर-

[माननीय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र 282, बलहा, जनपद बहराइच के अन्तर्गत विकास खण्ड मिर्हीपुरवा के ग्राम कुड़वा में एक बारात घर नहीं है। ग्राम कुड़वा में आबादी करीब 08 हजार के आस-पास है। जनहित में ग्राम कुड़वा में एक बड़ा बारात घर की स्थापना कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत विलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कुड़वा में एक बड़ा बारात घर की स्थापना किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हँ।,

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत ग्राम उमरी कला में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[माननीय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड रामपुर ग्राम उमरी कला में कोई स्टेडियम न होने के कारण क्षेत्र के खिलाड़ियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में विकास खण्ड रामपुर के ग्राम उमरी कला में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए विकास खण्ड रामपुर के ग्राम उमरी कला में मिनी स्टेडियम का निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में तैयार ओवरहेड टैंक की कमियों को दूर करते हुए उसे संचालित करने एवं निर्माणाधीन ओवरहेड टैंकों का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अन्तर्गत अधिक आबादी के गांवों में ओवरहेड टैंक का निर्माण किया गया था, जो तैयार होने के बाद भी कतिपय कमियों के कारण संचालित नहीं हो पा रही है या संचालित होने के बाद उसे बन्द कर दिया गया। उदाहरणार्थ-**ग्राम सभा कुरेजी, अठिलापुरा, सिसिवार, हजौली, खनवर, जाम, शाह मुहम्मदपुर के ओवरहेड टैंक चालू किये जाने के कुछ समय बाद ही बन्द हो गये एवं ग्राम सभा पिपरा पट्टी बहोरापुर में टैंक तैयार है, फिर भी चालू नहीं किया गया एवं ग्राम सभा डेहरी में ओवरहेड टैंक का कार्य शुरू करवा कर फिर उसे बीच में ही बन्द कर दिया गया।**

अतः जनहित एवं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत **उपरोक्त ग्राम सभाओं की तैयार ओवरहेड टैंक की कमियों को दूर करते हुए उसे संचालित करने एवं निर्माणाधीन ओवरहेड टैंक को अविलम्ब बनवाये जाने हेतु** शासन से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में कार्यरत आशा बहुओं का मानदेय व अन्य सुविधायें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[माननीय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। प्रदेश में कार्यरत आशा बहुओं का मानदेय व अन्य सुविधायें बहुत ही कम हैं जिससे उन लोगों के परिवार का भरण-पोषण करना अत्यन्त कठिन हो रहा है। इस महंगाई के समय में प्रदेश के आशा बहुओं का मानदेय एवं अन्य सुविधायें बढ़ाया जाना आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार से वक्तव्य दिये जाने तथा प्रदेश में कार्यरत आशा बहुओं का मानदेय एवं अन्य सुविधायें बढ़ाये जाने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में शिक्षक कर्मचारियों की अंशदायिक पेंशन योजना में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष राय-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि प्रदेश में 01 अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को जो समाप्त कर दिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में जो नवीन अंशदायी पेंशन योजना शुरू की गयी, जिसमें 10 प्रतिशत कर्मचारी तथा 10 प्रतिशत सरकारी अंशदान सम्बन्धित शिक्षक/कर्मचारी के प्रॉन खाते में जमा करने की व्यवस्था है। जनपद आजमगढ़ में जून, 2016 से माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/कर्मचारी की कटौती प्रारम्भ है। कटौती के होते हुए 56 माह हो गये, किन्तु अभी तक शिक्षकों के खाते में मात्र 36 माह की कटौती का पैसा गया है। 01 अप्रैल से मई, 16 तक की कटौती अब तक नहीं कि गयी है। इसके लिए शिक्षक

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

15-02-2020 से अनिश्चितकालीन धरना जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर कर रहे हैं। यह गम्भीर प्रकरण है।

अतः इस गम्भीर प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत कन्जेश्वर धाम मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल सिंह-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र-167, पुरवा, उन्नाव के अन्तर्गत विकास खण्ड हिलौली के ग्राम प्रसाद खेड़ा से लोहरामऊ होते हुए सई नदी तट पर उन्नाव-रायबरेली सीमा पर प्रसिद्ध कन्जेश्वर धाम स्थित है। उक्त धाम पर आने-जाने हेतु सेतु का निर्माण हो चुका है। बावजूद मार्ग का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। उक्त मार्ग अति जर्जर है, जिसके कारण बाबा कन्जेश्वर धाम एवं उन्नाव से जनपद रायबरेली जाने वाले क्षेत्रीय लोगों को अत्यधिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उक्त रोड बनवाए जाने हेतु शासन एवं सरकार से अनुरोध किया गया है, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः इस सम्मानित सदन का एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद के कतिपय ग्रामों को ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद फईम इरफान-

[मान्यवर, निवेदन है कि शासनादेश संख्या-2578/33-3-2020-03 रा0नि0आ0/14 पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 06 नवम्बर, 2020 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-1992/33-3-2014-03 रा0नि0आ0/14, पंचायती राज अनुभाग-3, लखनऊ, दिनांक 16 अगस्त, 2014 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जिला मुरादाबाद में नई ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन/परिसीमन का जो कार्य किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 की परिसीमन नियमावली एवं उक्त हेतु जारी शासनादेश में वर्णित प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। इसी कारण जिला मुरादाबाद के विकास खण्ड भगतपुर टांडा में ग्राम आदो नंगली (1164), बुढ़ानपुर ऐतमाली (3405), बेलबाड़ा (1100) व धर्मपुर (1257), विकास खण्ड मूंढापांडे में ग्राम अहमदपुर (1192), महेशपुर भीला (1124), मोहम्मदपुर कुलीपुर (2079), गोविन्दपुरखुर्द (1873), रफातपुर (1708), नव्वानगला (1115), राजोरा कन्नरदेव (1352) व रसूलपुर नंगली (1222), विकास खण्ड ठाकुरद्वारा में ग्राम निर्मलपुर (1208), कालावाला

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(1024), फैजुल्लानगर (1058), बथुआ खेड़ा (1460), पंडितपुर (1028), मस्तलीपुर (1877) व बैरमपुर (1459), विकास खण्ड डिलारी में ग्राम लालपुर चौहान (1237), जमशेदपुर (1100), कमालपुर (1328), ततारपुर (1438), जोगपुरा (1121), वाजिदपुर (1600), जहांगीरपुर चकफेरी (1016) व बसावनपुर (1571), विकास खण्ड छजलैट में ग्राम पट्टीमोढ़ा (1972), खेमपुर सैफुल्लापुर (1287), भैंसला (1284), खलीलपुर अमरू (1366) व फलैदा ईसापुर (1016), विकास खण्ड डींगरपुर (कुंदरकी) में ग्राम बाछल भूड़ (1213), नगला हाशा (1367), ईधनपुर हसनपुर (1464), नहटौरा (2476), कुलवाड़ा (1768), भांडरा (1463), करनपुर (1688), रायबनगला (1047), नगला सालार (1105), चितेरी (1176), सरायपंजू (1358), मोहम्मद जमापुर (1034) व फतेहपुर सलावतनगर (1161), विकास खण्ड बिलारी में ग्राम-बिचौला कुंदरकी (1398), अबूपुरखुर्द (1188), धनुपुरा तुरखेड़ा (1182), शेरपुरमाधो उर्फ घनियाखेड़ा (1099), शाहपुर (1030), श्यामपुर समसपुर (1228), हसनपुर रूप (1054), कुआखेड़ा (1717), सुजानपुर (1345) व अलहदादपुर देवा (1002) आदि को उनके सम्मुख ब्रैकेट मे अंकित जनसंख्या 1000 से अधिक होते हुए भी नई ग्राम पंचायत के दर्जे से वंचित रह गई हैं।

अतः लोक महत्व व जनहित के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की परिसीमन नियमावली के नवीन प्रावधानों के अनुसार जारी शासनादेश में वर्णित मानक पूर्ण करने वाले उपरोक्त ग्रामों एवं अन्य ग्राम समूहों को उनके निवासियों की मांगानुसार नई ग्राम पंचायत का दर्जा दिये जाने हेतु अविलम्ब सम्बन्धित को आदेश करने की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज के ग्राम सभा गोहरी के अन्तर्गत थाना सोरांव में इश्तियाक अहमद के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध मे नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राहुल प्रकाश-

[माननीय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद प्रयागराज के थाना सोरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा गोहरी के निवासी हरिश्चन्द्र पुत्र स्व0 बीरबल के घर दिनांक 29-04-2020 को गांव के ही इश्तियाक अहमद पुत्र अब्दुल मजीद, मो0 सरवर पुत्र मो0 इब्राहिम आदि लोगों ने लाठी-डण्डे तथा अवैध असलहा लेकर मार-पीट तथा घर में घुस कर तोड़-फोड़ तथा प्रार्थी के पास से नगदी भी जबरन छीन ले गये। जिसकी सूचना थाना सोरांव में दिनांक 30-04-2020 को प्रार्थना-पत्र दिया गया है। किन्तु आज तक पुलिस द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की गयी। विपक्षी प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन में उक्त प्रकरण में एफ0आई0आर0 कर अब तक की गयी कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी के अन्तर्गत अमवार कनहर सिंचाई परियोजना में प्रभावित विस्थापित लोगों को प्लाट एवं विस्थापन पैकेज दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरीराम चेरो-

[माननीय, मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र दुद्धी, जनपद सोनभद्र में सरकार की महात्वाकांक्षी अमवार कनहर सिंचाई परियोजना जो 5 दशक से निर्माणाधीन है। इस परियोजना से प्रभावित गांव के लोगों को पिछली सरकार द्वारा धोखा देकर अभी तक आवश्यक विस्थापितों को प्लाट उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे विस्थापित परिवारों में पिछली सरकार से विश्वास उठ चुका था। जबकि वर्तमान सरकार चुनाव में विस्थापितों को भरोसा दिलाया है कि जो लोग विस्थापन पैकेज से वंचित रह गये हैं उन्हें पुनः सर्वे कराकर विस्थापन सूची में सम्मिलित कर पूर्ण रूप से विस्थापन पैकेज व प्लाट उपलब्ध कराया जाएगा। इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों से वार्ता के क्रम में जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी लगभग 2000 प्लाट की आवश्यकता है, जिससे प्रारम्भिक आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करा लिया गया है। इस सम्बन्ध में शासन के आदेश के साथ ही ब्लाक जे0के0एल0एम0 के रूप में चार भागों में विभक्त कर लगभग 2000 प्लाट तैयार किया जा सकता है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में शीघ्र अमवार कनहर सिंचाई परियोजना से विस्थापित लोगों को प्लाट एवं विस्थापन पैकेज दिलाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत नौमील चौराहे से पिनानी गांव तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में गांव नौमील चौराहे जगनेर रोड से लाडम नगला काले होते हुए पिनानी गांव तक मार्ग की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए मार्ग का निर्माण कार्य कराने हेतु विभाग को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि जनता की समस्या का समाधान हो सके।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत गंगा नदी पर सिरसा से हण्डिया जाने वाले पीपा पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

[महोदय, जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा में गंगा नदी पर सिरसा से हण्डिया जाने के लिए गंगा नदी पर प्रत्येक वर्ष पीपा पुल छः माह के लिए बनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि जनमानस के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, किन्तु अधिक पानी होने या बारिश के मौसम में पीपा पुल टूट जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पक्का पुल बन जाने से आवागमन काफी आसान हो जाएगा तथा लोगों का बहुत समय बचेगा।

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर शीघ्रातिशीघ्र गंगा नदी पर सिरसा से हण्डिया जाने वाले पीपा पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी के अन्तर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र चरखारी जनपद महोबा के चरखारी नगर में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। यहां के छात्र-छात्राओं को लगभग 100 कि0मी0 शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर जाना पड़ता है। जिससे समय के साथ-साथ धन का भी अपव्यय होता है। जनहित में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण करने का कष्ट करें।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनिय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत आर0सी0सी0 कल्वर्ट के स्थान पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[महोदय, अयोध्या विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत चकपुरवा सम्पर्क मार्ग 1 कि0मी0 1X3.00 मी0 आर0सी0सी0 कल्वर्ट के निर्माण कराये जाने का आगणन मुख्य अभियन्ता अयोध्या क्षेत्र द्वारा प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ को फरवरी, 2020 में प्रेषित किया गया था, जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति अभी तक जारी नहीं हो पायी है। उक्त स्थान पर पुलिया निर्माण न कराये जाने से मवई विकास खण्ड के लगभग एक दर्जन गांवों के किसानों,

---

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

छात्रों, व्यापारियों को लगभग 15 किमी0 चक्कर लगाकर थाना पटरंगा व मण्डी पटरंगा, बैंक तथा पी0एच0सी0 पटरंगा पर आना-जाना पड़ता है। इसके कारण क्षेत्रवासियों में आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त स्थान पर पुलिया निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में 69000 शिक्षक एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी की भर्ती में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश राजभर, श्री त्रिवेणी राम एवं श्री रामानन्द बौद्ध-

[महोदय, प्रदेश सरकार ने 69000 शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार यह योजना बनायी है। 69 हजार शिक्षक भर्ती एवं 309 खण्ड शिक्षाधिकारी की भर्ती में 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ी जाति में लागू न होने का क्या कारण, वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। सरकार यह बताये कि इन गरीब लोगों के साथ सरकार एवं प्रशासन की मिली-भगत करके पात्र विद्यार्थियों को कूटरचित तरीके से उनको लाभ नहीं दिया जा रहा है। जो समाज को गर्त में ढकेलने का कार्य सरकार कर रही है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

[12:29] वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

श्री अध्यक्ष-

वित्तीय वर्ष 2021-2022 का जो बजट पेश हुआ है, उस पर आज नेता विरोधी दल श्री राम गोविन्द चौधरी जी चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

(नेता विरोधी दल के खड़े होने पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

***नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो पेपर लेस बजट भाषण इस सदन में दिया, उस पर हमको अपने विचार रखने के लिए अवसर दिया। ये पेपर लेस बजट ही केवल नहीं था, यह हर चीज का लेस था। ये रोजगार के लिए लेस था, किसान के लिए लेस था, नौजवान के लिए लेस था, कर्मचारी के लिए लेस था। इसीलिए पेपर लेस ले आए। लेस शब्द जरूर ये ले आए कि अब हम जनता से माफी मांगते हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, माफ करो। श्रीमान, बजट वर्ष 2021-22 पेश किया, माननीय अध्यक्ष जी,

---

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष 2021-22 में 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रु0 का बजट प्रस्तुत किया है। पिछले वर्ष भी 2020-21 में इन्होंने 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख का बजट प्रस्तुत किया था और कहा था कि अब तक का सबसे बड़ा यह बजट है। इस बार भी कहा कि यह पिछली बार से भी बहुत बड़ा बजट है। पिछले वर्ष 2020-21 का इन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया था और अब जो 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया है, इसमें केवल 37 हजार 410 करोड़ 06 लाख अधिक का बजट पिछले साल से है। सितम्बर, 2020 में मुद्रास्फीति की दर 10.68 फीसदी पहुंच गयी थी, अक्टूबर, 2020 में महंगाई दर 7.35 फीसदी थी। अगर इसके हिसाब से पूरा जोड़ दिया जाए तो आपका यह वर्तमान बजट पिछले बजट से भी बहुत कम का है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने यह बजट समग्र विकास को समर्पित किया है। यह हर बजट को किसी न किसी को समर्पित करते हैं, लेकिन जिसको समर्पित करते हैं, उसको मिलता कुछ नहीं, ये आश्चर्य की बात है। सबका विकास कर्ज देकर और कर वसूली करके करने का इनका एलान है। कैसा विकास ? हम आपको कर्ज देंगे, कर अलग से वसूलेंगे, फिर भी हम आपका विकास करेंगे। किसान को लोन लेने में कोई असुविधा न हो, 84,172 बैंक मित्रों की व्यवस्था ये किए हैं, ये अलग से उसको नोचेंगे। बैंक पहले से तो नोच ही रहा था, अलग से इन्होंने एक व्यवस्था कर दी कि तुम और नोचो, और उसको गरीब करो। इसमें किसान, युवा, कर्मचारी, व्यापारी, बेरोजगार, किसी के लिए कुछ भी देने के लिए व्यवस्था नहीं है। पिछले वर्ष 2020-21 के बजट में जो धनराशि ली गयी थी, उसमें भी 50 प्रतिशत से भी कम धनराशि खर्च की गयी है। इसलिए श्रीमान्, मैं कहना चाहता हूँ, संसदीय कार्य, वित्त मंत्री जी, कि-

'चमन पर गुजरी सो गुजरी, मगर ये क्या कम है,
कि फास हो गए, झूठी बहार के आइने,
कहि जफाए वही, मुश्किलें, वही आफत,
तुम्हीं बताओ कि बदले कहां मेरे दिन और रात ?

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

मान्यवर, पिछला बजट इन्होंने पास कराया था, कितना खर्च किया इन्होंने, राष्ट्रीय अधिकरण विभाग 4.92 प्रतिशत, गृह विभाग/कारागार 56.45, खेल विभाग 29.90, सहकारिता विभाग 31.92 जिसमें यह खाद्य पूरा बांट दिए और खर्च कितना हुआ है 31.92, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 49.78, राजस्व विभाग 51.63 प्रतिशत, समन्वय विभाग 58.69 प्रतिशत, रेशम विकास विभाग 56.46 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जिस पिछड़े के बल पर भारी बहुमत पाकर यह सरकार आई है, उस पर जो धन इन्होंने एलॉट किया उसमें खर्च हुआ है 7.91 प्रतिशत यह पिछड़ों की हितैषी सरकार है। आबकारी विभाग 61.80, खादी एवं ग्राम उद्योग जो यह पहनते ही नहीं खादी 72 प्रतिशत, दुग्ध विकास विभाग 33.42 प्रतिशत,

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग दोनों 77.41, भाषा उर्दू विभाग 42.10, परिवहन विभाग 56.43, पर्यटन विभाग अभी कल ही मा0 नेता सदन ने स्वर्ग दिखला दिया पर्यटन के विषय में कि उत्तर प्रदेश पर्यटन पूरा स्वर्ग जैसा हो गया है 16.07, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग जिसमें यह टी0वी0 अखबार जो रातों-दिन जो यह बोल रहे हैं और जो होल्डिंग रातों-दिन लग रही है उसमें इन्होंने खर्च किया है 74.11, सचिवालय प्रशासन विभाग जो तनख्वाह का पैसा 63.3 प्रतिशत, भू-तत्व एवं खनिज विभाग 57.35 प्रतिशत, गृह विभाग 52.31 प्रतिशत, पंचायती राज विभाग जो विकास का मूल स्रोत है 41.78 प्रतिशत, ऊर्जा विभाग 51.61 प्रतिशत। स्वास्थ्य विभाग 60.53 प्रतिशत, सिंचाई जल संसाधन 40.27 प्रतिशत, ग्राम विकास विभाग 45.01 प्रतिशत, खाद्य एवं रसद जिनको सबको इन्होंने पूरा भोजन दे दिया, अनाज दे दिया, पैकेट दे दिया, कोरोना में दे दिया, कितना दिया 25.37 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा 56.44 प्रतिशत, नगर विकास 43.19 प्रतिशत, समाज कल्याण 50.30 प्रतिशत, बेसिक शिक्षा 51.83 प्रतिशत, बाल विकास एवं पुष्टाहार कल इस पर मा0 नेता सदन यहां पर बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने बच्चों को, कमजोर औरतों को बिल्कुल पुष्ट कर दिया, वे सारे पहलवान हो गए, उसमें इनका खर्च हुआ 35.20 प्रतिशत। औद्योगिक विकास जिसमें भारत देश और दुनिया की कम्पनियां आती हैं और उद्योग लगा दिया है उसमें इनका खर्च हुआ 40.59 प्रतिशत। मान्यवर, यह है, ये पिछला ही पैसा खर्च नहीं कर पाए हैं।

(मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा यह कहने पर कि कुछ लोग तो खा जाते थे)

अब चिढ़े रहिए, कुनकुनाइए मत। (विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में हँसी) ये हमारे मित्र हैं, बी0एच0यू0 में पढ़ते थे, तबसे हम लोग साथ ही में हैं। मा0 अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी बजट का बिल्कुल खिलवाड़ कर चुकी है। वह सब्जबाग दिखाती है कि हम इतना अधिक बजट ले आए, इतना अधिक बजट ले आए लेकिन केवल कागज पर जमीन पर नहीं। कागज पर बढ़ाते हैं, लोगों को भरमाते हैं, दिमाग को भरमाते हैं और जब असल चेहरा सामने आता है तो ये अपना मुंह छिपाते है। अब राजस्व बचत, मा0 वित्त मंत्री जी राजस्व बचत कम हो रही है। वर्ष 2020-21 में रु0 27450.88 करोड़ का अनुमान आपका था और बचत हुई मात्र रु0 13160.77 करोड़ की। आप ही तो उस समय भी वित्त मंत्री थे। वर्ष 2021-22 के इस बजट में पिछले वर्ष से कम रु0 23210 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। आप कैसे काम करेंगे, अब आपकी बचत ही नहीं है तो ये ढिंढोरा आप क्यों पीट रहे हैं ? किस विभाग से पैसा लेंगे, कहां से प्रबन्ध करेंगे ? कागज से तो होगा नहीं, कागज पर लिख देने से तो होगा नहीं, काम तो होगा पैसे से, विकास तो होगा पैसे से, हॉस्पिटल तो बनेगा पैसे से, पुल तो बनेगा पैसे से, सड़क तो बनेगी पैसे से और आपकी बचत तो हो ही नहीं रही है, सब कम ही होता जा रहा है। अब राजकोषीय घाटा, श्रीमान राजकोषीय घाटा निरन्तर बढ़ता जा रहा है इस सरकार में, निरन्तर बढ़ता जा रहा है वर्ष 2020-21 में रु0 53195.46 करोड़ का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत था और बढ़कर रु0 80551.49 करोड़ हो

गया है। वर्ष 2021-22 के बजट में पहले से भी अधिक घाटे का अनुमान लगाया गया है। इसमें रु0 90729.80 करोड़ का अनुमान लगाया गया है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17 प्रतिशत है। इस प्रकार ऋण तो आपका बढ़ रहा है, बचत हो नहीं रही है, तो क्या होगा इस प्रदेश का ? यह प्रदेश तो अन्धकार में डूबने जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, राज्य की ऋण ग्रस्तता बढ़ रही है। वित्त मंत्री जी, राज्य की ऋण ग्रस्तता बढ़ रही है। वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.8 प्रतिशत का अनुमान था। जो बढ़कर 29.2 प्रतिशत हो गयी है। रु0 5,16,184.45 करोड़ राज्य की ऋण ग्रस्तता का अनुमान था, जो बढ़कर 5,65,909.59 करोड़ हो गयी है।

माननीय अध्यक्ष जी, 2021-22 में बढ़कर 6,11,161.85 करोड़ का अनुमान है। जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28 प्रतिशत है। आप इसको कहां पर ले जा रहे हैं ? क्यों यह ढ़िंढोरा पीट रहे हैं ? क्यों प्रदेश की जनका को मूर्ख बना रहे हैं ? क्या इसका इनके पास कोई जवाब है ? जवाब होगा, जैसा कृषि मंत्री देते हैं और हमारे मित्र उद्योग मंत्री जी देते है। क्वेश्चन कुछ हो लेकिन पढ़ कुछ ओर देते हैं। इनकी बात अखबार में छप जाएगी, चैनल दिखा देगा, होर्डिंग लगा देंगे। जनता जानेगी कि खूब काम हुआ है और जब रात में घर को देखती है तो सोचती है कि अरे! हमारा पेट तो खाली है। हमने तो शाम को खाना ही नहीं खाया है, तो सवेरे फिर सरकार को कोसते हैं। फिर यह नया सब्जबाग दिखाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पूंजीगत परिव्यय/राजकोषीय घाटा में वर्ष 2020-21 में 152.7 प्रतिशत का अनुमान था, जो घटकर 84.4 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2021-22 में 125.4 प्रतिशत का अनुमान था। इसमें स्पष्ट है कि वर्ष 2020-21 में सरकार शुद्ध ऋण का शत-प्रतिशत उपयोग पूंजीगत परिव्यय पर नहीं कर सकी। आपको धोखे में रखा जा रहा है। आप खर्च तो करते नहीं हैं, आप तो बजट दे देते हैं और यहां हमसे पास करवा लेते हैं, लेकिन जिनको बजट खर्च करना है और लोगों तक बजट का पैसा पहुंचाना है, वह आपके धोखे में रहकर प्रदेश को भी धोखा देने का काम करते हैं। केन्द्रीय करों में राज्यांश कम है। अध्यक्ष जी, क्या कारण है कि केन्दीय करों में राज्यांश कम मिलने का अनुमान लगाया गया है ? हमारे माननीय अखिलेश यादव की यहां सरकार थी, मा0 मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, या बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो केन्द्र में दूसरे की सरकार थी। हमको तो काफी परेशान किया गया है क्योंकि कुछ केन्द्र से दिया ही नहीं जा रहा था लेकिन अब तो केन्द्र में भी आपकी सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। हम सुनते हैं कि हमेशा प्रधानमंत्री जी मा0 मुख्य मंत्री जी की पीठ थपथपाते हैं तो मन प्रसन्न होता है, लेकिन पीठ थपथपाना एक अलग बात है और अंगूठा दिखाना एक अलग बात है। मांगिए, तो फिर अंगूठा दिखा देते हैं। राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण बढ़ रहा है। केन्द्रीय करों में राज्यांश के सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि वर्ष 2020-21 में रु0 1,52,863.17 करोड़ का अनुमान लगाया गया, परन्तु रु0 98,618.07 करोड़ मिला। यही आपको मिला है। वर्ष 2021-22 के बजट में पिछले वर्ष से कम अनुमान लगाया जा रहा है।

जोकि आपने स्वयं महसूस किया है और हम लोंगों से व्यक्तिगत रूप से बताया भी गया है कि जो आपने मांगा, उससे बहुत कम आपको मिला जबकि सबसे अधिक पैसा टैक्स से आम मदों से उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्र सरकार को देती है और जब उसको आपको पैसा देना होता है तो भारी कटौती करते हैं, क्यों ? माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा सोचनीय विषय है।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कोरोना, मुख्य मंत्री के भाषण में डेढ़ घण्टे कोरोना और माननीय वित्त मंत्री जी बजट भाषण में फिर कोरोना ले करके आ गये। कोरोना का बड़ा बढ़िया उपाय वाजपेयी जी ने हमको बताया था, भूल गये। कोरोना मतलब कोई चीज करो मत, बैठे रहो, लोगों को बैठाये रहो, घर में बन्द रहो, लोगों को घर में बन्द रखो। इस महामारी में भाजपा सरकार की अपरिपक्व नीतियों के कारण जनता को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हमारे चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े तमाम कर्मचारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारी ने उपलब्ध संसाधनों से जो सफलता प्राप्त की वह बड़ी सराहनीय है। कहां से सफलता प्राप्त की, माननीय अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य विभाग के मामले में जो 05 वर्ष काम किया था उसी संसाधनों से हमारे डाक्टरों और कर्मचारियों ने काम किया है। मेडिकल कालेज, पी0जी0आई0, लोहिया, सिविल अस्पताल को काफी पैसा दे करके उन्हें व्यवस्थित कराया। हर हास्पिटलों में अलग वेंटिलेटर खरीदवाया। 108 नम्वर और 102 नम्बर की एम्बुलेन्स चलवायी जिससे कोरोना मरीज ढोये गये। बड़ी मेहनत करके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल मेदान्ता यहां पर बनवाया। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना करायी। लगभग 51 जिलों में मेडिकल कालेजों और पैरा मेडिकल कालेजों की स्थापना की और उन्हीं के सहारे हमारे डाक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों की जान बचाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं क्यों लखनऊ का उदाहरण देना चाहता हूँ, जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है क्या एक भी कोई अस्पताल इस लखनऊ में बनवाया है ? चाहे गुप्ता जी मुख्य मंत्री हों, राजनाथ सिंह जी हों, कल्याण सिंह जी हों या चाहे वर्तमान मुख्य मंत्री जी हों। केवल पीठ थपथपाने से थोड़े ही होगा। सारी व्यवस्था हमारी है। हमारी जगह पर वे महान डाक्टरों, कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने जितने भी लोगों की जान बचाई है, उनकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ, इसलिए मैं अपने मित्र वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि-

जो दे रहे हैं फल तुम्हें पके पकाये हुए,
जो पेड़ मिले तुम्हें लगे-लगाये हुए,
जमीर इनके बड़े दागदार हैं,
या फिर रहे हैं जो चेहरे धुले-धुलाये हुए,
जमीन ओढ़ के सोये हैं दुनिया में,
अब न जाने कितने सिकंदर थके-थकाये हुए।

वाणिज्य कर विभाग विज्ञप्ति दिनाँक 06-05-2020 द्वारा पेट्रोल व डीजल पर वैट कर की फिक्स राशि पेट्रोल पर रु0 16.74 पैसे से बढ़ाकर 18.74 पैसे और डीजल पर रु0 9.41 से बढ़ाकर रु0 10.41 की गई। वर्ष 2014 में केन्द्र सरकार का टैक्स 10.39 अर्थात् 14 प्रतिशत डीलर का कमीशन 2 रुपए अर्थात 3 प्रतिशत और राज्य का टैक्स 11.9 रुपए अर्थात् 17 प्रतिशत था। भाजपा सरकार के राज्य में आज केन्द्र सरकार का टैक्स 32.98 रुपए अर्थात् 40 प्रतिशत डीलर कमीशन 3.85 रुपए अर्थात् 4 प्रतिशत राज्य का टैक्स 19 रुपए अर्थात् 23 प्रतिशत कर दिया गया है। आज पेट्रोल का मूल्य 89.88 रुपए और डीजल का मूल्य 82.57 रुपए प्रति लीटर हो गया है, पेट्रोल, डीजल पर एक एग्रीकल्चर सेस और बढ़ा दिया गया है। रसोई गैस की कीमतें वर्ष 2016 में 500 रुपए से कम थीं जो आज बढ़कर 881 रुपए हो गया है। आज और कुछ बढ़ गया होगा शायद 25 रुपए बढ़ गया है तो 881 में 25 रुपए और जोड़ दीजिये। मार्च, 2020 में गैस पर 350 रुपए सब्सिडी मिलती थी और अब केवल 38 रुपए मिल रही है माननीय वित्त मंत्री जी। सरकार को किस प्रकार का कर लेना चाहिए, किसी भी सरकार को किस प्रकार से कर लेना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जब राम जी वनवास गये थे और जब उनसे मिलकर भरत जी लौटे, राजा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बने किसी तरह से, तो वह राम का खड़ाऊं लेकर लौटे थे। बाद में जब भरत राम जी से मिले, हालचाल हुआ उसके बाद राम जी ने भरत से पूछा कि जनता से कर कैसे ले रहे हो तो भरत चुप हो गये। इस पर तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है-

बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोय।
तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सो होय।।

जैसे सूर्य समुद्र से नदियों से, जलाशयों से कोई देख भी नहीं पाता, वह जल लेकर उठ जाता है, यहाँ तक कि आप गंगा स्नान करने के बाद जल अंजुलि में लेते हैं तो उसमें से भी ले लेता है, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ता है और वही जल संकलित करके उस एरिया में बरसाता है जहाँ किसानों को जरूरत होती है और किसान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान रामचन्द्र जी ने कहा है कि कर ऐसा लो, जिसे देने वाले को पता भी न चले और उसका उपयोग ऐसा करो कि लोग देख करके हर्षित हो जाएं। राम का मन्दिर बनाने, राम की घंटी बजाने, ढोल पीटकर चन्दा मांगने से नहीं होगा, राम का गुण अपनाने से राम की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और महिमा बढ़ेगी।

खाद्य सामग्रियों के दाम जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक एक वर्ष में लगभग डेढ़ से दो गुना बढ़ गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जनवरी से दिसम्बर के बीच सरसों का तेल, जनवरी में 85 रुपये था, दिसम्बर में हो गया 155 से भी अधिक, रिफाइंड तेल जनवरी में 82 से 85 रुपये था, आज हो गया 135 से ऊपर। वनस्पति घी, जनवरी में 75 रुपये और आज हो गया 110 से अधिक, अरहर दाल जनवरी में 70 रुपये, आज हो गयी 90-95 से पार, माने 100 के करीब उड़द दाल 80 रुपये जनवरी में थी, दिसम्बर में 170 हो गई है। मूंग

की दाल जनवरी में 72 रुपये थी और अब 110-120 के ऊपर हो गई। मसूर की दाल जनवरी में 55 रुपये थी और दिसम्बर में हो गई 70, चना की दाल जनवरी में 58 रुपये थी और अब हो गई 70 से ऊपर, आटा जनवरी में 21 से 25 रुपये था, अब 25-28 हो गया है, चीनी थी 32, अब हो गई 37-38 और इससे भी अधिक। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है। सरकार वर्ष 2020-21 के बजट से वर्ष 2021-22 में वस्तु एवं सेवा कर 8 प्रतिशत कम कर रही है, दिखाने के लिए। सीमा शुल्क 4.21 प्रतिशत कम कर रहे हैं, संघ उत्पाद शुल्क में 52.40 प्रतिशत कर रहे हैं। लेकिन आगे यह क्या कर रहे हैं। बिक्री, व्यापार आदि पर 9.05 प्रतिशत, राज्य उत्पाद शुल्क 9.64 प्रतिशत, वाहन कर 7.49 प्रतिशत, विद्युत कर तथा शुल्क पर 10.53 प्रतिशत बढ़ाकर प्राप्त करने का अनुमान लगाया है, सब बढ़ा दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार यह बढ़ा हुआ कर किस रूप में वसूलेगी ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि यह जो कर बढ़ाये हैं, यह जनता से किस रूप में वसूलने का काम करेंगे ? सबसे ज्यादा मार किसान, गरीब और गाँव पर है। निजी भूमि स्वामियों को बाढ़ से एकत्रित बालू को हटाये जाने हेतु एक फसली वर्ष में तीन माह हेतु रॉयल्टी दर दोगुना कर दी गयी है। इमारती पत्थर के खनन पट्टों में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि को समाप्त कर दिया है। अब समय-समय पर संशोधित रॉयल्टी की धनराशि जमा कराने का प्राविधान किया गया है। सरकार जब चाहेगी, तब बढ़ा देगी। इस महीने बढ़ा दी गई, अगले महीने बढ़ा दी गई। लोगों को घर बनाना भी कठिन हो जायेगा। आज एक किसान का खेत नदी में कट के गया है, उसको फसल बोना है, बालू पड़ा है तो उसको हटाना है। उसकी भी रॉयल्टी दूना कर दिया। अपने खेत से ट्रैक्टर से माटी लाता है, नहीं ला सकता। उसी के खेत में बालू है, अपना बालू नहीं ला सकता है। किसान की आमदनी दूनी हो रही है ?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिजली यूनिट की दर वर्ष 2016 में डेढ़ सौ यूनिट पर 4.40 रुपये थी, 151 से 300 यूनिट पर 4.95 रुपये। 301 से 500 यूनिट पर 5.60 रुपये। 500 के ऊपर 6.20 रुपये और फिक्स चार्ज 50 रुपये प्रति किलोवाट था और वर्ष 2021 में श्रीमन् 150 यूनिट पर 5.50 रुपये, 151 से 300 यूनिट पर 06 रुपये। 301 से 500 यूनिट पर 6.50 रुपये और 500 के ऊपर 07 रुपये प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज 110 रुपये प्रति किलोवाट हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार का नारा हर घर बिजली, हर कुंये पर बिजली और गाँव में किसानों के घर में, गरीब आदमी के यहाँ बिजली विभाग के लोग छापा मारते हैं और एक-एक किसान पर 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख का फाइन लगा देते हैं। किसान गरीब कर्ज लेकर इसको कहाँ से भरेगा और अधिकारी कहता है कि हम 200 रुपया कम कर देंगे हम लोग भी कई बार फोन करते हैं। यह गाँव को और गरीब बना रहे हैं, किसान को और मारे जा रहे हैं। हमने नहीं सुना अध्यक्ष जी आप सुने कि नहीं सुने कि किसी बड़े कारखानेदार के यहाँ, किसी पूँजीपति के घर पर कारपोरेट घरानों पर कभी बिजली वालों का छापा पड़ा क्या, किसी बड़े घराने पर बिजली का छापा पड़ा क्या,

क्योंकि कारपोरेट घराने को तो और मालदार बनाना है इस सरकार को और गरीब को और गरीब बनाने की योजना है इस सरकार की। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश ने 30,518 हजार टन दुग्ध उत्पादन करके देश में प्रथम स्थान पाया है। दुग्ध उत्पादनकर्ताओं की क्या वास्तविक स्थिति है, इसके सम्बन्ध में मैं बलिया जनपद का एक उदाहरण देना चाहूँगा। यह उत्तर प्रदेश की प्रथम स्थिति देश में कहाँ से आई। इस प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव ने अमूल की यहाँ पर यूनिट लगवाई और दूध का उत्पादन बढ़ा, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने कोई यूनिट 4 साल में लगवाई क्या। नहीं लगवाई तो फिर आप हमारे काम पर अपनी पीठ क्यों थपथपा रहे हैं, मैं बलिया का उदाहरण माननीय वित्त मंत्री जी आपको दे रहा हूँ। कई बार हमको लोगों ने एप्लीकेशन दिया दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, बलिया से मार्च, 2020 एवं अप्रैल, 2020 का दूध मूल्य भुगतान न मिलने के सम्बन्ध में। दूध कौन बेचता है श्रीमान गाँव का गरीब आदमी और किसान। उसकी आमदनी कहाँ से होती है खेती से, बागवानी करता है उससे, जानवर का दूध बेचता है उससे, गन्ने का पैसा बाकी, दूध का पैसा बाकी, गेहूँ का पैसा बाकी, धान का पैसा बाकी, और किसान बेचारा बाजार में लेने जाये कोई सामान तो नगद। यह कहाँ का न्याय है, श्रीमन् बकाया किसका है, इसमें कौन-कौन है, उमाशंकर यादव, रामपुर कलां, हृदय नारायण यादव, धेरूछपरा, राकेश यादव, कृष्ण यादव, रामपुर नमरी, गोरख यादव, जितौरा शिवमंगल यादव इटोरा, रमेश यादव, मनिया, मुनि यादव मानिकपुर, वीरेन्द्र यादव, हुसैनपुर, लक्ष्मन यादव, पितम्बरा, जय किशन यादव, कमालपुर और वीरेन्द्र यादव, सिसौटा मा0 अध्यक्ष जी, इनका यही दोष है कि ये लोग यादव हैं, इसीलिए इनको नहीं मिल रहा है। गाँव के यादव तो और गरीब हैं। ये लोग दियारे इलाके के हैं, बाढ़ में इनकी फसल नष्ट हो जाती है। ये लोग दूध बेचकर अपने परिवार की जीविका चलाते हैं, उनका पैसा नहीं मिला। ये धान क्रय केन्द्र की बात करते हैं कि हमने इतना धान खरीद लिया। कागज पर खरीद लिया होगा।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने मित्र वित्त मंत्री जी से प्रैक्टिकली कहता हूँ कि क्रय केन्द्रों का लोग चक्कर काटते रहे, जो बहुत पहुँच वाले, दबंग किस्म के आदमी थे, उनका कुछ धान खरीद लिया गया, बहुमत में उन लोगों के धान नहीं खरीदे गये। धान बिचौलिये तथा मिल वाले खरीदे और किसानों से खतौनी लेकर उसी रेट पर क्रय केन्द्र पर ले जाकर बेंच दिये।

मा0 अध्यक्ष जी, धान क्रय केन्द्रों पर बोरे उपलब्ध न होने से किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है। धान क्रय केन्द्र के प्रभारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रहा। नतीजा ढाक के तीन पात। धान क्रय केंद्र प्रभारी दिखा रहे सरकारी आदेशों को ठेंगा। धान खरीद में फिर टूटा रिकार्ड। धान खरीद केन्द्रों पर दिन भर नहीं होती तौल, फिर कैसे पूरा हो रहा लक्ष्य। फसल

बेचे या फेंके, बात एक ही है। कई दिन बाद यूरिया खाद से खाली हैं दुकानें। मा0 मंत्री जी कह रहे थे कि इतना यूरिया है कि कोई ले ही नहीं रहा है।

(कृषि मंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप बैठिये, जब आपको उत्तर देना होगा, तो आप बोल लीजियेगा। अगर मित्र ही मित्र का दुश्मन होगा, तो कैसे चलेगा ?

कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मित्र के नाते आपको मेरा एक सुझाव है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 मंत्री जी, आप बैठिये। आप बैठिये कृषि रक्षा इकाइयों पर दवाइयों का टोटा, पर सरेन्डर हो गया धनराशि रु0 7.70 करोड़। शुष्क सिंचाई योजनाओं में एक भी किसान को नहीं मिली सब्सिडी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप पेपर की कटिंग पढ़ रहे हैं, क्या संसदीय परम्परा कुछ बची है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपकी अनुमति से चल जाता है। कहा जाता है, तो ठीक लगता है कि सब कमवा वही करते हैं। (सदन में हँसी) आप भी जब यहाँ पर थे तो वही करते थे। आप करें तो मीठा-मीठा, हम करें तो फीका-फीका। हम तो आपका ही अनुसरण कर रहे हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे मित्र कहते हैं कि आप डाटा न पढ़िये, ऐसे ही बोलिये, लेकिन डाटा कुछ बोलना ही पड़ता है। सरकारी और अर्द्ध-सरकारी विभागों के हजारों कर्मचारी दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन-पोषण नहीं कर पा रहे हैं।

जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे तो अपने समय में उन्होंने इन कर्मचारियों को नियमित कर दिया था। उसके बाद दैनिक वेतन के जितने भी कर्मचारी हैं आज तक नियमित नहीं हुए। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि उन गरीब कर्मचारियों को नियमित करके उनके परिवार पर उपकार करने की कृपा करें। अपने भाषण में वित्त मंत्री जी ने यह नहीं कहा है न ही कोई संवेदना ही व्यक्त किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप इसे करेंगे क्योंकि मुख्य मंत्री जी आपको बहुत मानते हैं और आप उनसे कह देंगे तो आपकी बात वह नहीं टालेंगे।

किसान के बाद सबसे गया गुजरा वर्ग बुनकर का है। 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रदेश में बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली आपूर्ति का शासनादेश जारी किया था, इसी व्यवस्था से प्रदेश के बुनकरों को बिजली मिल रही थी, परन्तु 2020 में आज की

सरकार ने बुनकर हड़ताल के बाद यह व्यवस्था समाप्त कर दी। बुनकरों व सरकार में कुछ बात हुई। बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में बुनकरों के हड़ताल के बाद सरकार ने जुलाई, 2020 तक का बिजली बिल जमा कराया और साथ ही कहा आगे नई व्यवस्था के साथ नया शासनादेश जारी करेंगे। बुनकर गरीब आदमी थे उन्होंने बिल जमा कर दिया, लेकिन आज तक शासनादेश जारी नहीं किया गया। प्रदेश भर के बुनकर बाहुल्य जनपदों में बुनकरों की विद्युत लाइन काटी जा रही है। जैसे किसानों की विद्युत लाइन काटी जा रही है, उनके घर की लाइन काटी जा रही है। बुनकरों की बिजली जो उनकी रोजी-रोटी का साधन है वह काटी जा रही है। जो आपने वायदा किया है उसे पूरा कीजिए। माननीय मुलायम सिंह यादव व श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में बुनकरों के लिए जो बिजली की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को आप लागू करिये।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।)

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने कृषि विभाग को 8.42 करोड़ का बजट दिसम्बर में जारी किया और बजट इस्तेमाल की अनुमति एक महीने बाद जनवरी में दी गयी। टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने में लगभग 100 दिन लगते हैं। सरकार का यह बजट विभागीय उदासीनता के कारण अब सरेण्डर हो रहा है। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो सकी। साधन सहकारी समितियों पर खाद किसानों की फसल बुआई के बाद पहुँच सकी और आँकड़ों की बाजीगरी के सहारे केवल लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास किया जा रहा है।

गन्ना पेराई सत्र, 2016-2017 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने गन्ना मूल्य 280 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 305 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था। चार साल से यह सरकार है और गन्ने का मूल्य केवल 10 रुपये बढ़ाया गया है। यह किसानों की हितैषी सरकार है ? माननीय अखिलेश यादव जी ने गन्ना का दाम बढ़ाया, किसान खुश हो गये और गन्ना बोने का क्षेत्रफल बढ़ गया था। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के फसल का मूल्य बढ़ाने की घोषणा की, लेकिन यह सब छलावा साबित हुआ। गन्ना किसानों को जो पर्चियाँ दी जा रही हैं उस पर जीरो लिखा जा रहा है। बकाया तो है ही, लेकिन गन्ने के दाम में एक पैसे की बढ़ोत्तरी नहीं की गयी। शुरू में मात्र 10 रुपया इन्होंने बढ़ाया था। किसान आन्दोलन पर है, लेकिन इनके कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। कहा गया कि हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया है। भगवान इससे असत्य बात क्या हो सकती है। किसान कह रहा है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई और यह कहते हैं कि हमने तो लागू कर दिया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में क्या था, उसमें यह था कि किसान की लागत मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक मूल्य घोषित किया जाए।

गन्ना संस्थान शाहजहाँपुर ने माना है कि गन्ने की लागत मूल्य 297 रुपये आ रही है जबकि वर्तमान बीज, खाद, सिंचाई, रसायन के बढ़े हुए मूल्यों के हिसाब से तो यह 350 रुपये से भी अधिक आयेगी। अतः सरकार को कम से कम 400 रुपये क्विंटल गन्ने का मूल्य निर्धारित करना चाहिए। यह देश की संस्था है, आप ही के जनपद में किसान अपने खेत में

नकद पैसा लगाकर गन्ना पैदा करता है और चीनी मिलें गन्ने का मूल्य कई-कई महीने और कुछ तो सालों-साल भुगतान नहीं करतीं। सरकार ने 14 दिन के अन्दर सम्पूर्ण दावे का भुगतान करने का वायदा किया था, अपने संकल्प-पत्र में और कहती क्या है कि हमने इतना गन्ने का मूल्य भुगतान कर दिया। कहा तो सम्पूर्ण, और कह रही है कि इतने गन्ने का मूल्य हमने भुगतान कर दिया। यह नहीं कहती सरकार कि हमने शत-प्रतिशत गन्ने मूल्य का भुगतान कर दिया, आपसे अधिक भुगतान कर दिया। यह कौन बड़ी बात की अधिक कर दिया अधिक गन्ना भी तो पैदा हुआ। अखिलेश यादव जी ने गन्ने का दाम बढ़ाया, इनकी सरकार में भी गन्ने का दाम बढ़ा और किसान गन्ना बोने लगा। आपने तो बड़ी मेहरबानी की किसान की आमदनी दोगुना कर रहे हैं। 10 रुपये बढ़ाये चार साल हो गया। अब तो बढ़ायेंगे भी नहीं क्योंकि जय राम का समय आ गया है। जाने का समय आ गया है। अब जब आप इस बार नहीं बढ़ायेंगे माननीय मंत्री जी तो फिर गन्ने का रकबा कम हो जायेगा। वर्ष 2019-20 में लगभग 2200 करोड़ और वर्ष 2020-21 में लगभग 12000 करोड़ का गन्ना किसान मिलों को दे चुके हैं। परन्तु भुगतान 3200 करोड़ रुपये का ही हो सका है। आप तो दावा करते हैं कि गेहूं, धान खरीद का सब भुगतान हो गया है। एम0एस0पी0 का दाम किसानों को नहीं मिल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। यह सही बात है कितना ही माननीय मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, कृषि मंत्री जी ढिंढोरा पीट लें कि हमने इतना धान खरीदा, इतना गेहूँ खरीदा, इतना गन्ना खरीदा लेकिन एम0एस0पी0 का रेट मामूली से किसानों को मिला है। इसीलिये तो किसान आन्दोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि तीनों कृषि कानून वापस लो और एम0एस0पी0 पर कानून बना लो। चाहे सरकारी क्रय केन्द्र को हम धान बेचें, गेहूं बेचें चाहे कोई फसल बेचें, चाहे व्यापारी को बेचें, चाहे आढ़तिया को बेचें, उससे कम दाम पर कोई खरीदेगा तो उसको जेल ही नहीं होगा बल्कि आर्थिक दंड भी लगाया जायेगा तब गरीब किसानों को लाभ होगा। इस पर आप तैयार नहीं हैं, पता नहीं क्यों। कौन आपको रोक रहा है। किसान हितैषी सरकार हैं आप। आप ही लोगों ने कहा था 2014 के लोक सभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय गुजरात के मुख्य मंत्री थे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बन जायेगी तो देश के सम्पूर्ण किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। आज देश में 45 वर्षों के बाद सबसे बड़ी बेरोजगारी है माननीय अध्यक्ष जी। नये कृषि कानून कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम, 2020 में कहा गया है कि करार समय, क्वालिटी, श्रेणी, मानक कीमत पर आधारित होगी। कल माननीय नेता सदन यहाँ बोल रहे थे। हमारे क्षेत्र के गाजर के हलवे का उदाहरण दे रहे थे। बहुत बढ़िया हलवा बनता है, शुद्ध घी से बनता है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र के गाजर के हलवा का उदाहरण दे रहे थे, बहुत बढ़िया हलवा बनता है, शुद्ध घी से बनता है, लेकिन वह करार की खेती पर नहीं बनता है। हमारे क्षेत्र में एक बेल्ट ऐसी है जहाँ 25, 30, 50 गाँव के 90 प्रतिशत लोग केवल सब्जी की

खेती करते हैं और वह गाजर वहीं से खरीदते हैं। करार में कहा गया है कि क्वालिटी श्रेणी मानक कीमत पर आधारित होगी। किसान ने खेत में गेहूँ बोया, गेहूँ आ गया, अब अगर कोई महामारी आ गयी तो थोड़ा सा पतला हो गया या कोई रोग लग गया या थोड़ा टेढ़ा हो गया तो वह कहेगा ही कि करार हमने पूस के लिए किया था, हम तुम्हारा नहीं खरीदेंगे कल यह खेत नहीं जायेगा। खेत जायेगा, किसान अपनी खाद, बीज, सिंचाई, पूरे अपने परिवार की उसी में मजदूरी, 24 घण्टे में 18 घण्टे खेत-खलिहान में काम करेगा। अगर दैवीय आपदा से इसमें कुछ इधर-उधर हो गया तो करार करने वाला आदमी कहेगा कि हम तुम्हारा उस रेट पर नहीं लेंगे। इस रेट पर देना हो तो दो नहीं तो लेकर जाओ। एक बार हो गया, एक दो बार हो गया, कर्ज लेकर वह घर चलाता रहा, तीसरी बार अगर ऐसा हो जायेगा तो उसको खेती अपनी गिरवी रखनी पड़ेगी या बेच ही देनी पड़ेगी। मा0 मुख्य मंत्री जी योगी हैं, साधु हैं, उनको क्या पता खेती के बारे में, क्या पता, उनको किसानों की कठिनाइयों के बारे में क्या पता ? मैं आपके माध्यम से मा0 वित्त मंत्री जी से कहता हूँ कि-

"कहते हैं हर बात जुबां से हम इशारा नहीं करते।
आसमां पर चलने वाले जमीं पे गुजारा नहीं करते।।
हर हालात को बदलने की हिम्मत है हममें
वक्त का हर फैसला हम गंवारा नहीं करते।"

गौवंश आश्रय के लिए मा0 नेता सदन, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी छाती पीटते हैं कि इतने गौवंश आश्रय हमने बनवा दिया है तो फिर रात भर खेत की रखवाली किसान क्यों कर रहा है ? अगर सारी गायों को आपने आश्रय स्थल में रख दिया होता तो रात-दिन किसान अपने खेत की रखवाली नहीं करता। अभी हम लोग एक दिन बाई रोड बरेली से आ रहे थे, 10-15 आदमी लाठी लेकर खड़े थे। मैंने कहा यह लोग मारेंगे तो नहीं तो उसने कहा कि नहीं यह इसके खेत में जानवर ना आ जाये इसलिए रात भर पहरा दे रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ। कोई भी आदमी हर चीज लाभ के लिए करता है। मैं समाज कल्याण मंत्री रहा हूँ। वृद्धाश्रम चलाने के लिए लोग दौड़कर लाइन में लगते थे। वह वृद्धों की सेवा करने के लिए नहीं, वह वृद्धों के नाम पर मिलने वाले पैसे का लाभ कमाने के लिए लाइन में लगते थे। उसी तरह से गौ-आश्रय चलाने वाले लोग गायों की सेवा करने के लिए नहीं, जो आप पैसा दे रहे हैं, उसको लूटने के लिए चला रहे हैं। अन्न, पानी, भोजन बिना इन गौशालाओं में हजारों गायें मर गयी हैं। यह तो अखबारों में आया है। मा0 मंत्री जी कहते हैं कि इसका संज्ञान नहीं लिया जाता है, आखिर जानकारी कैसे होगी ? अभी बाराबंकी में 3-4 गौशालाओं में सैकड़ों गायें मर गयी हैं। गौशालाओं में गायें कई दिन से भूखी कांप रही थीं, गांव के लोगों ने जाकर कुछ चारे की व्यवस्था की थी। यह केवल कर देने से नहीं होगा, उसकी व्यवस्था करने से होगा। हर गौशालायें जो साधु-सन्त चलाते हैं, हमने देखा है वृन्दावन, मथुरा में वहां की गायें बिल्कुल पुष्ट हैं।

मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूँ। उन गौशालाओं को जाकर देख लीजिए जरा अपनी गौशालाओं को देख लीजिए गश खाकर आप वहीं गिर जाएंगे। अगर गौ-माता के आप पुजारी हैं गौ-माता कहते हैं गो-पालक तो हम लोग हैं यादव लोग हमारा तो काम ही है गौ-माता की सेवा करना, लेकिन आप जाकर देखिए जो साधू-सन्त गौशाला चला रहे हैं उनकी गौ-माताओं को देखिए और जो आपकी सरकार गौशालाएं चला रही हैं यहाँ की गौ-माता को देखिए अगर गश खाकर न गिर जाएं तो पूछना। बड़ी बुरी हालत है गौशालाओं की पैसा आप देते हैं वह लूट लेते हैं आप देखने तो जाते नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर जनपद बाराबंकी के ग्राम बहलोलपुर गौशाला सिगरौली, गौसपुर ब्लाक में पाँच गौशालाएं श्यामनगर गौशाला, ठाकुरपुर गौशाला, ग्राम पंचायत हाजीपुर की गौशाला, भर्थाई गांव की गौशाला, थाल खुर्द गांव की गौशालाओं में बेजुमान तड़प-तड़प कर मर रहे हैं कई-कई महीनों से सेवादारों को मानदेय भी नहीं मिला है। इसलिए आपकी करनी और कथनी में बहुत अन्तर है। कहीं-कहीं स्थानीय लोग इन तड़पते बेजुबानों को देखकर कुछ कर देते हैं।

अध्यक्ष जी, विकास जो बजट भाषण माननीय वित्त मंत्री जी ने पढ़ा विकास का ढिंढोरा पीटा विकास का अर्थ यह लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। विकास हो रहा है देश और दुनियाँ में विकास का डंका बज रहा है। विकास की हकीकत का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ केवल लखनऊ का यहां का हाल यह है कि 852 करोड़ रुपए में से केवल 280 करोड़ रुपये एल0डी0ए0 खर्च कर चुका है। आपके नाक के नीचे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। शासन यह रकम समग्र विकास और अवस्थापना निधि में शहर में पार्कों, सड़कों, नाले और नालियों के निर्माण के लिए दिया था राजधानी में 1495 करोड़ की परियोजनाएं ठेकेदारों और इंजीनियरों के भरोसे चल रही हैं। इनमें क्या काम हो रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि सपा सरकार की परियोजनाएं भी अधूरी हैं। यह परम्परा है आप सरकार में हैं कल नहीं रहे तो इनकी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं जो सरकार यहाँ पर आएगी उसकी प्राथमिकता है कि पहले उन परियोजनाओं को पूरा करे क्योंकि उसमें जनता का पैसा लगा हुआ है। हमें खेद है कि समाजवादी पार्टी सरकार की जो भी योजनाएं अधूरी हैं चाहे 15 प्रतिशत, चाहे 20 प्रतिशत यह सरकार ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। वह जनता का पैसा है आप अपने सामने ही गोमती रिवर फ्रंट को देख लीजिए। पुराने लखनऊ को जयप्रकाश नारायण जो इस देश की आजादी की दो बार लड़ाई लड़े, दर्जनों बार जेल गए 1974 की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टचार की लड़ाई लड़े। इसमें यह लोग भी जेल गए और उन्हीं की कृपा से इस स्थिति में यह पार्टी आई हुई है। वह भी अधूरा है। हमारे क्षेत्र में एक पुल घाघरा नदी पर दिया था माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने जो अधूरा पड़ा है। गंगा में पुल दिया था अब तक नहीं बन पाया। आपने न कोई पुल बनाया एक अगर घाघरा पर, गंगा पर, यमुना पर किसी बड़ी नदी पर अगर सरकार ने पुल बनाया हो तो बता दें।

मा0 अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.32 लाख मकानों की स्वीकृति दी गई, जिसमें से मात्र 740 मकान बनकर तैयार हो पाये हैं, 40 हजार मकानों का कार्य अधूरा है और शेष का कार्य अभी प्रारम्भ ही नहीं हुआ है। पिछली बार कहा था कि यह क्या बजट लेकर आए हैं। सरकार ने बजट में दावा किया है कि हमने एक दिन में 25.87 करोड़ पौधों का रोपण किया है। मैं आगरा का उदाहरण दे रहा हूँ, आगरा में एक लाख पेड़ हवा में लगा दिये गये। कुछ गड्ढे खोदे गये, परन्तु पेड़ लगे ही नहीं, केवल कागजों पर पेड़ लगा दिये गये और गिनीज बुक में नाम भी मिल गया। पेड़ नदारद और गिनीज बुक में नाम और इन लोगों को पुरस्कार तो इतने मिले हैं कि उसी से दबे दबाये जा रहे हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि राम गोविन्द चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा पर कुछ बोले ही नहीं, इसलिये कि समाजवादी पार्टी को शिक्षा से कुछ लेना-देना नहीं है। समाजवादी पार्टी की जो संरचना, स्थापना, समाजवादी विचारक जो रहे हैं वह देश ही नहीं दुनिया के महान, प्रकाण्ड विद्वान रहे हैं। आप जानते हैं कि आचार्य नरेन्द्र देव सात भाषाओं के विद्वान, लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल जो देश के जाने माने समाजवादी रहे, वह समाजवादी पार्टी के सदस्य भी रहे, वह देश और दुनिया के जाने माने प्रोफेसर रहे। चंद्रशेखर जी जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम0ए0 करके आये और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र से पी0एच0डी0 के लिये एप्लीकेशन दी तो आचार्य नरेन्द्र देव जी ने कहा था कि चन्द्रशेखर तुम क्यों पी0एच0डी0 करना चाहते हो, यही ना कि प्रोफेसर बन जाओगे। तनख्वाह मिलेगी परिवार चलाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम देश चलाओ। पी0एच0डी0 छोड़ो मैं तुमको इलाहाबाद का समाजवादी पार्टी का महामंत्री बना रहा हूँ, जाओ और समाजवादी पार्टी को मजबूत करो।

समाजवादी पार्टी में ऐसे विद्वान लोग रहे हैं और मा0 मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण देश और दुनिया के विश्वविद्यालयों से टॉप करके आये, डा0 राम मनोहर लोहिया दुनिया के दो-दो विश्वविद्यालयों से टॉप करके आये और समाजवादी पार्टी की राजनीति की, समाजवादी पार्टी चलायी। आज की वर्तमान समाजवादी पार्टी के संस्थापक मा0 मुलायम सिंह यादव खुद शिक्षक थे और इस प्रदेश के शिक्षक लोग यह जानते हैं कि इस प्रदेश में आज जो भी सुविधायें माध्यमिक और उच्च शिक्षा में मिल रही हैं। अगर वह किसी की देन है तो केवल मा0 मुलायम सिंह यादव जी की ही देन है। उन्होंने पेंशन की व्यवस्था की, उन्होंने बैंक पेमेन्ट की व्यवस्था की, टीचरों-गुरुओं का मैनेजरों से गला छुड़ाया। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री मा0 अखिलेश यादव ने लखनऊ के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल से पढ़ाई शुरू की और वह देश के सबसे प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल में पढ़े, देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज सिडनी यूनिवर्सिटी में पढ़े और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है। हम तो यह सोचते थे कि जब मैं बेसिक शिक्षा मंत्री रहा हूँ, मा0 मंत्री जी यहाँ हैं ही, लोग कहेंगे कि अब यह अपने काल में बढ़ने लगे,

इसलिये शिक्षा के मामले में मैं चुप रहता हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, हम बेसिक शिक्षा विभाग में भी थे और मैंने ईमानदारी से कोशिश की कि बेसिक शिक्षा को पटरी पर लाया जाये। मैंने गुरुजनों को बुलाया और उनसे कहा कि आपको इतनी बड़ी धनराशि सरकार देती है, आप पढ़े-लिखे लोग हो, अच्छे घर के हो, अच्छे खानदान के हो इसके बावजूद लोग प्राइमरी स्कूल में अपने लड़के को पढ़ाना-लिखाना पसन्द नहीं करते हैं। इसलिए आप पढ़ाइये मैंने कहा कि जो यूनियन के अध्यक्ष लोग हैं, पदाधिकारी हैं वह पहले स्कूल में जायं। एक बार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के लोगों ने महारैली की और मैं स्वयं उस रैली में बिना बुलाये चला गया, यहाँ तो लोग आते हैं लाठी खाते हैं चले जाते हैं। एक दरोगा भी पत्र लेने के लिए तैयार नहीं होता है। उस महारैली में मैं स्वयं गया और गुरुजनों से कहा कि आप क्यों कष्ट में हैं ? आपका मामला क्या है ? वह लोग भौंचक हो गये कि हम जिसके खिलाफ बोल रहे हैं वही रैली में आ गया। उन लोगों की जो मांगें थी वह मैंने मानी और उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी संगठन हैं उनको मा0 मुख्य मंत्री जी से मिलवा दीजिए।

मैंने प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाई स्कूल सहायता प्राप्त शिक्षक संघ और माध्यमिक शिक्षक संघ के जितने भी बोर्ड थे एवं उच्च शिक्षक संघ जैसे सभी संगठनों को मा0 मुख्य मंत्री जी से मिलवाया और उनके सामने ही मैंने कहा कि मा0 मुख्य मंत्री जी जिस देश और प्रदेश का शिक्षक दुखी होगा वहाँ का समाज कभी सुखी नहीं हो सकता है। आप इनकी बात को सुनिये, इनकी बात को मानिये और जो सामर्थ में न हो उसके लिए इनसे अनुरोध कर लीजिए। मैंने कक्षा-1 से अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य कर दी और हर ब्लॉक में हर जनपद में, हर शहर में, हर देहात में पब्लिक स्कूलों को टक्कर देने के लिए इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई शुरू करने की व्यवस्था करी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बच्चों के लिए बैग, दूध, फल आदि की व्यवस्था करी और देश दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था से भोजन परोसने की भी व्यवस्था करवाई। इसके बावजूद भी मैं जानबूझ कर शिक्षा पर नहीं बोलता हूँ। समाजवादी शिक्षित हैं हमारे पूर्वज देश और दुनिया में विद्वान रहे हैं और आज भी हैं। अब हम शिक्षा की डिटेल में नहीं जायेंगे मा0 शिक्षा मंत्री जी स्वयं प्रोफेसर हैं और हम जानते हैं कि यह बेहतर काम करेंगे। वह स्वयं गुरू हैं और हमारे सामने बैठे हैं,

(इसी मध्य 1 बज कर 43 मिनट पर श्री अधिष्ठाता श्री मयंकेश्वर शरण सिंह पीठासीन हुए)

लेकिन जिसके आप मंत्री हैं और जिसके हम मंत्री रहे हैं, मैंने वास्तव में बहुत कोशिश की है। मैंने हर सत्र में हर टीचर को चिट्ठी लिखी है, हर यूनियन को चिट्ठी लिखी है चाहे वह एडवोकेट की यूनियन हो, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और यहाँ तक कि जो सामाजिक संस्थायें थीं उनको भी चिट्ठी लिखी और सभी मा0 विधायकों को हर सत्र में पत्र लिखा कि आप लोग क्षेत्र में जाते हैं प्राइमरी स्कूलों में भी जाया करें, क्योंकि आपके जाने से टीचरों को शर्म आएगी और अगर नहीं जायेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों की स्थिति क्या है ? मैंने बहुत कोशिश की है और मैं जानता हूँ कि जो मा0 मंत्री वर्तमान में हैं

यह भी कोशिश करते होंगे। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने मित्र वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूँ -

"रास्ते मुश्किल हैं, पर मंजिल जरूर पायेंगे
ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है, इसे भी जरूर हरायेंगे"
अकड़िये मत, ऐठिये मत, अहम में मत जिया करें।

हम वहां आयेंगे जो 4 साल 5 साल में आपने प्रदेश की दुर्दशा किया है, मैं इस प्रदेश को पूरा विकास के रास्ते पर अपने अगले मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी को लेकर आयेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि रास्ते मुश्किल हैं, आप भी तो सपने देख रहे थे, आपके भी तो मुंगेरी लाल के सपने थे, वो पूरा हो गया तो जब ये देख रहे थे तो पूरा हो गया तो हम देख रहे हैं तो मेरा निश्चित पूरा होगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि रास्ते मुश्किल हैं, पर मंलिज जरूर पायेंगे। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप लोगों के दिमाग को भरमाने की कला जानते हैं। जनता का वोट कैसे लें इसको ठगने की कला है आपमें। हम क्या कहकर समाजवादी पार्टी को बदनाम कर दें, यह कला है आपमें तो रास्ते तो मुश्किल हैं क्योंकि आपकी तिकड़मबाजी से हम लोग समाजवादी सीधे-साधे आदमी हैं। आपकी तिकड़मबाजी से हमको लड़ना है इसीलिए मैं कह रहा हैं कि रास्ते मुश्किल हैं, मंजिल जरूर पायेंगे, ये जो किस्मत अकड़कर बैठी है, इसे भी जरूर हरायेंगे। हम भी 77 से उथल-पुथल देख रहे हैं, जो नये साथी हैं वे भी देख रहे हैं और ये तो 80 से उथल-पुथल देख रहे हैं। यह जनता है कब क्या कर देगी किसी को पता नहीं ? और जनता मन बना चुकी है, आपसे ऊब गयी है, आपके कारनामों से ऊब गयी है, आपके झूठे आश्वासनों से ऊब गयी है और जो देश का अन्नदाता जो तीन महीने से कड़ाके की ठण्ड में अपनी जान गवां रहा है, इसकी टोले-मोहल्ले में चर्चा हो रही है। ठीक है कि पूर्वान्चल में किसान गरीब है, उसको अपनी खेती-बाड़ी से फुर्सत नहीं है, पैसा भी नहीं है कि जाकर दो महीना गुजारे लेकिन सीने में उसकी हमदर्दी है, किसान आन्दोलन के लिए।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसान ही इनको गद्दी पर बिठाया, पिछड़ा इनको गद्दी पर बिठाया, दलित, आदिवासी, वनवासी बहुमत में वोट देकर इनको गद्दी पर बिठाया है और जिसने गद्दी पर बिठाया पिछड़ा, दलित, वनवासी, आदिवासी इसको हजार वर्ष पहले की जो स्थिति थी उस स्थिति में उसको ले आना चाहते हैं। वजीफा आधा और आधा भी मिल नहीं रहा आरक्षण भी खत्म मिल नहीं रहा। उसको कोई सुविधायें देने में कटौती मिल नहीं रहा। ये जानते हैं कि 27 प्रतिशत यह फरमा रहे थे कि सबके आरक्षण का लाभ यादव ले रहा है, तुम क्यों इस चक्कर में पड़े हो। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मण्डल कमीशन से 27 प्रतिशत आरक्षण, एक नम्बर पटेल लोग पाते हैं, 2 नम्बर यादव लोग पाते हैं, 3 नम्बर कुशवाहा लोग पाते हैं और उसके बाद 3 और 4 कुशवाहा, पटेल और कितना वोट इनको दिये होंगे, ये जान रहे हैं। उस पिछड़े वर्ग का अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। माननीय

अधिष्ठाता महोदय पढ़े-लिखे इसे समझ रहे हैं। उन्होंने ठान लिया है कि हमने जिसको बनाया उसने हमको भुला दिया। जिसको हमने बनाया वह हमको हजार वर्ष पीछे ढकेलने का कार्य कर रहा है। इसलिये इस बार सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोग इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं इसलिये यह लोग वहां सत्ता पक्ष में यहां विपक्ष में आयेंगे और हम यहां से वहाँ जायेंगे। 45 वर्ष के अन्दर इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं आई। करोनाकाल में लोग बेरोजगार हो गये। कल माननीय नेता सदन कह रहे थे कि हमने मनरेगा में लोगों को काम दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो लड़का एम0ए0 और बी0एड0 किया हो, महाराष्ट्र मुम्बई, गोवा, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, असम, कलकत्ता, बंगाल में अगर बाबू का काम करता हो या फिर उसके ऊपर का काम करता हो तो उससे क्या आप मनरेगा में मिट्टी ढुलवायेंगे और क्या वह मिट्टी ढोयेगा। आप उसको किस स्तर पर ले जाना चाहते। वास्तविकता यह है कि मनरेगा में उसी व्यक्ति ने काम किया जो पहले से मनरेगा में काम कर रहा था और जिसका वहां पर रजिस्ट्रेशन था। बिना रजिस्ट्रेशन के आप मनरेगा में कैसे काम दे सकते हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गये जो गांव में आये। जो पहले से बेरोजगार थे वह तो थे ही।

बेरोजगार लोग आत्महत्या कर रहे हैं। श्रम विभाग में 3784255 श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया। देश में वर्ष 2018 के अन्दर 1,29,036 नौजवानों ने बेरोजगारी के कारण जान दे दी। रोजाना औसत रूप से 35 लोग बेरोजगारी के चलते जान दे रहे हैं। बेरोजगारी दर देश में 6.97 है और एन0आई0ई0 के अनुसार उत्तर प्रदेश में यह बेरोजगारी की दर 4.92 परसेण्ट है। आपने अपने संकल्प-पत्र में कहा था कि 30 दिन के अन्दर हमारी सरकार आयेगी तो हम सबको समायोजित कर देंगे लेकिन यह नहीं हुआ। अगर सूचना सही है तो आपने 30-35 सरकारी विभागों को ही बन्द कर दिया। जो नियुक्तियां आपने निकाली थीं उनका पेपर आउट हुआ, परीक्षायें कैंसिल हुईं और फिर दोबारा नहीं हुई। श्री अखिलेश यादव जी के मुख्य मंत्री काल की नियुक्तियाँ जिनकी प्रक्रिया आगे बढ़ गई थी वह भी आज तक पूरी नहीं हुई। नौजवान बेरोजगार है, वाण्ट निकलती है वह फार्म भरता, हजारों रुपये का आवेदन शुल्क जमा करता है लेकिन नियुक्तियां निरस्त कर दी जाती हैं। मैं भी बेसिक शिक्षा मंत्री था और जब नियुक्तियां निरस्त हुईं तो मैंने उनके खाते में पैसा लौटाया। मा0 अध्यक्ष जी, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, श्रमिक परेशान है और फिर भी आप कहते हैं कि हम सबके हितैषी हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि किसके लाभ के लिए आपने श्रम कानूनों को समाप्त कर दिया। श्रम कानून क्यों बनाये गये थे।

अधिष्ठाता महोदय, क्यों समाप्त किया, किसके लाभ के लिए समाप्त किया ? श्रमिकों के लाभ के लिए समाप्त किया या कार्पोरेट घराने के लिए किया। जब श्रम कानून ही नहीं रहेगा तो श्रमिकों का, कर्मचारियों का शोषण होगा कि नहीं होगा ? किसके हित में आप काम कर रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, पूरा देश यह जान गया है कि यह सरकार केवल कार्पोरेट घरानों की

हितैषी है। भर्ती के लाभ में हजार-हजार रुपया लेकर सरकार ने कमाने के लिए किया कि उनको रोजगार देने के लिए किया ? एक जगह जहां नौजवानों का जीवन अंधकारमय बना दिया जाता है वहीं ठेका कम्पनी डबल लाभ हासिल कर रही है। भ्रष्टाचार का हाल यह है कि काली सूची में डाली गयी मैन पावर सप्लाई एजेंसियों को भी कार्य करने की अनुमति दी जा रही है। सरकार जिन पदों पर आज भर्तियां करने का दावा करती है यह ज्यादातर वर्ष 2015 तथा 2016 के समय समाजवादी पार्टी के समय जो विज्ञप्ति हुई, जिनकी भर्ती सत्ता परिवर्तन के कारण नहीं हुई। भाजपा सरकार की नीयत यदि साफ होती तो भर्तियां पांच-छः महीने में पूर्ण हो जातीं। वर्ष 2014-15 में अधियाचित प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों की भर्ती पाँच वर्ष में पूर्ण हो पाई है।

भाजपा सरकार ने अपने घोषण-पत्र में कहा था कि 90 दिन के अन्दर प्रदेश के सभी रिक्त सरकारी पदों के लिए पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। एक आर0टी0आई0 में यू0पी0एस0एस0सी0 में बताया है कि भाजपा सरकार आने के बाद अप्रैल, 2017 से यू0पी0एस0एस0सी0 ने केवल 7 भर्ती विज्ञापन प्रकाशित किए हैं, जिनमें केवल 12357 पदों पर भर्ती होनी है। वह भी पूरी नहीं कर सकी। वर्ष 2015 तथा 2016 की कई भर्तियां अभी प्रक्रियाधीन हैं। लगभग 5 लाख सरकारी पद रिक्त पड़े हैं आज शिक्षित बेरोजगार नवयुवक आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। एन0सी0आर0बी0 2019 की रिपोर्ट बताती है कि आत्महत्या का आंकड़ा सबसे ऊपर हो गया है। 25 सालों में नहीं 45 सालों में इतनी बड़ी बेरोजगारी न हिंदुस्तान में हुई और न उत्तर प्रदेश में हुई है। अब तो हाल यह है कि बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। आप तो सब सरकारी-गैर सरकारी कम्पनियों को बेच रहे हैं। निजी घरानों में जा रहा है। जो सरकारी कर्मचारी आठ घण्टे काम करते थे अब बारह घण्टे काम को कर रहे हैं। निजी कम्पनियां जब चाहें रखें, जब चाहें निकालें जितना पैसा चाहें उतना दें, चाहें न दें। आपका कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया है। मतलब सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं रह जायेगा तो सरकार क्यों बने ? क्यों चुनाव हो ? क्यों हम और आप यहाँ चुनकर आयें ? क्यों प्रदेश की जनता पर इतना बड़ा बोझ पड़े ? जब हमारी कोई जिम्मेदारी ही न हो इसलिए मैं अधिष्ठाता महोदय आपसे कहना चाहता हूँ कि- हालात के कदमों में कलन्दर नहीं गिरता। टूटे भी जो तारा तो जमीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं समुन्दर में बड़े शौक से दरिया। लेकिन किसी दरिया में समुन्दर नहीं गिरता। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। शिक्षा चौपट, रोजगार चौपट, स्वास्थ्य चौपट, विकास चौपट कोई भी चीज पटरी पर नहीं है।

केवल झूठा आश्वासन दिया गया है कि 15 लाख देंगे, दो करोड़ नौकरी देंगे। कल मा0 नेता सदन ने कहा कि स्वर्ग में पहुंचा देंगे। कहा गया कि अयोध्या, बुन्देलखण्ड, मिर्जापुर, सोनभद्र, बहराइच का कतर्नियाघाट जाइये एकदम स्वर्ग है। यू0पी0 में लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार तड़प-तड़पकर मर रहे हैं। कई बार कहा गया कि हमारी जानकारी में किसान

आत्महत्या नहीं किये हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, अभी दो-तीन महीने पहले हमारे अध्यक्ष जी ने 30-35 विधायक और एम0एल0सी0 को भेजकर बुन्देलखण्ड में जितने परिवार के किसानों ने आत्महत्या किया था उनको समाजवादी पार्टी के सदस्यता वाले पैसे से उनके परिवार को मदद किया। मा0 अधिष्ठाता महोदय, सबसे दुख की बात है कि एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्र सरकार ने बताया कि किसान आन्दोलन में कितने लोग मरे हमको पता ही नहीं है। प्रदेश में कितने किसानों ने आत्महत्या किया है इनको पता ही नहीं है। तो फिर इनको पता क्या है। यह किसलिये सरकार चला रहे हैं और किसके लिए सरकार चला रहे हैं। किसान के लिए नहीं चला रहे हैं, श्रमि के लिए नहीं चला रहे हैं, कर्मचारी के लिए नहीं चला रहे हैं, बेरोजगार के लिए नहीं चला रहे हैं तो किसके लिए चला रहे हैं। किसके लिए चला रहे हैं, कारपोरेट घरानों के लिए चला रहे हैं। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूँ। अन्त में इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ कि-

यह जो मैकदा उदास है उसी मैकदे में बहार थी,

यह तुम्हारे जर्फ की बात है वह हमारे जर्फ की बात थी।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, तथ्यहीन, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, बेरोजगार विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, सबके विरोधी यह बजट जो पेपरलेस बजट लेकर आये हैं वह इसीलिए तो पेपरलेस लेकर आये हैं क्योंकि यह सबके लिए लेस है। इसलिए मैं इनके बजट का विरोध करता हूँ।

(विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 नेता सदस्य बहुजन समाज पार्टी श्री लाल जी वर्मा जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इनके लिए कितना समय रखा है ?

श्री लाल जी वर्मा-

आधा घण्टा।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 अध्यक्ष जी ने 15 मिनट निर्धारित किया है।

श्री लाल जी वर्मा -

मा0 अध्यक्ष जी से बात हो गयी है। अब ऐसा न करें, अगर 15 मिनट बुलाना है तो हम बैठ ही जायें।

श्री अधिष्ठाता-

मैं आपको कैसे बैठने के लिए कह सकता हूँ।

***श्री लाल जी वर्मा-**

मान्यवर, आपने मुझे 2021-2022 के आय-व्ययक पर चर्चा में अवसर देने का काम किया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार का यह आखिरी बजट है और प्रदेश की जनता ने बड़ी अपेक्षायें लगायी हुयी थी। लोगों के मन में था कि जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प-पत्र के माध्यम से जनता को आश्वस्त करने का काम किया था वह इस बजट में परिलक्षित होगा। लेकिन मान्यवर, मा0 वित्त मंत्री जी ने सबसे लम्बा-चौड़ा और सबसे लम्बे समय तक के भाषण का बजट रखा है।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, पाँचों बार जो बजट रखे गये, उसमें सबसे ज्यादा समय मा0 वित्त मंत्री जी ने लेने का काम किया है और पाँचवें बजट का आकार बहुत बड़ा बताया गया है। मैंने हर बार देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपना बजट प्रस्तुत करती है, वह बजट यथार्थ से परे हटकर होता है। केवल जनता को गुमराह करने के लिए लम्बे-चौड़े आकार का बजट प्रस्तुत करती है, लेकिन जब उसका आंकड़ा आता है तो उससे यथार्थ दिखायी पड़ता है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके व मा0 सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इन्होंने वर्ष 2017-18 में 03 लाख 84 हजार 659.71 करोड़ रुपये का बजट रखा था और कहा था कि वर्ष 2016-17 का बजट 03 लाख 46 हजार 934.78 करोड़ रुपये से 10 प्रतिशत अधिक बढ़ाकर रखा गया है। जबकि वर्ष 2017-18 का वास्तविक आंकड़ा 03 लाख 21 हजार 822.88 करोड़ रुपये आया यानी 62 हजार 836 करोड़ रुपया कम व्यय हुआ। जबकि वर्ष 2016-17 में 03 लाख 33 हजार 425 रुपया यानी जो वर्ष 2016-17 का वास्तविक व्यय था उससे भी कम वर्ष 2017-18 में व्यय हुआ। इसी तरह वर्ष 2018-19 में तत्कालीन मा0 वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हमने बजट को बढ़ाया है और उन्होंने 04 लाख 28 हजार 384.04 करोड़ रुपये का बजट रखा, मा0 नेता सदन ने बाहर जाकर उद्योगपतियों का सम्मलेन किया, उसमें भी 04 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रस्ताव प्राप्त कर लिया, उसी बजट की तरह। जब खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया। जब वास्तविक आंकड़ा आया तो 04 लाख 28 हजार करोड़ रुपये की जगह पर 03 लाख 91 हजार 210 करोड़ रुपये यानी 37 हजार 173 करोड़ रुपया कम आया। इसी तरह वर्ष 2019-20 में 04 लाख 79 हजार 701.10 करोड़ रुपया का बजट रखा गया और उसका वास्तविक आंकड़ा घटकर 03 लाख 83 हजार 351.78 करोड़ रुपया आया यानी 96 हजार 349 करोड़ रुपया कम हो गया। मा0 मंत्री जी ने स्वयं वर्ष 2020-21 का बजट रखा था और उस समय भी बहुत बड़ा ऐलान किया था। जैसे बजट के माध्यम से प्रदेश की पूरी स्थिति बदल जायेगी। वर्ष 2020-21 में 05 लाख 12 हजार 860.72 करोड़ रुपये का बजट रखा गया और अभी उसका वास्तविक आंकड़ा नहीं आया है। जब वास्तविक आंकड़ा आयेगा तो निश्चित रूप से उसमें और अधिक कमी आयेगी, लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी इन्होंने जो पुनरीक्षित किया है, जो पुनरीक्षित इस बजट के साथ दिखाया है कि हमारा वर्ष 2020-21 में पुनरीक्षित अनुमान क्या रहेगा। उस अनुमान के अनुसार यह बजट 04 लाख 14 हजार 750.58 करोड़ रुपये यानी 98 हजार 110 करोड़ रुपया कम हो गया। इसी तरह से वर्ष 2021-22 का बजट उसी तरह का होगा। मेरा अनुमान है कि वर्ष 2020-21 का केवल 04 लाख 14 हजार नहीं रहेगा, इसका 04 लाख से भी कम का वास्तविक आंकड़ा आयेगा, जब अगले वर्ष वास्तविक आंकड़ा दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से वर्ष 2021-22 का 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ रुपये बजट रखा गया और 05 लाख 50 हजार करोड़ रुपये में 37 हजार 988.94 करोड़ रुपये का घाटा है। पिछला 14 हजार करोड़ रुपये बचत का लेने का काम कर रहे हैं।

मान्यवर, अगर उसको जोड़ भी दें, तब भी करीब 23 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा आ रहा है और ये 23 हजार करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे, किस स्रोत से लाएंगे और जो ये आकार प्राप्तियों का दिखाया गया है, वह भी बढ़-चढ़कर दिखाया गया है, जिसकी सम्भावना कम है कि उसकी पूर्ति हो जाएगी। प्रदेश का हर व्यक्ति विकास चाहता है और राजनीति में रहने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि हमारे प्रदेश का विकास हो। उस विकास के लिए निश्चित रूप से उसकी चाहत रहती है और चहुमुखी विकास की कल्पना करता है, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता रहती है, कुशल प्रबन्धन की भी आवश्यकता रहती है, साथ ही साथ जनहित के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता रहती है। बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने भी संविधान सभा की बहस में इस बात को कहा था कि किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने वालों की नीयत अच्छी न हो तो अच्छे-से-अच्छा संविधान भी लोगों के लिए हितकारी नहीं हो सकता है। अगर लागू करने वालों की नीयत अच्छी है तो बुरा विधान भी लोगों के लिए हितकारी हो सकता है। मेरा जो मानना है कि इस सरकार की नीयत में ही खोट है और इसके कारण जो हमारी अपेक्षाएं थीं, जो इन्होंने वायदा करने का काम किया था वह पूरा नहीं हो पा रहा है।

अभी मा0 नेता प्रतिपक्ष भी आंकड़ा दे रहे थे कि किस विभाग में कितना खर्च हुआ। विकास के पथ पर तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उस दिशा में काम नहीं हो पा रहा है तो लोगों को कैसे धोखा दिया जाये, तो उसका सबसे आसान तरीका है उसको धार्मिक एवं अन्धविश्वास के मामलों में उलझाने का काम किया जाये। यही काम बजट के माध्यम से भी, तमाम योजनाओं के माध्यम से भी करने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, अभी यहां पर सरकार ने एक संकल्प अयोध्या एयरपोर्ट के नाम का प्रस्तुत किया था जिसे हम लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया। वह कैबिनेट की बैठक के माध्यम से भी हो सकता है, उसको विधान सभा में लाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उससे वह लाभ नहीं होने वाला था, इसलिए उस लाभ और अन्धविश्वास के जाल में लोगों को जकड़ने के लिए काम किया जा रहा है। मान्यवर, विकास सतत् प्रक्रिया है, विकास के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। क्या उन आवश्यक तत्वों के लिए

बजट में प्रावधान किया गया है ? हमारा यह मानना है कि विकास के लिए आवश्यक है कि अच्छा नियोजन हो, बेहतर क्रियान्वयन हो, अनुश्रवण हो, उसका मूल्यांकन हो, वित्तीय संसाधन की उपलब्धता हो और बिना वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के हम कुछ भी करें, चाहे जितना भी हम प्रयास कर लें, वह पूरा होने वाला नहीं है। इस बजट में वित्तीय संसाधनों का भारी अभाव है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इसमें प्राप्तियां दिखाई गयीं, उसमें वस्तु कर एवं सेवा कर पिछली बार 50 हजार 354 करोड़ रुपये, इस बार 73 हजार 285 करोड़ है, भू-राजस्व पिछली बार 405 करोड़ था इस बार 860 करोड़ है। स्टाम्प एवं पंजीकरण पिछली बार 13,855 करोड़ था, इस बार 25,500 करोड़ है, दोगुने से ज्यादा का अनुमान मा0 मंत्री जी ने लगाया है। इसी तरह से आबकारी शुल्क जो होता है पिछली बार बमुश्किल 28,593.38 करोड़ था, इस बार 41,500 करोड़ रुपये की अपेक्षा की गयी है। यह कतई पूरा होने वाला नहीं है। मान्यवर, जब नहीं पूरा होगा तो उसका परिणाम क्या होगा कि जिस तरह से हम लोगों ने बजट पास किया था, जिस तरह से पिछली बार विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि को हम लोगों ने पास करने का काम किया था और उस क्षेत्र विकास निधि का जो पैसा था, साल भर बीतने जा रहा है, उसको रिलीज करने का काम नहीं किया गया है।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ मेरा यह कहना है कि जो यह रखा गया है, इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि जो हमने अपेक्षाएँ की थीं, क्या उसे पूरा कर पाये ? जो हम लोगों मे जनता के बीच में जाने का काम किया था, कहा था, वादा किया था, क्या उसको पूरा करने का काम कर पाये ? मान्यवर, आप भी इस विधान सभा में काफी लम्बे अर्से से आ रहे हैं और मेरा यह मानना है कि हमारे तमाम सदस्य, माननीय वित्त मंत्री जी भी आठवीं बार इस विधान सभा में आए हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष भी आठवीं बार विधान सभा में आए हैं। मुझे तो विधान सभा में पाँचवीं बार आने का अवसर मिला, लेकिन उसके पहले विधान परिषद् में भी रहा। लम्बे समय से मैं भी देख रहा हूँ। मान्यवर, 03 जून, 1995 के पहले, आप स्वयं कल्पना करें, चाहे वह वित्त मंत्री हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, सब लोग अपनी-अपनी बातों को बड़े जोर-शोर से रखते हैं। माननीय नेता सदन जी कल बोल रहे थे और ऐसा खाका प्रदेश का खींचने का काम किया, जैसे पूरा उत्तर प्रदेश बहुत विकास के पथ पर आगे बढ़ गया। हमारी सबकी चाहत है कि प्रदेश विकास के पथ पर जाए। उत्तर प्रदेश देश में ही नहीं, दुनिया में नम्बर 1 पर जाए। लेकिन मान्यवर, यह कहने से और घोषणाओं से थोड़े होना है। इसके लिए इच्छा-शक्ति हो, कानून-व्यवस्था अच्छी हो, पक्षपातपूर्ण निर्णय न हों, सबका साथ सबका विकास का नारा ही न हो, वास्तव में सबका साथ, सबका विकास हो। लेकिन उस दिशा में इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। मान्यवर, जिसके कारण यह सम्भव नहीं हो पाया।

आप स्वयं भी इस बात के भिज्ञ होंगे कि 03 जून, 1995 के बाद पहली बार प्रदेश में मुख्य मंत्री, आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी बनी थीं। 1995 के पहले 80 परसेण्ट गाँवों में जाने के लिए रास्ता नहीं हुआ करता था, बिजली नहीं हुआ करती थी। मुझे भी विधान सभा

में और विधान परिषद् में रहने का अवसर मिला था। 1991 में मैं भी विधान सभा में एम0 एल0ए0 चुनकर आया था। मान्यवर, मैंने भी देखा था, किसी गाँव में रास्ता नहीं हुआ करता था, अगर आज रास्ता दिखायी पड़ता है तो वह निर्णय लेने का काम आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी ने किया था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत और आज गाँव-गाँव में उसी का परिणाम दिखायी पड़ रहा है। लेकिन मान्यवर, आज हम कहते हैं, करते नहीं और इसी का परिणाम है कि आज जो हमारा यह बजट है, हमने पिछली बार कृषि में रखा था 6176 करोड़ रुपया और मान्यवर, इस बार रखा 6315 करोड़ रुपया, केवल 2 परसेण्ट वृद्धि की गयी। पशुधन में पिछली बार 2010 करोड़, इस बार 2007 करोड़, मान्यवर, इसके साथ-साथ लोक निर्माण का जो सड़क का मद है, इसमें पिछले साल था 21860 करोड़ रुपया और इस बार रखा है 21567 करोड़ यानी कम कर दिया और कम करने के बाद भी ये प्रदेश का चहुमुखी विकास कर लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हमें उतना समय दीजिए, जितना मैंने निवेदन किया है। मैं आपके अनुसार अपने को संक्षेप करना चाहूँगा। मान्यवर, इसी तरह से पिछली बार का जो बजट रखा गया था, उस बजट में प्राथमिक शिक्षा विभाग का बजट था 55064 करोड़ और रिलीज किया गया, अभी तक खर्च हुआ है 30778 करोड़, ऊर्जा विभाग का बजट रखा गया था 33754 करोड़, खर्च किया गया है 13692 करोड़, गृह विभाग का बजट था 27268 करोड़, खर्च हुआ है 15432 करोड़, समाज कल्याण विभाग का, जिसकी आज चर्चा हो रही थी, मान्यवर, विशेष घटक का बजट था 26163 करोड़, खर्च हुआ है 11994 करोड़, ग्राम्य विकास विभाग का बजट था 20316 करोड़, खर्च हुआ है 7766 करोड़, पंचायत राज विभाग का बजट था 12460 करोड़, खर्च हुआ है 7773 करोड़, नगर विकास विभाग का बजट था 18211 करोड़, खर्च हुआ है 6054 करोड़। खाद्य एवं रसद विभाग का बजट था 16377 करोड़, खर्च हुआ है 4649 करोड़। माध्यमिक शिक्षा का बजट था 12988 करोड़, खर्च हुआ है 7526 करोड़। सिंचाई विभाग के निर्माण विभाग का जो बजट था वह 11791 करोड़, खर्च हुआ है 5128 करोड़।

मान्यवर, अगर इस तरह से खर्च होगा तो इसी तरह से कृषि विभाग का बजट था 6176 करोड़, खर्च हुआ है 3087 करोड़। चिकित्सा विभाग जिसके मा0 मंत्री जी स्वयं मंत्री हैं, बजट था 6460 करोड़, खर्च हुआ है 3645 करोड़। चिकित्सा विभाग का बजट था 9230 करोड़, खर्च हुआ है 4765 करोड़। लोक निर्माण सड़क का बजट था 21860 करोड़, खर्च हुआ है 8518 करोड़। मान्यवर 24 फरवरी तक का है यह आंकड़ा। समाज कल्याण विभाग का बजट था 4846 करोड़, खर्च हुआ है 2881 करोड़। पिछड़े वर्ग का बजट था 2671 करोड़ मात्र, पूरे प्रदेश में 50 प्रतिशत से ज्यादा पिछड़ा वर्ग है और बजट था 2671 करोड़, खर्च हुआ है 34 परसेण्ट 930 करोड़।

मान्यवर, मुझे लगता है कि सरकार के पास कोई भभूत है जो बिना बजट खर्च किए, बिना वित्तीय संसाधन का प्रदेश को स्वर्ग में पहुंचाने का। मैंने सुना था कि आदमी अच्छा काम किए होता है तो वही स्वर्ग जाता है। मा0 नेता सदन उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बना रहे हैं, यानि जीते जी ही आदमी स्वर्ग में चला जाएगा तो वह कौन सा स्वर्ग होगा कोई भभूत के बल पर यह स्वर्ग की कल्पना की जाएगी। अभी आज चर्चा हो रही थी अनुसूचित जातियों की छात्रवृत्ति की मान्यवर आप भी जानकार हैं आप भी अपने क्षेत्र में जाते हैं, अनुसूचित जातियों के जो वित्त विहीन विद्यालय थे उसमें बी0एड0 में, इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में, तमाम स्कूलों में एडमीशन होता था जीरो बैलेंस पर और बाद में स्कॉलरशिप आती थी, वह उसके नाम से आती थी वह कालेज को देता था। छात्र को उससे फर्क नहीं पड़ता, कालेज को जरूर फर्क पड़ता था।

श्री अधिष्ठाता-

यह विषय तो आ चुका है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, बातें तो सब हो चुकी हैं, फिर हमारा बोलना बेकार है।

श्री अधिष्ठाता-

अध्यक्ष जी ने 15 मिनट का समय दिया था जबकि 22 मिनट हो चुके हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मेरा भी आपसे आग्रह है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आप पीठ पर बैठे हैं तो कम से कम इतना तो ध्यान रखें। मैं इसी सदन में हमेशा बोलता हूँ, कभी इस तरह का टोका-टोकी पीठासीन अधिकारी ने नहीं किया है, जो मान्यवर आप कर रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो हम सदन छोड़कर चले जाएं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं यह नहीं कह रहा हूँ।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इस तरह की बात ठीक नहीं हैं। मैं एक दल का नेता हूँ और निश्चित रूप से मुझ से ज्यादा बिना नेता को कभी-कभी बोलने का अवसर दिया जाता है और आप देखेंगे तो बहुत से लोग पाएंगे।

श्री अधिष्ठाता-

मैं भी अध्यक्ष जी के आदेश के ही अधीन हूँ।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह उचित नहीं है। आप अगर इस तरह से टोका-टोकी करेंगे तो हमारा तारत्मय बिगड़ता है और किसी भी व्यक्ति को इस तरह से हमारी पार्टी का व्यू भी आना चाहिए इसलिए मैं चाहूंगा मान्यवर कि आप बीच में न बोलें 5 मिनट का समय तो आपके कारण चला गया। निश्चित रूप से इस सरकार में लगता है कि इनके पास कोई भभूत है और उस भभूत के बल पर प्रदेश का यह विकास चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, इन्होंने अपने घोषणा-पत्र में कहा कि सभी लघु एवं सीमांत किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा। अपने उस संकल्प-पत्र में कहा कि सभी खेतों में कम दरों पर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। सभी किसानों को सरकार की तरफ से एक नया एनर्जी एफिशिएण्ट पम्प दिया जाएगा, हर ब्लाक में कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। 70 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। प्रदेश के सभी युवाओं को कालेज में दाखिला लेने पर बिना जाति और धर्म के भेदभाव से मुफ्त लैपटॉप और एक जी0बी0 मुफ्त इण्टरनेट दिया जाएगा।

सभी छात्राओं को डिग्री कॉलेज तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी, उच्च शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये के बाबा साहब अम्बेडकर छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की जाएगी, हर जिले में एक इंजीनियरिंग अथवा पॉलीटेक्निक कॉलेज बनाया जाएगा। सभी कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गरीब घरों को 100 यूनिट तक बिजली 03 रुपये की रियायती दर पर दी जाएगी। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब परिवार की बेटी के जन्म पर 50 हजार रुपये का विकास बॉण्ड दिया जाएगा। 06 एम्स की स्थापना की जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति बढ़ाई जाएगी। अनुसूचित जाति बस्तियों में अम्बेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाए जाएँगे। मान्यवर, चार साल तो बीत गए, यह पाँचवें साल का बजट है और इस पाँचवें साल के बजट में ये व्यवस्थाएँ कहीं दिखाई पड़ नहीं रही हैं।

मान्यवर, एक बात बड़े जोर-शोर से कही गई कि हमने हर जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया। लेकिन केवल मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने से प्रदेश का विकास नहीं होगा। मान्यवर, उसके लिए जरूरत है और आप भी जानते होंगे कि अगर केवल एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई शुरू कर दी जाए और फैकल्टी नहीं होगी तो उससे क्या लाभ होगा ? हम न अच्छे एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर बना पाएँगे, न अच्छा काम कर पाएँगे। उसके लिए जरूरत थी कि पहले हम संसाधन जुटाएँ। जरूरत इस बात की थी कि उन मेडिकल कॉलेजों में जो पहले से चल रहे थे, उनमें पहले एम0एस0 और एम0डी0 की कक्षाएँ संचालित होतीं। लेकिन एक भी मेडिकल कॉलेज जो वर्ष 2011-12 तक में स्थापित हुए उनमें अभी तक

एम0डी0, एम0एस0 की पढ़ाई नहीं शुरू हो पाई और जब तक एम0डी0, एम0एस0 की पढ़ाई नहीं होती, तब तक निश्चित रूप से ऐसे मेडिकल कॉलेज एक जिला अस्पताल की तरह ही काम करते हैं और वह मेडिकल कॉलेज की श्रेणी में नहीं आ पाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि इस दिशा में भी कार्य किए जाएं। मान्यवर, दूसरी बात यह कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात हुई, उसे दो गुना, तीन गुना करने की बात की गई। आमदनी के बारे में बड़ी चर्चा हुई, हम लोगों ने भी चर्चा करने का काम किया, लेकिन किसान की आमदनी तो नहीं बढ़ी। हाँ, किसान का जो लागत मूल्य था उसको बढ़ाने का काम जरूर किया है। मान्यवर, केन्द्र और प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार है और केन्द्र की सरकार जो सत्ता में आई है, जो वर्तमान सरकार है वह वर्ष 2014 में आई थी और वर्ष 2014 से पहले डी0ए0पी0 खाद 475 रुपये बोरी थी, आज 1220 रुपये प्रति बोरी है। एन0पी0के0 खाद 389 रुपये प्रति बोरी थी वर्ष 2014 से पहले, आज 1085 रुपये प्रति बोरी है।

मान्यवर, यूरिया में जरूर कमी हुई है और कमी क्या हुई, 05 किलो घटा दिया, दोनों को जोड़ लीजिए बराबर ही पड़ेगा। पहले रु0 310 था, अब 266 रुपया है, लेकिन अगर उस 05 किलो का दाम जोड़ दें तो वह लगभग 300 रुपये में पड़ेगा। मान्यवर, इसी तरह से डीजल जो 60 रुपये से कम में था, वह आज की तारीख में 82 रुपये के करीब है और उसके बाद बिजली की दर, जो आप ट्यूबवेल लगाते हैं बिजली का पहले प्रति हॉर्स पावर 55 रुपये की दर थी, वह 250 रुपये हो गई है। अब इन बातों के चलते हुए भी अगर किसान की आमदनी दूनी हो रही हो तो ठीक है। आप कहते हैं और बढ़-चढ़ कर कर रहे हैं कि हमने 6000 रुपया किसान को सम्मान निधि देने का काम किया है। अगर एक किसान के यहाँ 10 कुन्तल धान भी पैदा होता हैं और अगर वह 10 कुन्तल धान अच्छे मूल्य पर बेचे, लाभकारी मूल्य पर बेचे तो उसमें 10 हजार का फायदा होता है, लेकिन उसका 10 हजार का घाटा करके उसको 6000 रुपया दे दें तो उसके बाद आप उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं। मान्यवर इसी तरह से एक मा0 मंत्री जी हैं, जो गन्ना विभाग देखते हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे वक्ता होने के कारण वे अपनी बात बढ़-चढ़ कर करते हैं, लेकिन आपने इतने दिनों में किसान के गन्ने का मूल्य कितना बढ़ाया, केवल 10 रुपया चार साल में जब हमारी सरकार थी, बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार थी तो हमने 05 साल में 110 रुपया दाम बढ़ाने का काम किया। आप 110 रुपया दाम बढ़ाते तो किसान की आमदनी बढ़ती। आप कहते हैं कि हमने उसका भुगतान कराया है तो क्या बोनस दिया था। आपने उसके गन्ने का मूल्य वह भी दो-दो साल तीन-तीन साल बाद भुगतान करा रहे हैं। आप अपना कोई सामान बेचें और दाम बाद में पायें तो किसान दिन रात मेहनत करते हैं और गन्ने के खेत में जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसकी कटाई में जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको मिल तक ले जाने में जितनी मेहनत करनी पड़ती है शायद आपको उसका अनुभव नहीं होगा यदि उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमने उसका

भुगतान सबसे ज्यादा किया है। जब सबसे ज्यादा गन्ना पेरा गया तो भुगतान सबसे ज्यादा नहीं होगा आपने दाम तो बढ़ाया नहीं, बोनस दिया नहीं आप अंशदान लेने का काम किया करते थे।

मान्यवर, उसके अलावा कानून का राज जब तक नहीं होगा, तब तक रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक कोई उद्योग नहीं आयेगा। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि 70 लाख रोजगार देने का वादा इस सरकार ने किया था। मैं मानता हूँ कि 70 लाख रोजगार की बात तो केवल हवा-हवाई है वह सम्भव नहीं है, लेकिन मान्यवर, आजादी के बाद से अब तक अगर बेरोजगार नौजवानों को सबसे अधिक रोजगार दिया गया है तो वह वर्ष 2007-2012 तक दिया है जब आदरणीया बहन कुमार मायावती जी इस सदन में नेता सदन थीं, उन्होंने 2 लाख 40 हजार पुलिस विभाग के पद क्रिएट करने का काम किया, 1 लाख 8 हजार सफाई कर्मी के पद क्रिएट करने का काम किया, लाखों शिक्षकों की भर्ती करने का काम किया और लगभग एक लाख के आसपास पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति, जनजाति के रिजर्वेशन के कोटे को पूरा करने के लिए मान्यवर, उन्होंने विशेष अभियान चलाकर भर्ती करने का काम किया। उनकी हिस्सेदारी करने का काम किया, मैं आपको फिर से टोकने का अवसर नहीं दूंगा।

मैं अपनी एक बात रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज यह सरकार जो कानून इन्होंने किसानों के लिए बनाया है, जिसकी यह बड़ी वकालत करते हैं। वह कानून बनाया ही इसलिए गया है जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में बोल भी दिया कि हमें व्यापार के लिए नहीं करना है। उन्होंने कहा कि सरकार को व्यापार नहीं करना है, इसलिए हमें राजकीय निगमों को धीरे-धीरे निजीकरण की तरफ ले जाना है। मान्यवर, मेरा यह मानना है कि हमने निगमों को व्यापार के लिए नहीं बनाया बल्कि नौजवानों को रोजगार मिल सके और राज्य सरकार पर ज्यादा भार न पड़े इसलिए ये निगम बनाये गये थे। आज रेलवे या जितने भी सरकारी संस्थान हैं जो सरकार के निगम हैं यदि वह खत्म हो जाएंगे तो लोगों का रोजगार छिन जायेगा जो लोग 35 हजार, 40 हजार, 60 हजार, 70 हजार वेतन पाते हैं जब वह प्राइवेट हो जाएंगे तो 5 हजार, 10 हजार और 20 हजार में ही काम करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ेगा। उनकी कोई सुरक्षा नहीं रह जायेगी, इसलिए मान्यवर वह निगम जनता के हित के लिए है, व्यापार के लिए नहीं, इस तरह आज उनकी मंशा साबित हुई। जो किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देना है उसको उन्हें देना न पड़े उसको खत्म करने की दृष्टि से ही सरकार खरीद कर रही है। राशन कार्ड के आधार पर लोगों को राशन देने का काम कर रही है। इसमें सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है उससे बचने के लिए ये तीन कानून लाने का काम किया गया है। इनको किसानों के हित में नहीं बल्कि बड़े-बड़े पूँजीपतियों के हित में लाने का काम किया गया है। मान्यवर, निश्चित रूप से आज उस दिशा में इस सरकार ने किसान के साथ विश्वासघात करने का काम किया।

मान्यवर, मैं कानून-व्यवस्था पर थोड़ी-सी बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। मान्यवर, प्रदेश सरकार इस बात को कहती है कि अपराध कम हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी

से कहूंगा कि इसको पढ़ें मैं मा0 मंत्री जी के संज्ञान में इसको लाना चाहता हूँ कि ये क्राइम इन इण्डिया वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट है। आप भी इसको मंगवा लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए इसके पहले पेज पर ही अपराध का आंकड़ा दिया गया है। इसमें 27वें नम्बर पर उत्तर प्रदेश का नाम छपा है वर्ष 2016 में 2 लाख 82 हजार 171 का आंकड़ा था, वर्ष 2017 में 310084 हो गया, और वर्ष 2018 में 342355 हो गया और वर्ष 2019 में 353131 हो गया है। यह तोड़-मरोड़ कर दिया गया आंकड़ा नहीं है आप चाहें तो अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं आँकड़ा देने को तैयार हूँ। इसके बाद भी आप कहते हैं कि हमने अपराध कम कर दिया है। अपराध कम कैसे होगा जब आप पक्षपातपूर्ण काम करते हैं। आपके ये अपराधी अलग-अलग किस्म के हैं। जाति और धर्म के आधार पर अपराधियों के आंकड़े आते हैं जो आन्दोलन हुआ उसमें आपने क्षति वसूलने का काम किया। यह वसूली आप हर तरह के आन्दोलन में और हर तरह के जब उपद्रव हो तब लिया जाए। एक इन्स्पेक्टर सुबोध कुमार मारा गया तो उसमें भी बहुत क्षति हुई उन लोगों से क्यों नहीं वसूला गया। तमाम तरह के भेदभाव हो रहे हैं, मैं उस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको और असहज स्थिति में नहीं डालूंगा, लेकिन मान्यवर, आपने इस तरह से पक्षपातपूर्ण काम किया है और कानून-व्यवस्था पक्षपात से सही नहीं होगी। गुण्डा-गुण्डा है, अपराधी अपराधी है चाहे वह किसी भी पार्टी का समर्थन करने वाला हो, चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो अगर वह अपराधी है तो निश्चित रूप से उसका स्थान जेल में होना चाहिए, पक्षपातपूर्ण ढंग से काम नहीं होना चाहिए और इस काम को करके दिखाया आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र इस बात को कहते हैं कि हमने लखनऊ से लेकर आगरा तक एक्सप्रेस-वे बना डाला। मा0 मुख्य मंत्री जी भी बड़े एक्सप्रेस-वे का बखान करते हैं, निश्चित रूप से बन रहे हैं और बनाया गया है, लेकिन प्रदेश सरकार पर खर्च डालकर बनाया है। लगभग 30 हजार करोड़ रुपया खर्च करके लखनऊ से आगरा तक बना, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी वे आगरा से दिल्ली तक बिना राज्य सरकार का एक पैसा खर्च किये एक्सप्रेस-वे बनाने का काम किया। मान्यवर, बिजली के जितने पॉवर स्टेशन हैं उनको हमने बनाना प्रारम्भ करने का काम किया। आज यदि वह उत्पादन देने लायक हुए हैं तो निश्चित रूप से उसकी शुरुआत हमने ही करने का काम किया है। गाँव को सड़क से जोड़ने का काम हमने शुरू करने का काम किया था। आज वह सारी योजनायें बन्द हैं बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर ग्राम विकास योजना, महामाया बालिका आशीर्वाद योजना, सावित्री बाई फुले शिक्षा मदद योजना इन सारी योजनाओं को आपने बन्द कर दिया और उसके बाद भी कहते हैं कि हम गरीबों के हितैषी हैं यह कैसे हो सकता है।

आपसे मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी लॉकडाउन लगा उसमें सारी दुकानें बन्द हुईं। सरकार ने जबरन बन्द करा दिया और जब दुकानों को बन्द करा दिया तो उनकी दुकानें चल ही नहीं पायीं। उनका प्रतिष्ठान बन्द हो गया, उनकी आमदनी बन्द हो गयी, लेकिन उनका बिजली का बिल लग रहा है। वह बिजली का बिल जितने दिन आपने लॉकडाउन

किया था, दुकान को बन्द करने का आदेश दिया, पॉवरलूम बन्द करने का, कम-से-कम उतने दिन का बिल तो आप माफ कर दीजिए। यह सहृदयता होगी, प्रदेश के साथ इन्साफ होगा।

मान्यवर, उस समय लॉकडाउन में तमाम नौजवानों के खिलाफ मुकदमें लिखे गये हैं। अभी तमिलनाडु सरकार ने अपने सभी मुकदमें वापस लेने की घोषणा की है। हमारे यहाँ इस सदन में भी एक बिल लाया गया था मुकदमा वापसी के सम्बन्ध में, जब तमाम बिल लाये जा सकते हैं तो उस लॉकडाउन में जो लोग इतने जानकार नहीं थे, जिन लोगों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार यदि लॉकडाउन का थोड़ा-बहुत उल्लंघन करने का काम किया है और उनके खिलाफ यदि कोई मुकदमा कायम है तो जनहितकारी सरकार का यह फर्ज होता है कि वह असहाय लोगों के मुकदमें वापस लेने का काम करे, मैं आपके माध्यम से मा0 वित्त मंत्री जी से चाहूँगा कि जब वे सदन में चर्चा के दौरान अपना जवाब दें तो निश्चित रूप से इस बात का ऐलान करें कि हम उन मुकदमों को वापस लेने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए यह अपेक्षा करूँगा, मुझे शेरो-शायरी तो नहीं आती है इसलिए मैं शेरो-शायरी के आधार पर नहीं, लेकिन मैं यह अपेक्षा करूँगा कि विकास केवल आपकी अपनी चाहत नहीं है, विकास प्रदेश की आवश्यकता है। हम सब लोग उसमें सहभागी बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन वास्तव में अब लोगों को धर्म और पाखण्ड की तरफ ले जाने की इच्छा और चाहत है। मान्यवर, मा0 नेता सदन विन्ध्यवासिनी जी को मानते हैं, गोरखनाथ पीठ को मानते हैं यह उनका अपना निजी मामला है कि वह उनको मानते हैं। हम जिसको मानते हैं हमारा अपना निजी विश्वास है, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य का धर्म इस प्रदेश की जनता के हित का होता है और जनता के हित के लिए आप खर्च करें उसकी हम तारीफ करेंगे, लेकिन केवल अन्धविश्वास के लिए खर्च करें या उसके लिए अपनी नीति बनाने का काम करें उसका हम स्वागत नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि निश्चित तौर पर आप प्रदेश का सबको साथ लेकर प्रदेश के विकास में आगे बढ़ने का काम करें और उस प्रदेश के विकास में जनप्रतिनिधियों की हिस्सेदारी को भी शामिल करने का काम करें और जो आपने उनके ऊपर हथियार चलाने का काम किया है उसको भी आप निश्चित रूप से भागीदार बनाने का काम करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि मेरा यह मानना है कि यह बजट प्रदेश को गुमराह करने वाला बजट है।

प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा है, प्रदेश के किसानों के साथ धोखा है, व्यापारियों के साथ धोखा है, शिक्षकों के साथ धोखा है, छात्र और छात्राओं के साथ धोखा है, अनुसूचित जाति और पिछड़ों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा है, इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, धन्यवाद।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर क्षमा प्रार्थी होते हुए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की अनुमति हो तो मैं कहना चाहूंगा कि एक-आध सेकेण्ड की मेरी बात छूट गयी थी। मैं आपसे यह आग्रह करता

हूँ कि मेरे जो मूल भाषण हो रहे थे, वर्मा जी से पहले यदि अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेन्शन बहाली, नगदीकरण व नगर प्रतिकर भत्ता, महँगाई भत्ता तथा सचिवालय कर्मचारियों को वेतन में सचिवालय भत्ता, जो पिछले एक वर्ष से रोका गया है जबकि लोक सभा सचिवालय में सचिवालय कर्मचारियों को अभी भी सचिवालय भत्ता मिल रहा है। सरकार रोके गये भत्तों को बहाल करे, इसकी मैं माँग करता हूँ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पूर्ववर्ती सरकार सीवर और पानी का 15 रुपये चार्ज लगाती थी। आज तक किसी सरकार द्वारा पानी और सीवर के लिए कोई पैसा वसूल नहीं किया जाता था, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अल्प वेतन भोगी होता है, अतः बढ़ा हुआ शुल्क सरकार माफ करे, इसकी मैं माँग करता हूँ। मान्यवर, हमारे भाषण में इसको जुड़वा दीजिएगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस।

श्री मसूद अख्तर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मा0 नेता कांग्रेस सोमवार को बोलेंगी।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

***श्री ओम प्रकाश राजभर-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और नेता बसपा को बड़ी देर से सुन रहा था। कल मैं सदन में आया परन्तु मुझे थोड़ा फीवर हो गया तो मैं चला गया और ऑफिस में बैठकर मैंने माननीय नेता सदन का भी भाषण सुना। जब से हममें समझदारी आयी है, तबसे देख रहा हूँ कि इधर की गोल उधर बैठती है और उधर की गोल इधर बैठती है। सब लोग विकास करते हैं। एक आरोप-प्रत्यारोप का दौर हम 4 साल से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। यह कोई नहीं कह सकता है कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया है, यह कोई नहीं कह सकता है कि प्रदेश में बसपा ने विकास नहीं किया है, यह कोई नहीं कह सकता है कि समाजवादी पार्टी ने विकास नहीं किया और यह भी कोई नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी विकास नहीं किया है। सब लोग कुछ न कुछ करते आ रहे हैं। यह अनवरत् प्रक्रिया है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री संयोग से वित्त मंत्री भी हैं। वर्ष 2017 में आप वित्त मंत्री

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं थे, परन्तु तब भी संसदीय कार्य मंत्री थे। मैं फिर दोबारा आपसे कहना चाहता हूँ कि बजट को मैंने पढ़ा। मैं संयोग से आई-पैड नहीं खरीद पाया। लेकिन मैंने कम्प्यूटर से निकाल कर वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 बजट की कॉपी को पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो लोग हमें इधर-से-उधर भेजते हैं उनके साथ बराबर धोखा होता आ रहा है। जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जी भी इस बात को पिछले सत्र में स्वीकार किये थे, हमने कहा था कि अति पिछड़े और अति दलित के लोग आपको 43 प्रतिशत वोट दिये हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं ज्यादा लोग दिये हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस सरकार का पहला बजट आया उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने पिछड़े समाज को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए मिलाकर रु0 1086 करोड़ दिया। पिछड़ा वर्ग पूरी आबादी का अकेले 52 प्रतिशत है और उसी के साथ अन्याय। वित्तीय वर्ष 2019-20 आते-आते चूंकि मैं उधर था इसलिए थोड़ा संसदीय कार्य मंत्री जी से भी झगड़ा किया, सदन में भी कुछ लड़ा, सदन का सहयोग मिला, उसको बढ़ाकर मैंने रु0 1610 करोड़ कराया, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं उधर-से-इधर आ गया। इधर आने के बाद 524 करोड़ बजट घट गया है।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जरा दिखवा लीजियेगा 524 करोड़ बजट पिछड़ों का घट गया, जबकि आपको पिछड़ों ने वोट देकर उधर बैठा दिया, उसका रिजल्ट उनके साथ यह हुआ कि 524 करोड़ कम हो गया। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट आता है तो 1610 करोड़ से घटाकर 1200 करोड़ हो जाता है। अभी-अभी जो बजट आपने प्रस्तुत किया है, मैंने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने देखा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि जिस बात को आप स्वीकार करते हैं कि 43 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने वोट देकर आपको उधर बैठाया और उनके साथ इतना बड़ा धोखा, फिर आप 1200 करोड़ पर ला दिये, इससे क्या साबित होता है पिछड़े समाज के लोगों के साथ पिछले सत्र में बजट के दौरान आपने कहा था, माननीय अध्यक्ष जी नहीं हैं, अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। आपने कहा था कि हम उसको कर रहे हैं और साल भर के ऊपर हो गया अभी तक पता नहीं क्या कर रहे हैं और फिर चुनाव आ जायेगा उसके बाद होगा कि पहले होगा, सामाजिक न्याय समिति की आस लगाये हुए चाहे बारी हो, चाहे बंजारा, चाहे बियार, चाहे बहेलिया, चाहे बिंद, चाहे केवट, चाहे मल्लाह, चाहे राजभर हो या चौहान हो तमाम जाति के लोग उम्मीद लगाये थे कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बी0जे0पी0 की सरकार में लागू हो जायेगी क्योंकि जब बी0जे0पी0 की गर्वर्नमेंट नहीं बनी थी, तब आप ही की तरफ से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा था कि ये जातिवाद करते हैं, जातियों को चिन्हित कर ये नौकरियों में रखते हैं, लेकिन आपकी सरकार आयी आप क्या कर रहे हो, आपने कभी इनके विषय में सोचा ? जब-जब मैं सोचता हूँ आपसे मिलता हूँ, कोशिश करता हूं मिल भी नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं बार-बार आपको याद दिलाता हूँ जब भी सदन में आता हूँ तो याद दिलाता हूँ कि सामाजिक न्याय

समिति की रिपोर्ट 30 मई, 2018 को राघवेन्द्र सिंह, उसके पहले माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्य मंत्री थे, उनकी रिपोर्ट है, उसके एवज में दूसरी रिपोर्ट तैयार करायी गयी 30 मई, 2018 को राघवेन्द्र सिंह के नेतृत्व की रिपोर्ट आ गयी। 07 मई, 2011 बंटवारे की बात आ गयी, लेकिन 30 मई, 2018 से मान्यवर वर्ष 2021 चल रहा है और वह ठण्डे बस्ते में चली गयी। अब मुझे नहीं लगता कि आप लागू करोगे। खाली वोट लेने के लिए चिल्लाओगे, जब वोट का समय आता है तो बड़ा लच्छेदार भाषण देते हैं। जब मैं साथ में था माननीय नेता सदन ने एक दिन इसी सदन में बयान दिया था कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं और जल्दी ही इसको लागू करूंगा। अब जल्दी का मतलब कितने समय से है हम तो नहीं समझ पाते। माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसका समय बता दीजिये कि आप लागू करेंगे कि नहीं करेंगे ? ताकि हम धोखे में न रहें, समाज धोखे में न रहे, हम उनको बताते रहते हैं कि उम्मीद न छोड़ो क्योंकि किसी कवि ने कहा है-

"कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता,
बर्फ जमने तक आस लगाये बैठे हैं।"

मैं तब तक पीछा नहीं छोडूंगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जब तक आप उधर से इधर नहीं आ जायेंगे। यह जान लीजियेगा कि यह साथी लोग को कमजोर मत समझियेगा। मैं इस नाते आगाह कर रहा हूँ कि वह नौबत न आये। वही लोग जिनकी संख्या 45 परसेंट है उत्तर प्रदेश में, वही लोग आपको उधर बैठाये हैं यही लोग इधर से उधर करते हैं और उधर से इधर करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ साजिश हो रही है इस नाते मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं एक बहेलिया के गाँव गया था एक हजार आबादी का गांव है। बड़ी चर्चा हमारे मुख्य मंत्री महोदय भी करते हैं, हमारे बो0जे0पी0 के मंत्री, विधायक सब लोग भी करते हैं कि हम इतना शौचालय बनवा दिये। बनवाया है मैं मानता हूँ। आपने आवास भी बनवाया है, लेकिन किसको दिया है।

मान्यवर, आप सर्वदलीय कमेटी बनवा लीजिये 5 आदमी, 10 आदमी की और एक गांव या चार गांव उत्तर प्रदेश में आप चयन कर लो 90 परसेंट शौचालय जो आपने बनवाया है, वह उपयोग लायक नहीं है, वह बेकार पड़ा हुआ है, आप जांच करा लीजिये और आवास के मामलों में, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि काम किया है आपने आवास दिया, बसपा ने भी दिया, सपा ने भी दिया, कांग्रेस ने भी दिया, सब लोगों ने दिया। आपने भी बनवाया, लेकिन बनवा किसका रहे हो आप लोग, जो 20 हजार रुपया देता है गरीब, उसी का आवास बन रहा है मान्यवर। बहुत से ऐसे गरीब हैं जो दिहाड़ी पर मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं आज उनकी 20 हजार रुपया देने की हैसियत नहीं है इस नाते गांव का प्रधान क्या करता है सूची बनाता है, जो पैसा देता है, उसका नाम ऊपर और जो पैसा नहीं दे पाता है उसका नाम नीचे, उसका नाम कट जाता है। ऐसे गांव आप चिन्हित कर लीजिये चाहे गाजीपुर से गाजियाबाद या

आजमगढ़ से आगरा चलिये और चाहे बलिया से बांदा चलिये। एक गांव आप चिन्हित करिये हम आपको दिखा देंगे कि वहाँ गरीब जो वास्तव में पात्र है जो मड़ई में रहता है जिसकी मड़ई झड़ गई, प्लास्टिक लगा लेता है प्लास्टिक लगाने की हैसियत नहीं, तो हमारी आपकी पार्टी के जो बैनर फ्लैक्स लगते हैं उसी फ्लैक्स, बैनर को अपनी मड़ई पर लगाकर वह अपना जीविकोपार्जन करता है। इसी तरह वह अपना गर्मी, जाड़ा, बरसात झेलता है इस नाते मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आवास आप दे रहे हो, बनवा रहे हो, उसको दे रहे हो, जिसके पास अपना मकान है।

आवास के सम्बन्ध में मैं अपने गांव की बात बता दूँ एक-एक आदमी आवास लेते-लेते बखरी बना लिया। उसको 5-5 आवास मिल गया, बाप के नाम, माँ के नाम, बेटे के नाम, पत्नी के नाम फिर उसके भाई के नाम उसकी बखरी हो गयी और वही बगल में एक आदमी बेचारा तिरपाल ओढ़कर रह रहा है। इस नाते संसदीय कार्य मंत्री जी मैं आपका ध्यान माननीय अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से फिर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि जनसंख्या बढ़ रही है और बजट पिछड़ों का घट रहा है। 52 प्रतिशत आबादी और आप आंकड़े उठाकर देखिये मैं आपसे फिर कहता हूँ, मैं चार साल से देख रहा हूँ कि लगातार पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है। चाहे 12,500 शिक्षक भर्ती हुयी हो, चाहे 68 हजार शिक्षक भर्ती हो, चाहे 69 हजार शिक्षक भर्ती हो आखिर पिछड़ों के साथ ही धोखा क्यों। क्या वजह है, क्या कमजोरी है, क्या सरकार की मंशा है, क्या नीयत है आप तय करते हो परीक्षा का श्रेणीवार कट अंक आप निर्धारित करते हो और सामान्य वर्ग का आप बना देते हो 64 परसेंट पायेगा पास और पिछड़ा 87 परसेंट पायेगा तो पास और 81 परसेंट अनुसूचित जाति-जनजाति पायेगा तो पास।

(श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह द्वारा टोका-टाकी किये जाने पर व्यवधान)

हम तो हिंदी पढ़े हैं। 12-14 हजार 69 हजार में पिछड़ों का हिस्सा आप लोगों ने लूट लिया है, यह मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। आप भूलिये नहीं और बहस मत करिये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य सुरेन्द्र जी, आप कृपया शांत रहें।

(श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह द्वारा टोका-टाकी किये जाने पर-व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत बोलते हैं उठाकर आप रिजल्ट देख लो। उससे बात करो जो न जानता हो। पाल की हत्या होती है तो अपराधी को बचाने में यही महोदय लग जाते हैं। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ जो गोली मारता है उसी को बचाने में आप लग जाते हो। बात करते हो आप ओम प्रकाश राजभर से। मैं भी बलिया का हूँ।

(श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह द्वारा लगातार बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

श्री सुरेन्द्र नाथ जी कृपया आप स्थान ग्रहण करें। राजभर जी आप पीठ की तरफ देख कर बोलिए।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

जिन्होंने गोली मारा, उसको बचाने की कवायद आप लोग करते हैं। हाथरस की घटना उठाकर देखो, डी0एम0 रात को 12 बजे लाश जलवाता है। कहाँ की घटना बताऊँ। पिछड़ों के साथ धोखा, पिछड़ों के साथ धोखा। पिछड़ों को न्याय नहीं मिलता है। अधिष्ठाता महोदय, चाहे थाना हो, चाहे ब्लाक हो, चाहे तहसील हो, चाहे जिला हो, हर जगह पिछड़े, दलित के साथ धोखा हो रहा है। थाने पर जाति पूछ करके न्याय, जाति पूछ करके मारा जा रहा है, जाति पूछ करके गाली दी जा रही है। यह थानों का हाल है। क्या कहा जाये, थानेदारों का हाल, 1700 थाने हैं। सबका साथ, सबका विकास की बात होती है। 1700 थानों में 52 परसेण्ट आबादी पिछड़ो की है, पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं, 75 जिलो में उनको हिस्सेदारी नहीं। जब हिस्सेदारी की बात करिये तो बुरा लगता है, तब बुरा लगता है कि ओम प्रकाश राजभर हिस्सेदारी की बात क्यों करता है। अगर हमारी बात नहीं सुनी जायेगी, हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा, हम यहाँ क्यों आये हैं। क्षेत्र की जो समस्या है, जो हमारी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, उसके लिए लड़ने के लिए यहाँ आये हैं। मान्यवर, इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह धोखा, धोखे पर धोखा होता जा रहा है पिछड़ों के साथ, इस नाते सदन में बैठे हुए लोगों से भी कहूँगा कि देखो भाई, इस धोखे के प्रति अगर आप लोग पिछड़ों का साथ नहीं दोगे तो कल यह पिछड़ा आपके विषय में फिर विचार करेगा और बढ़िया से विचार करेगा। अभी हमारे बसपा नेता, वर्मा जी बोल रहे थे। मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन में सारी व्यवस्था बन्द थी, स्कूल भी बन्द थे, लेकिन फीस ली जा रही है। वाह भाई वाह-वाह रे सरकार। अरे, जो मजबूत था, उससे फीस ले लो, लेकिन जो गरीब, कमजोर है, कम से कम उसको तो भैय्या बख्श दो, लेकिन नहीं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

आप आज तनख्वाह पा रहे हो, इस नाते आपको चिन्ता नहीं है। लेकिन उससे पूछो जो शाम को खाली रोटी जुटाता है और अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ने के लिए भेजता है। आप उससे पूछिये, तब आपको दर्द मालूम होगा, विधायक जी।

श्री अधिष्ठाता-

आप कुछ मत सुनिये, आप केवल इधर सुनाइये।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, चूँकि हमारी बातें लोगों को थोड़ी कड़वी लगती हैं, इस नाते कड़वी लगती है कि मैं सच कहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

आप केवल हमको सुनाइये।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, इस नाते हमारे समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष की संसदीय कार्य मंत्री से भिड़न्त होती है और कभी-कभी मुख्य मंत्री से होती है। एक विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, आपने पढ़ा और रुपया बताया है। अरे, कम से कम आपने कुछ नहीं किया तो जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दूध का कारोबार यादव करता है तो कम से कम दूध के नाम पर एक यादव सम्मान योजना भी बना दिये होते। उनको भी तो कुछ देते। अरे, हम लोगों के पास कोई काम ही नहीं है। चाहे भर हो, चाहे बंजारा हो, चाहे बारी हो, चाहे बिआर हो, चाहे राजभर हो, उनके पास कोई काम ही नहीं है। तो इनको आप कौन श्रम सम्मान योजना दोगे ? इनके लिए तो कुछ है ही नहीं। इनके अधिकार और शिक्षा की बात करने के लिए मैं तो फिर कह रहा हूँ कि आपने 1 से 8 तक बजट के माध्यम से जो प्रावधान दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। आपने 1 से 8 तक फ्री पढ़ाने की बात उन गरीब बच्चों के लिए किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह इस सदन के अन्दर हम कुर्सी पर बैठते हैं, सामने मेज लगी हुई है। उसी तरह प्राइमरी स्कूल में भी कुर्सी और मेज की व्यवस्था होनी चाहिए और यह व्यवस्था स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीब बेटा-बेटी के लिए होनी चाहिए और उनको स्नातकोत्तर तक फ्री में पढ़ाने का कानून पास भी होना चाहिए। मैं सरकार से आपके माध्यम से माँग करना चाहता हूँ कि समान पाठ्यक्रम और समान शिक्षा होनी चाहिए, यानी जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में हैं, वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में भी लागू करिये।

इस नाते कि मेरे घर का बेटा, मेरे भाई का बेटा जब एग्जाम देने गया, वह सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है। प्राइवेट में पढ़ने वाला बच्चा क से कम्प्यूटर और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला प्राइमरी में क से कबूतर, लेकिन पेपर एक। जब वह नौकरी के लिए गया तो पेपर एक आया। इस नाते वह बेचारा फेल हो गया तो कहा कि नेता जी आप सदन में जाते हो तो कुछ बोलते नहीं हो, हमने कहा कि घबराओ नहीं, मैं जाऊँगा तो कहूँगा कि भाई जब पेपर एक आता है तो समान शिक्षा करो, ताकि सरकारी में पढ़ने वाला, प्राइवेट में भी पढ़ने वाला जाये तो वह लड़ करके, वह परीक्षा दे करके वह पास हो, अगर वह उस योग्य है तो उसको वहाँ तक पहुँचाया जाये। तो मेरा प्रयास है कि स्नातकोत्तर तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूँगा। अभी मैं सुन रहा था कि नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि बचट खर्च नहीं हो पा रहा है और हमारे योगी जी तो महात्मा हैं, साधु आदमी हैं, इनका तो ध्यान केवल मन्दिर में है, धर्म पर इतना रुपया लगा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा कम करो, माननीय मुख्य मंत्री जी पैसा थोड़ा शिक्षा पर खर्च कराओ ताकि गरीबों के बच्चों को भी न्याय मिल सके, ताकि वह भी शिक्षित हो सकें। आज आप गांव में जाकर देखिये जहाँ से आते हैं बलिया की धरती से, सबसे ज्यादा यदि कहीं अशिक्षा है तो बैरिया बाबा बांसरी के इलाके में गरीबों में सबसे ज्यादा अशिक्षा है, जहाँ से हमारे नेता जी बहुत हंस रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं नेता जी, लेकिन उनके ऊपर ध्यान नहीं है कि वह इस तरह के हैं तो उनके विषय में कुछ

सोचें। हम भी बलिया में रहते हैं इस नाते हमें जानकारी है, मैं भी वहाँ घूमता हूँ इस नाते मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप करें।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

आपका आदेश होगा तो हम बैठ जायेंगे हम जबरिया नहीं बोलते।

श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

मान्यवर, इन्होंने हमारा नाम लिया है तो इनके बाद दो मिनट का समय हमें भी दे दीजियेगा।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठिये, किसी का नाम नहीं लिया गया है।

(सदस्य श्री ओम प्रकाश राजभर तथा श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

हमें बहुत ज्ञान है, आप जानकारी रखो, बहस करना है तो वहीं बहस करो यहाँ न करो, पाल की हत्या होती है तो अपराधी को पूरी सरकार बचाती है, ऐसा मैं कहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय राजभर जी, आप हमारी तरफ देख करके बोलिए।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मै डंके की चोट पर कहता हूँ पाल की हत्या होती है, अपराधी को बचाने का काम होता है, पूरी सरकार करती है, जिसे मारा गया उसके खिलाफ भी एफ0आई0आर0 होता है, क्या बात करते हैं। अरे ठोंकने की नीति आपकी है ही, जिसके ऊपर 151 का मुकदमा है उसका आप इनकाउन्टर करते हो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने स्वयं पीठ से 15 मिनट के लिए निर्देशित किया, माननीय सदस्य को बोलते हुए 20 मिनट हो गये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

इसीलिए मैंने संक्षेप करने के लिए कहा है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूँगा कि अगर हमारा समय समाप्त हो गया है तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद। माननीय नेता, अपना दल, आपके पैर में दिक्कत है, आप बैठकर बोल सकते हैं।

***श्री नील रतन सिंह 'नीलू'-**

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 2021-22 के बजट अनुमानों पर बोलने का अवसर दिया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट का आकार 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपए है। यह जो बजट का आकार है यह उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से किसानों का प्रदेश है यहां का किसान अपने खेतों में 24 घण्टे काम करता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, पहाड़, पर्वत से टकराकर, अपने खून को पसीने में बदल कर फल, फूल, अनाज पैदा करता है, साग-सब्जी पैदा करता है और इस प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का भरण-पोषण करने का काम करता है। अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार के पूर्व में जो सरकारें रहीं, वह किसान विरोधी सरकारें रही, किसान के नाम पर वह धरती पुत्र कहे जाते थे, धरती पुत्र के पुत्र कहे जाते थे, लेकिन किसानों को पूर्ण रूप से ठगने का काम होता था। आज किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों की आय को दो गुनी-चार गुनी करने के लिए हमारी इस एन0डी0ए0 की सरकार ने 24 घण्टे किसानों की चिन्ता की है। आज उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल है, मैं आपको काशी की धरती पर ले चलना चाहता हूँ। काशी की धरती पर वहां का मिर्चा किसान, टमाटर किसान, मटर किसान, वहां के गेंदे के फूल का किसान, वहां के आम का किसान, वहां के अमरूद का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। लेकिन आज काशी की धरती पर उन किसानों की चिन्ता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी किया और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी किया है। बनारस की धरती पर राजा तलाब ने कार्गो सेंटर की स्थापना करके काशी के ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल के किसानों के होठों पर मुस्कान लाने का काम किया। आज हमारे बनारस का लंगड़ा आम तमाम खाड़ी देशों में जाता है। आज हमारे बनारस के मिर्चा किसानों का मिर्चा खाड़ी देशों और तमाम पड़ोसी देशों में जाता है। हमारे यहाँ के गेंदे का फूल देश के कोने-कोने में जाता है। आज किसान के होठों पर मुस्कान है। वह भी अपने आपको इस भारत का, उत्तर प्रदेश का नागरिक समझ रहा है।

अधिष्ठाता महोदय, हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री "कृषक दुर्घटना योजना" के माध्यम से किसानों को 5 लाख का बीमा उपलब्ध कराया है। अगर किसान के साथ कोई दुर्घटना होती है तो इस योजना से निश्चित तौर से उसका परिवार लाभान्वित होगा। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा "मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना" की शुरुआत की गयी है। आज उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज है, इसके पहले की सरकारों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में जंगलराज हुआ करता था। संगठित अपराधी, बड़े-बड़े माफिया इस उत्तर प्रदेश को लूटने का काम करते थे। गाँव का अंतिम व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं करता था।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकारों में हमारे महिलाएं, हमारी बहन-बेटियां अंधेरा हो जाने पर घर से बाहर नहीं निकलती थीं। सायं के समय उनको अगर हाट, बाजार जाना होता था, तो गाँवों से बाजार को निकलने के लिए सोचती थीं। लेकिन आज वह निःसंकोच हाट, बाजार जाने का काम कर रही हैं। आज हमारी बहन-बेटियां सुरक्षित हैं। "मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना" के माध्यम से बेटियों के शादी-विवाह में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने जनप्रतिनिधियों को निर्देशित किया है कि वह "सामूहिक विवाह योजना" में भाग लें। "सामूहिक विवाह योजना" के माध्यम से तमाम गरीब बेटियों के हाथ पीले हो रहे हैं, उनकों अच्छा घर और वर मिल रहा है। अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकारों में उत्तर प्रदेश का गरीब युवा पढ़ने-लिखने के बाद रोजगार की तलाश में भटकता रहता था। छोटे-छोटे, बड़े-बड़े सपने लेकर वह दूसरे प्रदेशों में काम के लिए जाता था। वह दिल्ली, मुम्बई, और कलकत्ता काम के लिए जाता था और वहां गन्दी नाली के किनारे झुग्गी-झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर होता था, लेकिन आज उन नौजवानों को इस उ0प्र0 में रोजगार मिल रहा है। तमाम छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से उन नौजवानों को स्वावलम्बी बनाने का काम किया जा रहा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसके पहले की सरकारों में यहाँ का नौजवान जब दिल्ली, मुम्बई और कलकत्ता जाता था, तो वह सपने लेकर जाता था कि जब मैं वहाँ से कमा कर लौटूँगा, तो बहन के हाथ पीले करूँगा, माँ के लिए अच्छी साड़ी लेकर आऊँगा, पिता के पैरों के लिए अच्छे जूते लेकर आऊँगा, ऐसे तमाम सपने लेकर वह नौजवान दिल्ली , मुम्बई और कलकत्ता को जाता था, गन्दी नाली के किनारे रहने के लिए मजबूर होता था और तमाम लाइलाज बीमारियों से ग्रसित होकर वह नौजवान वहाँ मर जाता था। गाँव में यह चर्चा होती थी कि फलाँ का बेटा दिल्ली, मुम्बई और कलकत्ता कमाने गया था, वह वहीं मर गया, उसका कहीं पता नहीं चला, वह लापता हो गया, ऐसी चर्चाएं गाँव में होती रहती थी। लेकिन आज हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने यह संकल्प लिया है कि अपने हर नौजवान को हम स्वावलम्बी बनाने का काम करेंगे और उसको समाज की मुख्य-धारा से जोड़ करके इस उत्तर प्रदेश को नौजवानों के दम पर उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे, सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने का काम करेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि आज हमारा श्रमिक जो इस देश और प्रदेश को सजाने, संवारने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है, उन श्रमिकों की चिंता अगर किसी ने की है तो हमारी सरकार ने की है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में कार्य हो रहा है। आज इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश के कोने-कोने में स्वच्छता अभियान चला करके इसे आगे बढ़ाने का काम किया गया है। कल तक

हमारे गाँवों व शहरों में ढेर सारी गन्दगी रहती थी, लेकिन हमारी केन्द्र व प्रदेश की सरकार ने स्वच्छता अभियान चला करके 'स्वच्छ भारत, सुंदर भारत' का जो सपना हमारे महापुरुषों -राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का, संत गाडगे का, डा0 भीमराव अम्बेडकर, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना रहा है, उस सपने को अगर कोई साकार करने का काम कर रहा है तो हमारी यह उत्तर प्रदेश और केन्द्र की सरकार कर रही है।

आज इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश के कोने-कोने में बहुत चौड़ी-चौड़ी सड़कों का निर्माण किया गया है। कहा गया है कि 'सड़कें देश और प्रदेश की भाग्य रेखायें होती हैं' आज इस देश और प्रदेश की भाग्य रेखा बदल रही है। मैं इसके लिए अपने माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस देश के अन्दर ही नहीं, इस प्रदेश के अन्दर आपके द्वारा सड़कों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश के उप मुख्य मंत्री जी जिनके पास पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग है उनके द्वारा सड़कों का काम हो रहा है, वह निश्चित तौर पर मानक के अनुरूप हो रहा है। हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर सड़कें अच्छी होती हैं तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वह दौड़ता हुआ ट्रांसपोर्ट होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि-''किसी भी देश के विकास के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं-एक दौड़ता हुआ ट्रान्सपोर्ट, दूसरा बहता हुआ पानी, तीसरा अंकुरित बीज।" आज चौड़ी सड़कों के माध्यम से हमारा दौड़ता हुआ ट्रांसपोर्ट है, इससे हमारे देश और प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं उनकी दूरी घट गयी है और आसानी से हमारा ट्रांसपोर्ट दौड़ करके इस शहर का प्रोडक्ट उस शहर में चला जा रहा है और उस शहर का प्रोडक्ट दूसरे शहर में चला जा रहा है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम अपने माननीय ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज बिजली की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक है। आज 20-22 घंटे किसानों को बिजली मिल रही है। जो किसान रात के अंधेरे में कड़ाके की ठंढ में बिजली का इन्तजार अपने खेतों को सींचने के लिए करता था, आज उस किसान को दिन में बिजली मिल रही है। पूर्ववर्ती सरकारों में क्या होता था वह रात को कड़ाके की ठंढ में अपने खेत के किनारे जो पगडंडी होती है, उस पगडंडी पर पुआल बिछाकर, कम्बल ओढ़ करके रात में बिजली का इन्तजार करता था कि बिजली अब आयेगी, अब आयेगी, लेकिन बिजली आँख मिचौली करती थी, बिजली नहीं आती थी। लेकिन आज उन्हीं किसानों को हमारी सरकार में 20-22 घण्टे बिजली मिल रही है व दिन में मिल रही है और वह अपने खेतों की अच्छे से सिंचाई कर रहा है। माननीय अधिष्ठाता जी, आज हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हम पूरे प्रदेश के कोने-कोने में जहाँ स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है हम वहाँ पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करेंगे और इस कड़ी में जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं मिर्जापुर, सोनभद्र और इधर जो बुन्देलखंड का एरिया है, आज वहाँ पर पेयजल की समुचित व्यवस्था नल के द्वारा हर व्यक्ति के दरवाजे तक पहुँचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके पहले अगर यह हुआ होता तो आज यह करने की जरूरत न होती।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस देश के अन्दर चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति क्यों न हो अगर वह यह कहता है कि हमारी बात नहीं मानी जा रही है, तो यह झूठ है। हर व्यक्ति की बात मानी जा रही है। हर व्यक्ति के क्षेत्र में विकास हो रहा है। जो सबका साथ, सबका विकास का जो नारा हमारी सरकार ने दिया है उसमें चाहे हमारी सत्ता पक्ष के साथ जो लोग रहे हैं या जो लोग नहीं रहे हैं सभी जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र में समुचित विकास कार्य हो रहा है। (मेजों की थपथपाहट) अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा यह जो बजट है, यह बजट इस उत्तर प्रदेश के विकास में चार चाँद लगाने का काम करेगा और यह उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पर समृद्धशाली प्रदेश बनेगा, उत्तम प्रदेश बनेगा और उस बजट से इस उत्तर प्रदेश के हर जन के होठों पर मुस्कान आयेगी। आपने मुझे इस बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिये शेर के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूँगा, एक संदेश देना चाहूँगा कि **जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है।** उन युवाओं से कहना चाहूँगा-

करीब मुल्क के आओ तो कोई बात बने,
मशाल फिर से जलाओ तो कोई बात बने,
लहू जो यहाँ सूख गया है शहीदों का,
कुछ अपना खून मिलाओ तो बात बने।

(मेजों की थपथपाहट) इन्हीं बातों के साथ सभी लोगों का हृदय से हार्दिक अभिनन्दन, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[03:20] बजट भाषण पर चर्चा हेतु समय निर्धारण

श्री अधिष्ठाता-

माननीय अध्यक्ष जी ने सभी माननीय सदस्यों के लिये 5-5 मिनट का समय निर्धारित किया है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि कृपया समय का ध्यान जरूर देंगे। उन्होंने यह भी तय किया है कि दो माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के फिर एक माननीय सदस्य विपक्ष से बोलेगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

अधिष्ठाता जी, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने गोली चलाने वालों की बात कही थी मैं चाहता हूँ कि उस पर मैं कुछ कह दूँ।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं उसको छोड़ दीजिये। बैठिये आप।

श्री पंकज सिंह-

महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं 5-5 मिनट का समय सभी सदस्यों को मिला है। मुझे समर्थन में बोलना है, क्या मुझे भी 5 मिनट में ही समाप्त करना है या थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

मै माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशों से बंधा हुआ हूँ।

***श्री पंकज सिंह-**

ठीक है मान्यवर, मुझे आप जितने में कहेंगे उतने में ही समाप्त कर दूँगा। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे आज बजट पर बोलने का अवसर दिया है। मैं बजट के समर्थन पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ और सच में आज जब बजट पर चर्चा प्रारम्भ हुई और मैं सुन रहा था नेता विरोधी दल को, नेता बहुजन समाज पार्टी को तो सच में जब उन लोगों ने चर्चा की कि कैसे कल मुख्य मंत्री जी ने कहा तो ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में एकदम बहार आ गई, उत्तर प्रदेश एकदम बेहतर हो गया, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ गया, लेकिन सच में उन्हें यह लगा हो या शायद हकीकत उनको ठीक न लग रही हो। अपने-अपने देखने का, अपने अपने-सोचने का तरीका है। नजरिया सबका अलग-अलग होता है। लेकिन सच में जब मैं आज बैठकर आप लोगों को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में सब ठीक था और आज जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ किया ही नहीं है या कुछ उनको दिखाई ही नहीं दे रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ किया ही नहीं है या उनको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैं आज सबसे पहले मा0 मुख्य मंत्री जी को, हमारे संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी को भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस दशक का पहला और पेपरलेस डिजिटल बजट हम लोगों के सामने रखा है। इन सबमें सबसे बड़ी बात मैं यह भी ऑब्जर्व कर रहा था कि इतना बड़ा बजट, इतना अच्छा बजट, इतना समग्र बजट, इतना समावेशी बजट बिना पानी का एक घूंट पिये लगातार एक बार में उन्होंने हम सब लोगों के सामने रख दिया। बजट बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, यह पूरी प्रक्रिया ही बहुत महत्वपूर्ण है और बजट सभी के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रक्रिया है चाहे वह किसी घर में हो, देश में हो, राज्य में हो, वह सभी के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। जब बजट रखा जाता है तो बजट में सिर्फ आय-व्यय या खर्चा कहां किया गया, प्राप्तियां कहां से हुईं यह सब तो होता ही है, जोड़ना घटाना भी उसमें होता है, लेकिन सच बात यह है कि बजट होना चाहिए।

आय-व्यय और सारी चीजों के बाद व्यवस्था भी कभी ऊपर-नीचे होती है, आय-व्यय भी ऊपर-नीचे होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि बजट रखा जाए तो वह बजट इन सब चीजों के साथ-साथ खुशियों को जोड़ने वाला और लोगों के दुःख को कम करने वाला बजट होना चाहिए। मैं बहुत विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं कि वही बजट मा0 वित्त मंत्री जी ने इस सदन में रखा है, जो उत्तर प्रदेश के लोगों का दुःख भी कम करेगा और उत्तर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के लोगों के सुख को जोड़कर आगे बढ़ाने का काम करेगा। पिछले बजट पर जब मैं चर्चा कर रहा था तब भी मैंने कहा था कि लोगों को लगता है यह भगवाधारी, यह योगी आदित्यनाथ, योगी, सन्त, साधु यह माडर्न बजट कैसे लोगों के सामने रखेंगे ? कैसा बजट इनका होगा, लेकिन आज यह बजट उन्होंने रखा है। 2017-18 के बजट से लेकर उनकी सरकार ने लगातार बजट रखा है। पहले भी मैंने कहा और फिर इस बात को कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि योगी तो अपने आप में जोड़ने वाला योग होता है। योगी जी ने जोड़कर खुशियों को लोगों के सामने रखने की कोशिश अपनी तरफ से की है। कई बार कौन सा व्यक्ति या कोई सरकार, कितना खर्च करती है, कितना सक्षम है, इससे मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, इसका कोई बहुत बड़ा असर भी नहीं होता है। बजट पर चर्चा हो रही थी कि आकार ऐसा था। 2011 में लगभग 1 लाख 70 हजार के आस-पास का बजट था, आज 5 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट है। बजट का आकार भी बड़ा होता है, लेकिन सिर्फ बजट के आकार से उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, वह कितना खर्च करता है इससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सरकार या वह परिवार खर्च कहां पर करता है, किसके लिए करता है, सबसे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में मा0 वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है खर्च भी उन्होंने एक-एक रुपये का दिखाया है। वह इस उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने वाला, आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला बजट है और समग्र बजट उन्होंने यहां पर रखा है। एक-एक रुपया भी उन्होंने उसमें जहां पर एलॉट किया है, वह इस देश में जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, वह आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाते हुए एक अग्रणी भूमिका रखने वाला बजट हमारे मा0 वित्त मंत्री जी ने हम सब लोगों के सामने रखा है। आकार में तो यह बड़ा है ही साथ-साथ इसमें लगभग 27 हजार 598 करोड़ की नयी परियोजनाओं को भी रखा गया है।

बजट सिर्फ संख्याओं का ही संग्रह नहीं है, बजट हमारे मूल्यों को और लोगों की अपेक्षाओं को भी साथ में प्रतिविम्बित करता है। इस बजट में जो लोगों ने चाहा है, जैसा लोगों ने चाहा है, जैसे उत्तर प्रदेश की वह कल्पना करते हैं, वैसा उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, उस संकल्प को सिद्ध करता हुआ यह बजट आज लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। जबसे यह बजट रखा गया है तबसे मैं समाचार-पत्रों में प्रतिक्रियायें देख रहा था, सुन रहा था, कोई कह रहा है कि यह अन्तिम बजट है, कोई कह रहा है कि यह विदाई वाला बजट है, अनेक प्रकार की बातें हो रही हैं। ऐसा बजट वैसा बजट कुछ दिखाई नहीं दिया कई लोगों ने अपनी-अपनी बातें रखीं। लेकिन फिर भी सब बातों में मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़ी बात सभी राजनीतिक दलों के लिए सभी राजनीतिज्ञों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए क्रेडिबिल्टी से बड़ी विश्वसनीयता से बड़ी कोई भी चीज नहीं होती। विश्वसनीयता अगर समाप्त हो जाए तो उस व्यक्ति के जीवन का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता, कोई एथिक्स नहीं रह जाती, कोई विश्वास

नहीं करता। इसीलिए अगर हस्तक्षेप किसी बात में करना चाहिए तो बहुत मस्तिष्क के साथ करना चाहिए और आपको कोई प्रसंशा भी करनी हो पता नहीं उन्होंने कितने हृदय से किया था, लेकिन कल नेता विरोधी दल ने भी, अन्य लोगों ने भी मुख्य मंत्री जी की प्रसंशा की, प्रसंशा करिए तो हृदय से करिए, हस्तक्षेप कहीं बीच में करिए तो पूरे मस्तिष्क से पूरे समझ से करिए। सच में प्रतिक्रिया भी अगर किसी विषय पर दिया जाए खासतौर पर बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अगर कोई प्रतिक्रिया दी जाए तो वह भी पूरी बुद्धि, विवेक और समझदारी के साथ देना चाहिए अन्यथा चुप रहने में ही भलाई है।

ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इस हाल में देख रहे हैं। यहाँ से निकलकर यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है। वह देख रही है कि पहले क्या हुआ था आज क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश की स्थिति पहले क्या थी आज क्या है ? उत्तर प्रदेश और देश आज कहाँ पर जा रहा है यह भी हम लोगों के सामने साफ प्रतिविम्बित होता है। हम सब साफ-साफ देख रहे हैं। सच में यह किसी भी सरकार के सामने उसका विजन होना चाहिए, उसके सामने मिशन भी होना चाहिए, हम चाहते क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा मिशन क्या है, हम हासिल क्या करना चाहते हैं साथ-साथ में हम जो काम कर रहे हैं, हमारी विचारधारा क्या है, इन्सिपिरेशन हमको कहाँ से मिलता है। मोटीवेशन हमको कहाँ से मिलता है। बुरा न मानें तो मैं पूछूँ कि पहले की जो सरकारें जो यहाँ पर रही हैं उन राजनीतिक दलों से अगर मैं पूछूँ कि आपका विजन, मिशन और इन्सिपिरेशन क्या है अगर उस पर मैं जाऊँगा तो मुख्य मंत्री जी ने कल उस बच्चे के बारे में बात बताई थी बातें वहीं पर जाकर टिक जाएंगी, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता।

सच में हमारी सरकार का मिशन हमारी सरकार का विजन भी है और विजन हमारी सरकार का है कि हम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाएंगे और आत्मनिर्भर भारत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश निभाएगा यह विजन लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मिशन भी हम सबके सामने है कोरोना का पीरियड हम सबने देखा है कोरोना के पीरिएड में अर्थ व्यवस्था कहाँ पर जाएगी पटरी से कितनी उतर जाएगी किसी को अन्दाजा नहीं था। लाकडाउन कब तक चलेगा कितने दिन चलेगा कब अनलाक होगा कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी हम मिशन लेकर चले हैं और वन ट्रिलियन यू0एस0 डालर इकोनामी का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, मैं देख रहा हूँ कि वह मिशन भी हमारी आँखों से ओझल नहीं हुआ है। हम इसी तरीके से चलते हुए वन ट्रिलियन यू0एस0 डालर इकोनामी को भी हासिल करेंगे। साथ-साथ में जो हमारा मोटीवेशन और इन्सिपिरेशन भी है वह इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्मे भगवान श्री राम चन्द्र जी की यह जन्मस्थली है जन्म की भूमि है रामराज्य की स्थापना करने का यह मोटीवेशन और इन्सिपिरेशन भी हमको मिलता रहे श्रीराम चन्द्र जी से मोटीवेशन और इन्सिपिरेशन भी मिलता है। चर्चा होती है कि सरकार ने चार साल में क्या किया कोई सरकार चार साल क्या चालीसों साल तक सरकारें चली हैं, हमारी सरकार तो अभी पाँचवें साल में

प्रवेश कर रही है। लेकिन क्या किया है चालीस-चालीस पचास-पचास सालों में आज जिन मुद्दों की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे लम्बा शासन जिन लोगों ने किया है उन लोगों के विषय रख रहे हैं। सच्चाई यह है कि जो जिम्मेदारी जनता ने आपको दी थी उसको सही से निभाया होता, कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन किया होता तो शायद जो योगी आदित्यनाथ को यह सारे काम चार साल में करने को मिले हैं शायद इसमें से बहुत सारे काम पहले हो चुके होते। इसलिए सरकार की उपलब्धि कितने साल चली हो, कितने दिन रही हो इससे मात्र नहीं होती है, सरकार की उपलब्धि सरकार की उम्र वर्षों में नहीं मापी जाती बल्कि सच कहें तो सरकार की उपलब्धि और सरकार की उम्र तो सरकार के द्वारा जनहित में किए गए गरीबों के हित में, किए गए कामों से उसका एनालिसिस होना चाहिए। इस बात जो वित्त मंत्री जी ने बजट रखा है वह औद्योगिक विकास को बढ़ाने वाला है, यह बजट अवस्थापना के विकास के लिए है, यह युवाओं, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। यह किसानों की समृद्धि के लिए है।

मान्यवर, यह सब यहाँ आपने रखा है। गरीब कल्याण, महिला सशक्तीकरण, युवाओं में आत्मसम्मान भरने वाला यह बजट है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि कैसे बार-बार लोग कह रहे हैं कि इसमें युवाओं के लिये कुछ नहीं दिख रहा है, महिलाओं के लिये कुछ नहीं दिख रहा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं यह सब सुन रहा था, अंग्रेजी में एक शब्द होता है 'यूटोपिया' और 'यूटोपिया' मानते हैं कि यह कल्पना वाला कोई लोक है जो कभी हो ही नहीं सकता है, एक आदर्श लोक है जो कभी हो ही नहीं सकता है। अब हिन्दुस्तान छोड़कर विश्व के किसी देश की बात कोई करता हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन 'यूटोपिया' ऐसी स्थिति, ऐसा लोक, ऐसा आदर्श लोक जहाँ पर सब अच्छा हो, सब सौहार्दमय हो, सब समरसतामय हो, शांति हो, न्याय हो, भ्रष्टाचार न हो। अभी कोई अन्य देश अगर कहे कि यह कल्पना वाला लोक है तो वह हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश की तो यह परम्परा रही है और सच में अगर हम वह हासिल कर सकते हैं तो अगर कोई प्रेरक चरित्र हो और कोई आदर्श नेतृत्व हो, उसी से हम यह हासिल कर सकते हैं और अगर हम सब इस 'यूटोपिया' की बात करते हैं तो हमारे देश की अगर मैं बात करूं तो यह रामराज्य स्थापित करने वाली बात है और यह तो हमारे देश की संस्कृति में रहा है, यह हमारे अस्तित्व में रहा है। हमारे लिये यह कोई कल्पना का विषय नहीं है और उसी रामराज्य को हासिल करने के लिये हम सब लोगों ने कदम आगे बढ़ा दिया है और निश्चित रूप से हम सब लोग वह राम राज्य हासिल भी करेंगे जहाँ पर समानता भी थी, न्याय भी था। जहाँ पर भाईचारा भी था। जहाँ पर राजा भेष बदल कर गरीबों की समस्याओं को समझने के लिये, देखने के लिये, चर्चा करने के लिये जाते थे। जहाँ पर गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा के सामने आकर खुलकर अपनी बात कह सकता था तो वैसे ही इसी तरह से हम सब लोग आगे बढ़े हैं और यह धरती तो श्री राम की धरती है, राजा हरिश्चन्द्र जी की धरती है, सावित्री, दधीचि और शिवी की धरती है और यहाँ पर ऐसे राम राज्य की, सौहार्दपूर्ण वातावरण की, समरसता की, समता की कल्पना हम लोग कर सकते हैं।

एलेक्जेंडर से लेकर नेपोलियन तक हो या चार्ल्स से लेकर कहीं पर भी हो, आप देख लीजिये उनकी प्रशंसा उनके देश में हो सकती है, हिन्दुस्तान को छोड़कर विश्व का कोई अन्य देश उनको बहुत सफल और सक्सेसफुल राजा इसलिये मान सकता है कि उन्होंने कितने बड़े भू-भाग पर राज किया और कितने साम्राज्यों को अपने साम्राज्य में जोड़ लिया, लेकिन हमारे देश में किसी राजा की पूजा या किसी राजा को याद इसलिये नहीं किया जाता कि उसने कितने बड़े भू-भाग पर राज किया, कितने लोगों को उसने परास्त किया, उसने कितने मैदान जीत लिये उसे इस बात से नहीं आँका जाता है। हमारे यहाँ तो किस राजा ने कितना त्याग किया, कितनी तपस्या की, कितना गरीबों के लिये काम किया, इस बात से उसकी सफलता का आंकलन किया जाता है। राजा हरिश्चन्द्र थे, सपने में दिया हुआ वचन निभाने के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिये वह तैयार हो गये।

भगवान श्री राम अपने पिता का वचन निभाने के लिये 14 वर्ष तक वनवास में चले गये। भरत को हम सब लोगों ने देखा, वह अपने भाई के लिये, अपने भाई के प्रेम में उनकी चरण पादुका वहाँ रखकर उन्होंने वहाँ राज किया, शासन किया, लेकिन उस सिंहासन पर वह नहीं बैठे, तो यह यहाँ की संस्कृति में रहा है। यहाँ पर दधीचि हुये, उन्होंने अपनी हड्डियाँ दान कर दी। शिवी, जिन्होंने कबूतर की जान बचाने के लिये अपने शरीर का मांस दे दिया। पन्नाधाय, जिन्होंने राजा के बेटों को बचाने के लिये अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, तो इन सब चीजों से यहाँ पर आंकलन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी मैं सुन रहा था, नेता बसपा अभी कह रहे थे कि धर्म राजनीति में कैसे जुड़ गया, राजनीति में भाजपा वाले यह पाखण्ड कर रहे हैं, आडम्बर कर रहे हैं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह धर्म को मात्र इतनी संकीर्णता के साथ क्यों देखते हैं। यह धर्म को बार-बार रिलीजन के साथ क्यों मिला देते हैं। यहाँ बड़े-बड़े ज्ञाता है, अनुभवी लोग भी हैं, मैं तो पहली बार का विधायक चुना गया हूँ। आदरणीय सुरेश खन्ना जी यहाँ पर हैं, यहाँ पर अन्य दलों के जो भी नेता हैं वह भी बहुत सीनियर हैं, उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म क्या है, मैं उन सब चीजों में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो भी अच्छा कर्म है वही धर्म है इसको साफ शब्दों में समझा जा सकता है। इसलिये क्यों नहीं हम अच्छे कर्म को राजनीति के साथ जोड़ें, क्यों नहीं हम धर्म को राजनीति के साथ जोड़ें। राजनीति होनी चाहिये तो सच में धर्म की स्थापना के लिये ही राजनीति होनी चाहिये, बिना धर्म के राजनीति का कोई अर्थ रहता ही नहीं है। अच्छे कर्म के बिना गरीब के चेहरे पर चमक आए, किसानों की आँखों में चमक आए, फिर से किसान अपनी मूँछों पर ताँव देता हुआ सीना चौड़ा करके सड़क पर चलता नजर आए। यही करने के लिए तो हम सब लोग यहां आये हैं, वही वक्त दुबारा लौट कर आए यही इच्छा लेकर हम सब यहाँ पर आए हैं तो फिर कैसे धर्म को राजनीति के साथ अलग किया जा सकता है ? मैं कहना चाहता हूँ कि यह उत्तर प्रदेश रामराज्य की तरफ आगे बढ़ गया है। मा0 योगी जी के नेतृत्व में शान्ति, समृद्धी, सौहार्द और समरसता का मानक

स्थापित करते हुए उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसीलिए हम सब लोग रामराज्य हासिल भी करेंगे।

उत्तर प्रदेश को कभी बीमारू राज्यों में देखा जाता था, लेकिन सच में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। जब भी उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी तो उसे बीमार राज्यों में ही गिना जाता था, लेकिन आज अनेक चीजों में जब उत्तर प्रदेश को केन्द्र की सरकार द्वारा कोई अवॉर्ड मिलता है, उसे नम्बर-1 का दर्जा दिया जाता है तब भी विपक्ष के दलों को यह पचता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश प्रगति करता है तो यह भी इन लोगों को ठीक नहीं लगता है। मैं मानता हूँ कि वह दशा बदल भी नहीं सकती थी जब तक कि कोई नेता या राज्य गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने आपको सेवक के रूप में नहीं देखता तब तक हम उत्तर प्रदेश की स्थिति को नहीं बदल सकते थे।

आज मा0 योगी जी हों चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी हों दोनों लोगो को इस देश की जनता जनार्दन ने एक सेवक के रूप में बिठाया है और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की स्थिति में बदलाव भी हम सब लोग देख रहे हैं। सिर्फ शासक और शहंशाह बनकर चीजों को बदलने की अगर कोई कोशिश करेगा तो सच में शायद वह स्थिति नहीं बदल सकती थी। इसीलिए पहले की सरकारों ने जनता को सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन सा मान लिया था, वोट बैंक मान लिया था यही कारण है कि उनकी दृष्टि इससे ज्यादा दूर जाती नहीं थी और उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्यों की गिनती से बाहर आना चाहिए था वह आने के लिए अपने कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता था, यह स्थिति उस समय हुआ करती थी, होती भी कैसे जब एक ही परिवार के लोग प्रदेश में काम करते थे, जब एक व्यक्ति विशेष होता था और अब जनता विशेष हो गयी है तो इसलिए अब यह परिवर्तन आना प्रारम्भ हो गया है। जब हम भगवान श्री राम जी की बात कर रहे थे तो ये साम्प्रदायिक ठहराने लगते हैं, लेकिन सच में भगवान श्री रामचन्द्र जी के अस्तित्व की जब हम लोग बात कर रहे थे तो ये लोग रामचन्द्र जी के अस्तित्व को ही नकारने लग गये। कल की चर्चा जब मैं सुन रहा था तो मा0 नेता विरोधी दल, फिर मैं कहता हूँ बहुत बड़े हैं मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूँ, लेकिन इसके साथ-साथ मैं छोटा भी हूँ इसलिए मैं आपसे आग्रह पूर्वक, विनम्रता पूर्वक सवाल भी करना चाहूँगा कि जब वह कह रहे थे कि मैं मठों में भी जाता हूँ, सबसे पहले राम लला के दर्शन करने पैदल ही अयोध्या तक गया हूँ, अच्छी बात है जाना ही चाहिए हर एक हिन्दुस्तानी को जाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि विश्व भर के जो लोग भी हिन्दुस्तान आए उनको भी श्री रामचन्द्र जी के दर्शन करने के लिए और उनके जीवन से कुछ सीखने के लिए अयोध्या जाना चाहिए, लेकिन मैं मा0 नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूँ कि जब आप इतना सब कुछ करते ही हैं तो जब राम भक्तों के ऊपर, कारसेवकों के ऊपर समाजवादी पार्टी की सरकार में जब गोलियाँ चलायी गयी थीं तब दर्द तो आपके मन और दिल को हुआ ही होगा, यह मैं जानना चाहता हूँ कि कितना दर्द हुआ था ? मैं यह पूछना चाहूँगा कि जब भगवान श्री रामचन्द्र

जी तम्बू में रहने के लिए, टेन्ट में रहने के लिए मजबूर होते थे तब भी आपके मन और दिल को दर्द तो होता ही होगा ? भगवान राम के अस्तित्व को किसी के सत्यापन की जरूरत नहीं है और आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी सफलताओं में मैं एक सफलता यह भी मानता हूँ कि आज बहुत सारे लोग गंगा में डुबकी भी लगाने लगे, मन्दिरों के दर्शन भी करने लगे और कुछ लोग भगवान विष्णु का बहुत बड़ा मन्दिर बनाने की बात करने लगे हैं।

मैं मानता हूँ कि शायद भारतीय जनता पार्टी की अनेकोनेक सफलताओं में से एक बहुत बड़ी सफलता यह भी है। मैं यह मानता हूं कि सुनने में दिक्कत हो रही होगी, दिक्कत इसलिए भी होती है क्योंकि भगवान श्री रामचन्द्र जी के अस्तित्व पर तो प्रश्न उठाते हैं, जब ओसामा जैसे आतंकवादी के नाम के आगे जी लगाते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जो विश्व भर में देश का मान ऊंचा उठा रहे हैं, उनके नाम के आगे से जी हटा लेते हैं और आजमगढ़ में आतंकवादियों को जब हमारे जवान जब उनका सीना छलनी कर देते हैं तो जिनकी आखों से आंसू निकलते हैं तो यह सब सुनने में दर्द तो हो ही रहा होगा। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो बातें सही हैं वह तो रखना ही पड़ेगा और इसलिए मैं मानता हूँ कि रामचन्द्र जी का मन्दिर भी बन रहा है और सड़कें भी तैयार हो रही हैं, एयरपोर्ट भी तेजी के साथ वहां बन रहा है यहां पर दर्शन के लिए आप आ-जा भी सकते हैं और यही हमारी राम के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता है और मैं मानता हूं कि इसी संस्कार और इसी संस्कृति के कारण जो कोरोना की महामारी में भी जब पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था। जब लोग अपने घरों से निकलने में डरा करते थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से प्रधानमंत्री, लोगों की सेवा करने के लिए डाक्टर्स निकले, फ्रन्टलाइन हमारे कर्मचारी निकले, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब दिया जलाने की बात कही तो तमसो मा ज्योतिर्गमय अन्धेरे से निकलकर प्रकाश की ओर जाने का संदेश लेकर पूरा देश एक साथ बाहर निकलकर आया। पूरी मेडिकल फैकल्टी ने जिस त्याग और संकल्प का परिचय दिया वह सेवा परमोधर्मः का जो हमारा उद्घोष है, हमारा संकल्प है उसका साफ परिचय उन्होंने दिया और उसी पीरियड में आज बहुत सारी बातें कही गयीं न जाने कौन-कौन से घोटालों पर चर्चा की गयी, लेकिन उसका बहुत अच्छा जवाब सिर्फ एक नेता के एक मुख्य मंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक स्टेटस मैन के रूप में हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो रखा है, मैं जितनी भी तारीफ करूं वह कम है।

मैं मानता हूं कि हम सब लोग अपनी संस्कृति भी और जो माडर्न आज के नौजवानों के हिसाब से जो महत्वाकांक्षायें हैं जैसा देश व प्रदेश वह बनाना चाहते हैं, उसमें कहीं पर भी हम कोई विरोध नहीं देंगे, इसमें कोई विरोधाभास भी नहीं होता है। हम अगर न्यू एज फाइटर प्लेन्स राफेल जैसे लाते हैं तो उसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा भी हम फ्रान्स की धरती पर करने में संकोच नहीं करते, लेकिन इसमें भी लोगों को आपत्ति हुई और यह भी मैं बताना चाहूंगा कि भगवा भी हमारे मुख्य मंत्री जी पहनते हैं और साथ-साथ में ग्लोबल समिट

भी हमारे उत्तर प्रदेश में कराते हैं। विश्व भर के लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे वह डिफेन्स एक्सपो में हो, चाहे फिर इन्वेस्टर समिट हो इसीलिए हम लोग हमेशा आधुनिकता के रथ पर सवार होकर नौजवानों के हिसाब से उत्तर प्रदेश को बनाने का काम भी हम लोग करेंगे लेकिन हमेशा उसके ऊपर यदि परचम किसी भी चीज का होगा तो हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक ताकत और हमारी सनातन धर्म की पताका ही उस पर फहराई जायेगी। इतना मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अधिष्ठाता महोदय, किसानों के ऊपर भी बहुत चर्चा हुई, किसानों के बारे में भी तीन बिल पास हुए, उस पर भी बहुत चर्चा हुई, लेकिन सच में उसमें मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस पर चर्चा हुई बहुत डीटेल में इस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि संक्षेप में समाप्त कर रहा हूं। यह बात सही है कि जब तक हमारे देश का किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक हमारा देश, हमारा प्रदेश भी समृद्ध नहीं हो सकता, लेकिन इन किसानों को हमेशा मार्जिन पर रखने का काम किसने किया था ? और किसानों के आज हमदर्द बनते हैं, लेकिन सच में मुझे याद आता है कि चाहे टप्पल हो, चाहे घोड़ी-बछेड़ा हो, चाहे भट्टा पारसौल की घटना हो, चाहे चन्दौली की हो मुजफ्फरनगर की हो इन सबमें किसान जब जाते थे, हमारे यहाँ किसान आज भी धरने पर बैठे हुए हैं, आज भी अपनी बात कह रहे हैं लेकिन सरकार उनकी बात-चीत कर रही है और आगे भी बात-चीत करने के लिए तैयार है, लेकिन जब गुलाम समय था जब अधिग्रहण का कानून लेकर जब किसानों की जमीन छीन लिया करते थे और हमारे प्रदेश का किसान जब उनसे बात करने के लिए जाता था। तो तब की सरकारें बात भी नहीं करती थीं, बल्कि किसानों के ऊपर गोली और लाठी चलाने का काम करते थे और आज वह किसानों का हमदर्द बनते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद पंकज जी अब मैं माननीय फईम इरफान जी को बुला रहा हूँ।

श्री पंकज सिंह-

बस दो चार मिनट बोलकर मैं खत्म कर रहा हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय फईम इरफान जी को मैंने बुला लिया है पंकज जी।

श्री पंकज सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, तो इस तरीके से समय नहीं देना चाहिये था। मैं बन्द कर दूंगा, लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि मैं अगर समर्थन पर अपनी बात रख रहा हूँ तो इस तरह से आप बीच में रोक दें।

श्री अधिष्ठाता-

आप पीठ पर आक्षेप लगा रहे हैं।

श्री पंकज सिंह-

नहीं, मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से मैंने पहले ही समय पूछा था तो मुझे बताना चाहिये था। लेकिन अच्छी बात है सब मिलाकर आपने मुझे बोलने के लिए जितना भी मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, लेकिन जब मैंने पहले ही समय पूछा था और यदि आप बता देते।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य इस तरह से आप पीठ की अवहेलना नहीं कर सकते हैं।

श्री पंकज सिंह-

मैं अनुशासन में ही रहने की कोशिश करता हूँ। यदि आप बोलते कि पांच मिनट बोलना है तो मैं पांच मिनट में ही समाप्त कर देता। आपने इशारा किया तो मैं आगे बढ़ा।

श्री अधिष्ठाता-

इशारा तो मैंने पांच मिनट पहले ही कर दिया था।

श्री पंकज सिंह-

और आपने समाप्त करने के लिए कहा तो मैं बैठ गया। बहुत-बहुत धन्यवाद, अधिष्ठाता महोदय।

श्री अधिष्ठाता-

बहुत-बहुत धन्यवाद पंकज जी।

***श्री मो0 फईम इरफान-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बजट कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ। वास्तव में यह बजट पूरी तरह से दिखावे वाला बजट है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बिलारी विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ जो मुरादाबाद जिले में पड़ता है। इससे पहले मेरे वालिद हाजी मोहम्मद इरफान साहब बिलारी से समाजवादी सरकार में विधायक रहे। उस समय के बजट में हम लोग साथ में आते थे और महसूस करते थे कि हमारे वालिद साहब ने बिलारी विधान सभा क्षेत्र में चार साल बनाम चालीस साल के विकास कार्य कराये जिसमें लोहिया ग्राम, जनेश्वर मिश्र योजना, सड़क, पुल, स्कूल, राजकीय इण्टर कालेज, आई0टी0आई0, रोजगार से जुड़े मामले, नगर पालिका परिषद् बिलारी को आदर्श नगर पालिका परिषद् बनाने का मामला, बिजली घर बनाने का मामला, जनरेटर लगवाने का मामला, शमशान घाट बनाने का मामला, शिव मन्दिर को पर्यटक स्थल बनाने का मामला, दरगाह को पर्यटक स्थल बनाने का मामला, सोलर प्लाण्ट हो या दो सौ किलोमीटर नई सड़कें बनवाने का मामला हो, मण्डी समिति की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थापना हो, या अग्निशमन केन्द्र का मामला हो, रोडवेज का मामला हो या कम से कम सौ गांवों का विकास कराने का मामला। विधायक जी ने चार साल बनाम चालीस साल के नारे के साथ इसको करने की कोशिश की है। उसके बाद हादसे में उनका इन्तकाल हुआ और मैं विधायक बना, फिर से 2017 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में विकास के लिए पूरी कोशिश की। कोशिश का नतीजा यह हुआ कि लगातार पिछले चार साल से कोई भी बजट हो मैं उसमें विकास की मांग करता रहा हूँ, क्योंकि मैं विकास के नाम पर विधायक बना हूँ, गंगा-जमुनी तहजीब के नाम पर विधायक बना हूँ, हिन्दू-मुस्लिम एकता के नाम पर विधायक बना हूँ। धर्म को आस्था मानकर कोई हाथ जोड़कर पूजता है तो कोई हाथ फैलाकर पूजता है। इस नाम पर विधायक बनकर मैं इस सदन में आया हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बिलारी विधान सभा क्षेत्र में मेडिकल कालेज बनाने के लिए हमने कई बार प्रस्ताव दिये हैं, लेकिन अब तक वहां पर किसी मेडिकल कालेज की स्थापना नहीं हो पाई है। महिला चिकित्सालय में आपरेशन की व्यवस्था कराने के लिए हम लोगों ने कई बार लिखकर दिया, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो पाई।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलारी में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है, जिसमें लोगों को अस्पताल जाने में परेशानी होती हो क्योंकि बिलारी से मुरादाबाद की दूरी 25 किमी है और बहुत सी जानें चली जाती हैं, लेकिन कोई भी हास्पिटल हमारे यहां इस तरीके का नहीं है। हमारा महमूदपुर माफी एक बड़ा गांव है उसको नगर पंचायत बनाने का काम तो कर दिया गया, लेकिन उसके अन्दर कोई भी कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वहां की सड़कें गन्दी हैं, नाले-नालियां गन्दी हैं और पूरी तरह से वहां पर अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया है। वहां पर पी0एच0सी0 भवन बहुत जर्जर स्थिति में है, वहां पर कोई डाक्टर नहीं है और अन्य व्यवस्थायें भी वहां पर नहीं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बिलारी विधान सभा क्षेत्र में हमारे विधायक हाजी इरफान साहब ने एक ट्रेनिंग सेण्टर बनाने की बात की थी, लेकिन कई बार लिखने के बावजूद भी इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है। बिलारी में जो महिला शिक्षिका प्रकोष्ठ की स्थापना हुई है तो वहां पर हमारा जो थाना है वह इस पोजीशन में है कि पिछली सरकार में जो जर्जर थाना टूट गया था, लेकिन आज तक उस थाने के अन्दर थानेदार के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। कोई वहां पर बैरक नहीं है, वहां पर मुंशियों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। थाने की पूरी व्यवस्था जीर्ण-क्षीण है। बारिश हो जाती है तो सब जगह पानी-पानी हो जाता है और यकीन करिये कि वहां पर न तो कोई फरियादी पहुंच पाता है और न ही वहां पर पुलिस रह पाती है। महिलाओं के लिए तो कोई डेस्क तक नहीं बनी है, जहां पर महिला अपनी फरियाद को रख सके।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बिलारी में हमारे यहां जो खेल ऑडिटोरियम स्टेडियम बना हुआ है उसमें मैं आपका ध्यान अकृष्ट कराना चाहता हूँ कि वह स्टेडियम पुरानी समाजवादी सरकार में बना। इस सरकार में उस स्टेडियम में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बालीबॉल

खेलते हैं और फुटबाल खेलते हैं उस स्टेडियम में साजिश के तहत बदलाव करने की साजिशें की जा रही थीं। मैंने लिखकर दिया था। उस स्टेडियम को स्टेडियम बनाने का भी कोई प्रस्ताव इस बजट में नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सहसपुर है वह बहुत बड़ा गांव है। सहसपुर गांव इतना बड़ा है कि यह नगर पंचायत बन सकता है, लेकिन प्रस्ताव देने के बाद भी सहसपुर को नगर पंचायत का दर्जा अभी तक नहीं दिलाया गया है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि बिलारी विधान सभा क्षेत्र में कम से कम नलों की बेइन्तिहां आवश्यकता है। पहले की सरकार में 200 नल प्रत्येक वर्ष मिला करते थे, लेकिन इस सरकार में एक भी नल हम लोगों को नहीं दिया जाता, जिससे हम लोग पानी की व्यवस्थाएं सही करा सकें। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां एक आधुनिक शवदाह गृह की मांग पिछले चार साल से करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब तक हमारी विधान सभा क्षेत्र में कोई भी आधुनिक शवदाह गृह नहीं बनाया गया है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब का पैसा रिलीज कराने के लिए मैं लगातार लिखकर देता रहा हूँ और डाक बंगला बिलारी विधान सभा क्षेत्र में बहुत पुराना तथा कई सौ बीघे जमीन में है, जिसके जीर्णोद्धार के लिए भी कई बार लिख कर दे चुका हूँ, लेकिन अब तक उस पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बस स्टैण्ड तो समाजवादी सरकार में बना, लेकिन उसके भवन निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए कई बार लिख कर दे चुके हैं उसका अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 28 ग्राम पंचायतें जो समाजवादी सरकार में सम्भल जिले का, मुरादाबाद जिले का मैं विधायक हूँ उन 28 ग्राम पंचायतों में कोई भी विकास कार्य अभी तक नहीं हो पाया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप संक्षेप करिए।

श्री मौ0 फईम इरफान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बस दो या तीन मिनट में मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा। आपने जो समय दिया है उसमें मुकम्मल करूंगा। हमारे यहां लगभग 250 गांवों में 100 जनेश्वर मिश्र और लोहिया में करा चुके हैं, लेकिन इस सरकार में हमने कहा कि चाहे लोहिया साहब की जगह कोई और नाम रख दीजिए अटल योजना रख दीजिए या प्रधानमंत्री जी के नाम से रख दीजिए लेकिन जनेश्वर मिश्र जी, और लोहिया जी के नाम पर जैसा हमारी सरकार में विकास हुआ है, हमारे इलाके में भी आप ऐसे ही विकास कराने का काम कीजिए। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोनाकाल में जिस तरह से बिलारी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिस तरह से हमारे लोगों ने काम किया, सामाजिक संगठनों ने काम किया लोगों के बीच में जा-जा कर रसोइयां चलाने का काम किया उसी क्रम में आपने देखा होगा कि बिलारी में खासतौर पर मुरादाबाद में जो और लोग हैं उनके ऊपर इल्जामात लगे।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिये।

श्री मौ0 फईम इरफान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पांच मिनट का वक्त तो दीजिए कम से कम।

श्री अधिष्ठाता-

सहेन्द्र सिंह चौहान जी।

श्री मौ0 फईम इरफान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिर्फ दो या तीन मिनट क्योंकि मेरी बात मुकम्मल है। एक तरफ आप आधा घण्टा बुलवा रहे हैं और एक तरफ पांच मिनट भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। बस आखिर में यह कहाना चाहूंगा कि- कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि .....

श्री अधिष्ठाता-

पहले आप शेर पूरा कर लीजिए। चलिए सहेन्द्र सिंह चौहान जी।

श्री मौ0 फईम इरफान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी लाइन पूरी करके शेर पढ़ूंगा। हम समझदार भी इतने हैं कि उनका झूठ पकड़ लेते हैं और उनके दीवाने भी इतने हैं कि फिर भी यकीन कर लेते हैं। अधिष्ठाता महोदय, बिलारी विधान सभा क्षेत्र में जो चार साल बनाम चालीस साल का नारा मेरे वालिद साहब ने दिया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न कोई विकास हुआ है और न कोई रोजगार हुआ है, न पिछड़ों का सम्मान, न अगड़ों का सम्मान, न कारोबार सही और न ही किसी तरह के विकास का कार्य बिलारी विधान सभा क्षेत्र में हुआ है। लगातार लिखकर देने के बावजूद भी बिलारी विधान सभा क्षेत्र को पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि बिलारी के रोजगार के लिए अग्निशमन केंद्र जो अधूरा पड़ा हुआ है उसका पैसा रिलीज होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपका रिकॉर्ड में कुछ नहीं आयेगा। सहेन्द्र सिंह चौहान जी आप बोलिये।

***श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-**

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट 2021-22 पर बोलने का मौका दिया। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक बेहतरीन बजट पेश किया। वह बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए, सभी के हित के लिए पेश किया गया है। यह बजट इस प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मैं छपरौली विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ। छपरौली विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस सदन की शोभा बढ़ाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। आज छपरौली विधान सभा क्षेत्र में जिस तरह से विकास हुआ, 09 जनवरी, 2021 को समाचार-पत्र के माध्यम से छपा कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जनपद बागपत विकास के मामलों में प्रथम आया। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ। छपरौली विधान सभा क्षेत्र को आपने रमाला शुगर मिल को 328 करोड़ रुपये की योजना से मिल का औद्योगीकरण कराया। आपने उत्तर प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण विधान सभा क्षेत्र छपरौली में 100 करोड़ रुपये का बिजलीघर बनवाया, आपने छपरौली विधान सभा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम बनवाया। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह से छपरौली विधान सभा क्षेत्र में विकास हुआ। आज से 05 साल पहले पंजाब से मेरे मित्र मेरे से मिलने के लिए आये थे और अभी वह कुछ 15 दिन पहले मेरे यहाँ एक फंक्शन में मिलने के लिए आये तो उन्होंने इस तरह से तारीफ की और कहा कि पहले लगता था कि जैसे हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ विकास का कोई नाम नहीं था, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह जी के सपनों का बागपत बनाने का काम किया, मैं इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ।

मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2011-12 में हमारे छपरौली विधान सभा क्षेत्र में कीर्थल में एक पालीटेक्निक कालेज चालू किया गया था वह पालीटेक्निक कालेज 2011-12 से 2017 तक दोनों सरकार ने बनाने का काम नहीं किया। 2017 से पहले छपरौली विधान सभा क्षेत्र को हमेशा उपेक्षित रखा गया। किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। आज मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कीर्थल में जो पालीटेक्निक कालेज बना है, वह अधूरा पड़ा हुआ है, उसको पूरा कराने का कार्य करें। आज से पहले पूर्व की सरकारों ने छपरौली विधान सभा क्षेत्र में एक ऐसी गन्ना मिल की स्थापना की जो हमेशा किसानों का शोषण करता रहा। हमेशा किसानों के साथ धोखाधड़ी करता रहा। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ऐसी गन्ना मिल जो मलकपुर में है, ऐसे गन्ना मिल मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये, उसकी एफ0आई0आर0 करायी जाये ताकि वह किसानों का भविष्य में शोषण न कर सके और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस तरह से आपने मेरी विधान सभा क्षेत्र में मा0 उप मुख्य मंत्री मा0 श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने 100 करोड़ की कीमत से 04 सड़कों का चौड़ीकरण कराया है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में जिस तरह से विकास कार्य कराये हैं उसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का तथा उप मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक चौधरी चरण सिंह दोआबा नहर 1979 से अधूरी पड़ी हुयी है। इसके लिए भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि इस नहर को पूरी तरह से खुदायी करके इसका लेवल मेंटेन करके इसमें पानी की व्यवस्था की जाये और मैं मा0 बिजली मंत्री जी से

निवेदन करूंगा कि जब तक इस तरह की मलकपुर गन्ना मिल किसानों के साथ भुगतान समय पर नहीं कर पा रही है तो उनको बिजली का बिल भरने के लिए कुछ समय दिया जाये और ओ0टी0एस0 के लिए भी उनको बिल के लिए समय दिया जाये।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जब तक गन्ने का भुगतान न हो तब तक किसानों के कुछ बिल माफ किए जाएं। मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक भिलौनी ब्लॉक है, इस ब्लॉक में 64 गांव आते हैं, उसकी एक छोर से दूसरे छोर तक लगभग 64 किमी0 की चौड़ाई है। मैं उसके लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि उस ब्लॉक में सरकार एक नया ब्लॉक बनाने का काम करे। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा। मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक तरफ हरियाणा और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है और बीच में यमुना है। आज से करीब 40 वर्ष पहले कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कि हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए यमुना पर पुल का निर्माण करायेंगे, लेकिन आज तक उस पुल का निर्माण नहीं हुआ है। इस पुल का निर्माण कार्य मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने शुरू कराया है। अभी कोरोना के कारण निर्माण कार्य धीमा चल रहा है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि सरकार उस पुल को जल्दी से जल्दी तैयार कराने का काम करे।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, हमारी सरकार ने कोरोनाकाल में मेरी विधान सभा क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों को राशन वितरण करने का काम किया है, सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र बागपत में जब कोई युवा राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय या फिर कोई भी पदक लेकर आता है तो उनको एक सरकारी नौकरी और नगद पुरस्कार देने की व्यवस्था की जाए और मैं सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री रमेश चन्द्र मिश्र-**

मा0 अधिष्ठाता महादेय, आपने हमें उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने दलित, शोषित, वंचित, गरीब, मजलूम किसान और गांव के विकास के लिए बजट बनाया है. और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को बेहतरीन बजट मिला है। मैं अपने यशस्वी मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने कोरोनाकाल में भी 24 करोड़ जनता की सेवा 24 घण्टे की है। यहां तक श्रमिक मजदूर जो हमारे प्रदेश में मुम्बई और दिल्ली से आए, उनकी सेवा के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने 35 किलो राशन व 1000 रु0

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया है। विपक्षी दलों ने अभिभाषण पर लगातार कोरोनाकाल पर चर्चा की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनों कि आपके परिवार के लोग भी आए होंगे तो आपने उनको भी अपने सरकारी विद्यालय में छोड़ने का काम किया होगा। लेकिन मैं पूज्य महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उनको भी 35 किलो राशन (चावल, दाल, आटा, सरसों का तेल और यहां तक मसाला व नमक से लेकर भुना चना) देने का काम किया है और उनको पता था कि हो सकता है कि उनको कोई न पूछे इसलिए उनको खाने के लिए बिस्किट देने का भी काम किया है। हमारी सरकार ने प्रवासी मजदूरों की बहुत चिंता की है। जिस तरह से कोरोनाकाल में मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सेवा की गयी है, उसके लिए पूरा हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रशंसा कर रहा है। मैं समझता हूँ कि यदि सेवाभाव से कोई काम किया जाए तो उससे जनता का आशीर्वाद भी मिलता है। हमने सुना कि मा0 नेता विरोधी दल को कोरोना हो गया था और वह 44 दिन अस्पताल में रहे। लेकिन हमारे महाराज जी को कोरोना छू तक नहीं पाया और आज भी महाराज जी अनवरत् सेवा कर रहे हैं। इन लोगों को विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है। मेरी विधान सभा के पास की विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के मा0 सदस्य जो पूर्व की सरकार में राज्य मंत्री (ऊर्जा विभाग) भी थे और ऊर्जा राज्य मंत्री के साथ-साथ चार बार विधायक भी रहे हैं। मैं पहली बार सदन में चुनकर आया हूँ और मेरे चार साल के कार्यकाल में एक साल कोरोनाकाल में चला गया, लेकिन तीन वर्ष के कार्यकाल में मैं अपने बगल के विधायक को आमंत्रित करता हूँ कि वह आकर देखें। मैंने देखा कि उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव में कुछ मांग रखी थी जिसमें रोडवेज बस-स्टेशन, अरे आप आओ, मैं आपके यहां बस-स्टेशन भी दिखाता हूँ, मैं आपको आई0टी0आई0 कालेज भी दिखाता हूँ।

मेरे यहाँ तीन-तीन पम्प कैनाल था जोकि 1968 और 1975 का बना हुआ था, 20 वर्षों से वह बन्द पड़ा हुआ था। मैं मा0 मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 195 टूटी हुई पुलिया का जीर्णोद्धार करने का पैसा दिया, 6 करोड़ की लागत से हमारे तीनों पम्प कैनॉल को बनवाने का काम किया। हमारे यहां सब-स्टेशन नहीं था, 600 मजरों में विद्युतीकरण नहीं हुआ था। मैं मा0 मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे यहां 500 मजरों में विद्युतीकरण तो हुआ ही, साथ में जितने सब-स्टेशन थे वहां पर 10 एमबीए या 5 एमबीए का ट्रांसफार्मर देने का काम किया है, साथ में दो-दो सब-स्टेशन देने काम किया है। आइए, मैं आपको विकास दिखाता हूँ। आइए, बदलापुर में मैं आपको विकास दिखाता हूँ कि क्या विकास मेरे बदलापुर में हुआ है। इतना ही नहीं, 9069 आवास हमारे यहां बने हैं, लगभग 70 हजार 583 शौचालय बने हैं। इतना ही नहीं, 210 ग्राम सभा हैं और 210 सामुदायिक शौचालय बनकर तैयार हैं।

वह भी ऐसा वैसा सामुदायिक शौचालय नहीं है, चार सीटर का है, महिला का अलग है, पुरुष का अलग है, स्नान करने का अलग है। हमारे यहां अटल मनरेगा पार्क हम लोगों ने बनवाया है, एक बेहतरीन अटल मनरेगा है जहां पर बैडमिंटन खेलने की व्यवस्था, कुश्ती लड़ने

की व्यवस्था और वॉलीबॉल खेलने की व्यवस्था है। पार्कों का सौंदर्यीकरण हमारे यहां हुआ है। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज लगभग साढ़े 6 करोड़ रुपये हमारे गरीबों को, जो बेचारे अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे, उनको देने का काम हुआ है। हमने भी अपनी विधायक निधि से 20 लाख रुपया दिया है। अंतिम मांग रखकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जो पूर्व ऊर्जा मंत्री जी थे उन्होंने सब-स्टेशन की मांग आपसे की है, उन्हें यह नहीं पता है कि उनके यहां 735 मजरों का विद्युतीकरण आपने कराया है और 2 सब-स्टेशन आपने दिये हैं और वो अपने समय में वे कुछ नहीं कर पाये हैं।

श्री अधिष्ठाता-

जो आप मांग कर रहे थे, वह मांग रखिये।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

मान्यवर, हमारे यहां एन0एच0-56 पर सुल्तानपुर और जौनपुर के बॉर्डर पर लगभग ढाई हेक्टेयर जमीन है, जहां पर मिनी औद्योगिक केंद्र या अमूल प्लाण्ट लगाया जायें। चूंकि हमारे यहाँ दुधारू पशुओं की संख्या लगभग 50,000 है और दुग्ध उत्पादन लगभग 1 लाख 50 हजार ली0 रोजाना है। इसके साथ बक्सा तेजीबाजार-लोहिंदा मार्ग, एन0एच0-56 सिंगरामऊ मिसरौली से इमिलिया घाटा पट्टीनरेन्द्रपुर होते हुए सरपतहां मोड़ एस0एच0-4 राज्य मार्ग तक, निर्माण कार्य कराया जाये। सिंगरामऊ 1912 में बना है। अंग्रेज कलेक्टर वाकर ने बनवाया था, जिले का पहला अस्पताल है, मैं निवेदन करूंगा कि उसका उच्चीकरण कराया जाये। महराजगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण कराया जाये। सई नदी के बोछनाथ घाट व कारोबारी घाट पर पुल का निर्माण कराया जाये। मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाये। महराजगंज को नगर पंचायत बनाया जाये। धनश्यामपुर व बदलापुर में उपलब्ध जमीन पर राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल की स्थापना की जाये। हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हैं, कोई ऐसा कृषि यन्त्र नहीं है जिसमें आपने सब्सिडी न दिया हो, आज किसान खुशहाल हो गया, उसकी आय दोगुनी हो गयी है। यह सब इन लोगों को नहीं दिखता है। आइए, चलिए आपको बदलापुर की सैर कराता हूँ, अब बदलापुर बदल गया है और उत्तर प्रदेश भी बदल गया हैं।

(इसी मध्य 04 बजकर 08 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप बैठिए।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी जनता आज कह रही है-

हमने कांग्रेस देखा, सपा को देखा,
बसपा की चाल अनोखी है।
भाजपा ही जन-जन की पार्टी है,
बाकी पार्टी धोखा है।

श्री अध्यक्ष-

इस तरह बोलने में थक सकते थे।

(सदस्य श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया एक मिनट बैठें अब हम मद संख्या-6 लेते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष (2019-2020) का पंचायती राज विभाग का पैंतालिसवां प्रतिवेदन†

श्री दिनेश खटीक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष (2019-2020) का पंचायती राज विभाग का पैतालिसवां प्रतिवेदन जो "पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत श्री उज्जवल अम्बेश, प्रभारी अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत का विधिवत अपर मुख्य अधिकारी के पद पर अनुसूचित जाति का कोटा आधे से अधिक रिक्त होने के बावजूद पदोन्नति न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण" एवं "जनपद-गाजीपुर के जिला पंचायत के सफाई कर्मियों के विगत तीन माह से वेतन भुगतान न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण" पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष (2019-2020) का परिवहन विभाग का छियालिसवां प्रतिवेदन†

श्री दिनेश खटीक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष (2019-2020) का परिवहन विभाग का छियालिसवां प्रतिवेदन जो "जनपद महोबा के आर0टी0ओ0 के विरुद्ध श्री राम मगन, सदस्य, विधान सभा का शिकायती-पत्र से सम्बन्धित प्रकरण" पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

सभापति, लोक लेखा समिति नहीं हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, उमाशंकर सिंह जी लोक लेखा समिति के सदस्य हैं, यदि अनुमति दें तो यह रख दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति वर्ष (2019-2020) का अष्टम् प्रतिवेदन†

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति वर्ष (2019-2020) का अष्टम् प्रतिवेदन (खण्ड-4), जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) में उल्लिखित कर एवं निबन्धन (मनोरंजन कर) विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक-लेखा समिति वर्ष (2019-2020) का नवम् प्रतिवेदन (खण्ड-4)†

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति वर्ष (2019-2020) का नवम् प्रतिवेदन (खण्ड-4), जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में उल्लिखित लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

पंकज गुप्ता जी लिख कर दे गए हैं। नीरज बोरा जी, आप प्रतिवेदन रख दें।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो की जाँच सम्बन्धी समिति वर्ष (2019-20) का अष्टम् प्रतिवेदन†

डा0 नीरज बोरा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2019-2020) का अष्टम् प्रतिवेदन जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2008-2009) में उल्लिखित नगर विकास विभाग के अधीन नगर पालिका परिषद्, उन्नाव से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित हैं, प्रस्तुत करता हूँ।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो की जाँच सम्बन्धी समिति वर्ष (2019-2020) का नवम् प्रतिवेदन†

डा0 नीरज बोरा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति वर्ष (2019-2020) का नवम् प्रतिवेदन जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2015-2016) में उल्लिखित कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग के अधीन कृषि उत्पादन मण्डी समिति मुरादाबाद से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति वर्ष (2019-2020) का दशम् प्रतिवेदन†

डा0 नीरज बोरा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति वर्ष (2019-2020) का दशम् प्रतिवेदन जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2011-2012) में उल्लिखित अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन उ0प्र0 नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, लखनऊ से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

प्रदेश को स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति वर्ष (2019-2020) का ग्यारहवां प्रतिवेदन†

डा0 नीरज बोरा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति वर्ष (2019-2020) का ग्यारहवाँ प्रतिवेदन जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2016-2017) में उल्लिखित नगर विकास विभाग के अधीन नगर पालिका परिषद्, उन्नाव से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बधी समिति वर्ष (2019-2020) का एक सौ उन्चासवां प्रतिवेदन†

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवी विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति वर्ष (2019-2020) का 149वां प्रतिवेदन, जो गृह एवं कारागार विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, परिवहन विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग तथा राजनैतिक पेंशन विभागों के वर्ष 1992 से 2019 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति वर्ष (2019-2020) का दशम् प्रतिवेदन†

श्री ज्ञानेन्द्र-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति, उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2019-2020) का दशम् प्रतिवेदन, जो पशुधन विभाग के प्राक्कलनों के परीक्षण से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति वर्ष (2012-2013) के प्रथम प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में है, को प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

आज की कार्य सूची में जितनी भी याचिकाएं हैं उन्हें मैं उपस्थित हुआ मानता हूँ।

श्री बृजेश कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा की उन्नाव से सम्बन्धित छः याचिकायें†

श्री बृजेश कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद उन्नाव के बांगरमऊ, लखनऊ मार्ग पर नगर पंचायत मोहान में सई नदी पर बने पुल के नव निर्माण के सम्बन्ध में श्री संजय शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2- जनपद उन्नाव के बांगरमऊ, लखनऊ मार्ग पर नगर पंचायत मोहान में सई नदी पर निर्मित मुगलकालीन जर्जर पुल के नव निर्माण के सम्बन्ध में श्री हजारी लाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3- जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के विकास खण्ड हसनगंज एवं औरास के कतिपय मार्गों को 07 मीटर तक चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री हजारी लाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4- जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम सभा महनौरा में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री हजारी लाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5- जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हसनगंज के ग्राम भोगला में सई नदी पर रपटा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हजारी लाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

6- जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम भजनखेड़ा के दक्षिण दिशा में बब्बन होटल के निकट बड़ी नहर तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश प्रसाद रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित पन्द्रह याचिकायें†

श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत ग्राम ब्योधा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2- जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत ग्राम इटौआ में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र पाल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3- जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा की पेराई क्षमता बढ़ाने के साथ ही कोजन एथनॉल प्रोजेक्ट स्वीकृत कर धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में श्री छेदा लाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4- जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत बरेली बागेश्वर मार्ग से भूड़ा तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनपाल साहू व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

5- जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत ग्राम पखुनी में राजकीय इण्टर कालेज स्वीकृत कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र कुमार मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

6- जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम मैमोर में राजकीय इण्टर कालेज स्वीकृत कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री परमानन्द मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

7- जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम मल्हपुर में राजकीय इण्टर कालेज स्वीकृत कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखन लाल पटेल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

8- जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम पीपलथाना चौधरी में शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

9- जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील इटवा, ब्लाक खुनियाँव क्षेत्र ग्राम नागचौरी में निःशुल्क आवास आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि शर्मा, निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका,

10- जनपद बरेली की तहसील बरेली के नगर पंचायत रिठौरा में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

11- जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम बुझिया में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

12- जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के अन्तर्गत ग्राम कमालपुर में पंचायत घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छत्रपाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

13- जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम जटउपट्टी में पंचायत घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष चन्द्र मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

14- जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम सागलपुर में शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू गंगवार, प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

15- जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम डहिया में शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

श्री बजरंग बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित तेरह याचिकाएं†

श्री बजरंग बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद महराजगंज के विकास खण्ड बृजमनगंज में कोल्हुई बाजार को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्रीराम जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

2- जनपद महराजगंज के विकास खण्ड धानी में राप्ती नदी के धानी घाट पर पक्का घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश अग्रहरी व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

3- जनपद महराजगंज के विकास खण्ड फरेन्दा में रनियापुर चौराहा से सेमरहनी मार्ग के रेलवे लाइन के ऊपर आर0ओ0बी0 के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम उजागिर चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

4- जनपद महराजगंज के विकास खण्ड धानी में धानी बाजार को टाउन एरिया घोषित किए जाने विषयक श्री श्याम सुन्दर अग्रहरी व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

5- जनपद महराजगंज की तहसील फरेन्दा मुख्यालय पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री राघवेन्द्र तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

6- जनपद महराजगंज के विकास खण्ड फरेन्दा में प्रेम पोखरा से पगारपुर घाटा होते हुए धानी विकास खण्ड तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

7- जनपद महराजगंज के विकास खण्ड बृजमनगंज में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने विषयक श्री चन्द्रप्रकाश सिंह, निवासी जनपद महराजगंज की याचिका,

8- जनपद महराजगंज के विकास खण्ड बृजमनगंज में बृजमनगंज टाउन एरिया बाजार से बाहर बाइपास सड़क बनाये जाने विषयक श्री राकेश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

9- जनपद महराजगंज के विकास खण्ड धानी में राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने विषयक श्री गुलाब चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

10- जनपद महराजगंज के विकास खण्ड बृजमनगंज में वनगढ़िया चौराहे से सोनाबन्दी होते हुए राजपुर लोटन तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने विषयक श्री प्रदीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

11- जनपद महराजगंज के विकास खण्ड फरेन्दा में रनियापुर चौराहा से समरधीरा मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीराम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

12- जनपद महराजगंज के विकास खण्ड फरेन्दा में एन0एच0-730 मार्ग के फरेन्दा ढाला पर फ्लाईओवर का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजेश मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका तथा

13- जनपद महराजगंज के आनन्द नगर टाउन एरिया में जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री परमान्ता अग्रहरी व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका†

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा के तहसील चरखारी के अन्तर्गत कतिपय मन्दिरों का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित मानी गयी।

श्री कैलाशनाथ सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं†

श्री कैलाशनाथ सोनकर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद वाराणसी के ग्राम मुर्दहा तहसील सदर में मुर्दहा पुलिस चौकी के बगल से सुतबलपुर गाँव तक पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज पटेल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2- जनपद वाराणसी के ग्राम हथियर कलां, तहसील सदर में राजेश सिंह के घर नहर से उधवरामपुर रामकृत मास्टर के घर तक पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

3- जनपद वाराणसी के ग्राम हथियर खुर्द, तहसील सदर में नहर के पास भोभल यादव के घर से उधवरामपुर शिव जी मंदिर तक पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भोभल यादव व अन्य निवासीगण की याचिका,

4- जनपद वाराणसी के ग्राम अजगरा, तहसील सदर में बचानू राजभर के घर के सामने से जयराम के घर होते हुए महादेव बाबा मंदिर तक पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बचानू राजभर व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका तथा

5- जनपद वाराणसी के ग्राम चन्द्रावती, तहसील सदर में जैन धर्मशाला होते हुए श्मशान घाट तक नाले युक्त पिच रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित छः याचिकायें†

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद रायबरेली में विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल मिश्रा, निवासी रायबरेली की याचिका,

2- जनपद रायबरेली के ग्राम पूरे रामदीन (कमोली) गजाधर पासी के दरवाजे पक्की सड़क को ऊँचाहार कानपुर हाई-वे से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश सिंह, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

3- जनपद रायबरेली के ग्राम भीख में साइफन के स्थान पर ऐकवाडक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश अवस्थी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

4- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर, धूतेश्वर मंदिर होते हुए गंगा घाट तक जाने वाले मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री राजू सिंह, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

5- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड डलमऊ के ग्राम ऊधनपुर से ऊँचाहार-कानपुर मार्ग को पुनः निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुतानी त्रिवेदी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका तथा

6- जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनियां के प्रसिद्ध स्थल गौरी शंकर मंदिर को पर्यटन स्थल को चयनित/स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका।

श्री मूलचन्द्र निरंजन, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित तीन याचिकायें†

श्री मूलचन्द्र निरंजन सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद जालौन के तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत (पहूच नदी) परवार पुल एप्रोच मार्ग की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र पाल सिंह गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

2- जनपद जालौन के तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों की तैनाती के सम्बन्ध में श्री अमित बादल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

3- जनपद जालौन के तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत गोहन विजदुआं सम्पर्क मार्ग पर विजदुआं आबादी भाग में सी0सी0/नाली निर्माण के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्री विजय कुमार राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित पाँच याचिकायें†

श्री विजय कुमार राजभर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा पिढ़वल में सरकारी नहर पुल से श्री रामरूप राजभर के घर तक नाली पटिया एवं सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री गंगा व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

2- जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत बरूहा माइनर पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसेवक चौहान व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

3- जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा बड़ागांव में पोखरे पर रोहित कुमार के घर से सदाफल के घर तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमाकान्त पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

4- जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा मदापुर समस्तपुर (होलीपुर) के 200 मी0 दूरी तक स्थित नहर पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामप्रवेश राजभर व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका तथा

5- जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा माउरबोझ में दलित बस्ती से पूरब रूदल सिंह के ट्यूबवेल से दक्षिण स्थित नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लल्लन चौहान व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री विजेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पाँच याचिकायें†

श्री विजेन्द्र सिंह सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड खुर्जा के अन्तर्गत खुर्जा जंक्शन मार्ग गन्दे नाले की पटरी पक्की सड़क तक का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्येन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2- जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा नगर में मो0 न्यू शिवपुरी खुर्जा जेवर मार्ग से किला गन्दे नाले के पुल तक के सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3- जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अरनिया के अन्तर्गत खुर्जा पहासू सम्पर्क मार्ग से ग्राम बगराई तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4- जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अरनिया के अन्तर्गत ग्राम ऊंचागाँव सम्पर्क मार्ग से गैस गोदाम होते हुए अरनिया घटाल तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री रिंकू राघव व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5- जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड खुर्जा के अन्तर्गत ग्राम इशनपुर प्रा0 पाठशाला कमालपुर रेलवे स्टरेशन तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री रवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री विनय कुमार द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित दो याचिकायें†

श्री विनय कुमार द्विवेदी सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद गोण्डा की तहसील गोण्डा के अन्तर्गत बाबागंज-इटियाथोक मार्ग की लम्बाई 20 कि0मी0 का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

2- जनपद गोण्डा के अन्तर्गत गोण्डा-बलरामपुर मुख्य मार्ग पर इटियाथोक बाजार में विशुही नदी पर पुराने एवं जर्जर सेतु के स्थान पर नये सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध श्री राजेश दुबे व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित नौ याचिकायें†

श्री विनोद कुमार कटियार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड अमरौधा के कतिपय ग्रामों में पेयजल योजना के तहत समस्त स्थानों पर पानी की टंकी लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार, निवासी जनपद कानपुर देहात की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2- जनपद कानपुर देहात में विकास खण्ड मलासा के कतिपय ग्रामों में इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार, निवासी जनपद कानपुर देहात की याचिका,

3- जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड सरवन खेड़ा के ग्राम गजनेर नवीपुर मार्ग से रानीपुर होते हुए कठेठी मार्ग तक दूरी लगभग 03 कि0मी0 तक समस्त सड़कों का नव निर्माण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

4- जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड मलासा के कतिपय ग्रामों में सड़कों का नव निर्माण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

5- जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड अमरौधा की मुगल रोड से सुल्तानपुर तक लगभग 01 कि0मी0 तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रेश तिवारी व अन्य जनपद कानपुर देहात की याचिका,

6- जनपद कानपुर देहात में विकास खण्ड अमरौधा के ग्राम दड़ी से दिवैर की मड़ैया तक दूरी लगभग 02 कि0मी0 तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

7- जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड मलासा के ग्राम तुर्कीमाऊ से गुलौली तक 3 कि0मी0 सड़क का नव निर्माण कराये जाने विषयक श्री चन्द्रेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका,

8- जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड अमरौधा के ग्राम नगवा से मूसानगर तक 03 कि0मी0 सड़क के नव निर्माण कराये जाने विषयक श्री चन्द्रेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका तथा

9- जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड अमरौधा के ग्राम चकचालपुर से पुखरायां देहात तक 3.5 कि0मी0 सड़क के नव निर्माण कराये जाने विषयक श्री चन्द्रेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका।

श्री प्रमोद उटवाल, सदस्य विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित पाँच याचिकायें†

श्री प्रमोद उटवाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद मुजफ्फरनगर में ग्राम दतियाना से परेई तक पक्का मार्ग बनवाये जाने विषयक श्री सचिन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2- जनपद मुजफ्फरनगर में ग्राम असमासपुर चौक से कुकड़ा चौक तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री हिमांशु सैनी व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

3- जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम धमात में रजबहे मैन बसेड़ा पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

4- जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम छपार में जय भारत इण्टर कालेज के सामने नाले की पटरी से छपार के बाहर छपार सिमर्थी रोड तक बाईपास का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजकुमार त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका तथा

5- जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम नरोत्तमपुर में सतपाल के खेत से सहेन्द्र के खेत तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री लाल प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित दस याचिकायें†

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम मझवाखास से गुलिरिहवा अलाउद्दीनपुर तक 3 कि0मी0 सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधराज पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

2- जनपद गोण्डा के अन्तर्गत बभनजोत में राघव बस्ती से खरही भारी सम्पर्क मार्ग तक 4 कि0मी0 सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुवंश बहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3- जनपद गोण्डा के अन्तर्गत छपिया मंदिर से तिरूखाबुजुर्ग मेहावर पोखर चाँदनी चौक सम्पर्क मार्ग तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बच्चा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4- जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत बभनान बाईपास गौरा चौकी मार्ग तक 2 किमी0 सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

5- जनपद गोण्डा की तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत घारीघाट में खेलो इण्डिया खेलो के तहत स्टेडियम निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रभान पटेल व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

6- जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मसकनवाँ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को महिला अस्पताल अथवा 100 बेड का अस्पताल उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधांशू गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

7- जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महराजगंज ग्रन्ट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामतीरथ वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

8- जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रन्ट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

9- जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रन्ट में राजकीय महाविद्यालय का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मदेव वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

10- जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रानीजोत (मसकनवां) में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की बाउण्ड्रीवाल का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री प्रेम सागर पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से एक व जनपद महराजगंज से सम्बन्धित दस याचिकायें†

श्री प्रेम सागर पटेल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद महराजगंज के अन्तर्गत सिसवां बाजार में सिसवा स्टेट द्वारा तहबाजारी की वसूली को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री अन्नू पटेल व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

2- जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल के अन्तर्गत सोहगीबरवा रेंज में दरझानिया ताल को घड़ियाल रिसर्च सेन्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष, निवासी जनपद महराजगंज की याचिका,

3- जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भाइ ऐरिया में केला सम्वर्धन केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

4- जनपद महराजगंज की तहसील सदर के अन्तर्गत धान एवं गेहूँ गोदाम स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश, निवासी जनपद महराजगंज की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

5- जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत टूटीबारी एवं मिठौरा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह, निवासी जनपद महराजगंज की याचिका,

6- जनपद महराजगंज के विकास खण्ड सिसवां में राजकीय आई0टी0आई0 कालेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरज पटेल व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

7- जनपद महराजगंज के विकास खण्ड सिसवां में महिला राजकीय डिग्री कालेज स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अभय व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

8- जनपद महराजगंज के विकास खण्ड सिसवां में 33 के0वी0 विद्युत गृह लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

9- जनपद देवरिया की तहसील सदर के अन्तर्गत थाना एवं ग्राम रामपुर कारखाना की जमीन आराजी सं0-196, रकबा 0.142 हे0 व आराजी स0 197, रकबा 0.648 हे0 की पैमाइश कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शहनशाह आलम व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका,

10- जनपद महराजगंज के विकास खण्ड सिसवां, निचलौल, मिथौरा के कतिपय ग्रामों में सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोरख पटेल व अन्य, निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका तथा

11- जनपद महराजगंज के अन्तर्गत निचलौल में राजकीय मेडिकल कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अन्नू पटेल व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित तीन याचिकायें†

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के ग्राम पंचायत खानपुर में धौरहरा घाट पर पुल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री आर0डी0 तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

2- जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत महराजगंज से बलेश्वरगंज मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

3- जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0डी0 तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री रवि कुमार सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव एवं लखनऊ से सम्बन्धित एक-एक याचिका†

श्री रवि कुमार सोनकर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद उन्नाव की तहसील सदर के अन्तर्गत नव सृजित नगर पंचायत अचलगंज का नाम सनेही नगर किये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

2- जनपद लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-डी 01 में भूखण्ड सं0-सी 62 पर याची को कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिकायें†

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के ग्राम जाजमऊ स्थित ठाकुर जसा सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक स्थल का सुंदरीकरण व जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द्र मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित मानी गयी।

श्री श्रीराम सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित पाँच याचिकायें†

श्री श्रीराम सोनकर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद मऊ में मोहम्मदाबाद गोहना विधान सभा क्षेत्र के पिरूआ में एक पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

2- जनपद मऊ में मोहम्मदाबाद गोहना विधान सभा क्षेत्र के ओटनी चौहान बस्ती में ढ़ेडिया पर एक पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयभान चौहान व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

3- जनपद मऊ में मोहम्मदाबाद गोहना विधान सभा क्षेत्र में माहपुर और सद्धूपुर को जोड़ने हेतु भैंसही नदी पर एक बड़ा पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री लालचंद चौहान व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका,

4- जनपद मऊ में मोहम्मदाबाद गोहना विधान सभा क्षेत्र में पड़री से सरौदा को जोड़ने हेतु भैंसही नदी पर टिकानी बाबा के पास एक बड़ा पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5- जनपद मऊ में मोहम्मदाबाद गोहना विधान सभा क्षेत्र में इटौरा चौबेपुर में हरिजन बस्ती के पास पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित पाँच याचिकायें†

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत सिकन्दरपुर, सम्मनपुर सम्पर्क मार्ग से कोइन्दा दलित बस्ती तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 500 मी0) की इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रक्षा राम राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

2- जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा बनगाँव डिहवा (अमरई) में विनोद सिंह के आवास से करमुल्हा तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम लोट राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

3- जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा सुबारपुर में मंशाराम वर्मा के ईट भट्टा से डिहवापार (सिकरोहर) तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 600 मी0) में इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार गौतम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

4- जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा करतोरा बाबा की कुटिया (तिराहा) से पट्टी कमालपुर तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 1.5 कि0मी0) की इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सनी राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

5- जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा टन्ना मन्ना प्रा0 वि0 से महमदपुर गाँव तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग (लं0 लगभग 700 मी0) में खड़न्जा निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंशाराम राजभर निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पांच याचिकायें†

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

---

† छापी नहीं गयीं।

1- जनपद कुशीनगर के रजवाबर (मुसहरटोला) एवं मल्लूडीह के बीच में बाड़ी नाले पर सेतु एवं पहुंच मार्ग/अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मिथिलेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2- जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत छोटी गण्डक के सावंगी पट्टी महुआडीह-बैदौली सम्पर्क मार्ग पर सेतु निर्माण विषयक श्री रामनाथ पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3- जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड कसया में एन0एच028 पर स्थित झंगवा नहर की पटरी होते हुए देवरिया कसया मार्ग तक बाईपास निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

4- जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत बुद्धनगरी में हिरण्यवती नदी पर पुल का निर्माण कार्य किए जाने विषयक श्री केशव सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

5- जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत महंत अवैधनाथ नगर में हिरण्यवती नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सूर्य नारायण सिंह व अन्य की याचिका।

श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्री संजय प्रताप जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद बस्ती के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत तेनुआ- असनहरा मार्ग से धवाय जाने वाले मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका तथा

2- जनपद बस्ती के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत भानपुर-तेनुआ-असनहरा मार्ग होते हुए परसा खुर्द को जाने वाला मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलराम सिंह राहुल व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका।

श्री सहेन्द्र सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद बागपत से सम्बन्धित तीन याचिकायें†

श्री सहेन्द्र सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद बागपत के विकास खण्ड झुण्डपुर में हिंडन नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बागपत की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2- जनपद बागपत के विकास खण्ड खपराना में हिंडन नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बागपत की याचिका, तथा

3- जनपद बागपत के विकास खण्ड असारा में कृष्णा नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री निशान्त चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बागपत की याचिका।

श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित पाँच याचिकायें†

श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम रजपुरा ब्लाक खरखौदा ग्राम रजपुरा में नाला बनाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

2- जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम सेतकुआ, ब्लाक खरखौदा, ग्राम सेतकुआ से ग्राम पांची तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

3- जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम साधारणपुर गुरुकुल से नवीपुर शहजादपुर मार्ग तक ब्लाक रजपुरा जाने वाले रास्ते का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध श्री रामे प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

4- जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम गोविन्दपुर जयकरण के घेरे से रजवाहे के पुल तक ब्लाक माछरा जाने वाले रास्ते का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्री अशोक त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका तथा

5- जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम दतावली ब्लाक रजपुरा ग्राम दतावली से गोकुलपुर तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में श्री भोपाल चौहान व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित एक एवं जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित 5 याचिकायें†

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद बाराबंकी में लखनऊ-कुर्सी-देवाँ-फतेहपुर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर परिवहन निगम की बसें संचालित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामेश्वर प्रसाद मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका,

2- जनपद सहारनपुर की तहसील रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत ग्राम घटेडा के रजवाहे पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषिपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3- जनपद सहारनपुर की तहसील रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत ग्राम पान्सु में रजवाहे की सफाई का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौ0 राजपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

4- जनपद सहारनपुर की तहसील रामपुर मनिहारन के अन्तर्गत ग्राम सडोली हरिया में हिण्डन नदी पर रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रम्ह सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

5- जनपद सहारनुपर की तहसील रामपुर मनिहारन के ग्राम उमरी कलां में उपलब्ध जमीन पर मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 ओमकार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनुपर की याचिका तथा

6- जनपद सहारनपुर की तहसील रामपुर मनिहारन के ग्राम मिर्जापुर के बीच में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ठा0 संदीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित दो एवं जनपद झांसी से सम्बन्धित एक याचिका†

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद उन्नाव में पैतृक आवासीय मकान के खण्डहर (भूखण्ड) पर किये जा रहे अनाधिकृत/जबरन कब्जे को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री जगत पाल निवासी जनपद उन्नाव की याचिका,

2- जनपद उन्नाव की ब्लाक पुरवा की ग्राम पंचायत भूलेमऊ के ग्राम गदोरवा में आर0सी0सी0 सड़क एवं नाली बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश कुमार शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

3- जनपद झांसी के ब्लाक मोंठ के कतिपय ग्रामों में स्थापित जूनियर हाई स्कूलों को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिशुपाल सिंह गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित दो याचिकायें†

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम पैंतेपुर से मीरानगर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभयराज व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका, तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

2- जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के डिबियापुर से पोखराकला मार्ग तक का चौड़ीकरण कराये जाने विषयक श्री महेन्द्र सिंह वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका।

श्री अभिजीत सिंह सांगा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अभिजीत सिंह सांगा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत बिधनू से होते हुए जरकला व बिधनू से परौली होते हुए सिरोह तक जर्जर विद्युत लाइन बदलवाने के सम्बन्ध में श्री वैभव दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित मानी गयी।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्री अनिल सिंह सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद उन्नाव के विकास खण्ड असोहा के अन्तर्गत ग्राम ज्ञानपुर में श्री प्रहलाद के घर के सामने से नैन तालाब होते हुए ग्राम गढ़ी के रामनरेश के घर के सामने तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप कुमार निवासी जनपद उन्नाव की याचिका तथा

2- जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के ग्राम ज्ञानपुर एवं ग्राम बरहा में राजकीय नलकूप स्थापति कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कलावती निवासिनी जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री आनन्द शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित दस याचिकायें†

श्री आनन्द शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर के ग्राम पंचायत सरैया में मानिकपुर मुख्य मार्ग से दुधवनिया तक लगभग 04 कि0मी0 रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

2- जनपद चित्रकूट के तहसील मानिकपुर, मऊ व रामनगर के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में निषाद समाज के लोगों को स्वरोजगार से जोड़े जाने एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटका निषाद व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

3- जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मऊ की ग्राम पंचायत तेन्दुवामाफी के गुन्ता माइनर में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामबाबू द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4- जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड रामनगर, मजरा रहुनिया से करौंदीकलाँ सम्पर्क मार्ग तक लगभग 05 कि0मी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री अनिल मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

5- जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड रामनगर की ग्राम पंचायत हन्ना विनैका में राजापुर सम्पर्क मार्ग से हन्ना सिरावल सम्पर्क मार्ग तक लगभग 09 कि0मी0 रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री दीपक तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

6- जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मऊ की ग्राम पंचायत मोहनी में टीभा तालाब के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

7- जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर की कतिपय ग्राम पंचायतों में राजकीय नलकूप अधिष्ठापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रेश कुमार त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

8- जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में राजकीय नलकूप अधिष्ठापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रेश कुमार त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका,

9- जनपद चित्रकूट की ग्राम पंचायत कोटवा माफी से छतैनी ग्राम सभा तक सम्पर्क मार्ग को बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्य प्रकाश कोल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका तथा

10- जनपद चित्रकूट की ग्राम पंचायत बरगढ़ के खोहर सम्पर्क मार्ग एवं मोहना नदी पर पुल को बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मौजी लाल पाल व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका।

श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद से सम्बन्धित दो याचिकायें†

श्री असलम अली, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड रजापुर के ग्राम मंसूरी से ग्राम नाहल तक का सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मास्टर अनीश व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका तथा

2- जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड रजापुर के ग्राम डासना देहात कालोनी में सिंचाई विभाग के गन्दे नाले की सफाई एवं नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीनू पूर्व प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्रीमती अर्चना पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कन्नौज से सम्बन्धित पाँच याचिकाऐं†

श्रीमती अर्चना पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद कन्नौज के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ में सम्पर्क मार्गों के नव निर्माण एवं मरम्मत कराने के सम्बन्ध में श्री सुधीर कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कन्नौज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

2- जनपद कन्नौज के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ में सम्पर्क मार्गों के नव निर्माण एवं मरम्मत कराने के सम्बन्ध में श्री मेघनाथ वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कन्नौज की याचिका,

3- जनपद कन्नौज के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ में सम्पर्क मार्गों के नव निर्माण एवं मरम्मत कराने के सम्बन्ध में श्री प्रशान्त तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कन्नौज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

4- जनपद कन्नौज के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ में सम्पर्क मार्गों के नव निर्माण एवं मरम्मत कराने के सम्बन्ध में श्री संजीव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कन्नौज की याचिका तथा

5- जनपद कन्नौज के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र छिबरामऊ में गंगा नदी पर नवीन पुल के नव निर्माण के सम्बन्ध में श्री ब्रजमोहन व अन्य निवासीगण जनपद कन्नौज की याचिका।

डा0 संगीता बलवन्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित चार याचिकायें†

डा0 संगीता बलवन्त, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम मीरनपुर सक्का में शिवकुमार बिन्द के घर से राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मिट्ठू के खेत तक नाला निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजेश बलवन्त व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

2- जनपद गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम धरीखुर्द में पूर्व माध्यमिक विद्यालय से लेकर नसीरपुर होते हुए भिक्केपुर में बभनौली सम्पर्क मार्ग तक पिच रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री नन्दलाल बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3- जनपद गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम सभा गोडा में कैलाश बिन्द के मकान से धन्नी के मकान तक दोंनो तरफ पक्की नाली एवं सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री संजय बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका तथा

4- जनपद गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत चोचकपुर मुख्य मार्ग से ग्राम चाड़ीपुर मल्लाह बस्ती होते हुए हरिजन बस्ती तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री प्रदीप राय व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका।

डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित उन्नीस याचिकायें†

डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम मनकरा से पश्चिम की ओर रामपुर सीमा तक सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री विशाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

2- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम अजमतगंज से सलामतगंज तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन लाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम चनेहटा से फिरोजपुर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन लाल लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम पिथूपुरा से बल्ला कोठा तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

5- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम बलेही से रेतीपुरा तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नारायण दास वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

6- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम खभरिया आजमपुर से लभेड़ा दुर्गा प्रसाद तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नेतराम गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

7- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम दुनकी रोड से बल्लिया सीसगंज रोड तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयपाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

8- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम हल्दी कला से पश्चिम की ओर रामपुर सीमा तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

9- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम सिहोर से पश्चिम की ओर रामपुर सीमा तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाला राम गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

10- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के अन्तर्गत ग्राम दोंद की गौटिया से पश्चिम की ओर रामपुर सीमा तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केदार नाथ लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

11- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम औरंगाबाद से भूमिसेन महराज होते हुए मुख्य मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोहर लाल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

12- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम खमरिया साहनी में रमेश कुमार के बाग के पास तालाब की सुरक्षा दीवार बनाने के सम्बन्ध में श्री नन्हुकि गंगवार निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

13- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के सिरौली मार्ग से चुरई दलपतपुर तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र गंगवार निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

14- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम बकैनिया चम्पतपुर से सतुहया पट्टी तक रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीर पाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

15- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम गूला से जयौनेर तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रितु सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

16- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम जयौनेर मार्ग वाया ठिरिया वृहमान गूला तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामेन्द्र सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

17- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम संजरपुर से जयौरेन मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामेन्द्र सिंह गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

18- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के सिरोली मार्ग से ग्राम बलूपुरा साधन सहकारी समिति तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छत्रपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

19- जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम बलूपुरा से ग्राम अब्दूला गंज तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

डा0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित दस याचिकायें†

डा0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ग्राम सिसई सिपाह में मनसइता नाला डैम्प के पास सिसई और बर्जीपुला का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप कुमार पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2- जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ग्राम सिसई सिपाह, में पक्की सड़क से नोखे लाल पासी के घर से होते हुए राम आसरे पासी के घर तक 200 मी0 इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराया जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार सरोज व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3- जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ग्राम भवानापुर में पक्की सड़क से रमन पटेल के घर तक 150 मी0 इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रज्जाक अहमद व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4- जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ग्राम सिसई सिपाह में सिसई बस्ती में बनवारी लाल पासी के घर से पुलिया तक पक्की नाली लगभग 500 मी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वकील अहमद व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

5- जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ग्राम सभा सोरांव के मुख्य मार्ग से रामलीला मैदान तक ल0 500 मी0 नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक केसरवानी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

6- जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड बहरिया के ग्राम सभा सराय दारा उर्फ मझिगवां में नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मिश्री लाला सरोज व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

7- जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ग्राम सभा सधनगंज उर्फ माधोपुर के अनुरुद्ध प्रजापति के घर के सामने से रामलीला मंच तक इण्टरलॉकिंग ल0 500 मी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय सरोज व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

8- जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ग्राम सभा जूड़ापुर दान्दू (बस्ती की बाग) पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

9- जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के विकास खण्ड मऊआइमा के ग्राम सभा अब्दालपुर खास में सन्त नगर तिराहे पर नहर की पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

10- जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के ग्राम गमरहटा में ममरहटा व गोपालपुर को बार्डर से अलग करने वाले नाले पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुरेश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

डा0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित दो याचिकायें†

डा0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद लखनऊ के मोहल्ला बाबूगंज डालीगंज की आन्तरिक गलियों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अतुल अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

2- जनपद लखनऊ में गोमती नदी पर पीपे के पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

डा0 अनीता लोधी राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित पाँच याचिकायें†

डा0 अनीता लोधी राजपूत सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत सतवरा गन्ना सेन्टर से डबका बगसरा तक सड़क की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2- जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत सुल्तानपुर बिलौनी में छत्रपाल सिंह के मकान से पप्पू के मकान तक सड़क निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील राघव व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3- जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत हजीपुरा स्कूल से रेलवे लाइन तक सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4- जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत डिबाई धरमपुर मार्ग शिव मन्दिर से प्रा0 स्कूल तक सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री ख्याली राम शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5- जनपद बुलन्दशहर की तहसील डिबाई के अन्तर्गत बैलोन पैठ से इन्द्रजीत इ0का0 तक सड़क की इण्टरलॉकिंग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीराम व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्रीमती लीना तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित पाँच याचिकायें†

डा0 लीना तिवारी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मडियाहूँ के गोपालापुर बाजार की सी0सी0 रोड व नाली के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

2- जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के ग्राम गन्धौना व रनापुर में पानी की टंकी लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री आदित्य नारायण त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

3- जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के करौदी कला में सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मण प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

4- जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के पाली गुतवन राजमार्ग पर रेलवे क्रासिंग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री रोहित पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

5- जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ में सड़क मार्ग पाली बाजार से मझारी होते हुए सुबासपुर गांव तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बधित पाँच याचिकाएं†

डा0 मुकेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित मानी गयीं :-

1- जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम फसौल नगरिया में मुख्य मार्ग से राम अवतार के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने विषयक श्री नितिन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2- जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम नसीरपुर में भट्टे से जाने वाली सड़क पर सर्वेश की दुकान से मोहन की दुकान तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3- जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम नगला उदी में रक्षपाल के घर से माता के मन्दिर, प्रताप सिंह की दुकान होते हुए सतेन्द्र के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण विषयक श्री रक्षपाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4- जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम पिलुआ चकरा में पक्की रोड से बारात घर होते हुए मोतीराम मझवार के घर तक सी0सी0 निर्माण कार्य कराने विषयक श्री मोतीराम मझवार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

5- जनपद फिरोजाबाद की तहसील फिरोजाबाद में ग्राम नगला उदी में नौरंगी लाल के घर से किशोरी लाल के प्लाट तक सी0सी0 रोड निर्माण विषयक श्री नौरंगीलाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-54 में कुछ नहीं है। अब मद सं0-55

[4:17] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 फरवरी, 2021 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1- दिनांक 25 फरवरी, 2021 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायें।

2- दिनांक 25 फरवरी, 2021 को नियम-56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें।

3- दिनांक 01 मार्च, 2021 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें ले ली जायें :-

1- उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2021

2- उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021

(शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाय)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

[04:19] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आगे नियम-51 की सूचनाएँ हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हाजिरी ले लीजिए।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जो लोग उपस्थित हैं, उन्हीं लोगों की सूचनाएँ ली जानी चाहिए। अन्यथा सदन से जाने का यह एक और मार्ग खुल जाता है। इसलिए जो लोग उपस्थित हैं, उन्हीं की सूचनाएँ ली जानी चाहिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जो लोग उपस्थित हैं, उनकी सूचनाएँ लीजिए और जो लोग उपस्थित नहीं है, उनकी जगह दूसरे सदस्यों की सूचनाएँ ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, फिर हाजिरी हो जाए।

(तत्पश्चात् नियम-51 की सूचनाओं से सम्बन्धित सदस्यों की हाजिरी ली गई, सदस्यगण, अब इसी हिसाब से कर लिया जाएगा।)

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 74 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें से निम्नलिखित सूचनाएं स्वीकार हुईं :-

पहली सूचना श्री राम फेरन पाण्डेय की जनपद श्रावस्ती के गिलौला बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के अन्तर्गत भौरेश्वर धाम मंदिर को जोड़ने वाले रास्ते का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री मयंकेश्वर शरण सिंह की जनपद उन्नाव के अन्तर्गत चौकी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री प्रकाश द्विवेदी की जनपद बांदा राजकीय अस्पताल में नवीन भवन संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री आनन्द शुक्ला की जनपद चित्रकूट के मानिकपुर के अन्तर्गत मऊ पेयजल योजना के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की उ0प्र0 जल निगम के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री कैलाशनाथ सोनकर को जनपद प्रयागराज के मेजा में पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री श्रीकांत कटियार की जनपद उन्नाव के बांगरमऊ के विकास खण्ड गंज मुरादाबाद में सौन्दर्यीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में राजकीय महाविद्यालय में शिक्षण कक्षायें प्रारम्भ कराये

जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री लाल बहादुर की जनपद कौशाम्बी के मंझनपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेन्द्र मैथानी की जनपद कानपुर के अन्तर्गत हृदय रोग संस्थान से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बाहरवीं सूचना श्री देवेन्द्र निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री सुभाष राय की जन स्वास्थ्य रक्षकों के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के टिकैत राय तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की यूनानी विभाग में फार्मासिस्ट पद में आरक्षण का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की हलीम मुस्लिम पीजी कालेज कानपुर में अध्यापक भर्ती की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाहरवीं सूचना डा0 नीरज बोरा जनपद की लखनऊ में लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तिर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया जिला मुख्यालय अथवा रसड़ा स्थित बन्द पड़ी कताई मिल की जमीन पर मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री विजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम गंगावली व जटौला पर गंग नहर पर क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री अजीत पाल त्यागी की जनपद गाजियाबाद के नगर पालिका मुरादनगर में हुए शमशान घाट हादसे में गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों की आर्थिक मदद किये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना ठा0 रवेन्द्रपाल सिंह की जनपद अलीगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़क का अनुरक्षण किये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री काली प्रसाद की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया की जनपद बदायूँ में राज्य मार्ग का कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह उर्फ सुरेश यादव की जनपद बहराइच के जिला चिकित्सालय के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सुचना श्री संजीव कुमार गोंड की जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर में जर्जर पशु अस्पताल का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की वाणिज्यकर विभाग में पदोन्नति कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकत्तीसवीं सूचना श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया की जनपद कुशीनगर में धान खरीद में की गई विसंगतियों की जांच के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी में वर्ष 2020-21

में सूखा के उपरान्त सही आंकलन न कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री ब्रजभूषण राजपूत की जनपद महोबा की चरखारी में श्री राधा-रानी भगवान कृष्ण जी के 108 मंदिर का निर्माण/पुनरुद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना डा0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के फरीदपुर में मण्डी समिति स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

श्री प्रेमशंकर पटेल, पं0 राधाकृष्ण शर्मा, श्री सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री प्रमोद उटवाल, श्री महेश कुमार गोयल, श्री नरेश सैनी, श्री अजय कुमार लल्लू, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री मनोज कुमार पारस, श्री लकी यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री मुजतबा सिद्दीकी, श्री हरीराम चेरो, डा0 मुकेश वर्मा, श्रीमती हेमलता दिवाकर, श्री विनय शाक्य, डा0 अनिल कुमार मौर्य, श्रीमती उषा सिरोही, श्रीमती सरोज सोनकर, श्री धर्मेन्द्र सिंह शाक्य, श्री संजय सिंह गंगवार, श्री आशुतोष उपाध्याय, श्री राजमणि कोल, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री अरविन्द गिरि, श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट, श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस', श्री मसूद अख्तर, श्रीमती जय देवी, श्री शीतल पाण्डेय, श्री प्रभुनारायण सिंह, श्री मो0 फईम इरफान, श्री अनिल कुमार दोहरे, श्री ओम प्रकाश राजभर, श्री त्रिवेणी राम, श्री रामानन्द बौद्ध, श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर, श्री बृजेश कठेरिया, श्रीमती सुषमा पटेल, श्री अबरार अहमद, श्री रामचन्द्र यादव तथा श्री रोशन लाल वर्मा।

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज में जिला पंचायत की सड़कों को गड्ढामुक्त कराने के सम्बन्ध में श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भइया द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2021 को दी गयी सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद बदायूं के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र दातागंज.....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पंचायती राज मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[जिला पंचायत बदायूं के 29 मार्गों को अनुरक्षण नीति के अन्तर्गत यथास्थिति अनुसार मरम्मत आदि कार्य कराया जा चुका है। विधान सभा क्षेत्र दातागंज में जिला पंचायत के

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नियंत्रणाधीन समस्त मार्गों का पुनः स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन कराकर गड्ढामुक्त कराये जाने योग्य मार्गों को प्रस्तावित कर गड्ढामुक्त करा दिया जायेगा।]

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द शुक्ला द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2021 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी)-

मा0 अध्यक्ष जी, उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सदस्य, विधान सभा....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य बेसिक शिक्षा मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में प्रेषित अपने पत्र दिनांक 18-01-2021, पत्र दिनांक 21-02-2021 के साथ ही एक अन्य शिकायती-पत्र दिनांक 16-02-2021 का उल्लेख किया गया है। नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में अंकित उपर्युक्त संदर्भित तीनों पत्र (दिनांक 18-01-2021, दिनांक 21-02-2021 व पत्र दिनांक 16-02-2021) कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चित्रकूट द्वारा किये गये भ्रष्टाचार, अनियमितता व शोषण के खिलाफ कार्यवाही के सम्बन्ध में मा0 सदस्य का पत्रांक-2221/2021, दिनांक 18-02-2021 की प्रति कार्यालय को दिनांक 23-02-2021 को प्राप्त हुआ है। मा0 सदस्य के उक्त पत्र दिनांक 18-02-2021 में उल्लिखित तथ्यों की जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु शासन के पत्र दिनांक 23-02-2021 द्वारा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रयागराज को निर्देशित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त श्री सोमवीर सिंह, खण्ड शिक्षा अधिकारी, चित्रकूट के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक मा0 सदस्य का पत्रांक-2141/2021, दिनांक 16-01-2021 एवं श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय, सहायक अध्यापक, पू0मा0वि0, रामपुर क्षेत्र, रामनगर, जनपद-चित्रकूट (अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ) के विरुद्ध द्वेषपूर्वक भावना से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चित्रकूट द्वारा की जा रही विभिन्न जांचों को उच्च अधिकारी से कराने विषयक-पत्र मा0 सदस्य का पत्रांक-46/2021, दिनांक 21-01-2021 कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। मा0 सदस्य, विधान सभा के उक्त पत्रों के सम्बन्ध में भी शासन के पत्र दिनांक 04-02-2021 एवं पत्र दिनांक 08-02-2021 द्वारा दोनों प्रकरण की जांच कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रयागराज को निर्देशित किया गया है। उक्त समस्त प्रकरणों में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रयागराज की जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।]

श्री अध्यक्ष-

कुछ पूछना है मा0 आनन्द शुक्ला जी को तो पूछ लें।

श्री आनन्द शुक्ला-

एक छोटा सा निवेदन है मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कि मा0 मंत्री जी की समस्त बातों से मैं सहमत हूँ और संतुष्ट रहता हूँ, परन्तु मेरे सामने ही एक प्रकरण था जिसमें पत्रांक संख्या-1457/20, दिनांक 10-07-2020 वेद प्रकाश पटेल, संकुल प्रभारी और दस विक्रेताओं के ऑडियो के साथ मा0 मंत्री जी के सामने मैं एक प्रकरण को लाया था। मा0 मंत्री जी ने तत्काल डी0जी0 और डायरेक्टर को बुलाकर उसे दे दिया। मैंने बार-बार मंत्री जी को रिमाइण्ड नहीं कराया लेकिन आज तक वह प्रकरण चल रहा है। अनुरोध है कि उसको भी इसमें सम्मिलित कर लें और जो भी विषय सामने आया है उस पर जाँच को जल्दी निस्तारित कर दें।

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य के दो विषय थे एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच के लिए और एक खण्ड शिक्षा अधिकारी जिसका उल्लेख अभी ये कर रहे थे श्री सोमवीर सिंह के खिलाफ जाँच के लिए इन दोनों की जाँच के लिए ए0डी0, बेसिक, प्रयागराज को जाँच करने के लिए आदेशित कर दिया गया है।

श्री आनन्द शुक्ला-

ठीक है।

जनपद लखनऊ के ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों की जांच पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 नीरज बोरा द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2021 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

अवगत कराना है कि प्रकरण में सरकारी अभिलेखों....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य जो ऊर्जा मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[को गायब करने एवं सरकारी धनराशि रु0 4471319.28 गायब किये जाने के सम्बन्ध में थाना-कृष्णानगर, जनपद-लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0-512/2010 अन्तर्गत धारा-409/420/467 की विवेचना आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन से कराये जाने विषयक प्रकरण में अनु सचिव (ऊर्जा अनुभाग-2) के पत्रांक-1807/24-पी-2-15-सतर्कता (1) 2012 दिनांक 21-08-2015 द्वारा प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त सर्वश्री राम प्रकाश केन (92076), तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-सेस, द्वितीय लेसा, लखनऊ, आफताब अहमद (2009011) तत्कालीन सहायक अभियन्ता (राजस्व) विद्युत वितरण खण्ड-सेस, द्वितीय, इन्द्रलोक हाइडिल कालोनी, लखनऊ तथा कौशल किशोर सिंह, तत्कालीन लेखाकार (राजस्व) वि0वि0खं0, सेस-द्वितीय, लखनऊ के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु कारपोरेशन को निर्देशित किया गया था।

उक्त के अनुक्रम में कारपोरेशन स्तर पर सम्पादित कार्यवाही की स्थिति निम्नवत् है :-

1- अनु सचिव (ऊर्जा अनुभाग-2), उ0प्र0 शासन के पंत्राक-1807/24-पी-2-15- सतर्कता (1)/2014, दिनांक 09-02-2016 के सन्दर्भ में प्रकरण में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन द्वारा की गयी जांच की पुनर्विवेचना में की गयी संस्तुतिनुसार श्री राम प्रकाश केन(92076), तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-सेस, द्वितीय लेसा, लखनऊ के विरूद्ध कारपोरेशन के आदेश संख्या- 941-अ0का0 एवं सत0-05(ए)-16-7का/2011 दिनांक 08-07-2016 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा पत्र संख्या-942-अ0का0 एवं सत0-05(ए)-16-7का/2011 दिनांक 08-07-2016 द्वारा पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है।

2- श्री आफताब अहमद (2009011) तत्कालीन सहायक अभियन्ता (राजस्व) विद्युत वितरण खण्ड सेस द्वितीय, इन्द्रलोक हाइडिल कालोनी, लखनऊ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध कारपोरेशन के आदेश संख्य-1925-अ0का0 एवं सत0-05(ए)-17-7का/2011 दिनांक 17-11-2017 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करते हुए पत्र संख्या-1926-अ0का0 एवं सत0-05(ए)-17-7का/2011 दिनांक 17-11-2017 द्वारा पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है।

3- प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त एक अन्य कार्मिक श्री कौशल किशोर सिंह, तत्कालीन लेखाकार (राजस्व), वि0वि0खं0, सेस-द्वितीय, लखनऊ की मृत्यु दिनांक-18-03-2017 के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किये जाने हेतु कारपोरेशन के पत्र संख्या-123-अ0का0 एवं सत0-05(ए)-18-7का/2011 दिनांक 20-07-2018 द्वारा विशेष सचिव (ऊर्जा) तथा पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0 से अनुरोध किया गया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4- उक्त के अतिरिक्त प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को पृष्ठांकित अनु सचिव, गृह गोपन अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन का पत्र सं0-947/25-8-2020-17(18)/2011 दिनांक 26-11-2020 के द्वारा प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने के अनुक्रम में अवगत करया गया है कि अनु सचिव, गृह गोपन अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या-617/25-8-2020-17(18)/2011 दिनांक 24-07-2020 द्वारा कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। उक्त के सन्दर्भ में अनु सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग-8 के पत्र संख्या-273/25-08-2021-17(18)/2011टीसी, दिनांक 24-02-2021 द्वारा सूचित स्थिति के अनुसार आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन द्वारा प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त आरोपी श्री राम प्रकाश केन के प्रत्यावेदन पर विचारण की कार्यवाही प्रचलित है।,

जनपद अमेठी में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की जांच करते हुए पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2021 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ला)-

जनपद अमेठी के अन्तर्गत उक्त मार्ग का निर्माण.....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य ग्राम्य विकास मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0-द्वितीय के पैकेज संख्या-यू0पी0-68161 के अन्तर्गत दिनांक 15-10-2016 को पूर्ण किया गया। मार्ग दिनांक 16-10-2016 से दिनांक-15-10-2021 तक अनुरक्षण के अन्तर्गत है। वर्तमान में मार्ग अनुरक्षण के पांचवें वर्ष में है।

प्रश्नगत दोनों मार्गों की जांच निर्माणावधि में नेशनल क्वालिटी मॉनिटर तथा स्टेट क्वालिटी मॉनिटर द्वारा की गयी थी एवं निरीक्षण आख्या संतोषजनक प्राप्त हुयी थी। उपरोक्त दोनों मार्गों पर पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु निर्माण सामग्री की ढुलाई भारी वाहनों से होने की वजह से दोनों मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं। पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे के निर्माण एजेन्सी-एपको इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 से दोनों मार्गों के मरम्मत कराने हेतु अभिकरण कार्यालय के पत्र दिनांक 02-01-2020 एवं पत्र दिनांक 28-01-2020 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा,

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ से अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक निर्माण एजेन्सी द्वारा दोनों मार्गों की मरम्मत नहीं कराई गई है। अभिकरण कार्यालय के पत्र दिनांक 12-03-2020 द्वारा उक्त दोनों क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ से पुनः अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त दोनों मार्गों-पैकेज सं0 यूपी-68146 (जनपद अमेठी में कादू नाला से थौरी) तथा पैकेज सं0 यूपी-68161(मुसाफिरखाना से इसौली मार्ग) पर गुणवत्ता की जांच हेतु अभिकरण के पत्र सं0 आर/3246/टी-98टी/यूपीआर/डीए/2020 दिनांक 05-03-2020 द्वारा एस0क्यू0एम0 को नामित किया गया था। एस0क्यू0एम0 की आख्या में भी भारी वाहनों के आवागमन के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त होना दर्शाया गया है। तत्क्रम में अभिकरण कार्यालय के पत्र संख्या-2225/टी-245/यूपीआरआरडीए दिनांक-21-12-2020 द्वारा पुनः मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को मरम्मत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त दोनों मार्गों का मरम्मत का कार्य एपको इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 द्वारा नहीं कराया गया है, जिसके क्रम में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की निर्माण एजेन्सी एपको इन्फ्राटेक के विरुद्ध पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0यू0, लोक निर्माण विभाग, जनपद-अमेठी द्वारा दिनांक-31-12-2020 को थाना मुसाफिरखाना, जनपद-अमेठी में एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी है।

जिलाधिकारी, अमेठी द्वारा दिनांक-10-02-2021 को कादूनाला से थौरी मार्ग का निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान उपस्थित श्री सफीक अहमद, सहायक अभियन्ता पी0आई0यू0-3 यूपीडा जगदीशपुर, अमेठी को निर्देशित किया गया कि मार्ग का मरम्मत पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की निर्माण एजेन्सी एपको इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 से तत्काल कराये।

उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत उक्त दोनों मार्गों का मरम्मत यूपीडा, लखनऊ द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की निर्माण एजेन्सी एपको इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 के माध्यम से कराया जाना उचित होगा।]

***श्री राकेश प्रताप सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मा0 मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यह हमारे क्षेत्र की एक बहुत जटिल समस्या है और पिछले बजट सत्र में फरवरी माह में मैंने सदन में रखी थी और मा0 मंत्री जी की तरफ से यह आश्वासन आया था कि इस सड़क की मरम्मत करा दी जायेगी लेकिन दुर्भाग्य है कि सदन में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का आश्वासन हो और दोनों सड़कों पर एक गिट्टी तक न डाली गयी हो। जवाब आया है जवाब में ग्राम्य विकास मंत्री जी का एक पत्र मेरे पास है जो कि दिनांक 24-09-2020 का है जिसमें उन्होंने लिखा है कि श्री राकेश प्रताप सिंह, मा0 विधायक गौरीगंज अमेठी के संलग्न-पत्र को देख लें जिनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत बनी दो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सड़कों की अनुरक्षण अवधि शेष है फिर भी सम्बन्धित ठेकेदार एवं निर्माण इकाई द्वारा मार्ग की मरम्मत नहीं की जा रही है जिसके पीछे यह तथ्य दिया जा रहा है कि यू0पी0डा0 के अन्तर्गत बनायी जा रही सड़क निर्माण में ओवरलोडेड ट्रकों के आवागमन से यह क्षति हुई है। यह तर्क कदाचित उचित नहीं है। मैं चाहूँगा कि यू0पी0डा0 से क्षतिपूर्ति प्राप्त कराये लेकिन जनहित में अनुरक्षण की अवधि शेष रहने की स्थिति में तत्काल मानक के अनुरूप मार्ग का कार्य सुनिश्चित करायें। यह 20 तारीख का मुख्य कार्यपालक पी0एम0जी0एस0वाई0 को माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी का पत्र है, इसमें यह जवाब आया है जो जवाब आप माननीय अध्यक्ष जी देख रहे हैं कि दोनों सड़कों की अवधि अभी पी0एम0जी0एस0वाई0 के अनुरक्षण के लिए बची है। एक की अवधि जून में पूरी हो रही है और एक की अक्टूबर में पूरी हो रही है। मा0 मंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम अपनी बात को कहाँ रखें ? सदन में रखें ? प्राक्कलन समिति में मैंने इस बात को दो बार रखा है। एक बार प्राक्कलन समिति के द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 के सी0ओ0 द्वारा तीन तरफ से कमेटी बनाकर उस सड़क की मार्च, 2020 में जांच करायी जाती है। इसमें सड़क जर्जर अवस्था में पायी जाती है और पूरी तरह से खराब पायी जाती है। जहां 25 मिलीमी0 सिल्ट होनी चाहिए वहां 105 मिली0मी0 सिल्ट डालकर इण्टरलॉकिंग बिछा दी जाती है, यह जांच में आता है। फिर भी सड़क पर एक गिट्टी तक नहीं डाली जाती है। फिर मैं उसको प्राक्कलन समिति में लाता हूँ। मैं प्राक्कलन समिति का सदस्य हूँ, मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक उप समिति बनाकर स्वयं प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष जी स्थलीय निरीक्षण करते हैं और दोनों सड़कों की इतनी बुरी स्थिति है कि अध्यक्ष जी भी परेशान हो गये कि कैसे लोग इस पर चल रहे हैं। फिर भी एक गिट्टी सड़कों पर नहीं पड़ती है। इसमें बहुत पत्राचार हुए है। यू0पी0डा0, पी0एम0जी0एस0वाई0 को लिखता है, पी0एम0जी0एस0वाई0 यू0पी0डा0 को पत्र लिखता है। एक-दूसरे पर टाल रहे हैं और उस सड़क पर एक गिट्टी नहीं पड़ रही है। हम इस बात को अब कहाँ उठाएँ ? माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं डेट वाइज आपको बता रहा हूँ और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिलाधिकारी अमेठी, तात्कालिक 3 जिलाधिकारियों ने अलग-अलग डेट्स में यू0पी0डा0 और पी0एम0जी0एस0वाई0 को लगातार पत्र लिखा है।

श्री अध्यक्ष-

एक बार मंत्री जी का वक्तव्य आ जाये।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जनहित का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

हम आपकी बात काट नहीं रहे है, एक बार मंत्री जी का वक्तव्य आ जायें, हो सकता है कि आपके हित में कोई बात आ जाये।

श्री राकेश प्रताप सिंह -

मान्यवर, अनुरक्षण का समय अभी बचा है, इसलिए हम अभी यही उठा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष -

आप पूरा विस्तार से पढ़ेंगे तो देर हो जाएगी।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी अपने निरीक्षण में 12वें महीने 2018 में स्पष्ट निर्देश देते हैं कि इन दोनों सड़कों को बनाया जाये, उनके निर्देश की कॉपी मेरे पास है। 2018 में माननीय मुख्य मंत्री जी अपने निरीक्षण में यह निर्देश देते हैं कि दोनों सड़कों को तत्काल बनवा दिया जाये। सी0ओ0 यू0पी0डा0 को यह निर्देश देते हैं, फिर भी उन दोनों सड़कों पर एक गिट्टी नहीं पड़ती है। अब मैं डेटवाइज इस पत्र से आपको बता रहा हूँ कि 19-01-19 को एक पत्र लिखा जाता है, फिर 20-02-19 को, 20-06-19 को, 17-07-19 को, 20-07-19 को, 24-07-19 को, 27-07-19 को भी पत्र लिखे जाते हैं। कितने पत्र लिखे जाते है ? माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में इन्हीं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जो आज यहां बैठे हैं, हमको याद है कि 23 या 24 फरवरी, 2020 को यह जवाब दिया था कि तत्काल इस सड़क की जांच भी करवा दी जाएगी और मरम्मत भी करवा दी जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक गिट्टी भी नहीं पड़ी है। अध्यक्ष जी, यदि यह सड़क नहीं बनी तो सदन खत्म होते ही इसी मार्च के दूसरे पखवाड़े से मुझे आमरण अनशन करना पड़ेगा। यह स्थिति इन दोनों सड़कों की हो गयी है।

***श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा, इसमें एक बात यह आयी कि दोनों हमारी सड़कें एक जून, 2021 और दूसरी अक्टूबर, 2021 तक अनुरक्षण की सीमा में है। निर्माण के समय में हमारा नेशनल क्वॉलिटी मॉनिटर और स्टेट क्वॉलिटी मॉनिटर दोनों के द्वारा निर्माण के समय में जो वहां अनुरक्षण किया गया था, उस समय की वह हमारी रिपोर्ट सही रही और अभी जो सड़कें है, उसमें पूरे प्रदेश में जो भी हमारी सड़कें होती हैं, हम 5 वर्ष तक उनका अनुरक्षण करते हैं। इस सड़क में भी जो अभी पाया गया है, ऊपर से जो पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य हो रहा है, पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य में जो भारी वाहन मेटेरियल लाने के लिए आ रहे हैं उनके कारण पीली वाली मिट्टी कहीं ज्यादा पड़ गयी है। हमारी जो सड़क है उसके क्रस्ट में या उसकी क्वालिटी में कोई खराबी नहीं रही है। हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने यू0पी0डा0 के साथ पत्राचार किया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण/अनुरक्षण कार्य करवा दिया जाय। कार्य नहीं करने पर अभी 30 दिसम्बर को उनके विरुद्ध मुसाफिरखाना थाने में एफ0आई0आर0 भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दर्ज करायी गयी है और अभी 21 फरवरी को वहां के जिलाधिकारी ने मौके पर निरीक्षण के समय श्री शफीक अहमद, सहायक अभियन्ता, यू0पी0डा0 को निर्देश दिया है कि जहाँ मरम्मत होनी है वहां तत्काल काम को शुरू करें। काम नहीं किया है इसीलिए एफ0आई0आर0 भी हुई है। माननीय सदस्य की उपस्थिति में अभी प्राक्कलन समिति गयी थी।

***श्री राकेश प्रताप सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी यही समस्या है कि माननीय मंत्री जी के अधिकारीगण यू0पी0डा0 पर एफ0आई0आर0 कर रहे हैं जबकि एक सड़क का अनुरक्षण माह जून तक पी0एम0जी0 एस0वाई0 के पास है, दूसरी सड़क का अनुरक्षण अक्टूबर, 2021 तक पी0एम0जी0एस0वाई0 के पास है और एफ0आई0आर0 यू0पी0डा0 के दो एक ठेकेदारों पर हो रहा है।

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

जांच में यह पाया गया है कि जो भारी वाहन आ रहे हैं उनके कारण इस सड़क की स्थिति खराब हुई है, हमारी क्वालिटी में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इसलिए उनसे कहा गया हैं मान्यवर, कार्य नहीं कराने पर एफ0आई0आर0 भी कराया गया है और अभी विगत 21 फरवरी को ही जिलाधिकारी ने मौके पर सम्बन्धित अभियन्ता को भी निर्देश दिया है कि तत्काल आप इसका पुनर्निर्माण करें उसके लिए उन्होंने रु0 35.00 लाख का स्टीमेट भी बनाया है और वह तत्काल करेंगे भी।

श्री अध्यक्ष-

इसका स्टीमेट बन गया है ?

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट का समय और दे दीजिये आपकी बड़ी कृपा होगी। माननीय अध्यक्ष जी अभी दिशा की बैठक में माननीय सांसद, अमेठी, भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री ने डी0एम0 को निर्देश दिया कि 15 दिन में इस सड़क का काम हो जाना चाहिए, महीने भर उसको हो गया। माननीय मंत्री जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मेरी समझ से यह सदन भी सहमत होगा कि ये दोनों सड़कें बहुत अच्छी बनायी गयी थी, गुणवत्तापरक् बनायी गयी थी।

श्री अध्यक्ष-

इसमें स्टीमेट बन गया तो अब क्या चाहिए ?

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, कृपा करें, आपका संरक्षण चाहिए। मैं वर्ष, 2018 से इन दो सड़कों के लिए लड़ रहा हूँ आपको मेरी भी पीड़ा समझनी पड़ेगी। वर्ष, 2018 से 3 बार मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बात को सदन में रख चुका हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, अमेठी के गौरीगंज की उस जनता का क्या दोष है ? क्या जनता ने ओवरलोड करके चलायी है, उनका क्या दोष है जो वर्ष, 2018 से गड्ढों की सड़कों में चल रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते समय कीचड़ में गिर रहे हैं, जिनके कपड़े खराब हो रहे हैं, जिनके एक्सीडेंट से हाथ-पैर टूट रहे हैं, जिनकी मौतें एक्सीडेंट में उन सड़कों पर हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

यह विषयान्तर हुआ जा रहा है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषयान्तर नहीं कर रहा हूं इनका जवाब आया है। यह सरकार का काम है अगर ओवरलोड की वजह से कोई ग्रामीण सड़क या पी0एम0जी0एस0वाई0 की सड़क टूट रही है तो सरकार को रोकना चाहिए था। सड़क सरकार के लोगों ने तोड़ी है, जनता से नहीं तोड़ी है।

श्री अध्यक्ष-

आप कहना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है ?

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, पीठ से आपका निर्देश हो जाय जिससे इनका काम हो जाय। इनकी पीड़ा यह है कि वह सड़क जो जर्जर अवस्था में बनी हुई है वह दो विभागों के झगड़े में लटके न, 3 साल हो गया है। आपका निर्देश हो जाय संसदीय कार्य मंत्री जी के लिए जिससे वह सड़क शीघ्र बन जाय।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी बता रहे हैं कि उसका स्टीमेट बन गया है। मुकदमा भी दर्ज हो गया है।

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ला-

बिल्कुल बन गया है और उस पर विभाग तत्पर है, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा होने की स्थिति में है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आप हमें सरकार से यह आश्वासन दिलवा दीजिये कि कार्य कितने दिन में हो जायेगा। मैं तो 03 साल से लड़ रहा हूँ मैंने प्राक्कलन समिति से निरीक्षण भी करवा दिया था। मैं हर तरह से लड़ चुका हूँ, समय निश्चित कर दे। 03 साल हो गया मा0 अध्यक्ष जी अपनी बात रखते हुए समिति से लेकर सदन तक, मंत्री से लेकर अधिकारी तक मैं हो आया, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब आप ही बचे हैं जहाँ मैं अपनी बात रख सकता हूँ।

आपका इस पर निर्देश हो जाय कि यह काम 03 महीने में हो जाय, बरसात के पहले हो जाय, जून के पहले हो जाय।

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

03 महीने नहीं और जो न्यूनतम समय होगा, हम उसमें इस काम को करायेंगे। जितना कम से कम समय लगेगा, हम उतने समय में इसको करायेंगे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

ठीक है, धन्यवाद।

जनपद गाजियाबाद के न्याय खण्ड प्रथम इंदिरापुरम मे हुए अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सरोज द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2021 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य

आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री (श्री गिरीश चन्द्र यादव)-

उक्त सूचना के सम्बन्ध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार .....

श्री विनोद सरोज-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(वक्तव्य मुख्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[मा0 विधायक जी के पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या-एन0के0पी0-8, इन्दिरापुरम, क्षेत्रफल 180 वर्ग मी0 का विक्रय-विलेख निष्पादित कराने के उपरान्त मा0 विधायक जी द्वारा भूखण्ड का स्थल पर दिनांक 23-04-2012 को कब्जा प्राप्त किया गया था। स्थल पर प्राप्त किये गये कब्जा पत्र के अनुसार भूखण्ड के उत्तर व दक्षिण में 9.00 मी0 तथा पूरब व पश्चिम में 20.00 मी0 अर्थात कुल क्षेत्रफल 180.00 वर्ग मी0 है। मा0 विधायक जी की शिकायत पर तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, जोन-6 तथा तहसीलदार, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल निरीक्षण कराया गया। स्थल निरीक्षण के अनुसार स्थल पर मा0 विधायक जी द्वारा भू-खण्ड का प्राधिकरण से कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त बाउण्ड्रीवाल करायी गयी है। उक्त से स्पष्ट है कि मा0 विधायक जी द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से भूखण्ड की रजिस्ट्री कराने के उपरान्त भू-खण्ड का स्थल पर कब्जा वर्ष 2012 में प्राप्त कर लिया गया था तथा बाउण्ड्रीवाल भी बना ली गयी थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा आवंटी को स्थलीय भौतिक कब्जा द्वारा वर्ष 2012 में ही प्रदत्त किया जा चुका है। आवंटी द्वारा तत्समय संतुष्टि स्वरूप कब्जा प्रपत्र पर हस्ताक्षर भी बनाये गये हैं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद गाजियाबाद के गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की निष्क्रिय कार्य-प्रणाली की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। मा0 विधायक कुण्डा श्री रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया" द्वारा अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से पत्र दिनांक 07 सितम्बर, 2018 तथा दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 के माध्यम से प्रदेश सरकार को विधायकों को भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने की योजनान्तर्गत आवंटित किये गये जनपद गाजियाबाद के न्याय खंड प्रथम इन्दिरापुरम् में आवासीय भूखण्ड सं0 एन0के0पी0 8 (क्षे0फ0 180 वर्गमी0) की पैमाइश सक्षम प्राधिकारी से कराने तथा अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया गया था जिस पर शासन के पत्र दिनांक 02 नवम्बर, 2018 द्वारा उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को उक्त आवंटित भूखण्ड की पैमाइश कराकर एवं अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया गया। परन्तु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की निष्क्रिय कार्य-प्रणाली के कारण 02 वर्ष बाद आज भी पूर्ववत् स्थिति बनी हुयी है न कोई अधिकारी मौके पर पैमाइश के लिये गया, न ही अतिक्रमण हटाने की कोई कार्यवाही की गयी। महोदय स्पष्ट परिलक्षित है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों की मिलीभगत से ही अतिक्रमण व अवैध कब्जा हुआ है। जब मा0 विधायकों के आवंटित भूखण्ड की स्थिति यह है तो सामान्य परिवारों को आवंटित भूखण्ड की स्थिति की कल्पना स्वयं की जा सकती है। अतः मैं इस सदन के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में दोषी अधिकारियों को तत्काल दण्डित करने तथा आवंटित भूखण्ड की पैमाइश कराने तथा अतिक्रमण हटाये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आपने अपनी सूचना को दोहराया है।

***श्री विनोद सरोज-**

इसमें माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से जो जवाब आया है वह गलत आया है। इस पर अगल-बगल के लोग बाउन्ड्री बनाकर प्लाट को कब्जे में कर लिये है और बार-बार सूचना देने के बाद भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

मैं इस सम्बन्ध में आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी की उपस्थिति में और माननीय विधायक जी के कब्जा परिवर्तन का जो प्रपत्र है, उस पर उनका हस्ताक्षर है और 180 स्क्वायर मी0 जो उन्होंने जमीन खरीदी थी उस पर कब्जा परिवर्तन विकास प्राधिकरण द्वारा दिलाया गया है और उन्होंने सहमति पत्र भी दिया हुआ है और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से उसकी जाँच भी करायी गयी थी, जांचोपरान्त उनको कब्जा भी दिया गया था, किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है और जितने वर्गफीट की उन्होंने रजिस्ट्री कराई थी, बैनामा कराया था, उस पर उनको कब्जा दिया जा चुका है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विनोद सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, यह गलत सूचना है आप चाहें तो फिर से इसको दिखवा लें। वहाँ अतिक्रमण हुआ है और दोनों तरफ से दीवालें बनाकर प्लाट को छोटा कर दिया गया है।

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

मान्यवर, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं आप चाहेंगे तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। माननीय विधायक जी ने जो बाउन्ड्रीवाल कराई है जिस पर गेट लगा हुआ है और इस पर ताले भी लगे हुये हैं।

श्री विनोद सरोज-

अध्यक्ष जी, बाउन्ड्री का अतिक्रमण किया गया है।

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

जांच हुई हैं और जाँच के बाद ही रिपोर्ट आई है।

श्री विनोद सरोज-

मान्यवर अतिक्रमण करके गहराई और लम्बाई दोनों ओर से प्लाट को छोटा कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अगर आपको किसी बिन्दु पर लगता है कि जाँच छूट गई है, कोई अलग से प्वाइंट है आपके पास, तो आप लिखकर भिजवा दीजिये।

श्री विनोद सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें पुनः जाँच हो जाय। प्लाट की पुनः नाप हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

अभी माननीय मंत्री जी ने विषय रखा, उनके पास फोटोग्राफ्स भी हैं और कुछ पत्र भी हैं संतुष्टि के, वहाँ के लोगों के।

श्री गिरीश चन्द्र यादव -

नहीं, वहाँ के लोग नहीं हैं। माननीय विधायक जी के हस्ताक्षर हैं।

श्री विनोद सरोज-

मान्यवर, मौके पर अतिक्रमण हुआ है।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आप निर्देशित कर दें कि इसमें पुनः जाँच हो जाय और जाँच होकर दुबारा रिपोर्ट आ जाय, मंत्री जी को भी इसमें कोई चिंता नहीं होनी चाहिये। पूरी जमीन का पैसा पेमेंट हुआ है एक बार फिर से पैमाइश हो जाय, बस आपका आदेश हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

आदेश क्या हमने तो पहले ही कहा था कि अगर कोई बात है तो आप लिखकर भिजवा दीजिये।

श्री गिरीश चन्द्र यादव-

अगर इनको लगता है कि इस सम्बन्ध में कोई और कठिनाई है तो यह लिखित सूचना/पत्र दे देंगे तो हम उसकी जाँच करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब अगली मद लेते हैं।

जनपद लखनऊ में नया विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध मे श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2021 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिम विधान क्षेत्र लखनऊ के राजाजीपुरम में पाल तिराहा पर अवस्थित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र पर 33/11 के0वी0 .....

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य ऊर्जा मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

<u>आख्या</u>:-

[के 10 एम0वी0ए0 क्षमता के तीन परिवर्तक स्थापित है, जिनकी कुल 11 के0वी0 पर 1575 एम्पियर क्षमता है। पिछले वर्ष इस उपकेन्द्र का अधिकतम भार लगभग 1360 एम्पियर माह जून 2019 में था। इस उपकेन्द्र से पोषित ओल्ड कैम्पवेल रोड पोषक जिसका अधिकतम भार लगभग 190 एम्पियर है, को 33/11 के0वी0 आजाद नगर उपकेन्द्र पर स्थानान्तरित कर दिया गया था। साथ ही राजाजीपुरम न्यू पाल तिराहा उपकेन्द्र से पोषित जोनल फीडर पर लगभग 120 एम्पियर विद्युत भार 33/11 के0वी0 राजाजीपुरम ओल्ड विद्युत उपकेन्द्र पर स्थानान्तरित कर दिया गया था। इस प्रकार राजाजीपुरम न्यु उपकेन्द्र पाल तिराहा के कुल विद्युत भार जो 1360 एम्पियर था, वर्तमान में स्थानान्तरण के उपरान्त माह अगस्त 2020 में 1254 एम्पियर लॉग किया गया था जो कुल क्षमता का 79 प्रतिशत है, जो सीमा में है। माह फरवरी, 2021 में उक्त उपकेन्द्र का कुल भार 422 एम्पियर हैं, जो कुल स्थापित क्षमता का

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

26.79 प्रतिशत है। इस प्रकार से वर्तमान में इस उपकेन्द्र की अतिभारिता समाप्त हो गई है एवं विद्युत आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं है।

आगामी वर्षों में भार की आवश्यकता, तकनीकी सम्भाव्यता तथा धन उपलब्ध होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।]

श्री अध्यक्ष-

श्रीवास्तव जी, आप इससे संतुष्ट हैं ?

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

जी, मान्यवर।

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में की गयी भर्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामधनी द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2021 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संदीप कुमार सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी इस सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ ने अपने पत्र.....

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[इस सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-एम0ई0-2/2021/576, दिनांक 24-02-2021 के द्वारा अवगत कराया है कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में दिनांक 13-03-2020 को संविदा के आधार पर आचार्य एवं सह आचार्य तथा सहायक आचार्य के पदों के लिए विज्ञापन नियमानुसार आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही विज्ञापित किया गया था। यूरोलॉजी विभाग में सहायक आचार्य के पद पर साक्षात्कार हेतु 02 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। जिसमें ओ0बी0सी0 के लिए आरक्षित सीट के सापेक्ष साक्षात्कार के समय केवल 01 ही अनारक्षित अभ्यर्थी उपस्थित हुआ। उक्त अभ्यर्थी पूर्व से उ0प्र0 चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल आफिसर इंचार्ज (एम0ओ0आई0सी0) के पद पर कार्यरत था। उक्त अभ्यर्थी द्वारा अपने मूल विभाग से निर्गत एन0ओ0सी0 साक्षात्कार के समय उपलब्ध नहीं कराया गया था। अतः एन0ओ0सी0 उपलब्ध नहीं कराये जाने की दशा में

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उन्हें साक्षात्कार हेतु अर्ह नहीं पाया गया। समस्त रिक्त पदों पर चयन हेतु पुनः विज्ञापन प्रकाशित कर चयन की कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद श्रावस्ती में लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने को सम्बन्ध मे श्री मोहम्मद असलम "राइनी" द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2021 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(विपक्ष के किसी माननीय सदस्य द्वारा यह कहने पर कि श्री असलम ''राइनी'' जो अनुपस्थित हैं)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

अब हम दिनांक 01-03-2021 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 45 मिनट पर सोमवार दिनांक 01 मार्च, 2021 को अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 25 फरवरी, 2021

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0-93 विधान सभा (150)-07-06-2022-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।